4. इस मामले को " नियोगी मर्डर ट्रायल " के नाम से जाना जाता है । इस देश के सार्वजनिक क्षेत्रों में भिलाई इस्पात संयंत्र ।जिला-दुर्ग ।म0प्र0। उच्चकोटि का इस्पात का उत्पादन करने वाली प्रमुख इस्पात संयंत्रों में से एक है । इस इस्पात संयंत्र को कच्चा माल के रूप में लौह-अयस्क यहाँ से करीब 80 कि0मी0 दूर राजहरा नामक विशाल खदान से प्राप्त होता है । मृतक शंकर गुहा नियोगी, करीब 2 दशक से राजहरा में कार्यरत खदान मजदूरों की समस्याओं की समाधान के लिये नेतृत्व संभाला हुआ था । मृतक नियोगी श्रमिकों के बीच धीरे-धीरे इतना अधिक लोकप्रिय हो गया था कि उसके नेतृत्व के अधीन करीब 50 हजार से भी अधिक श्रमिक एकत्र हो चुके थे । मृतक नियोगी ने श्रमिकों की एक केन्द्रीय संघ का गठन किया, जिसे "छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा" के नाम से जाना जाता है । मृतक नियोगी अपने जीवनकाल में राष्ट्रीय स्तर का श्रमिक नेता बन चुका था ।

5. भिलाई ।जिला-दुर्ग ।म0प्र0।। में तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा था । इसके साथ ही कई औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों की समस्यायें बढ़ रही थी । सन् 89 में देश की सीमेंट उत्पादन में अग्रणी "ए0सी0सी0", जामुल ।भिलाई। में श्रमिकों का आंदोलन आरंभ हुआ । नियोगी के नेतृत्व में श्रमिकों का अपने ठेकेदार, प्रबंधन के साथ समझौता हुआ । यह समझौता मजदूरों के हित में था । नियोगी के नेतृत्व की इस अभूतपूर्व सफलता को देखकर भिलाई क्षेत्र के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत मजदूरों ने अपनी समस्याओं का निदान करने के लिये नियोगी को भिलाई में नेतृत्व संभालने हेतु आमंत्रित किये । पूर्वरचित नियति से मिलने के लिये नियोगी सन् 90 में भिलाई आ गये । उन्होंने हुडको ।भिलाई। के क्वा0नं0-एम0 आई0जी0-1/55 को अपना निवास बनाया, जहां वे सामान्यतः अपने नौकर बहलराम के साथ रहते थे । मृतक नियोगी की पत्नी आशा एवं बच्चे क्रांति, मुक्ति और जीत पूर्ववत् ग्राम दानीटोला ।राजहरा के नजदीक। में रहते रहे । नियोगी ने छ0मु0मोर्चा का ऑफिस हुडको ।भिलाई। एम0आई0जी0-2/273 में रखा था ।

6. सन् 1990 के उत्तरार्द्ध में नियोगी ने उद्योगों में मजदूरों के स्थायीकरण व जीने लायक वेतन की मांग को लेकर इस क्षेत्र में स्थित सिम्पलेक्स, केडिया, बी0ई0सी0 बी0के0 एवं कुछ अन्य उद्योगों के विरुद्ध व्यापक आंदोलन आरंभ किया । इस आंदोलन के दौरान उद्योगपतियों द्वारा छ0मु0मोर्चा के श्रमिकों पर प्राणघातक हमले कराये जाने लगे । छ0मु0मोर्चा के एक प्रमुख नेता उमाशंकर राय पर आंदोलन के दौरान हमले हुये, जिसमें पुलिस ने अनुसंधान करने के उपरांत अन्य लोगों के साथ-साथ अभियुक्त

FOUR PEES

बलदेव सिंह के विरुद्ध न्यायालय में चालान भी पेश किया गया है । इस बात की आशंका व्यक्त की जाने लगी कि मजदूरों पर हमले सिम्पलेक्स एवं केडिया ग्रुप के मालिकों द्वारा नियोजित गुंडों द्वारा कराये जा रहे हैं । मृतक नियोगी ने स्वयंभी यह महसूस किया कि सिम्पलेक्स एवं केडिया ग्रुप के मालिकों से उसकी जान को गंभीर खतरा है । नियोगी को इस संबंध में धमकियांभी मिलने लगी थी । नियोगी नेअपनी डायरी में सिम्पलेक्स ग्रुप के अभियुक्त मूलचंद शाह से अपनी जान का खतरा होना लिखा था एवं इस डायरी में इस मामले के अन्य अभियुक्तों का नामभी लिखा था ।

7. अभियुक्त चंद्रकांत शाह, ज्ञानप्रकाश, अवधेश एवं अभयसिंह ने मार्च 91 में टैम्पो ट्रेव्हलर क्र0- एम0पी0 24बी-6622 से जो नेपाल यात्रा कियेथे उसका उद्देश्य नियोगी की हत्या का षडयंत्र रचनाथा और नेपाल से अवैध हथियार एकत्र करना था ।

8. नियोगी का आंदोलन तेज होते गया । सबसे अधिक मजदूरों की छटनी सिम्पलेक्स ग्रुप द्वारा किया गया । सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग एवं फाउंडरी को नियोगी के आंदोलन के कारण लाखों रुपये का नुकसान होने लगा । इसके लिये इस औदयोगिक संस्थान ने जिला न्यायालय, दुर्ग में व्य0वाद क्र0 1ए/91 एवं 2ए/91 दायर किया । छ0मु0मोर्चा के अन्य पदाधिकारियों के साथ-साथ मृतक नियोगी कोभी उसमें प्रतिवादी बनाया गया था । वादी के अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन पर न्यायालय द्वारा दिनांक 17-1-91 को यह आदेश पारित किया गया था कि सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग एंड फाउंडरी वर्क्स लि0, भिलाई के मुख्य कारखाने एवं उसके आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में प्रतिवादीगण कोई बाधा न डालें ।

9. नियोगी का यह आंदोलन गर्मी के दिनों के दोपहर की सूरज की भांति सिम्पलेक्स उद्योग को असहनीय होने लगाथा और अंततः उन्हें अभियुक्त पलटन मिल गया जो पैसे के लिये नियोगी की हत्या कर राहत पहुंचाने वाला साबित हुआ ।

10. नियोगी को श्रमिकों पर हमलों का खतरा इतना आसन्न लगने लगा था कि उन्होंने सितम्बर 1991 के 11 तारीख के आसपास प्रतिनिधि मंडल सहित दिल्ली जाकर तात्कालीन महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा ।

.....5

स्वामी अग्निवेश (तात्कालीन सांसद) ने नियोगी जी को महामहिम राष्ट्रपति से मिलवाया था ।

11 दिल्ली जाने के पूर्व मृतक नियोगी ने अपनी आशंका एवं उद्देश्य को एक कैसेट में रिकार्ड कर अपने घर में रख दिया था ।

12. अभियुक्त पलटन मूलतः ग्राम निबड़ी (जिला देवरिया) उ०प्र० का रहने वाला था, जो पिछले 2-3 वर्षों से भिलाई में आकर साइकल मरम्मत का कार्य करता था । वह इस क्षेत्र के आपराधिक गतिविधियों में संलग्न था और उसके विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में भा०द०वि० की धारा 307, 353, 397, 341, 294, 506 (बी), 323 तथा 25 व 27 आर्म्स एक्ट के मामले लंबित थे ।

13. दिनांक 27-9-91 को मृतक नियोगी अपने कार से ड्रायव्हर दीपक सरकार के साथ रायपुर गये थे । वहां उनकी मुलाकात पी०यू०सी०एल० के महासचिव राजेन्द्र सयाल एवं इंडिया टुडे के संवाददाता एन०के० सिंह से हुई । नियोगी ने इन दोनों व्यक्तियों को अपने श्रमिक आंदोलन की जानकारी दिया और इसके साथ ही उसने यह भी आशंका व्यक्त किया कि उसकी जान को केडिया एवं सिम्पलेक्स ग्रुप के मूलचंद शाह एवं चंद्रकांत शाह से खतरा है । रात्रि में करीब 12.00 बजे नियोगी रायपुर से वापस भिलाई आने के लिये रवाना हो गये । ड्रायव्हर दीपक सरकार ने नियोगी को क्वा०नं०-एम०आई०जी०-1/55 में छोड़ने के बाद ऑफिस एम०आई०जी०-2/273 चला गया ।

14. मृतक नियोगी ने रात्रि में अपने क्वार्टर एम०आई०जी०-1/55 में बहलराम के साथ संक्षिप्त एवं औपचारिक बातचीत करने के पश्चात सोने के लिये अपने कमरे में चला गया । कुछ घंटों के पश्चात बहलराम ने नियोगी के कमरे में फटाका फूटने की आवाज सुना । वह घबराकर नियोगी के कमरे में गया तो देखा कि उस कमरे की लाईट जल रही थी और नियोगी अपने पलंग पर हिलडुल रहे थे । कमरे की खिड़की खुली हुई थी । बहलराम ने पड़ोसी श्रीपाद माटेगांवकर को बुलाकर लाया । श्रीपाद माटेगांवकर ने अपने पुत्र को छ०मु०मोर्चा के ऑफिस भेजकर कुछ श्रमिकों को बुलवाया । नियोगी को गोली लग चुकी थी । उन्हें तत्काल भिलाई के से०-9 अस्पताल ले जाया गया । संभवतः अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही नियोगी की मृत्यु हो चुकी थी । डॉक्टरों ने कुछ देर परीक्षण करने के उपरांत नियोगी को मृत घोषित कर दिया । इस तरह इस देश के श्रमिक आंदोलन के इतिहास में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता का अंत हो गया । मृतक नियोगी के शव का पंचनामा और उसके उपरांत 3 डॉक्टरों द्वारा शव परीक्षण

.....6

किया गया । डॉ0 की राय में मृतक नियोगी की मृत्यु गोली लगने से हुई थी । इस तरह यह एक श्रमिक नेता की हत्या का मामला था ।

15. प्रारंभिक अनुसंधान पड़ोसी जिले राजनांदगांव के पुलिस उपाधीक्षक एम0जी0अग्रवाल द्वारा किया गया । छ0मु0मोर्चा के श्रमिक पुलिस अनुसंधान से संतुष्ट नहीं हुये । अतः उनके आंदोलन को देखते हुये म0प्र0सरकार ने केन्द्र से यह अनुरोध किया कि इस हत्याकांड की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराई जाये । केन्द्र सरकार के आदेश पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली ने यह अनुसंधान अपने हाथ में लिया ।

16. केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अनुसंधान में साक्ष्य एकत्र करने के उपरांत यह निष्कर्ष दिया कि दिनांक 27/28-9-91 की रात में जब नियोगी सो रहे थे तब अभियुक्त पलटन एवं ज्ञानप्रकाश मिश्रा उसके क्वार्टर में मोटरसायकिल से गये । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा क्वार्टर के बाहर खड़ा रहा और अभियुक्त पलटन ने देशी कट्टा में एल0जी0 कार्ट्रेज भरकर खिड़की से नियोगी पर फायर किया । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने अपने मित्र देवेन्द्र पाटनी से 20,000/- रुपये लेकर अभियुक्त पलटन को दे दिया । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने अभियुक्त नवीन शाह को संबोधित एक संकेतात्मक पत्र लिखकर देवेन्द्र पाटनी को दिया और कहा कि वह जाकर पैसा लेले । इस पत्र को देवेन्द्र पाटनी ने अभियुक्त चंद्रकांत शाह को दिया । यह पत्र बाद में अभियुक्त चंद्रकांत शाह के कार्यालय "जैन एंड शाह" (आकाशगंगा परिसर, भिलाई) से फटे हुये हालत में बरामद किया गया । इस पत्र के फटे हुये टुकड़ों को जोड़ा गया ।

17. मृतक नियोगी की हत्या करने के पश्चात अभियुक्त पलटन लाल रंग की सुजुकी मोटरसायकिल से उ0प्र0 भाग गया और इधर-उधर आश्रय लेते रहा ।

18. मृतक नियोगी की हत्या के 2-3 दिन बाद ही अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के बड़े भाई प्रभुनाथ मिश्रा के सिफारिश पर अभियुक्त अवधेश राय ने मौर्या टाकीज, भिलाई के सायकल स्टैंड का ठेका 25,000/- रुपये में लिया । अभियुक्त चंद्रबक्श एवं बलदेव भी इस सायकल स्टैंड का काम देखा करते थे । इस सायकल स्टैंड की आमदनी अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के खाते में सिंडीकेट बैंक में जमा कराई जाती थी । इस तरह अभियुक्त पलटन की फरारी में अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में यह चालान पेश किया गया ।

23/6/97

19. केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने फरार अभियुक्त पलटन की सूचना देने वाले या पकड़ने वाले व्यक्ति को एक लाख रुपये ईनाम देने की घोषणा किया । इस घटना के करीब 2 साल बाद संयोग से दिनांक 21-8-93 को गोरखपुर (उ0प्र0) में वायुसेना के एक अधिकारी सुरेश शर्मा ने अभियुक्त पलटन को संजय यादव के नाम से गिरफ्तार कर थाना प्रभारी गोरखपुर कैंट को सौंप दिया । वहां पूछताछ करने पर पुलिस ने यह पाया कि जिस व्यक्ति को संजय यादव (छद्म नाम) के नाम से गिरफ्तार किया गया है वह श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी का फरार हत्यारा है । थाना प्रभारी गोरखपुर कैंट ने अभियुक्त पलटन मल्लाह के मेमो0 बयान के आधार पर उसके घर (ग्राम निबही) में उसके द्वारा जमीन में गड़ाये गये देशी कट्टा, अमेरिकन रिवॉल्वर एवं कई कारतूस बरामद किया । अभियुक्त पलटन के मेमो0 बयान के आधार पर ही उसके रिश्तेदार सत्यप्रकाश के घर (ग्राम चैनपुर) से एक लाल रंग की सुजुकी मोटर-सायकिल बरामद की गई । इस मोटरसायकिल में कोई नंबर प्लेट (रजि0 नंबर) नहीं था एवं वाहन के चेसिस नंबर एवं इंजिन नंबर को घिसकर मिटा दिया गया था इस तरह यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि इस लाल-रंग की सुजुकी मोटरसायकिल का पंजीकृत स्वामी कौन था ।

20. अभियुक्त पलटन मल्लाह के गिरफ्तार होने के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि अपने फरारी के दौरान उसने अपने रिश्तेदार सत्यप्रकाश (निवासी-चैनपुर (उ0प्र0), केशनाथ (निवासी-डोहरिया बाजार (उ0प्र0) एवं विश्राम साहनी (निवासी-नेपाल) के समक्ष न्यायेत्तर-संस्वीकृति किया था ।

21. न्यायालय द्वारा मृतक शंकर गुहा नियोगी के शरीर से निकाले गये तीन छर्रे बैलेस्टिक एक्सपर्ट को भेजे गये । बैलेस्टिक एक्सपर्ट ने यह प्रतिवेदन दिया कि ये तीनों छर्रे अभियुक्त पलटन मल्लाह के मेमो0 बयान के आधार पर जप्त देशी कट्टे से चलाये गये हैं । इस तरह अभियुक्त पलटन मल्लाह के विरुद्ध भी बाद में केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली ने इस न्यायालय में पूरक-आरोप-पत्र पेश किया है ।

FOUR RUPEES

22. केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित करने के लिये न्यायालय में अ0सा0क्र0-1 रूपराम साहू, अ0सा0क्र0-2 राजेश बजाज, अ0सा0क्र0-3 पी0सी0 तिवारी, अ0सा0क्र0-4 विष्णुप्रसाद सोनी, अ0सा0क्र0-5 ए0के0 तिवारी, अ0सा0क्र0-6 सुरेश सेन, अ0सा0क्र0-7 एस0एल0 सलाम, अ0सा0क्र0-8 एम0एस0 परेश्वर, अ0सा0क्र0-9 विश्रामप्रसाद बंजारे, अ0सा0क्र0-10 सूर्यदेव वर्मा, अ0सा0क्र0-11 मनुभाई बोड़ा, अ0सा0क्र0-12 आर0के0 तिवारी, अ0सा0क्र0-13

.....8

स्वामी अग्निवेश, अ0सा0क्र0-14 कांत कुमार साहू, अ0सा0क्र0 15 सुधा भारद्वाज, अ0सा0क्र0-16 पुण्यव्रत गुन, अ0सा0क्र0-17 विजय शुक्ला, अ0सा0क्र0-18 गौकरण गजपाल, अ0सा0क्र0-19 पी0बी0नायर, अ0सा0क्र0-20 ललूराम, अ0सा0क्र0-21 डी0पी0भट्टाचार्य, अ0सा0क्र0-22 गणेशराम चौधरी, अ0सा0क्र0-23 जी0आर0मोरघड़े, अ0सा0क्र0-24 डी0एन0साहू, अ0सा0क्र0-25 एस0विश्वनाथन, अ0सा0क्र0-26 के0एस0भाटिया, अ0सा0क्र0-27 दीपनारायण पांडे, अ0सा0क्र0-28 नायडू मारन, अ0सा0क्र0-29 अजाब राव, अ0सा0क्र0-30 एम0वी0रेड्डी, अ0सा0क्र0-31 अतुलचंद्र पाल, अ0सा0क्र0-32 के0सी0मेरी, अ0सा0क्र0-33 अम्मा वर्गीस, अ0सा0क्र0-34 सी0पी0राधाकृष्णन, अ0सा0क्र0-35 के0जे0पाठक, अ0सा0क्र0-36 श्रीमती क्रिस्टिना कुमार, अ0सा0क्र0-37 असीत बोस, अ0सा0क्र0-38 लिंगानाथ, अ0सा0क्र0-39 सैबाल जाना, अ0सा0क्र0-40 मिट्ठूलाल, अ0सा0क्र0-41 जसवंतकुमार, अ0सा0क्र0-42 कृष्णाकुमार, अ0सा0क्र0-43 असीत कुमार पुरकाईत, अ0सा0क्र0-44 अंजोरेराम, अ0सा0क्र0-45 बाबूलाल, अ0सा0क्र0-46 के0एस0साहू, अ0सा0क्र0-47 एस0सी0सरकार, अ0सा0क्र0-48 राजकुमार पांडे, अ0सा0क्र0-49 बिहारीलाल ठाकुर, अ0सा0क्र0-50 हितेषकुमारभसीन, अ0सा0क्र0-51 रेशमीबाई, अ0सा0क्र0-52 दर्शनानंद तिवारी, अ0सा0क्र0-53 जैकब कुरियन, अ0सा0क्र0-54 सुदामाप्रसाद, अ0सा0क्र0-55 जी0एम0अंसार, अ0सा0क्र0-56 कुंजाराम दावले, अ0सा0क्र0-57 भारतभूषण पांडे, अ0सा0क्र0-58 बांकेबिहारी यादव, अ0सा0क्र0-59 राजबहादुर, अ0सा0क्र0-60 श्रीपाद जगन्नाथ माटेगांवकर, अ0सा0क्र0-61 जफरूद्दीन, अ0सा0क्र0-62 नीलरतन घोषाल, अ0सा0क्र0-63 एस0पी0सिंग, अ0सा0क्र0-64 बहलराम, अ0सा0क्र0-65 आर0जी0पांडे, अ0सा0क्र0-66 नुरूद्दीन, अ0सा0क्र0-67 क्रांतिगुहा नियोगी, अ0सा0क्र0-68 आशागुहा नियोगी, अ0सा0क्र0-69 श्रीरामसिंह, अ0सा0क्र0-70 राजेन्द्रकुमार श्याम, अ0सा0क्र0-71 नरेन्द्रकुमार सिंह, अ0सा0क्र0-72 जयनारायण त्रिपाठी, अ0सा0क्र0-73 डॉ0 चंद्रशेखर घोष, अ0सा0क्र0-74 वी0के0बंसल, अ0सा0क्र0-75 डॉ0 बी0आर0मेश्राम, अ0सा0क्र0-76 संपूर्णानंद उर्फ एस0एन0राव, अ0सा0क्र0-77 आर0के0मिश्रा, अ0सा0क्र0-78 जे0पी0निगम, अ0सा0क्र0-79 संतकुमार साहू, अ0सा0क्र0-80 जी0एन0दुबे, अ0सा0क्र0-81 रविन्द्रकुमार चौधरी, अ0सा0क्र0-82 अनिलकुमार वर्मा, अ0सा0क्र0-83 चंद्रशेखर दुबे, अ0सा0क्र0-84 डॉ0 बी0पी0मैथिल, अ0सा0क्र0-85 एच0ओ0कुलभास्कर, अ0सा0क्र0-86 प्रद्युम्न पटेल,

अ०सा०क्र०-87 दीपककुमार सुराना, अ०सा०क्र०-88 टीकमदास साहू, अ०सा०क्र०-89 संतोष गुप्ता, अ०सा०क्र०-90 राजकुमार हरसुख उर्फ बंटू, अ०सा०क्र०-91-रविन्द्रकुमार मेंडे उर्फ रवि, अ०सा०क्र०-92 सुरजमल जैन, अ०सा०क्र०-93 भोलाराव, अ०सा०क्र०-94 रविन्द्रकुमार पांडे, अ०सा०क्र०-95 डी०के०दुबे, अ०सा०क्र०-96 अरुणलाल देवांगन, अ०सा०क्र०-97 सुरेश विश्वकर्मा, अ०सा०क्र०-98 केतन गुलचंद शाह, अ०सा०क्र०-99 योगेश कुमुदप्रसाद दवे, अ०सा०क्र०-100 रामेश्वरम, अ०सा०क्र०-101 यशवंत धोटे अ०सा०क्र०-102 कमालुद्दीन, अ०सा०क्र०-103 कोदूराम, अ०सा०क्र०-104 दिनेश बलोनी, अ०सा०क्र०-105 सत्यप्रकाश निषाद, अ०सा०क्र०-106 अरविंद त्रिपाठी, अ०सा०क्र०-107 अनिलकुमार जैन, अ०सा०क्र०-108 विजयकुमार शर्मा, अ०सा०क्र०-109 प्रभाकर, अ०सा०क्र०-110 सुरेन्द्रकुमार, अ०सा०क्र०-111 तारासिंह, अ०सा०क्र०-112 एस० व्यंकटेशराव, अ०सा०क्र०-113 एम०टोप्पो, अ०सा०क्र०-114 डी०आर०गौरकर, अ०सा०क्र० -115 मोहनलाल, अ०सा०क्र०-116 अक्षयकुमार, अ०सा०क्र०-117 डी०सुंदरपाल, अ०सा०क्र०-118 पोलैय्या, अ०सा०क्र०-119 पी०वी०विजयकुमार, अ०सा०क्र०-120डा० दिलीप भालचंद्रवालकर, अ०सा०क्र०-121 विशम्भरदास मानिकपुरी, अ०सा०क्र०-122 महेन्द्रसिंह पटेल, अ०सा०क्र०-123 एस०एन०सिंह, अ०सा०क्र०-124 विशम्भरदास साहनी, अ०सा०क्र०-125 उमेशचंद्र मिश्र, अ०सा०क्र०-126 डी०पी०सिंह, अ०सा०क्र०-127 भगवतीप्रसाद तिवारी, अ०सा०क्र०-128 चंद्रकुमार, अ०सा०क्र०-129 मुश्ताकखान, अ०सा०क्र०-130 विजय बजाज, अ०सा०क्र०-131 राजेश दुआ, अ०सा०क्र०-132 अजयकुमार मिश्रा, अ०सा०क्र०-133 प्रदीपकुमार सुराना, अ०सा०क्र०-134 अनंत रमेशराव पिंपलराव अ०सा०क्र०-135 टी०के०सेन गुप्ता अ०सा०क्र०-136 रामगोपालदास पच्चीगर, अ०सा० क्र०-137 शेखर, अ०सा०क्र०-138 एम०मोहन, अ०सा०क्र०-139 किंशुक चक्रवर्ती, अ०सा०क्र०-140 आर०रिज्वी, अ०सा०क्र०-141 सी०ए०शिवकुमार, अ०सा०क्र०-142 रमेश भसीन, अ०सा०क्र०-143 मांगीलाल पंचदेव, अ०सा०क्र०-144 बालकृष्ण, अ०सा० क्र०-145सहसराम बिसन भुंभलकर, अ०सा०क्र०-146 बकनराव नेवारे, अ०सा०क्र०-147 डी०पी०सिंह, अ०सा०क्र०-148जनार्दन पांडे, अ०सा०क्र०-149 अशोककुमार, अ०सा० क्र०-150 शंभूप्रसाद चौलागाई, अ०सा०क्र०-151 अदितकुमार, अ०सा०क्र०-152 सी०एम० पटेल, अ०सा०क्र०-153 महेन्द्रप्रतापसिंह, अ०सा०क्र०-154 विक्रमसिंह ठाकुर उर्फ पप्पू, अ०सा०क्र०-155 एच०सी०कपूर, अ०सा०क्र०-156 अजयकुमारसिंह, अ०सा०क्र०-157 बी०भास्करराव, अ०सा०क्र०-158 देवेन्द्र जैन, अ०सा०क्र०-159 रूपसिंह, अ०सा०क्र०-160 डा० एस०सी०मित्तल, अ०सा०क्र०-161 एस०एन०सक्सेना, अ०सा०क्र०-162इकबाल अहमद, अ०सा०क्र०-163 एस०के०एन०वर्मा, अ०सा०क्र०-164 प्रमोदकुमार रावत, अ०सा०क्र०- 165 एस०पी०शुक्ला, अ०सा०क्र०-166 मनोहर वासुदेवराव पोहेकर, अ०सा०क्र०-167 सतीश जोशी, अ०सा०क्र०-168 एस०आर०यादव, अ०सा०क्र०-169 के०भट्टाचार्य,

....10

बलदेव सिंह के विरुद्ध न्यायालय में चालान भी पेश किया गया है । इस बात की आशंका व्यक्त की जाने लगी कि मजदूरों पर हमले सिम्पलेक्स एवं केडिया ग्रुप के मालिकों द्वारा नियोजित गुंडों द्वारा कराये जा रहे हैं । मृतक नियोगी ने स्वयं भी यह महसूस किया कि सिम्पलेक्स एवं केडिया ग्रुप के मालिकों से उसकी जान को गंभीर खतरा है । नियोगी को इस संबंध में धमकियां भी मिलने लगी थी । नियोगी ने अपनी डायरी में सिम्पलेक्स ग्रुप के अभियुक्त मूलचंद शाह से अपनी जान का खतरा होना लिखा था एवं इस डायरी में इस मामले के अन्य अभियुक्तों का नाम भी लिखा था ।

7. अभियुक्त चंद्रकांत शाह, ज्ञानप्रकाश, अवधेश एवं अभयसिंह ने मार्च 91 में टैम्पो ट्रेव्हलर क्र0- एम0पी0 24बी-6622 से जो नेपाल यात्रा किये थे उसका उद्देश्य नियोगी की हत्या का षड़यंत्र रचना था और नेपाल से अवैध हथियार एकत्र करना था ।

8. नियोगी का आंदोलन तेज होते गया । सबसे अधिक मजदूरों की छटनी सिम्पलेक्स ग्रुप द्वारा किया गया । सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग एवं फाउंडरी को नियोगी के आंदोलन के कारण लाखों रूपये का नुकसान होने लगा । इसके लिये इस औद्योगिक संस्थान ने जिला न्यायालय, दुर्ग में व्यवहार वाद-1ए/91 एवं 2ए/91 दायर किया । बी0एम0 मौर्या के अन्य पदाधिकारियों के साथ-साथ मृतक नियोगी को भी उसमें प्रतिवादी बनाया गया था । वादी के अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन पर न्यायालय द्वारा दिनांक 17-1-91 को यह आदेश पारित किया गया था कि सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग एंड-फाउंडरी वर्क्स लि0, भिलाई के मुख्य कारखाने एवं उसके आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में प्रतिवादीगण कोई बाधा न डालें ।

9. नियोगी का यह आंदोलन गर्मी के दिनों के दोपहर की सूरज की भांति सिम्पलेक्स उद्योग को असहनीय होने लगा था और अंततः उन्हें अभियुक्त पलटन मिल गया जो पैसे के लिये नियोगी की हत्या कर राहत पहुंचाने वाला साबित हुआ ।

10. नियोगी को श्रमिकों पर हमलों का खतरा इतना आसन्न लगने लगा था कि उन्होंने सितम्बर 1991 के 11 तारीख के आसपास प्रतिनिधि मंडल सहित दिल्ली जाकर तात्कालीन महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा ।

.....5

में था तो उस दौरान उस क्षेत्र में बहुत डकैती पड़ती थी । गांव के कुछ मुसलमान ~5 परिवारों से भी उसकी रंजिश चलती थी । उस दौरान वह किसी रिश्तेदार के यहां दूसरे गांव गया था तो उसकी अनुपस्थिति में रूद्रपुर पुलिस ने उसके घर में छापा मारा था । सुबह जब वह लौटकर आया तो चौकीदार ने बताया कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है और उस चौकीदार ने उसे सलाह दिया कि गांव में मत रहो । यह बात दिनांक 12-10-91 की है । इसके कारण वह इधर-उधर भटकते रहा । इस मामले में नगर-पुलिस अधीक्षक शैलेषसिंह ने उसे झूठा फसा दिया है । उनका बार-बार यह कहना था कि वह उसे फूलनदेवी जैसा बनाना चाहते हैं । अभियुक्त पलटन ने अपने बचाव में 7 साक्षियों की सूची पेश किया था । एक साक्षी राधे पांडे जब उपस्थित हुआ तो उसने उसे बिना परीक्षण के ही छोड़ दिया । बचाव साक्षियों में सुरेश विश्वकर्मा ब0 सा0क्र0-97 का भी नाम दिया गया था, जिसे भी उसने बाद में बिना परीक्षण छोड़ दिया । बचाव साक्षी के रूप में जो अन्य 5 व्यक्ति थे वे दिये हुये पते पर उपलब्ध नहीं थे और उनका कोई पता नहीं लग सका ।

24. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने दं0 प्र0सं0 की धारा 313 के उपबंधों के अंतर्गत बताया है कि वह राजनैतिक परिवार से संबंधित है । उसका एवं उसके भाई की राजनीति खत्म करने के लिये उसके बहुत से प्रतिद्वंदी हैं । ये लोग पुलिस से मिलकर उनकी राजनीति समाप्त करना चाहते हैं । वह पुलिस के अत्याचार का विरोध करता है, जिसके कारण पुलिस उससे रंजिश रखती है । उसे एम0ए0 अंतिम में प्रवेश देने से तात्कालीन प्राचार्य ने पुलिस-अधीक्षक के कहने से इंकार कर दिया । वह छात्रसंघ का चुनाव लड़ना चाहता था । उसने प्रवेश न दिये जाने के विरुद्ध माननीय उच्च-न्यायालय में रिट याचिका दायर किया, जिसमें दुर्ग के तात्कालीन पुलिस-अधीक्षक सुरेन्द्रसिंह को भी पक्षकार बनाया । उसकी रिट याचिका के आधार पर माननीय उच्च-न्यायालय ने म0प्र0 के पूरे विश्वविद्यालयों के छात्रसंघ का चुनाव स्थगित कर दिया । उच्च-न्यायालय ने पुलिस-अधीक्षक को फटकार भी लगाया । पुलिस-अधीक्षक को उससे । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा से माफी भी मांगना पड़ा था । इसी कारण तात्कालीन पुलिस-अधीक्षक सुरेन्द्रसिंह उससे रंजिश रखते थे । उसे सन् 88 में पुलिस ने "टाडा" में मिथ्या आधारों पर गिरफ्तार किया था, किंतु विशेष न्यायालय ने उसे रिहा किया । उसने थाना प्रभारी, छावनी आर0पी0शर्मा और नगर-पुलिस अधीक्षक आर0एस0सिंह के विरुद्ध न्यायालय में परिवादपत्र पेश किया है, जो अभी तक लंबित है । इस तरह स्थानीय पुलिस और सी0बी0आई0 ने उसे रंजिशवश इस मामले में झूठा फसाये हैं । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने अपने प्रतिरक्षा में 4 बचाव साक्षियों क्रमशः ब0सा0क्र0-1 एन0पी0चंदेल, ब0सा0क्र0-2 के0के0वर्मा, ब0सा0क्र0-3 श्यामकृष्ण तिवारी एवं ब0सा0क्र0-4 सी0एन0 उपाध्याय का परीक्षण कराया है ।

01-11/0

किया गया । डॉ0 की राय में मृतक नियोगी की मृत्यु गोली लगने से हुई थी । इस तरह यह एक श्रमिक नेता की हत्या का मामला था ।

15. प्रारंभिक अनुसंधान पड़ोसी जिले राजनांदगांव के पुलिस उपाधीक्षक एम0जी0 अग्रवाल द्वारा किया गया । छ0मु0मोर्चा के श्रमिक पुलिस अनुसंधान से संतुष्ट नहीं हुये । अतः उनके आंदोलन को देखते हुये म0प्र0सरकार ने केन्द्र से यह अनुरोध किया कि इस हत्याकांड की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराई जाये । केन्द्र सरकार के आदेश पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली ने यह अनुसंधान अपने हाथ में लिया ।

16. केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अनुसंधान में साक्ष्य एकत्र करने के उपरांत यह निष्कर्ष दिया कि दिनांक 27/28-9-91 की रात में जब नियोगी सो रहे थे तब अभियुक्त पलटन एवं ज्ञानप्रकाश मिश्रा उसके क्वार्टर में मोटरसायकिल से गये । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा क्वार्टर के बाहर खड़ा रहा और अभियुक्त पलटन ने देशी कट्टा में एल0जी0 कारतूस भरकर खिड़की से नियोगी पर फायर किया । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने अपने मित्र देवेन्द्र पाटनी से 20,000/- रुपये लेकर अभियुक्त पलटन को दे दिया । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने अभियुक्त नवीन शाह को संबोधित एक संकेतात्मक पत्र लिखकर देवेन्द्र पाटनी को दिया और कहा कि वह जाकर पैसा लेले । इस पत्र को देवेन्द्र पाटनी ने अभियुक्त चंद्रकांत शाह को दिया । यह पत्र बाद में अभियुक्त चंद्रकांत शाह के कार्यालय "जैन एंड शाह" (आकाशगंगा परिसर, भिलाई) से फटे हुये हालत में बरामद किया गया । इस पत्र के फटे हुये टुकड़ों को जोड़ा गया ।

17. मृतक नियोगी की हत्या करने के पश्चात अभियुक्त पलटन लाल रंग की हुंडकी मोटरसायकिल से उ0प्र0 भाग गया और इधर-उधर आश्रय लेते रहा ।

18. मृतक नियोगी की हत्या के 2-3 दिन बाद ही अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के बड़े भाई प्रभुनाथ मिश्रा के सिफारिश पर अभियुक्त अवधेश राय ने मौर्या टॉकीज, भिलाई के सायकल स्टैंड का ठेका 25,000/- रुपये में लिया । अभियुक्त चंद्रबक्श एवं बलदेवभी इस सायकल स्टैंड का काम देखा करते थे । इस सायकल स्टैंड की आमदनी अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के सिंडीकेट बैंक में खाते में जमा कराई जाती थी । इस तरह अभियुक्त पलटन की फरारी में अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में यह चालान पेश किया गया । sd/- 23/6/97

30. अभियुक्त चंद्रकांत ने दंड प्र0 सं0 की धारा 313 के अंतर्गत बताया है कि उसे केन्द्रीय-जांच ब्यूरो के दबाव के कारण झूठा फसाया गया है।

31. अभियुक्त बलदेव ने भी दंड प्र0 सं0 की धारा 313 के अंतर्गत बताया है कि उसे इस मामले में झूठा फसाया गया है और वह निर्दोष है।

32. <u>विचारणीय प्रश्न:-</u>

(1) क्या अभियुक्त पलटन ने दिनांक 27/28-9-91 को शंकर गुहा नियोगी की हत्या किया?

(2) क्या अभियुक्त पलटन अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के देशी कट्टा, अमेरिकन रिवॉल्वर एवं अन्य कारतूस रखा था?

(3) क्या अभियुक्त पलटन ने देशी कट्टा का प्रयोग अपराध करने में किया?

(4) क्या अभियुक्त पलटन ने अन्य अभियुक्तों के सामान्य आशय / षड़यंत्र को अग्रसर करने में शंकर गुहा नियोगी की हत्या किया था?

(5) क्या किसी अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित हुआ, यदि हां, तो उसका उपयुक्त दंड क्या हो?

33. साक्ष्य की सुविधा की दृष्टि से उसका मूल्यांकन निम्नलिखित विभक्त कर किया जा रहा है :-

(1) हत्या की घटना।

(2) किसने मारा :- (1) दि0 21-9-93 को अभियुक्त पलटन की गिरफ्तारी एवं उसके मेमो0 बयान के आधार पर कैरीकट्टा (देशी कट्टा), अमेरिकन रिवॉल्वर, दो एल0 जी0 कारतूस एवं अन्य कारतूस व मोटरसायकिल की बरामदगी।

(2) बैलेस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट।

(3) एल0 जी0 कारतूस एवं देशी कट्टा प्राप्त करने का अवसर।

(4) न्यायेत्तर संस्वीकृति।

(5) हत्या के बाद इस क्षेत्र से फरार।

(6) पैसा कहां से आया।

(3) अभियुक्तों से जप्तियां :- (1) अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर के तलाशी एवं जप्ती।

(2) आकाशगंगा परिसर भिलाई की तलाशी एवं वहां से जप्तियां।

(3) अभियुक्त मूलचंद शाह के घर की तलाशी एवं वहां से जप्तियां।

(4) अभियुक्त मूलचंद के ऑफिस की तलाशी एवं वहां से जप्तियां।

(5) अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के घर की तलाशी एवं वहां से जप्तियां।

(6) अभियुक्त अभयसिंह के घर की तलाशी एवं जप्ती।

स्वामी अग्निवेश, उ0सा0क्र0-14 शांत कुमार साहू, उ0सा0क्र0 15 सुधा भारद्वाज, उ0सा0क्र0-16 पुण्यब्रत गुन, उ0सा0क्र0-17 विजय शुक्ला, उ0सा0क्र0-18 गौकरण गजपाल, उ0सा0क्र0-19 पी0बी0नायर, उ0सा0क्र0-20 ललूराम, उ0सा0क्र0-21 डी0पी0भट्टाचार्य, उ0सा0क्र0-22 गंभारराम चौधरी, उ0सा0क्र0-23 जी0आर0मोरघड़े, उ0सा0क्र0-24 डी0एन0साहू, उ0सा0क्र0-25 एस0विश्वनाथन, उ0सा0क्र0-26 के0एस0भाटिया, उ0सा0क्र0-27 दीपनारायण पांडे, उ0सा0क्र0-28 नायडू मारन, उ0सा0क्र0-29 अजाब राव, उ0सा0क्र0-30 एम0वी0रेड्डी, उ0सा0क्र0-31 अतुलचंद्र पाल, उ0सा0क्र0-32 के0सी0मेरी, उ0सा0क्र0-33 अम्मा वर्गीस, उ0सा0क्र0-34 सी0पी0राधाकृष्णन, उ0सा0क्र0-35 के0जे0पाठक, उ0सा0क्र0-36 श्रीमती क्रिस्टिना कुमार, उ0सा0क्र0-37 असीत बोस, उ0सा0क्र0-38 लिंगानाथ, उ0सा0क्र0-39 सैबाल जाना, उ0सा0क्र0-40 मिट्ठूलाल, उ0सा0क्र0-41 जसवंतकुमार, उ0सा0क्र0-42 कृष्णाकुमार, उ0सा0क्र0-43 असीत कुमार पुरकाईत, उ0सा0क्र0-44 अंजोरेराम, उ0सा0क्र0-45 बाबूलाल, उ0सा0क्र0-46 के0एस0साहू, उ0सा0क्र0-47 एस0सी0सरकार, उ0सा0क्र0-48 राजकुमार पांडे, उ0सा0क्र0-49 बिहारीलाल ठाकुर, उ0सा0क्र0-50 हितेषकुमारभसीन, उ0सा0क्र0-51 रेशमीबाई, उ0सा0क्र0-52 दर्शनानंद तिवारी, उ0सा0क्र0-53 जैकब कुरियन, उ0सा0क्र0-54 सुदामाप्रसाद, उ0सा0क्र0-55 जी0एम0अंसार, उ0सा0क्र0-56 कुंजाराम दावले, उ0सा0क्र0-57 भारतभूषण पांडे, उ0सा0क्र0-58 बांकेबिहारी यादव, उ0सा0क्र0-59 राजबहादुर, उ0सा0क्र0-60 श्रीपाद जगन्नाथ मार्टेगांवकर, उ0सा0क्र0-61 जकरुद्दीन, उ0सा0क्र0-62 नीलरत्ना घोषाल, उ0सा0क्र0-63 एस0पी0सिंग, उ0सा0क्र0-64 बहलराम, उ0सा0क्र0-65 आर0जी0पांडे, उ0सा0क्र0-66 नुरुद्दीन, उ0सा0क्र0-67 क्रांतिगुहा नियोगी, उ0सा0क्र0-68 आशागुहा नियोगी, उ0सा0क्र0-69 श्रीरामसिंह, उ0सा0क्र0-70 राजेन्द्रकुमार श्याल, उ0सा0क्र0-71 नरेन्द्रकुमार सिंह, उ0सा0क्र0-72 जयनारायण त्रिपाठी, उ0सा0क्र0-73 डॉ0 चंद्रशेखर घोष, उ0सा0क्र0-74 वी0के0बंसल, उ0सा0क्र0-75 डॉ0 बी0आर0मेश्राम, उ0सा0क्र0-76 संपूर्णानंद उर्फ एस0एन0रवि, उ0सा0क्र0-77 आर0के0मिश्रा, उ0सा0क्र0-78 जे0पी0निगम, उ0सा0क्र0-79 संतकुमार साहू, उ0सा0क्र0-80 जी0एन0दुबे, उ0सा0क्र0-81 रविन्द्रकुमार चौधरी, उ0सा0क्र0-82 अनिलकुमार वर्मा, उ0सा0क्र0-83 चंद्रशेखर दुबे, उ0सा0क्र0-84 डॉ0 बी0पी0मैथिल, उ0सा0क्र0-85 एच0ओ0तुलभास्कर, उ0सा0क्र0-86 प्रद्युम्न पटेल,

.....9

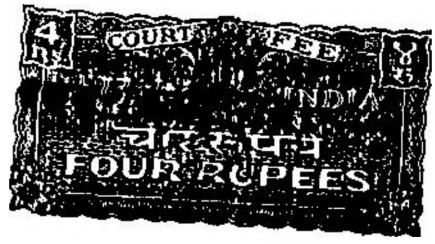

।13। नियोगी की डायरी ।

।14। नियोगी का कैसेट ।

।15। नियोगी की डायरी एवं कैसेट का साक्ष्यिक महत्व ।

।16। अभियुक्त पलटन द्वारा अपने संस्वीकृति/में
किन अभियुक्तों का नाम लिया गया :-

1. ज्ञानप्रकाश मिश्रा ।

2. मूलचंद शाह ।

3. नवीन शाह ।

4. चंद्रकांत शाह ।

।17। प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य :-

।1। ज्ञानप्रकाश मिश्रा ।

।2। चंद्रकांत शाह ।

।3। अवधेश राय ।

।4। अभयसिंह ।

अ0सा0क्र0-170, एम0डी0पांडे, अ0सा0क्र0-171 आर0... अ0सा0क्र0-172 के0... एस0भास्यम, अ0सा0क्र0-173 राजेश तिवारी, अ0सा0क्र0-174 एम0पी0 सिंह, अ0सा0क्र0-175 जे0सी0प्रभाकर, अ0सा0क्र0-176 त्रिलोकीनाथ पंडित, अ0सा0क्र0-177 पी0डी0 मतैय्या, अ0सा0क्र0-178 एन0एम0शेरावत, अ0सा0क्र0-179 हरभजनराम, अ0सा0क्र0-180 होशियार सिंह, अ0सा0क्र0-181 एन0के0 पाठक, अ0सा0क्र0-182 एम0जी0अग्रवाल, अ0सा0क्र0-183 बी0एस0कंवर, अ0सा0क्र0-184 मिथिलेश कुमार झा, अ0सा0क्र0-185 आर0पी0 लिटोरिया, अ0सा0क्र0-186 अखिलेश्वर प्रसाद, अ0सा0क्र0-187 आर0एस0धनकड़, अ0सा0क्र0-188 एस0के0 पालो, अ0सा0क्र0-189 श्रीमती मैत्रेयी माथुर, अ0सा0क्र0-190 बी0एन0पी0 आजाद, अ0सा0क्र0-191 राजकुमार शुक्ला एवं अ0सा0क्र0-192 आर0एस0प्रसाद का परीक्षण कराया है।

23. अभियुक्तों ने अभियोजन के आरोपों को अस्वीकार किये हैं। उनका बचाव यह है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त पलटन ने दंड प्र0सं0 की धारा 313 के उपबंधों के अंतर्गत यह बताया है कि अगस्त सन् 90 में वह भिलाई में था। दिनांक 4-8-90 को वह भिलाई के से0-9 अस्पताल में ऑपरेशन करवाया था। 7 अगस्त 90 को किसी बैंक में डकैती पड़ गई और पुलिस उसकी तलाश करने लगी। वह करीब 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा और डिस्चार्ज होने के बाद अपने घर भिलाई-3 आया। उसके पश्चात् वह अपने चाचा के घर कुसीपार (भिलाई) आया। उसके चाचा ने उसे सलाह दिया कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है, इसलिये बेहतर होगा कि वह अपने घर निबही (उ0प्र0) चला जाये। वह निबही चला गया और 3 महीने तक वहां रहने के बाद पुनः भिलाई वापस आया। उस समय भिलाई में शैलेष सिंह नगर पुलिस-अधीक्षक थे। वह एक दिन अपने घर में चाय पी रहा था, तो पुलिस वाले उसे पकड़कर ले गये, किंतु उसके पास अस्पताल में भर्ती होने का मेडिकल सार्टिफिकेट था, इसलिये उसे छोड़ दिये। पुलिसवाले उसे एक महीने तक थाने में रखे रहे और उसे शॉक देकर यह पूछते कि उसने कितना अपराध किया है। पुलिस अधीक्षक शैलेष सिंह उसे बोलते थे कि फूलनदेवी जैसा डाकू बना देंगे। उसे चोरी के 3 झूठे मामलों में जेल भिजवा दिया गया। वह 4 माह बाद जेल से छूटा। वह सन् 91 के पांचवे माह (मई) में जेल से छूटकर अपने घर भिलाई-3 आया। उसी रात पुलिस वाले उसके घर में छापा मारे, किंतु वह अपने चाचा के घर कुसीपार भिलाई में था। वह भागकर बंबई अपने भाई के पास चला गया। एक-डेढ़ महीना बंबई में रहने के बाद वह निबही (उ0प्र0) चला गया। सितम्बर 91 में जब वह ग्राम निबही (उ0प्र0)

.... 11

34. ।।। "हत्या की घटना"-

बहलराम ।अ0सा0क्र0-64। ने कंडिका-10 में यह बताया है कि दिनांक 27/28-9-91 की रात में नियोगी जी रायपुर से कार द्वारा भिलाई ।क्वा0नं0-एम0आई0जी0-1/55 हुडको, भिलाई में। करीब 1-1.30 बजे लौटे। उन्होंने कार ड्रायवर दीपक सरकार को ऑफिस में जाकर सोने के लिये कह दिया।। दीपक सरकार कार लेकर छ0मु0मोर्चा के हुडको स्थित ऑफिस चला गया।। नियोगी भी सोने के लिये अपने कमरे में चले गये।।

35. करीब एक-डेढ़ घंटे बाद पटाका फूटने की आवाज बहलराम ।अ0सा0क्र0-64। ने सुना। इसके साथ ही नियोगी ने "मारो"- कहकर चिल्लाया। बहलराम ।अ0सा0क्र0-64। तत्काल नियोगी के कमरे में गया, जहां लाईट जल रही थी। नियोगी हिल-डुल रहे थे। बहलराम ने नियोगी को बाबू-बाबू कहकर बोला, किंतु नियोगी ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे वह घबरा गया। उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि नियोगी हिल-डुल क्यों रहे हैं। उस समय नियोगी के बिस्तर में मच्छरदानी भी लगा हुआ था। वह घबरा गया एवं पड़ोस में रहने वाले वृद्ध व्यक्ति श्रीपाद मार्टेगांवकर ।अ0सा0क्र0-60। और उसके लड़के को अविलंब बुलाकर लाया। ये तीनों व्यक्ति जब लौटकर कमरे में आये, तो वहां बारूद की थोड़ी-थोड़ी गंध आ रही थी। मच्छरदानी उठाकर उन्होंने देखे तो नियोगी के पीठ में खून लगा होना पाये, जिससे इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि नियोगी को तत्काल पूर्व कोई चोट लगी थी।

36. बहलराम ।अ0सा0क्र0-64। ने आगे यह बताया है कि पटाका फूटने की आवाज सुनने के बाद जब वह नियोगी जी के कमरे में गया तो देखा कि वहां लाईट भी जल रही थी और खिड़की भी खुली हुई थी। वृद्ध व्यक्ति श्रीपाद मार्टेगांवकर ।अ0सा0क्र0-60। ने यह कहा कि नियोगी को किसी ने गोली मार दिया है और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। श्रीपाद मार्टेगांवकर ।अ0सा0क्र0-60। के कथन से भी बहलराम ।अ0सा0क्र0-64। के बयान की पुष्टि होती है।

37. बहलराम ।अ0सा0क्र0-64। श्रीपाद मार्टेगांवकर ।अ0सा0क्र0-60। के लड़के के साथ स्कूटर से छ0मु0मोर्चा के कार्यालय गया एवं बसंतकुमार ।अ0सा0क्र0-14।, दीपक सरकार एवं अन्य लोगों को बताया कि नियोगी जी को किसी ने गोली मार दिया है। बसंतकुमार ।अ0सा0क्र0-14। ने भी अपने बयान के कंडिका-13 में बताया है कि बहलराम ।अ0सा0क्र0-64। ने उसे उठाकर बताया कि नियोगी जी को गोली

न्यायालय

(4) अभियुक्त पल्टन कहाँ रहता था एवं उसके व्यक्तित्व की समग्रता :-

(5) अभियुक्तों के आपसी संबंध ।

(6) अभियुक्तों की लिखावट ।

(7) नियोगी की डायरी व कैसेट ।

(8) नियोगी का आंदोलन एवं अपराध का हेतुक :-

(1) सिम्पलेक्स उद्योग समूह को हानि ।

(2) सिम्पलेक्स उद्योग से मजदूरों की छटनी ।

(3) छ0मु0मोर्चा के श्रमिकों पर हमले ।

(9) षड्यंत्र की शुरूआत
एवं
उसकी भनक ।

(10) नेपाल यात्रा का उद्देश्य ।

(11) नियोगी की आशंका :-

(1) किन-किन लोगों को बताया ।

(2) राष्ट्रपति को ज्ञापन ।

(3) दिनांक 27-9-91 की घटनायें ।

(12) अभियुक्तों का फरार होना :-

(1) अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ।

(2) अभियुक्त अभय सिंह ।

(3) अभियुक्त चंद्रकांत शाह ।

एवं नगर-निरीक्षक राजा तिवारी ।अ0सा0क्र0-17३। तथा आरक्षक जगन्नाथ घटना स्थल पर वाहन क्र0-एम0आई0जी0 1/55 हुडको, भिलाई की ओर रवाना हो गये ।

40. उप-निरीक्षक जी0एन0दुबे ।अ0सा0क्र0-80। ने घटना स्थल पहुंचकर अर्द बहलराम ।अ0सा0क्र0-64। की देहाती नालिशी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट ।प्रदर्श पी-156। दर्ज किया । इस रिपोर्ट को उसने आरक्षक जगन्नाथ के द्वारा थाना भिलाईनगर नंबरी अपराध कायम करने हेतु भेज दिया । जो नंबरी अपराध कायम किया गया है वह प्रदर्श पी-195 है ।

41. सुबह करीब 6.00 बजे विधि विज्ञान प्रयोगशाला ।भिलाई। की पार्टी एवं फोटोग्राफर आ गये । इन लोगों ने जब अपनी कार्यवाही पूरी कर लिये तब उप-निरीक्षक जी0एन0दुबे ।अ0सा0क्र0-80। ने नियोगी के कमरे में पाई गई वस्तुओं की जप्ती बनाया ।

42. उप-निरीक्षक जी0एन0दुबे ।अ0सा0क्र0-80। के बयान कंडिका-4 एवं 5 से स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि उसने मिलेट्री कलर की मच्छरदानी ।जिसके कोने में एक बड़ा छेद था।, कारतूस के वेड्स ।पेकिंग, जिसमें एक गोल कागज में अंग्रेजी में एल0बी0लिखा है।, पेकिंग के कोर्क के टुकड़े 2, मच्छरदानी के जले हुये टुकड़े, जिसमें से बारूद की गंध आ रही थी, एक गोल प्लास्टिक का टुकड़ा, एक टुकड़ा गोल ।कागज। खून लगा हुआ, अमृतांजन की एक शीशी, एक चाबी छाप माचिस, एक पैकेट चार्मस सिगरेट का, जिसमें 4 सिगरेट थे, एक तकिया, जिसमें खून लगा था, एक चादर, जिसके सिरहाने में खून लगा था, एक गद्दा, जिसमें खून लगा था और एक जोड़ी हवाई चप्पल तथा कमरे में झाडू लगवाकर जोभी कचरा प्राप्त हुआ उसे जप्त किया था । इस साक्षी ने न्यायालय में उपरोक्त जप्तशुदा वस्तुओं को देखकर यह बताया है कि ये वही वस्तुयें हैं, जिसे उसने जप्त किया था ।

43. बचाव अधिवक्ताओं की ओर से यह दलील दी गई है कि नियोगी के बिस्तर में एक किताब रखा होना बताया गया है और उस कमरे में एक अटैची भी थी, किंतु इन दोनों वस्तुओं को उप-निरीक्षक जी0एन0दुबे ।अ0सा0क्र0-80। ने अपने जप्ती-पत्र में।प्रदर्शपी-157। में जप्त नहीं किया है । यदि इन दोनों वस्तुओं को किसीभी कारण से जप्त नहीं किया गया है तो भी इस बात पर कोई अंतर नहीं आता कि नियोगी कि गोली मारकर हत्या की गई है । इन दोनों वस्तुओं को जप्त न करने मात्र से अभियोजन का पक्ष संदेहास्पद नहीं हो जाता ।

44. घटना दिनांक की सुबह करीब 4.50 बजे विधि विज्ञान प्रयोगशाला ।मोबाइल यूनिट भिलाई। के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ0 बी0पी0मैथिल ।अ0 सा0क्र0-84। को पुलिस नियंत्रण कक्ष से इस अपराध की सूचना मिली । डॉ0 मैथिल ।अ0सा0क्र0-84। क्वा0नं0-एम0आई0जी0 1/55 सुबह करीब 5.30 बजे पहुंच गये ।

(5) मूलचंद शाह ।

(6) नवीन शाह ।

(7) चंद्रबक्श उर्फ छोट्टू ।

(8) बलदेव सिंह ।

(18) क्या नियोगी की हत्या में अन्य व्यक्ति/समूह का हाथ हो सकता है:-

(1) छ0मु0मोर्चा का आंतरिक संघर्ष ।

(2) पीपुल्सवारग्रुप ।

(3) कैलाशपति केडिया या उसके एजेंट । (ग)

(4) अन्य उद्योगपति ।

(5) झारखंड मुक्ति मोर्चा ।

(19):- निष्कर्ष :-

पाया गया । बिस्तर के पिछले हिस्से में भी एक प्लास्टिक का गोलाकार टुकड़ा व अन्य टुकड़े पाये गये, जिसे फोटो क्र०-7, 8, 9 एवं 10 में दर्शाये गये हैं एवं मच्छरदा में अंदर की ओर से निरीक्षण करने पर मच्छरदानी के अधजले टुकड़े भी चिपके हुये पाये गये । टुकड़े बिस्तर में भी यहां-वहां बिखरे पाये गये । वेड्स व उसके टुकड़े बिस्तर पर दाहिने तरफ अर्थात नियोगी के पीठ की ओर एवं पैरों की लंबाई तक फैले हुये पाये गये । मच्छरदानी से वेड्स या गोली बाहर निकलने का कोई संकेत नहीं मिला मच्छरदानी में निर्मित छिद्र की फर्श से ऊंचाई (कमरे के फर्श से) लगभग 3. (फीट पाई गई । खिड़की के दाहिने कोने से छिद्र की तिरछे में लंबाई 2. 10' फीट पाई गई । डॉ० बी०पी०मैथिल (अ०सा०क्र०-84) ने घटनास्थल पर निम्नलिखित प्रारंभिक परीक्षण किया :-

(1) नाइट्राइट परीक्षण:- यह परीक्षण मच्छरदानी के जले हुयेभाग के आसपास पश्चिम दीवार, किताब (तकिया व दिवाल के मध्य रखी हुई किताब) पर धनात्मक पाये गये ।

(2) लेड परीक्षण:- मच्छरदानी के छितरे हुये टुकड़ों पर धनात्मक पाये गये ।

(3) बेंजडीन परीक्षण:- बिस्तर पर बिखरे रक्त के लिये धनात्मक पाये गये ।

46. डॉ० बी०पी०मैथिल (अ०सा०क्र०-84) ने मृतक नियोगी के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण करने के लिये दुर्ग स्थित मरचुरी फोटोग्राफर एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला की गाड़ी के साथ गये । उन्होंने फोटोग्राफर से मृतक का फोटो खिंचवाया; जो फोटो क्र०-12 से 16 हैं । मृतक के बांई तरफ कंधे पर पैलेटस से आई चोटों का फोटो लिया गया और यह पाया गया कि इन पैलेटस का बिखराव त्रिभुजाकार है । बिखराव क्षेत्र का डायमीटर 6 से०मी० था । घावों के आसपास टिट्इंग मार्क पाये गये । उसने अनुसंधानकर्ता को यह सलाह दिया कि पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के शरीर से निकाले जाने वाले पैलेटस को सुरक्षित रखे एवं पैलेटस के घावों के चौरों ओर की चमड़ी को भी सुरक्षित रखा जाये । मृतक का बिस्तर भी सुरक्षित कराया जाये । डॉ० बी०पी०मैथिल (अ०सा०क्र०-84) ने घटनास्थल पर संभावित पदचिन्ह, अंगुल चिन्ह या औजार चिन्ह की खोज किया, किंतु उन्हें कोई भी चिन्ह प्राप्त नहीं हो सका । डॉ० मैथिल ने अनुसंधानकर्ता को निम्नलिखित सामग्री, परीक्षण हेतु जप्त करने की सलाह दिया :-

1. मच्छरदानी, जिसमें फायर से एक स्टारनुमा छेद हो गया है, जिसके चारों ओर कालेपन का निशान है ।

2. बिस्तर पर पड़े हुये वेड्स व उनके टुकड़े ।

3. मच्छरदानी के छोटे टुकड़े, जो फायर के दौरान छितरा गये थे ।

4. खून आलूदा कपड़े रक्त परीक्षण हेतु ।

—22— 23/1/9?

खिड़की से किसी ने गोली मार दिया है । वे लोग नियोगीजी को अविलंब इस क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल ।सै0-9 अस्पताल, भिलाई। ले गये ।' बहलराम ।अ0सा0क्र0-64। इस घटना की सूचना देने नीलरतन घोषाल ।अ0सा0क्र0-62। एवं अनूपसिंह के घर चला गया ।

38. बहलराम ।अ0सा0क्र0-64। के बयान से स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि नियोगी जी जिस कमरे में सो रहे थे उसमें 2 खिड़कियां हैं, जो सामने सड़क की तरफ खुलती हैं । सामने जो गेट है उससे उक्त दोनों खिड़कियों की दूरी करीब 5-6 हाथ होनी चाहिये । इसी तरह पटवारी संतकुमार ।अ0सा0क्र0-79। ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद जो प्रदर्श पी-193 का नक्शा बनाया है उससे भी यह स्पष्ट है कि क्वा0नं0-एम0आई0जी0-1755 में कुल 4 खिड़कियां हैं, जो सामने आंगन की तरफ हैं । आंगन करीब 9 फीट चौड़ा है । बाहर से आंगन में आने के लिये सामने जो दरवाजा है उसकी ऊंचाई मात्र 4 फीट है । इससे स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति बाहर से सामने फाटक। जिसकी ऊंचाई मात्र 4 फीट है। को पार करके उस कमरे की खिड़की तक आसानी से आ सकता था, जहां नियोगी जी सो रहे थे । बहलराम ।अ0सा0क्र0-64। ने भी प्रति-परीक्षण की कंडिका-19 में यह दृढ़तापूर्वक बताया है कि क्वार्टर में सामने जो लोहे का फाटक है उसकी ऊंचाई मात्र कमर के बराबर है । उस फाटक को कूदकर पार किया जा सकता है । इस तरह इस साक्षी एवं पटवारी संतकुमार ।अ0सा0क्र0-79। का यह कथन पूर्णतः विश्वसनीय है कि क्वा0नं0-एम0आई0जी0-1755 में सामने जो फाटक लगा है उसकी ऊंचाई इतनी कम है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उस फाटक को पार करके उस कमरे की खिड़की तक बहुत आसानी से आ सकता है, जहां नियोगी सो रहे थे ।

39. पुलिस थाना भिलाई नगर के उप-निरीक्षक जी0एन0दुबे ।अ0सा0क्र0-80। ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 27-9-91 की रात 10.00 बजे से दूसरे दिन सुबह 8.00 बजे तक उसकी ड्यूटी थाने में थी । रात के करीब 4.25 बजे उस थाने में फोन पर बसंत कुमार।अ0सा0क्र0-141। से यह सूचना मिली कि श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी को किसी ने गोली मार दिया है और उन्हें भिलाई के सै0-9 अस्पताल ले जाया गया है । उसने इस सूचना को सान्हा क्र0-194 पर दर्ज किया । इस सान्हे की प्रमाणित प्रतिलिपि को प्रदर्श पी-194ए के रूप में प्रदर्शित किया गया है । इस उप-निरीक्षक ने नगर-निरीक्षक राजेश तिवारी ।अ0सा0क्र0-173। को फोन पर सूचना उनके घर पर दिया । नगर-निरीक्षक अविलंब ही थाने आ गये । इसके पश्चात उप-निरीक्षक जी0एन0दुबे ।अ0सा0क्र0-80।

एक फीट 6 इंच थी । तख्त के पश्चिमी किनारे से रक्त स्पॉट की दूरी 8 इंच थी । पश्चिमी-पूर्वी दिशा में लंबाई में रक्त का फैलाव 8 इंच था, जिसे उसने नक्शे में डार्क स्पॉट के रूप में दर्शाया है । वहां पर बेइस पड़े हुयेथे । नक्शे में जो लाईट डाट्स बताये गये हैं वे अन्य कागज के टुकड़ों के हैं । मच्छरदानी के छेद को उसने दक्षिण-पश्चिमी कोने में दिखाया है । तकिया तख्त के दक्षिण दिशा में था । किताब दक्षिण-पश्चिम किनारे पर था । सिगरेट का पैकेट तख्त पर दक्षिण-पूर्वी किनारे पर था । उत्तर दिवाल से तख्त के बीच की दूरी साढ़े ।। इंच थी और दक्षिण दिवाल से 3 फीट दूरी थी । तख्त पश्चिमी दिवाल से सटा हुआथा । डॉ0 मैथिल ।अ0सा0क्र0-84। ने प्रदर्श पी-188 के नक्शे में त्रुटिवश उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर दर्शा दिया है और इसी तरह पूर्व को पश्चिम और पश्चिम को पूर्व दर्शा दिया है । यह त्रुटि सद्भावनापूर्ण है और इसे प्रति-परीक्षण में किसी तरह से चुनौती भी नहीं दी गई है ।

51 डॉ0 बी0पी0मैथिल ।अ0सा0क्र0-84। ने अपने न्यायालयीन कथन में फोटो क्र0-1 को प्रदर्श पी-201, निगेटिव पी-201अ, फोटो क्र0-2 को पी-202, निगेटिव पी-202अ, फोटो क्र0-3 को पी-203, निगेटिव को पी-203अ, फोटो क्र0-4 को पी-204, निगेटिव को पी-204अ, फोटो क्र0-5 को पी-205, निगेटिव को पी-205अ, फोटो क्र0-6 को पी-206 व इसके निगेटिव को पी-206अ, फोटो क्र0-7 को पी-207 व निगेटिव को पी-207अ, फोटो क्र0-8 को पी-208 व इसके निगेटिव को पी-208अ, फोटो क्र0-9 को पी-209 व इसके निगेटिव को पी-209अ, फोटो क्र0-10 को पी-210 व इसके निगेटिव को पी-210अ , फोटोक्र0-11 को पी-211 व इसके निगेटिव को पी-211अ, फोटो क्र0-12 को पी-192 व इसके निगेटिव को पी-192अ तथा फोटो क्र0-13 से 16 को पी-212 से पी-215 व इनके निगेटिव को क्रमशः पी-212 अ से पी-215 अ प्रदर्शित किया है ।

52 बचाव पक्ष की ओर से डॉ0 बी0पी0मैथिल ।अ0सा0क्र0-84। की रिपोर्ट के संबंध में मुख्य रूप से यह आपत्ति किया गया है कि इसे विलंब से तैयार किया गया है और इस कारण यह संदेहास्पद है । डॉ0 मैथिल ।अ0सा0क्र0-84। ने प्रति-परीक्षण की कंडिका-9 में यह स्पष्ट किया है कि उसने यह रिपोर्ट दिनांक 3-10-91 को डिस्पेच किया था । उसने घटनास्थल का निरीक्षण करने के दौरान ही रफ नोट्स बना लिया था और उस नोट्स को वह आज भी अपने साथ लेकर आया है । टायपिंग, डिस्पेचिंग आदि कारणों से तथा घटनास्थल के निरीक्षण में व्यस्तता होने के कारण उसे रिपोर्ट भेजने में 5 दिनों का विलंब हुआ है । यहां पर यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की मोबाईल यूनिट भिलाई में डॉ0 मैथिल ।अ0सा0क्र0-84। अकेले अधिकारी हैं और सभी कार्य उन्हें स्वतः करना

23/6/92

उस समय नियोगी को भिलाई के सेक्टर-9 अस्पताल ले जाया जा चुका था । शेष घटनास्थल अपने मूल रूप में ही था । डॉ० मैथिल ।अ०सा०क्र०-84। ने अपराध स्थल का निरीक्षण करने पर पाया कि यह एक एम०आई०जी० टाइप का क्वार्टर है, जिसके दाहिने तरफ एक दरवाजा और 4 खिड़कियां हैं । सामने कोर्टयार्ड एवं गेट है । फोटो क्र०-1 । बांई तरफ से खिड़की नं०-2 को रात खुला होना पाया गया । इस खिड़की में लोहे की सलाखें लगी हुईथी एवं परदा पड़ा हुआ था । ये सलाखें आड़ी लगी हुईथी । मकान के बांये तरफ के कमरे में नियोगी का सोया हुआ बताया गया था । खिड़की नं०-2 के सामने कोर्टयार्ड के बीच पेड़-पौधे आदि लगे हुयेथे । सामने कोर्टयार्ड की ऊंचाई लगभग साढ़े 3 फीट थी । इससे आसानी से खिड़की तक पहुंचा जा सकता था । इस संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह देखने में आया कि उक्त खिड़की के ठीक सामने कोर्टयार्ड के अंदर की ओर किनारे पर मकड़ी का जाला आदि साफ होना पाया गया, जबकि कोर्टयार्ड के शेष किनारे पर घटना के बाद तक जाला लगा हुआ पाया गया था । इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस भाग पर मकड़ी का जाला साफ था वहां से ही किसी व्यक्ति ने कूदकर प्रवेश किया हो ।

45. डॉ० बी०पी०मैथिल ।अ०सा०क्र०-84। ने आगे यह बताया है कि खिड़की के अंदर के कमरे, जहां नियोगी सोया था । देखने पर खिड़की के बांये तरफ दिवाल एवं खिड़की के बांई तरफ सटा हुआ लकड़ी का तखत बिछा था एवं खाकी रंग की मच्छरदानी लगी हुई थी । उक्त मच्छरदानी के खिड़की के बांये तरफ निचले कोनेके पास एक स्थान पर 5इंच×5इंच के क्षेत्र में स्टारनुमा हिस्सा कटा हुआ एवं जला हुआ पाया गया था । इसे फोटो क्र०-1 के रूप में दिखाया गया है, जिसके किनारे पर लगभग 1इंच की चौड़ाई में कालापन भी दिखाई दे रहा है । फोटो क्र०-2, 3, 4 एवं 5 मच्छरदानी के जले हुये हिस्से से बिस्तर के अंदर खून व कारतूस के वेड्स आदि दृष्टिगोचर हो रहे हैं । खिड़की के बांये किनारे से मच्छरदानी की दूरी लगभग 6 इंच तथा दिवाल से नियोगी के तकिये के मध्य बिंदु की दूरी 1.8 फीट रही होगी । उक्त कमरे का डॉ० बी० पी० मैथिल ।अ०सा०क्र०-84। ने अंदर जाकर बारीकी से निरीक्षण किया था । उसने मच्छरदानी को हटाकर बिस्तर का निरीक्षण करने पर पाया कि तकिये के दाहिने तरफ दिवाल से 8 इंच एवं बिस्तर से नीचे की तरफ 1.6 इंच दूरी पर काफी मात्रा में खून बहा हुआथा, जिसे फोटो क्र०-6 में दिखाया गया है । इसी स्थान पर 2 वेड्स रक्तरंजित मिले । थोड़ा नीचे की ओर भूरे रंग के कागज के कुछ और वेड्स व कारतूस का पेकिंग मटेरियल मिला, जिसमें एक गोलाकार कागजपर एल०जी०, एल०जी०, एल०जी० अंकित

92/234(1)

फायर खिड़की की तरफ से ही किया गया था ।

56. डॉक्टर जे0पी0 निगम ।अ0सा0क्र0-78। ने अपने अभिमत के कारणों को अपने बयान के कंडिका-5 से 26 तक में भी बताया है, जिसका सारांश निम्नानुसार है :-

।1। डॉ0 जे0पी0 निगम ।अ0सा0क्र0-78। ने मृतक की स्थिति में डमी को रखकर मृतक के पीठ पर बाईं ओर स्थित पैलेट्स से आई चोटों ।एन्ट्रीवूंड्स। मध्य भाग से मच्छरदानी स्थित छेद ।मध्य भाग। से आगे बढ़ाकर लाईन ऑफ फायर खिड़की के कोने पर लकड़ी के फ्रेम एवं निचले रॉड के बीच से बाहर की ओर जाती है । अतः इस लाईन ऑफ फायर में ही मच्छरदानी के बाहर एवं छेद के पास फायर-आर्म्स रहा होगा । फोटो क्र0-5 ।प्रदर्श पी-184अ तथा निगेटिव पी-184अ। में खिड़की के निचले फ्रेम और पहली रॉड के मध्य से मच्छरदानी के छेद की दूरी और लंबाई दर्शाई गई है ।

।2। फोटो क्र0-6 ।प्रदर्श पी-185, निगेटिव पी-185ए। में मृतक की स्थिति में डमी को रखकर मृतक के पीठ पर बाईं ओर ऊपर स्थित पैलेट्स से आई चोटों ।एन्ट्रीवूंड्स। के मध्य भाग से मच्छरदानी स्थित छेद ।मध्यभाग। से आगे बढ़ाकर लाईन ऑफ फायर आगे दर्शाई गई है ।

।3। फोटो क्र0-7 ।प्रदर्श पी-186।, निगेटिव पी-186ए। में पुनः खिड़की से मच्छरदानी के छेद के मध्य भाग से मृतक की पीठ पर बाईं ओर स्थित ।ऊपर। चोटों के मध्य भाग तक लाइन ऑफ फायर डमी के माध्यम से दर्शाया गया है ।

।4। मच्छरदानी के छेद के आकार के किनारों पर जलने के निशान एवं आसपास बाहरी सतह पर कालापन ।जिसमें नाइट्रेट की उपस्थिति थी। के आधार पर यह कहा जा सकता था कि ये गनशॉट वूंड है ।इससे मजल के अगले छोर की दूरी 6 इंच से कम रही होगी । मच्छरदानी के इस छेद से मृतक को पैलेट्स से आई चोटों।एन्ट्रीवूंड्स। की दूरी एक फीट 6 इंच के लगभग थी ।तदानुसार मजल के अगले छोर से टारगेट ।मृतक। की दूरी लगभग 2 फीट रही होगी ।

।5। शव परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार 6 छर्रों का अधिकतम फैलाव शरीर पर 6 से0मी0 ।लगभग 2.3इंच। व 3 सुपरफीशियल इंजूरी वेड्स द्वारा आ सकती थी । टिट्ठंग एन्ट्रीवूंड्स के आसपास थी । एल0जी0 कारतूस ।12 बोर। की एक ओव्हर शॉर्ट वेड्स एवं अन्य वेड्स या उनके टुकड़े बिस्तर पर मृतक के शरीर की बाईं ओर बिखरे हुये पाये गये थे । इनके प्राथमिक परीक्षण से व 12 बोर कारतूस के वेड्स ।एल0जी0। के भाग होना पाये गये । छर्रे 12 बोर कारतूस ।एल0जी0। के होना संभावित थे ।

।6। डॉक्टर जे0पी0 निगम ।अ0सा0क्र0-78। की रिपोर्ट प्रदर्श पी-187 है, जिसे उसने फोटोग्राफ्स क्र0-1 से 7 एवं घटनास्थल का नक्शा ।प्रदर्श पी-188। के साथ पुलिस-अधीक्षक, दुर्ग को भिजवा दिया ।

57. दिनांक 10-10-91 को पुलिस-अधीक्षक, दुर्ग ने अपने पत्र प्रदर्श पी-189 द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा था :-

।1। आर्टिकल "ए" मच्छरदानी, जिसे प्रदर्श सी-1 से मार्क किया गया है ।

FOUR RUPEES

— 23/6/92

डॉ0 बी0पी0 मैथिल।अ0सा0क्र0-84। ने अनुसंधानकर्ता को यह भी सलाह दिया कि वह घटनास्थल एवं पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक से जप्त वस्तुओं का परीक्षण कराने हेतु उन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भिजवाये घटनास्थल के पुनः संरचना ।रिकंस्ट्रक्शन।, रेंज ऑफ फायर व लाईन ऑफ फायर ज्ञात करने के लिये विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर से बैलेस्टिक एक्सपर्ट को बुलवायें । विवेचना के दौरान यदि संदिग्ध अपराधी से हथियार व खाली कारतूस प्राप्त होता है तो उसका भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर से परीक्षण करवायें ।

48. डॉ0 बी0पी0 मैथिल ने निरीक्षण व परीक्षण करके उसी समय एक नोटस तैयार किया और बाद में उसे टाईप कराया । उसकी रिपोर्ट-प्रदर्श पी-200 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

49. डॉ0 बी0पी0 मैथिल ।अ0सा0क्र0-84। ने घटनास्थल का स्वतः निरीक्षण करके नक्शा बनाया, जो प्रदर्श पी-188 है । इस नक्शे को फीट बराबर 1/2 इंच के माप के आधार पर बनाया गया है । प्रदर्श पी-188 घटनास्थल वाले कमरे का है । इस नक्शे में अलग से खिड़की की स्थिति दर्शाई गई है । मच्छरदानी में जो छेद था उसको अलग से स्टार के रूप में दर्शाया गया है । कमरे की ऊंचाई 9 फीट थी । कमरे की चौड़ाई 10 फीट 1 इंच थी और लंबाई 9.9 फीट थी । इस कमरे में दो खिड़कियां थी । दोनों खिड़कियों की चौड़ाई 2 फीट 7 इंच तथा ऊंचाई 3 फीट 6 इंच थी । खिड़की की चौखट और सबसे नीचे वाली सलाख के बीच की दूरी 5 इंच थी । इसी प्रकार सबसे ऊपरी सलाख और चौखट के बीच का स्थान 5 इंच था । नीचे से तीसरी और चौथी सलाख की दूरी साढ़े 3 इंच थी । खिड़की नंबर एक खुली थी और खिड़की नंबर 2 बंद थी । तख्त की लंबाई 6 फीट, चौड़ाई 4 फीट और ऊंचाई 2 फीट थी ।

50. डॉ0 बी0पी0 मैथिल ने अपने बयान के कंडिका-8 में यह बताया है कि कमरे के फर्श से मच्छरदानी में बने छेद की ऊंचाई 3 फीट एक इंच थी । तखत पर बिछे गद्दे से मच्छरदानी की छेद की ऊंचाई एक फीट थी । कमरे के फर्श से खिड़की की ऊंचाई 3.5 फीट थी । पश्चिमी दिवाल से मच्छरदानी के छेद की दूरी 6 इंच थी । खिड़की से । खिड़की नं0-1 से। मच्छरदानी में बने हुये छेद की तिरछे में लंबाई 2 फीट 10 इंच थी । कमरे के पूर्वी ओर दरवाजे की चौड़ाई 2 फीट 6 इंच तथा ऊंचाई 6 फीट 8 इंच थी । पश्चिमी दिवाल से तकिये की दूरी 1 फीट 8 इंच थी । तखत के दक्षिणी सिरे से रक्त की दूरी

23/01/2015

13। एम०के०-1 पगड़ी का टुकड़ा था, जिसका आकार साढ़े 3 इंच x ढाई इंच था, जो सिकुड़ी हुई हालत में था और जिसमें 6 छेद थे, जिनका आकार .2 इंच x .2 इंच था। इन छेदों पर लेड टेस्ट धनात्मक पाये गये थे। इन छेदों के आसपास गोलाकार एरिया का काला निशान पाया गया था। बर्निंग व ब्लैकनिंग नहीं पाई गई थी। छिद्रों का फैलाव लगभग 2.25x2.25 इंच था।

14। आर्टिकल सी एक सफेद-लाल रंग का चादर था, जिसमें कोई गनशॉट-होल नहीं पाया गया था, किंतु खून जैसे दाग थे।

15। आर्टिकल जी लाल व पीली धारियों के कव्हर वाला तकिया था, इसमें भी कोई गनशॉट होल नहीं थे, किंतु खून जैसे दाग थे।

16। आर्टिकल पी-1 से पी-3 गोलाकार आंशिक विकृत शीशे (लेड) के छर्रे थे, जिनका कुल वजन 11.66 ग्राम था तथा औसत वजन स्टैण्डर्ड एल०जी० छर्रों के समान था।

17। आर्टिकल डबल्यू-1 से डबल्यू-6 -प्रदर्श पी-डबल्यू-1 से 2 गोलाकार ओव्हर शॉट पेपर वेड है, जिस पर एल०जी० प्रिंटेड है। आर्टिकल ई, जो न्यायालय में पेश है उसमें एल०जी० प्रिंटेड है तथा एक गोलाकार प्लास्टिक वेड पीत एवं कार्डबोर्ड गोलाकार वेड है, जिसका व्यास 0.73 इंच है। यह 12 बोर कारतूस के ओव्हर शॉट वेड हैं।

आर्टिकल डबल्यू-3 एवं डबल्यू-4 में 2 कार्टबोर्ड कुशन वेड के आंशिक विकृत भाग हैं। इनका व्यास लगभग 0.74 इंच है। कुल मोटाई 0.475 इंच है। यह 12 बोर कारतूस की कुशन वेड है। डबल्यू-5 गोलाकार कार्डबोर्ड वेड है, इसका व्यास लगभग 0.73 इंच है तथा मुटाई 0.12 इंच है। प्रदर्श डबल्यू-6 गोलाकार कार्डबोर्ड के वेड हैं, इनका व्यास लगभग 0.73 इंच है। डबल्यू-5 तथा डबल्यू-6 अंडरशॉट अथवा ओव्हर पावडर वेड होना चाहिये। इन सभी वेड्स पर नाइट्राइट का परीक्षण धनात्मक पाया गया। प्रदर्श सी-1ए यह एक मच्छरदानी का खाकी रंग का टुकड़ा है। इसका आकार 1इंच x 1इंच है। इस पर ब्लैकनिंग एवं जलने के निशान पाये गये थे, इसमें लेड व नाइट्राइट का परीक्षण धनात्मक पाया गया।

58. उपरोक्त परीक्षण के आधार पर के०पी० निगम (P.D. सा०क्र०-78) ने यह अभिमत दिया है कि डबल्यू-1 से डबल्यू-6 तक 12 बोर के चले हुये कारतूस के वेड्स व उसके भाग हैं। इनमें ओव्हरशॉट वेड्स एल०जी० छर्रे वाले कारतूस का है। प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-3 तक लेड के आंशिक विकृत छर्रे हैं, जिनका वजन (औसत) स्टैण्डर्ड एल० जी० छर्रों के लगभग समान है एवं ये किसी स्मूथ बोर वेपन से फायर किये गये हैं। खाकी मच्छरदानी पर पाया गया छेद (एच-1) गनशॉट छेद है, जो लेड प्रोजेक्टाइल्स के लगने से बना है। यह प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-3 तक जैसे छर्रों से आना संभव है। छेद एच-1 के आकार व उसके आसपास ब्लैकनिंग एवं मार्जिन पर जलने के निशान के आधार पर यह फायर आर्म्स के मजल एंड से एच-1 की दूरी 6 इंच के अंदर रही होगी।

—28

सही गया

पड़ता है । डॉ0 मैथिल ।अ0सा0क्र0-84। ने बहुत ही विस्तार से रिपोर्ट तैयार किया है । इस निरीक्षण रिपोर्ट की प्रकृति को देखते हुये यदि रफ नोट्स के आधार पर इसका फेयर रिपोर्ट तैयार करने में व डिस्पैच में यदि 4-5 दिन का समय लगा है तो यह एक युक्तिसंगत समय है । यह रिपोर्ट न तो विलंबित है और न ही संदेहास्पद है ।.

53. विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर के वरिष्ठ संयुक्त संचालक तथा बैलेस्टिक एक्सपर्ट जे0पी0 निगम ।अ0सा0क्र0-78। को पुलिस-अधीक्षक, दुर्ग द्वारा वायरलेस संदेश भेजकर बुलवाया गया । जे0पी0 निगम ।अ0सा0क्र0-78। दिनांक 4-10-91 को घटनास्थल क्वा0नं0-एम0आई0जी0 1/55 हुडको, भिलाई पहुंचकर उसका निरीक्षण कर विभिन्न कोणों से फोटो लिया, मृतक नियोगी के शव परीक्षण प्रतिवेदन ।प्रदर्श पी-176। का अध्ययन किये एवं मच्छरदानी, चादर, बेडस के टुकड़े एवं मच्छरदानी के अधजले टुकड़े के सीलबंद पैकेट को खोलकर निरीक्षण किये । इस विशेषज्ञ साक्षी ने अपराध-स्थल का पुनः संरचना किया ।

54. जे0पी0 निगम ।अ0सा0क्र0-78। के बयान से स्पष्ट है कि फोटोग्राफ क्र0-4 ।प्रदर्श पी-183 एवं 183ए। में यह दर्शित होता है कि उस कमरे की खिड़की ।डब्ल्यू-1।, जहाँ मृतक नियोगी सो रहे थे उसकी जमीन से ऊंचाई मात्र 3 फीट 5 इंच थी । उस खिड़की में लोहे के कुल 8 आड़े रॉड लगे हुये थे । लकड़ी के निचले फ्रेम एवं नीचे से पहले रॉड के बीच 5 इंच का गेप था तथा शेष रॉड के बीच आपस में साढ़े 4 इंच का गेप था । इससे यह उपधारणा की जा सकती है कि उक्त खिड़की के रॉड से कोई भी व्यक्ति बाहर से अंदर अपना हाथ डाल सकता है । इसी तरह यह भी स्पष्ट है कि औसत से भी कम ऊंचाई का कोई व्यक्ति खिड़की के बाहर से उस पलंग ।तखत। पर गोली चला सकता था, जिस पर नियोगी सो रहे थे ।

55. जे0पी0 निगम ।अ0सा0क्र0-78। ने अपने बयान के कंडिका-10 में यह स्पष्ट अभिमत दिया है कि मृतक नियोगी को आई चोटें गनशॉट वुंड है, जो कि 12 बोर के देशी कट्टे द्वारा कारतूस फायर किये जाने से आना संभावित है । इस विशेषज्ञ साक्षी ने यह भी अभिमत दिया है कि मजल के अगले सिरे ।मजल एंड। से दूरी लगभग 2 फीट एवं फायर करने की दिशा ।डिशा। तिरछी एवं कुछ नीचे की ओर रही होगी, चूंकि वह तखत ।पलंग। जिस पर नियोगी सो रहे थे उसकी ऊंचाई 2 फीट है, इसलिये डब्ल्यू-1 के खिड़की से फायर किये जाने पर फायर की दिशा उसी तरह तिरछी एवं कुछ नीचे की ओर आयेगी जैसा कि इस विशेषज्ञ साक्षी ने अपने बयान के कंडिका-10 में बताया है । इस तरह जे0पी0 निगम ।अ0सा0क्र0-78। की यह राय सही प्रतीत होती है कि मृतक पर

25-4-97

।1। आर एस फैक्टरी से बनी हुई स्टैण्डर्ड 12 बोर की बंदूक से आर एल0जी0 का 12 बोर का कारतूस चलाया जाये तो 2 मीटर की दूरी पर सारे पैलेट्स और वेड्स सिर्फ एक ही सुराख बनायेंगे, जिसका डायमीटर व्यास करीब एक इंच के बराबर होगा ।

।2। 12 बोर के स्टैण्डर्ड डबल बैरलगन, जो कि इंडियन आर्डिनेंस फैक्टरी की बनी हुई थी, की टाईं नाल से 12-12 कारतूस 12 बोर एल0जी0 के, जो कि 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर से फायर किये गये और उनका ।उन छर्रों का। फैलाव क्रमश: 5.52से0मी0, 10.58से0मी0, 20.07 से0मी0 पाया गया था ।

।3। एल0जी0 के 6 छर्रों के फैलाव, जो कि 2इंचx ढाई इंच पोस्टमार्टम डॉक्टर ने मृतक शंकर गुहा नियोगी के शरीर पर बताया है और जला हुआ और कालापन 5इंचx5 इंच के स्टार शेप्ड कटाव के चारों तरफ मच्छरदानी पर जो पाया गया है इसको ध्यान में रखते हुये ये जो फायर हैं ये 12 बोर के देशी कट्टे से नजदीक से फायर किया गया हो सकता है ।

रूपसिंह ।अ0सा0क्र0-159। की रिपोर्ट प्रदर्श पी-396 है ।

63. सीनियर मेडिकल आफिसर डॉ0 चंद्रशेखर घोष ।अ0सा0क्र0-73। की ड्यूटी भिलाई के से0-9 अस्पताल में दिनांक 27-28/9/91 की रात्रि में थी । रात में ही करीब 4.00 बजे शंकर गुहा नियोगी को अस्पताल लाया गया । डा0 चंद्रशेखर घोष ।अ0सा0क्र0-73। ने जांच करने पर यह पाया कि शंकर गुहा नियोगी की मृत्यु हो चुकी है । प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शंकर गुहा नियोगी को घायल अवस्था में जब क्र0नं0-एम0आई0जी0 1/55 भिलाई से से0-9 अस्पताल भिलाई लाया जा रहा था तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई । डॉ0 घोष ।अ0सा0क्र0-73। ने बेड हेड टिकट ।प्रदर्श पी-173। तैयार किया और उसके पश्चात पुलिसथाना भिलाईनगर को एक फॉर्म प्रदर्श पी-174। भरकर इसकी सूचना दे दिया ।

64. डॉ0 घोष।अ0सा0क्र0-73। के बयान से ऐसा दर्शित होता है कि उसी दौरान भिलाई के से0-9 अस्पताल में बहुत अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी परिस्थितियों की संवेदनशीलता को देखते हुये डॉ0 घोष ।अ0सा0क्र0-73। ने शंकर गुहा नियोगी को तुरंत मृत घोषित नहीं किया, बल्कि विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करते हुये उसके शव को गहन चिकित्सा विभाग में ले जाकर रख दिये ।

65. दिनांक 28-9-91 की सुबह करीब 10.20 बजे पुलिस से जिला चिकि0, दुर्ग में यह अनुरोध-पत्र प्राप्त हुआ कि मृतक शंकर गुहा नियोगी के शव का शव परीक्षण किया जाये । डॉ0 व्ही0आर0 मेश्राम ।अ0सा0क्र0-75।, डॉ0 एम0सी0 मोहनोत एवं डा0 ए0डी0उरगांवकर की टीम ने करीब 10.30 बजे मृतक के शव का शव परीक्षण करना आरंभ किये । डॉ0 व्ही0आर0 मेश्राम ।अ0सा0क्र0-75। के बयान से यह दर्शित होता है कि मृतक के बांये कंधे में गोली लगने के 6 एंट्रीवुंड थे । शव परीक्षण करने पर मृतक के वक्षस्थल ।थोरेसिक केवेटी। ।बांये। से 3 छर्रे ।पैलेट्स। पाये गये । मृतक के शरीर में कोई भी गोली बाहर निकलने का निशान ।एक्जिटवुंड। नहीं था । डॉ0 मेश्राम ।अ0सा0क्र0-75

30

(2) आर्टिकल "बी" 6 वेड्स, जिन्हें प्रदर्श डबल्यू-1 से डबल्यू-6 मार्क किया गया है। न्यायालय में रखा वेड्स-आर्टिकल "ई" "एफ" "जे", "के" हैं। ये वही वेड्स हैं जो उसके पास परीक्षण हेतु लाये गये थे और उनकी-पर्चियों पर उसके मार्किंग व हस्ताक्षर हैं।

(3) आर्टिकल "बी" के साथ एक मच्छरदानी का छोटा टुकड़ा है, जिसे सी-1ए मार्क किया गया था और न्यायालय में आर्टिकल "आई" से मार्क किया गया है। इसे भी उसके पास परीक्षण हेतु लाया गया था और जिस पर उसके मार्किंग व हस्ताक्षर हैं।

(4) आर्टिकल "सी" एक चादर है, जिसे प्रदर्श "सी" मार्क किया गया है और न्यायालय में आर्टिकल "एस" मार्क किया गया है

(5) आर्टिकल "डी" एक सफेद बनियान है, जिसे सी-2 मार्क किया गया था। इसे न्यायालय में आर्टिकल "बी" से मार्क किया गया है।

(6) आर्टिकल "ई" 3 छर्रे हैं, जिन्हें प्रदर्श पी-1 से पी-3 मार्क किया गया है। न्यायालय में इसे आर्टिकल "आर" से मार्क किया गया है।

क्र0-4 से 6 यही वस्तुयें हैं, जो परीक्षण हेतु उसके पास लाये गये थे और जिन पर उसके मार्किंग और हस्ताक्षर हैं। आर्टिकल "आर" के छर्रों पर नहीं, बल्कि उसे-लपेटे गये कागज पर उसके मार्क और हस्ताक्षर हैं।

(7) आर्टिकल "एफ" रिफल का टुकड़ा है जिसे प्रदर्श एस0वी0-1 से मार्क किया गया है।

(8) आर्टिकल "जी" वही टुकड़ा या बोरा है, जिसका उसने परीक्षण किया था। तकिये का खोल "एच" (आर्टिकल) वही है, जो उसके पास परीक्षण के लिये लाया गया था और जिसे उसने आर्टिकल "जी" के रूप में मार्किंग किया है और जिन पर उसके मार्किंग व हस्ताक्षर हैं।

58. डॉ0 जे0पी0 निगम (अ0सा0क्र0-78) ने उपरोक्त प्रदर्शों का परीक्षण करने के उपरांत निम्नलिखित तथ्य पाये:-

(1) प्रदर्श सी-1 एक खाकी रंग की लगभग 4 फीट x6 फीट x2 इंच x4 फीट आकार की मच्छरदानी है, जिसमें एक किनारे पर नीचे से 17 इंच ऊपर की ओर एक छेद मौजूद है। इसे घेरा लगाकर एच-1 से मार्क किया गया था। इसका आकार लगभग 5 इंच x5 इंच है। यह छेद स्टारनुमा आकार का है। इस छेद की बाहरी सतह पर चारों ओर कालापन (ब्लैकनी) मौजूद है। इस छेद के किनारों पर लेड टेस्ट धनात्मक पाये गये तथा काले भाग पर नाइट्राइट का परीक्षण धनात्मक पाया गया। मार्जिन्स पर बर्निंग के निशान पाये गये।

(2) प्रदर्श सी-2 एक कॉटन आधी बांह वाली बनियान थी, जिसमें खून जैसे दाग मौजूद थे। बनियान के पीछे बाईं ओर कंधे के पास 3 छेद मौजूद हैं, इनको घेरा लगाकर एच-1 से मार्क किया गया था। इन छेदों का आकार क्रमशः .3 इंच x .4 इंच, .1 इंच x .1 इंच तथा .1 इंच x .5 इंच है। इन छेदों के किनारों पर लेड टेस्ट धनात्मक पाये गये थे। इन छेदों की अधिकतम दूरी लगभग 2.5 इंच थी। इन छेदों के किनारों के आसपास ब्लैकनी अनुपस्थित पाया गया, किन्तु छोटे-छोटे पिन होल पाये गये थे।

भेजा कि इनका परीक्षण बैलेस्टिक एक्सपर्ट से कराया जाये । उप-निरीक्षक आर०के०मिश्रा (अ०सा०क्र०-77) ने जिला चिकित्सालय, दुर्ग से डॉ० द्वारा दी गई 3 सीलबंद शीशियों को प्राप्त किया और उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (आर०एस०प्रसाद अ०सा०क्र०-192) को सौंप दिया ।

70. इस तरह मल्लाराम (अ०सा०क्र०-64), पटवारी संतकुमार (अ०सा०क्र०-79) तथा घटना के तुरंत बाद अपराध स्थल पर पहुंचने वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ बी०पी०मैथिल (अ०सा०क्र०-84) व उप-निरीक्षक जी०एन०दुबे (अ०सा०क्र०-80) के कथनों से एवं क्या०नं०-एम०आई०जी० 1/55 से बरामद वस्तुओं से यह संदेह से परे प्रमाणित होता है कि दिनांक 27/28-9-91 की दरम्यानी रात में जब शंकर गुहा नियोगी तखत पर सो रहे थे तब किसी व्यक्ति ने खिड़की से फायर करके उनकी हत्या कर दिया । डॉ० व्ही०आर०गेशाम (अ०सा०क्र०-75) के शव परीक्षण प्रतिवेदन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मृतक की मृत्यु गनशॉट इंज्यूरी से हुई थी । इस तथ्य की आगे भी पुष्टि अपराध स्थल की पुन: रचना कर प्रतिवेदन देने वाले बैलेस्टिक विशेषज्ञों जे०पी०निगम (अ०सा०क्र०-78) एवं रूपसिंह (अ०सा०क्र०-159) के कथनों से भी होती है कि <u>नियोगी की हत्या देशी कट्टा से एल०जी०कारतूस फायर करके किया गया था ।</u>

71. नियोगी की हत्या करने वाले व्यक्ति ने अपराध का समय रात के 3.00 से 4.00 बजे के मध्य का चुना । सामान्यत: उस वक्त व्यक्ति गहरी नींद में सोता है । उस समय रास्ते में लोगों का या वाहनों का आवागमन भी नहीं रहता । इस तरह अपराध करके भागने में तत्काल पकड़ाने की कोई संभावना नहीं रहती । इस तरह जिस व्यक्ति ने भी यह अपराध किया उसने नियोगी की हत्या का दृढ़ निश्चय किया एवं सोये हुये हालत में उस पर खिड़की से देशी कट्टा द्वारा एल०जी० कारतूस से फायर कर अपना उद्देश्य पूरा किया एवं सुनसान रात्रि में भागने में सफल हो गया ।

72. उस समय तक कत्ल तो होते दिखा, किंतु कातिल का कोई पता नहीं लगा ।

73. आखिर यह एक राष्ट्रीय स्तर के श्रमिक नेता का रहस्यमय ढंग से हत्या का मामला था । पुलिस उपाधीक्षक आर०एस०प्रसाद (अ०सा०क्र०-192) के अनुसार म०प्र० सरकार की सहमति से केन्द्र सरकार ने दिनांक 6-11-91 को नियोगी हत्याकांड का यह मामला अनुसंधान हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली को सौंपा । इसे एस० आई०सी०-2 -विंग में प्रदर्श पी-443 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज किया गया । यह आरोप-पत्र अनुसंधान के उपरांत मुख्य अभियुक्त पलटन की फरारी में प्रस्तुत किया गया । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अभियुक्त पलटन की सूचना देने वाले व्यक्ति को एक लाख

इसी तरह मृतक बनियान (प्रदर्श सी-2) पर पाया गया छेद गनशॉट छेद है, जो लेड प्रोजेक्टाइल से आया है। यह छेद भी प्रदर्श पी-1 से पी-3 तक जैसे छर्रों से आना संभावित है। मृतक की चमड़ी में जो 6 गनशॉट वूंड्स हैं वे भी प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-3 तक जैसे छर्रों से आये हैं।

59. मृतक के शव परीक्षण रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर गनशॉट वूंड्स के आसपास टैटूइंग की उपस्थिति, मच्छरदानी, प्रदर्श आर्टिकल एच-1 के छेदों से मजल की दूरी 6 इंच से कम होना, तथा मृतक के शरीर पर छर्रों का फैलाव लगभग 2.5 इंच होने के आधार पर मृतक को आई चोटें किसी शॉट गन वेपन/12 बोर की पिस्तौल द्वारा मजल छोर से लगभग 2 फीट की दूरी से फायर किये जाने पर संभव है।

60. जे0पी0 निगम (अ0सा0क्र0-78) ने परीक्षण के उपरांत जो रिपोर्ट तैयार किया है वह प्रदर्श पी-190 है और उसके प्रत्येक पेज पर उनके हस्ताक्षर हैं। इस रिपोर्ट को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर के संचालक द्वारा पुलिस-अधीक्षक, दुर्ग को भेजा गया है। संचालक का अग्रेषण-पत्र प्रदर्श पी-191 है। जे0पी0 निगम (अ0सा0क्र0-78) ने जिन आर्टिकल्स का परीक्षण किया था उन सभी आर्टिकल्स को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर की सील के अंतर्गत पुलिस-अधीक्षक, दुर्ग को वापस कर दिया।

61. दिनांक 4-10-91 को जब जे0पी0 निगम (अ0सा0क्र0-78) ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था तब घटनास्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वर्णित आर्टिकल सीलबंद हालत में उसके समक्ष पेश किये गये थे। परीक्षण हेतु उसने उन आर्टिकल्स को खोला था। परीक्षण कार्य संपन्न होने के बाद उसने उक्त आर्टिकल्स को सीलबंद कर दिया था। उसे उक्त आर्टिकल्स जब विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में प्राप्त हुये तो वे सभी सीलबंद हालत में थे।

62. नवम्बर 1991 के प्रथम सप्ताह में जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह अनुसंधान अपने हाथों में ले लिया तब उसने केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली के बैलेस्टिक एक्सपर्ट रूपसिंह (अ0सा0क्र0-159) से निवेदन किया कि वे घटनास्थल का निरीक्षण करके अपना विशेषज्ञ अभिमत दें। रूपसिंह (अ0सा0क्र0-159) ने दिनांक 9-11-91 से 12-11-91 तक भिलाई आकर अपराध स्थल क्वा0नं0-एम0आई0जी0-1/55 हुडको का निरीक्षण किया। उसने अपराध स्थल का पुनः संरचना किया। उसने स्थल निरीक्षण, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर की रिपोर्ट व फोटोग्राफ्स के आधार पर निम्नलिखित अभिमत दिया :-

इस तरह साक्ष्य को देखते हुये यह निष्कर्ष बहुत आसानी से निकाला जा सकता है कि अभियुक्त पलटन ने गिरफ्तारी एवं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट व आर्म्स एक्ट के प्रकरण में जप्ती के समय अपना नाम संजय यादव बताया था, किंतु बाद में उमाचंद्र मिश्रा ।अ0सा0क्र0-125। के द्वारा गहराई से पूछताछ करने पर उसका असली नाम ।पलटन मल्लाह। सामने आया । ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त पलटन मल्लाह ने गोरखपुर ।उ0प्र0। में भारतीय वायुसेना के प्रतिबंधित क्षेत्र में अतिक्रमण किया था, जिसके कारण ही वायुसेना के अधिकारी सुरेश शर्मा द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये गोरखपुर थाने ।कैंट। में सौंपा गया था ।

76. थाना प्रभारी उमाचंद्र मिश्रा ।अ0सा0क्र0-125। ने बताया है कि समाचार-पत्रों में पढ़ने से उसे यह मालूम था कि अभियुक्त पलटन मल्लाह की तलाश श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी की हत्या के सिलसिले में की जा रही है । उसने गोरखपुर के न्यायालय में दिनांक 22-8-93 को अभियुक्त पलटन मल्लाह के पुलिस रिमांड हेतु आवेदन पेश किया एवं उसे न्यायालय द्वारा 3 दिनों के लिये अभियुक्त पलटन मल्लाह का पुलिस रिमांड मिल गया ।

77. थाना प्रभारी उमाचंद्र मिश्रा ।अ0सा0क्र0-125। ने आगे यह भी कहना है कि उसने दिनांक 24-8-93 को पुलिस थाने में दिनेश बालोनी ।अ0सा0क्र0-104। एवं साक्षी रामबहादुर सिंह की उपस्थिति में अभियुक्त पलटन मल्लाह से पूछताछ किया था । अभियुक्त पलटन मल्लाह ने बताया कि - "उसने एक देशी तमंचे, विदेशी रिवाल्वर और कपड़े के एक बेल्ट, जिसमें 13 कारतूस लगे हुये हैं, जिसमें 2 एल0जी0 कारतूस हैं और 38 बोर के 6 अन्य कारतूस को एक पॉलिथीन बैग में रखकर प्लास्टिक की शीट में लपेटकर सुतली से बांधकर गांव से करीब एक कि0मी0 दूरी पर अपने पिताजी के डेरे में जमीन में खोदकर गाड़ रखा है, जिसे वह बरामद करा देगा । अभियुक्त पलटन मल्लाह ने यह भी बताया कि उसने सुजुकी मोटरसायकिल को अपने चचेरे जीजा के छोटे भाई सत्यप्रकाश। के घर ग्राम चैनुपर थाना बड़लगंज में छिपाकर रख दिया है जिसे वह बरामद करा देगा ।

78. थाना प्रभारी उमाचंद्र मिश्रा ।अ0सा0क्र0-125। ने अभियुक्त पलटन द्वारा दिये गये और भी कथन को न्यायालय में बताया, किंतु ये कथन संस्वीकृति की श्रेणी में आते थे, इसलिये अग्राह्य होने के कारण न्यायालय द्वारा इसे नोट नहीं किया गया ।

79. थाना प्रभारी उमाचंद्र मिश्रा ।अ0सा0क्र0-125। के अनुसार अभियुक्त पलटन द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना के पश्चात वह दिनेश बालोनी ।अ0सा0क्र0-104। गवाह रामबहादुर एवं पुलिस स्टॉफ के साथ थाने से दिन के करीब 12.30 बजे शासकीय

ने बताया है कि जो शेष 3 छर्रे [पैलेट्स] पोस्टमार्टम के दौरान प्राप्त नहीं किये जा सके थे वे मृतक के शरीर के मांसपेशियों के अंदर कहीं रहे होंगे ।

66. डॉ० व्ही०आर० मेश्राम [अ०सा०क्र०-75] ने अपने बयान के कं०-15 में यह बताया है कि मृतक के शरीर में पाई गई सभी चोटें किसी फायर आर्म्स द्वारा कारित की गई थी और मृत्यु पूर्व की थी। मृतक की मृत्यु का कारण रक्तस्राव एवं सदमा था, जो कि गनशॉट चोटों के कारण उत्पन्न हुआ था । उक्त चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थी । मृतक की मृत्यु शव परीक्षण से 24 घंटे के अंदर हुई थी ।

67. यह बात सही है कि मृतक के शरीर में जो 3 छर्रे शव परीक्षण के दौरान नहीं निकाले जा सके थे, उनको देखने के लिये एक्स-रे नहीं कराया गया है । इस तथ्य की न्यायिक सूचना ली जा सकती है कि जिस चीरघर में मृतक के शव का शव परीक्षण किया गया था वह जिला चिकित्सालय, दुर्ग से दूर है और जहां एक्स-रे या अन्य जांच के उपकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं है । इस बात पर कहीं भी कोई विवाद नहीं है कि मृतक की मृत्यु गोली लगने से कारित हुई है । अभियोजन की ओर से यह बताया गया है और साक्ष्य में भी यह तथ्य आया है कि श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति संवेदनशील एवं गंभीर हो गई थी, इसलिये शव परीक्षण के बाद या उसके दौरान मृतक के शरीर का एक्स-रे नहीं कराया गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने केहर सिंह एवं अन्य विरुद्ध दिल्ली प्रशासन [1989 क्रि०ला०ज०, पेज-1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि-जहां इस बात पर विवाद न हो कि मृतक की मृत्यु गनशॉट इंजुरी से हुई है तो विस्तृत शव परीक्षण न कराने से प्रकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता ।

68. डॉ० व्ही०आर० मेश्राम [अ०सा०क्र०-75] ने प्रति-परीक्षण के कंडिका-31 में यह कहना है कि मृतक के दोनों हाथ-पैरों में अकड़न मौजूद थी, इसलिये उसकी मृत्यु शव परीक्षण से 12 घंटे के अंदर हुई रही होगी । इस तरह डॉ० ने आगे यह भी स्पष्ट किया है कि मृतक की मृत्यु दिनांक 27-9-91 की रात 10:30 बजे से लेकर दिनांक 28-9-91 की सुबह 10.30 बजे के बीच हुई थी । इस तरह डॉ० मेश्राम [अ०सा०क्र०-75] के शव परीक्षण रिपोर्ट 176 एवं उसके बयान से मृतक शंकर गुहा नियोगी की मृत्यु का जो समय बताया गया है उसका मिलान बहलराम [अ०सा०क्र०-64] द्वारा वर्णित समय से पूर्णतः होता है ।

69. डॉ० व्ही०आर० मेश्राम [अ०सा०क्र०-75] ने अपने बयान के कंडिका-6 एवं 17 में यह बताया है कि मृतक के शरीर से जो 3 छर्रे [पैलेट्स] पाये गये उसे और उसके चमड़ी के टुकड़ों को सीलबंद करके उसने पुलिस को इस सलाह के साथ

31 07/06/97

81. पुलिस निरीक्षक उमेशचंद्र मिश्रा ।अ०सा०क्र०-125। ने अपने बयान के कंडिका-6 में और दिनेश बालोनी ।अ०सा०क्र०-104। ने अपने बयान के कंडिका-5 में यह बताये हैं कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त पलटन मल्लाह ही वह व्यक्ति है, जिसने बयान दियाथा, जिसके आधार पर ग्राम निबही में उपरोक्त वस्तुओं की बरामदगी की गई थी।

82. उमेशचंद्र मिश्रा ।अ०सा०क्र०-125। ने आगे अपने बयान के कंडिका-7 में यह बताया है कि उपरोक्त कार्यवाही संपन्न करने के बाद वह दो जीपों से ग्राम निबही से ग्राम चैनपुर बेलसड़ी ।थाना बड़हलगंज। के लिये रवाना हुआ। इन जीपों में अभियुक्त पलटन मल्लाह एवं साक्षी लोगथे । ग्राम चैनपुर पहुंचने पर अभियुक्त पलटन मल्लाह ने जीप को रूकवाया और जीप से नीचे उतरकर कहा कि अब वह पैदल चलकर सत्यप्रकाश ।अ०सा०क्र०-105। के मकान से चलता है, वहां उसने टी०वी०एस०सुजुकी मोटरसायकिल को छिपाकर रखा है । अभियुक्त आगे-आगे चलने लगा और बाकी लोग उसके पीछे चलते गये । सत्यप्रकाश ।अ०सा०क्र०-205। के मकानमेंपहुंचने पर वे लोग रूक गये । अभियुक्त ने सत्यप्रकाश ।अ०सा०क्र०-105। के मकान के पश्चिम तरफ के कमरे में रखी हुई एक लाल रंग की मोटरसायकिल को दिखाया । मोटरसायकिल केदोनों पहियों में हवा नहींथा और उस पर काफी धुल जमी हुईथी । कर्मचारियों की मदद से उस मोटरसायकिल को सत्यप्रकाश ।अ०सा०क्र०-105। के मकान के बाहर निकाला गया । मोटरसायकिल में नंबर प्लेट नहीं था । उसका चेसिस नंबर और इंजन नंबर भी मिटा हुआ था । टंकी में पेट्रोल नहीं था और मोटरसायकिल चालू हालत में नहीं थी । उस मोटरसायकिल को उसने गवाहों के समक्ष जप्त किया और उनके हस्ताक्षर लिये ।उसने अभियुक्त पलटन मल्लाह काभी हस्ताक्षर लिया और उसकी एक कापी उसे दिया । प्रदर्श पी-286 फर्द है, जिसके इ से इ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने अपने हस्ताक्षर के नीचे 18.15 बजे ।शाम के 6.15बजे। का समय डाला है । इसके अ से अ भाग पर दिनेश बालोनी ।अ०सा०क्र०-104। ने, ब से ब भाग पर रामबिहारी सिंह ने,, द से द भाग पर सत्यप्रकाश ।अ०सा०क्र०-105। ने एवं प से प भाग पर अभियुक्त पलटन ने हस्ताक्षर किया है ।

83. उपरोक्त उमेशचंद्र मिश्रा ।अ०सा०क्र०-125। ने उपरोक्त कार्यवाही करने के बाद जप्तशुदा सामानों को एवं अभियुक्त तथा गवाहों को लेकर वापस थाना कैंट आ गया और लिखा-पढ़ी किया । जब वे लोग थाना गोरखपुर कैंट पहुंचे तो उस समय रात के करीब 8.00 बज चुके थे ।

84. उमेशचंद्र मिश्रा ।अ०सा०क्र०-125। ने न्यायालय में अपने बयान के कंडिका-9 में कमर के बेल्ट में लगा हुआ 12 कारतूस ।नोट:- एक कारतूस का

 22/6/9

रुपये का इनाम भी घोषित किया था । देश के विभिन्न नगरों में अभियुक्त पलटन का पोस्टर फोटो (प्रदर्श पी-444) प्रदर्शित किया गया था । इसके साथ ही समाचार-पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन में प्रकाशन/प्रसारण द्वारा भी अभियुक्त पलटन की फरारी के समाचार दिये जा रहे थे ।

(2) किसने मारा :-

(1) दिनांक 21-8-93 को अभियुक्त पलटन की गिरफ्तारी एवं उसके मेमो0 बयान के आधार पर देशी कट्टा, अमेरिकन रिवॉल्वर, दो एस0जी0 कारतूस एवं अन्य कारतूस व मोटरसायकिल की बरामदगी :-

74. पुलिस थाना गोरखपुर कैंट (उ0प्र0) के थाना प्रभारी उमाचंद्र मिश्रा (अ0सा0क्र0-125) ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 21-8-93 को भारतीय वायुसेना के मास्टर वारंट सुरेश शर्मा ने अभियुक्त पलटन मल्लाह को संजय यादव के नाम से गिरफ्तार किया था और वायुसेना के उक्त अधिकारी ने अभियुक्त को उसके थाने में सौंप दिया था । अभियुक्त पलटन मल्लाह के विरुद्ध आर्म्स एक्ट एवं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था । गहन पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि जिस व्यक्ति को संजय यादव के नाम से गिरफ्तार किया गया है वह वास्तव में अभियुक्त पलटन मल्लाह है ।

75. उमाचंद्र मिश्रा (अ0सा0क्र0-125) के प्रति-परीक्षण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्री अशोक यादव ने प्रदर्श डी-45 पेश किया । इस दस्तावेज के अवलोकन से भी, यह स्पष्ट है कि मास्टर वारंट सुरेश शर्मा ने अभियुक्त पलटन मल्लाह को संजय यादव के नाम से ही पेश किया था और इसी नाम से ही जप्ती बनाया गया था । इस दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इसमें अभियुक्त ने अपना हस्ताक्षर रवि उर्फ पलटन मल्लाह के नाम से ही किया है । उमाचंद्र मिश्रा (अ0सा0क्र0-125) ने यह स्पष्ट किया है कि उसे आरंभ से यह ज्ञात नहीं था कि संजय यादव के नाम से गिरफ्तार व्यक्ति का असली नाम अभियुक्त पलटन मल्लाह है । पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति/अभियुक्त का वही नाम लिखते हैं, जो उस व्यक्ति/अभियुक्त द्वारा बताया जाता है । यह आवश्यक नहीं है कि पुलिस अधिकारी आरंभ में ही इतनी बारीकी से ध्यान देते रहें कि वह व्यक्ति/अभियुक्त कैसा हस्ताक्षर कर रहा है । स्पष्टतः अभियुक्त पलटन मल्लाह ने प्रति-परीक्षण में इसका कोई विरोध नहीं किया है कि उसने अपने अभियुक्त कथन में भी यह स्वीकार किया है कि वायुसेना के अधिकारी ने उसे गिरफ्तार किया था ।

23/1/92

ब्यूरो के पास पंजीबद्ध था, इसलिये थाना गोरखपुर कैंट के थाना प्रभारी उमेशचंद्र मिश्रा ।अ0सा0प्र0-125। को चाहिये था कि वह अभियुक्त पलटन मल्लाह का भारतीय साक्ष्य अधि0 की धारा 27 के अंतर्गत मेमो0 स्वत: न लेकर उसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप देता। यहां पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उमेशचंद्र मिश्रा ।अ0सा0प्र0-125। द्वारा अभियुक्त पलटन मल्लाह का भारतीय साक्ष्य अधि0 की धारा 27 के अंतर्गत मेमो0 बयान लेना विधि के विपरीत है ?

88. पूर्व में यह स्थापित हो चुका है कि अभियुक्त पलटन मल्लाह गोरखपुर में भारतीय वायुसेना के प्रतिबंधित क्षेत्र में दिनांक 21-8-93 को अतिक्रमण किया था। उसने अपना छदम नाम संजय यादव बताया था। भारतीय वायुसेना के अधिकारी सुरेश शर्मा ने अभियुक्त को गिरफ्तार करके गोरखपुर कैंट थाना को सौंप दिया था। अभियुक्त के विरुद्ध उपर्युक्त अवैधानिक कार्य के कारण आफिशियल सीक्रेट एक्ट एवं आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त को इन्हीं अपराधों के अंतर्गत आरंभ में अभिरक्षा में लिया गया था। थाना प्रभारी गोरखपुर कैंट उमेशचंद्र मिश्रा ।अ0सा0प्र0-125। के गहन पूछताछ करने पर यह तथ्य उजागर हुआ कि जिस व्यक्ति को संजय यादव के नाम से गिरफ्तार किया गया है वह वस्तुत: अभियुक्त पलटन मल्लाह है, जिसकी तलाश श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी के हत्या के सिलसिले में किया जा रहा है। इस पर ही थाना प्रभारी गोरखपुर कैंट ने अभियुक्त पलटन मल्लाह से शंकर गुहा नियोगी हत्याकांड के संबंध में पूछताछ किया एवं उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर साक्ष्य अधि0 की धारा 27 के प्रावधानों के अंतर्गत मेमो0 बयान अभिलिखित किया <u>माननीय मद्रास उच्च-न्यायालय ने इन री कामाक्षी नायडू ।ए0आई0आर0-1943- मद्रास -89।</u> वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि-अभियुक्त यदि एक मामले में गिरफ्तार हो और वह दूसरे मामले के संबंध में संस्वीकृति करे तो ऐसी संस्वीकृति के फलस्वरूप वस्तुओं की जो बरामदगी होती है वह साक्ष्य अधि0 की धारा 27 के अंतर्गत ग्राह्य होती है।

89. इसी तरह <u>माननीय मद्रास उच्च-न्यायालय ने</u> एक अन्य मामले <u>पब्लिक प्रासीक्यूटर बनाम कांदीकतला नागभूषणम ।ए0आई0आर0-1943 मद्रास-66।।</u> वाले मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि -यदि अभियुक्त अनुसंधान के दौरान किसी दूसरे मामले में संस्वीकृति करता है तो ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य अधि0 की धारा 27 के अंतर्गत सुसंगत होती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि थाना प्रभारी गोरखपुर कैंट उमेशचंद्र मिश्रा ।अ0सा0प्र0-125। ने अभियुक्त पलटन मल्लाह का भारतीय साक्ष्य अधि0 की धारा 27 के अंतर्गत मेमो0 बयान लेने एवं जप्ती का कार्यवाही करने की जो प्रक्रिया अपनाई है वह पूर्णत: विधि मान्य है। 23/6/07

जीप क्र0- यू0एम0बी0-4504 और एक प्रायवेट जीप से ग्राम निबही के लिये रवाना हुये । अभियुक्त पलटन मल्लाह ने जो बयान दिया था उसे उसने थाने में लिखा था । जब वे लोग ग्राम निबही के नजदीक पहुंच गये तो अभियुक्त पल्टन मल्लाह ने जीप को रूकवा दिया और नीचे उतरकर बोला कि वह आगे-आगे चलकर अपने पिता के डेरे (घर) पर ले चलेगा । अभियुक्त पल्टन मल्लाह आगे चलने लगा और बाकी सब लोग उसके पीछे चलने लगे । रास्ते में फारूख मिर्जा बेग नामक व्यक्ति मिल गया और उसे भी कारण बताकर उन लोगों ने अपने साथ ले लिया । यह स्वीकृत तथ्य है कि फारूख मिर्जा बेग ग्राम निबही का ही रहने वाला है । अभियुक्तों की ओर से यह बताया गया है कि फारूख मिर्जा बेग और अभियुक्त पलटन के पिता के बीच कोई दीवानी मामला चला था ।

80 उमेशचंद्र मिश्रा (अ0सा0क्र0-12) के अनुसार अभियुक्त पलटन आगे चलते हुये अपने पिता के डेरे (घर) पर ले गया और डेरे के अंदर उत्तरी दीवाल के पास पहुंचकर उसने बताया कि यह वही जगह है जहां उसनें मिट्टी खोदकर उक्त सामानों को रखा है । पास ही पड़ी एक खुरपी से अभियुक्त पलटन ने जमीन को खोदा और एक प्लास्टिक की शीट में लपटा हुआ बंडल निकाला । अभियुक्त पलटन मल्लाह ने बंडल को खोलकर पॉलिथीन के बैग से एक देशी तमंचा निकालकर दिया । इसके बाद अभियुक्त ने उसी बैग से एक विदेशी रिवाल्वर, कारतूस सहित बैल्ट, जिसमें 13 कारतूस थे, जिनमें 2 एल0जी0 कारतूस थे और 6 अन्य .38 बोर के कारतूस थे निकालकर दिया था । इन सभी बरामद किये गये वस्तुओं का विवरण थाना प्रभारी ने फर्द में अंकित किया । इन वस्तुओं को उसी पॉलिथीन थैले में रखकर प्लास्टिक की शीट में लपेटकर एक कपड़े में सीलबंद किया नमूने का मुहर तैयार किया गया । फर्द मौके पर लिखकर गवाहों को पढ़कर सुनाने के बाद हस्ताक्षर कराया गया एवं फर्द की एक कापी अभियुक्त को दी गई और उसके हस्ताक्षर भी लिये गये । प्रदर्श पी-285 थाना प्रभारी की ही लिखावट में है और उसके ई से ई भाग पर हस्ताक्षर हैं तथा उसने उसके नीचे 16.05 मिनट (अर्थात शाम के 4.05 मिनट) का समय डाला है । इस फर्द पर दिनेश बालोनी (अ0सा0क्र0-102) ने अ से अ भाग पर, साक्षी रामबहादुर ने ब से ब भाग पर, मिर्जा फारूख बेग ने स से स भाग पर और अभियुक्त पलटन ने ड से ड भाग पर हस्ताक्षर किया था । पुलिस विभाग के जो स्टॉफ उसके साथ गयेथे उन्होंने भी इस फर्द पर हस्ताक्षर किये थे ।

93. दिनेश बालोनी ।अ0सा0क्र0-104। अभियुक्त पलटन द्वारा दिये गये मेमो0 बयान एवं उसके उपरांत की गई जप्ती ।प्रदर्श पी-285 एवं 286। का साक्षी है । वह गोरखपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का प्रेक्टिकल कराता है और उसका पदनाम मेकेनिक ग्रेड-ए है । उसके बयान के कंडिका-9 से यह दर्शित होता है कि दिनांक 24-8-93 को एक सिपाही उसके पास आया और बताया कि थाना प्रभारी बुला रहे हैं । थाना जाने से पहले उसने अपने इंचार्ज से अनुमति लिया । वह करीब 10.00 बजे पुलिस थाना गोरखपुर कैंट पहुंचा । वहां रामबिहारी और अभियुक्त पलटन मल्लाह थे । थाना प्रभारी उमेशचंद्र मिश्रा ।अ0सा0क्र0-125। ने बताया कि यह अभियुक्त पलटन मल्लाह है, जो नियोगी हत्याकांड का अपराधी है । थाना प्रभारी ने यह भी कहा कि अभियुक्त पलटन मल्लाह कुछ बयान देना चाहता है ।

94. दिनेश बालोनी ।अ0सा0क्र0-104। के अनुसार अभियुक्त पलटन मल्लाह ने बताया कि उसने टी0वी0एस0सुजुकी मोटरसायकिल को अपने चचेरे जीजा सत्यप्रकाश ।अ0सा0क्र0-105। के घर में व्हलगंज थाना, ग्राम चैनपुर में रखा है । अभियुक्त ने यह भी बताया कि उसने एक देशी कट्टा, एक विदेशी रिवाल्वर, 13 कारतूस, जिसमें 2 एल0जी0 शामिल है एवं 6-38 बोर का गोलियों को प्लास्टिक की एक थैली में भरकर ग्राम निबही में घर में गड्ढा खोदकर रखा है, जिसे वह चलकर बरामद करा सकता है । अभियुक्त पलटन मल्लाह ने जो बयान दिया उसे थाना प्रभारी उमेशचंद्र मिश्रा ।अ0सा0क्र0-125। ने लिखा ।

95. दिनेश बालोनी ।अ0सा0क्र0-104। ने अपने बयान में विस्तार से यह बताया है कि अभियुक्त पलटन के साथ दो जीप में वे लोग पहले ग्राम निबही गये । ग्राम निबही में अभियुक्त पलटन ने अपने पिता के घर के कमरे से गड्ढा खोदकर प्लास्टिक की सीट में लिपटा हुआ सामान निकाला था । उसने यह स्पष्ट किया है कि उस समय अभियुक्त पलटन मल्लाह के दोनों हाथों में हथकड़ी लगी थी, इसलिये वह खुदाई नहीं कर सकता था । अभियुक्त पलटन ने कहा कि उसके एक हाथ की हथकड़ी को खोला जाये तो पुलिस ने उसके एक हाथ के हथकड़ी को खोल दिया । अभियुक्त पलटन ने गड्ढे के अंदर से जो प्लास्टिककीशीट निकाला उसे खोलने पर उसके अंदर से एक देशी कट्टा, एक विदेशी रिवाल्वर, 13 कारतूस, जिसमें 2 एल0जी0 थे और 6 .38 बोर की गोलियां निकली । ये सारे 13 कारतूस प्लास्टिक की शीट में कपड़े के बेल्ट में थे । पुलिस ने इन सामानों की वहीं पर जप्ती की, लिखा-पढ़ी किया । गवाहों ने एवं अभियुक्त पलटन मल्लाह ने भी उसी समय प्रदर्श पी-285 पर हस्ताक्षर किये हैं ।

96. इस साक्षी को न्यायालय में ।कंडिका-6 में। कपड़े के बेल्ट में लिपटा हुआ 12 कारतूस ।एक कारतूस का उपयोग टेस्ट फायरिंग के लिये किया गया था ।

उपयोग टेस्ट फायरिंग में किया गया है। । एक्स-1, देशी कट्टा एक्स-2, विदेशी रिवाल्वर एक्स-3, 38 बोर कारतूस एक्स-4, प्लास्टिक की झिल्ली एक्स-6, दूसरी प्लास्टिक की झिल्ली एक्स-8 एवं लाल रंग की पुरानी मोटर-सायकिल एक्स-7 को देखकर पहचानना बताया है । इस साक्षी ने टेस्ट फायर किये गये कारतूस को आर्टिकल एक्स-5 तथा जप्तशुदा सामानों को जिस थैली में सीलबंद किया गया था उसे एक्स-9 प्रदर्शित किया है। इसमें उसकी लिखावट एवं अ से अभाग पर हस्ताक्षर भी हैं । कपड़े की थैली पर थाना गोरखपुर कैंट के आरक्षक क्लर्क परशुराम राय के नाम की सील ।पी0आर0राय। भी लगी हुई है । उमेशचंद्र मिश्रा ।अ0सा0क्र0-125। ने बताया है कि ये सील उसने ग्राम निबही मड़ेरे पर लगाया था ।

85. म0प्र0राज्य में पुलिस द्वारा यह प्रेक्टिस में है कि साक्ष्य अधि0 की धारा 27 के अंतर्गत अभियुक्त का मेमो0 बयान एवं जप्ती-पत्र अलग-अलग लिखा जाता है, किंतु थाना प्रभारी गोरखपुर कैंट उमेशचंद्र मिश्रा ।अ0सा0 क्र0-125। के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि उ0प्र0 राज्य में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त का मेमो0 बयान एवं जप्ती-पत्र का एक ही दस्तावेज तैयार करने की प्रेक्टिस है । कानून में ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि अभियुक्त का मेमो0 बयान एवं जप्ती-पत्र अलग-अलग कागज पर ही तैयार किये जायें । यह कानून का कम एवं सुविधा व प्रेक्टिस का प्रश्न अधिक है। जिस राज्य में अनुसंधानकर्ता को जो प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक प्रतीत होती है वह इस प्रक्रिया को अपना लेता है । इस तरह उ0प्र0राज्य में पुलिस द्वारा मेमो0 बयान एवं जप्ती-पत्र लिखने के संबंध में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह किसी भी नियम के विपरीत नहीं है ।

86. उमेशचंद्र मिश्रा।अ0सा0क्र0-125। ने प्रति-परीक्षण की कं0-11 में यह बताया है कि जब दिनांक 22-8-93 को अभियुक्त पलटन मल्लाह को पुलिस रिमांड हेतु गोरखपुर के न्यायालय में आवेदन पेश किया था उस समय सी0बी0आई0 के अशोक तड़ियाल एवं सुदामाप्रसाद आ गये थे, किंतु आगे प्रति-परीक्षण के कंडिका-15 में इस साक्षी ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उसका यह कर्तव्य था कि वह अभियुक्त पलटन मल्लाह से पूछताछ करे और अपने कर्तव्य की भावनाओं से प्रेरित होकर ही उसने अभियुक्त पलटन मल्लाह से पूछताछ किया था ।

87. बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई है कि जब अभि0 पलटन मल्लाह के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 302 का अपराध केन्द्रीय जांच

99. दिनेश बालोनी ।अ0सा0प0-104। इंजीनियरिंग कालेज में छात्रों को पढ़ाता है । उसके कार्य की प्रकृति को देखते हुये उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह असत्य कथन कर रहा हो । उसके बयान में इतनी अधिक सामग्री है, जिससे यह दर्शित होता है कि वह असत्य कथन करने वाला साक्षी नहीं है । उसका अभियुक्त पलटन मल्लाह से कोई रंजिश नहीं है । अतः दिनेश बालोनी।अ0सा0प0-104। को अविश्वसनीय साक्षी नहीं कहा जा सकता ।

100. सत्यप्रकाश ।अ0सा0प0-105। अभियुक्त पलटन का नजदीकी रिश्तेदार है । उसके घर से ही बिना नंबर की लाल रंग की सुजुकी मोटरसायकिल अभियुक्त पलटन मल्लाह के मेमो0 बयान के आधार पर बरामद की गई है । इस साक्षी का बयान देखने से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त पलटन मल्लाह जब एक बार उससे मिलने के लिये ग्राम चैनपुर आ रहा था तो रास्ते में ।साक्षीर चौराहे पास। उसका मोटर-सायकिल से एक्सीडेंट हो गया था । इस पर इस साक्षी ने अभियुक्त को बड़लगंज ले गया और वहां डॉक्टरों के पास उसका ईलाज कराया । अभियुक्त पलटन मल्लाह बड़लगंज में श्रीराम दुबे नामक व्यक्ति के घर में कुछ दिनों तक रहा । इसके पश्चात अभियुक्त पलटन मल्लाह जब भारत छोड़कर नेपाल जाने का उपक्रम करने लगा तो उसने इस लाल रंग की सुजुकी मोटरसायकिल को उसके घर में छोड़ दिया था । उस मोटर-सायकिल में कोई नंबर नहीं था । इस तरह इस साक्षी एवं दिनेश बालोनी ।अ0सा0प0-104। एवं थाना प्रभारी उमाचंद्र मिश्रा ।अ0सा0प0-125। के कथनों के आधार पर यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित होता है कि अभियुक्त पलटन मल्लाह ने दिनांक 24-8-93 को पुलिस थाना गोरखपुर कैंट उ0प्र0 में मेमो0 बयान दिया था और उक्त मेमो0 बयान के आधार पर ही ग्राम निबही में एक देशी कट्टा, एक विदेशी रिवाल्वर, 13 कारतूस जिसमें 2 एल0जी0 कारतूस थे एवं 6 अन्य .38 बोर के कारतूस बरामद किये गये थे एवं ग्राम चैनपुर में सत्यप्रकाश ।अ0सा0प0 105। के घर से एक लाल रंग की सुजुकी मोटर-सायकिल बरामद की गई थी, जिसमें कोई नंबर नहीं था और जिसके चेसिस और इंजन नंबर घिसकर मिटा दिये गये थे ।

101. देशी कट्टा, विदेशी रिवाल्वर एवं कारतूस अभियुक्त पलटन मल्लाह ने ग्राम निबही में अपने पिता के घर में गड्ढा खोदकर छिपा दिया था । यह तथ्य सिर्फ अभियुक्त पलटन मल्लाह की जानकारी में था, अन्य किसी व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं हो सकती थी । अतः उक्त बरामदगी साक्ष्य अधि0 की धारा 27 के अंतर्गत सुसंगत एवं ग्राह्य है ।

102. अभियुक्त द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को अपराध की संस्वीकृति या जानकारी देना साक्ष्य अधि0 के प्रावधानों के अंतर्गत संसंगत नहीं है । अभियुक्त

.....42

90. बचाव पक्ष के विद्वान काउन्सिल श्री राजेन्द्रसिंह ने यह दलील दिये हैं कि प्रदर्श पी-285 एवं 286 में उमेशचंद्र मिश्रा (अ0सा0क्र0-125) ने अभियोजन की पूरी कहानी लिखा है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके द्वारा की गई कार्यवाही फर्जी है, किंतु इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता । जब कोई अभियुक्त किसी अपराध के संबंध में पुलिस अधिकारी को कोई जानकारी देता है तो यह पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह उसके पूरे बयान को अभिलिखित करे । यह पुलिस अधिकारी के विवेक के अंतर्गत नहीं रहता कि कितने बयान को वह ग्राह्य माने और कितने को अग्राह्य माने । इसके विपरीत उसका यह कर्तव्य होता है कि अभियुक्त के संपूर्ण बयान को वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे । उसके पश्चात् न्यायालय का यह कर्तव्य होता है कि वह देखे कि अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना का कितना भाग, साक्ष्य अधि0 की धारा 27 के अंतर्गत ग्रहण किये जाने योग्य है और कितना कथन ग्रहण किये जाने योग्य नहीं है । इस तरह उमेशचंद्र मिश्रा (अ0सा0क्र0-125) द्वारा प्रदर्श पी-285 एवं 286 को फर्जी रूप से तैयार किया गया दस्तावेज नहीं कहा जा सकता ।

91. उमेशचंद्र मिश्रा (अ0सा0क्र0-125) ने जो कार्यवाहियां की हैं उसमें असत्यता या फर्जीपना का कोई तत्व दर्शित नहीं होता ।

92. यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि थाना प्रभारी गोरखपुर कैंट (अ0सा0क्र0-125) उमेशचंद्र मिश्रा से अभियुक्त पलटन मल्लाह ने कोई प्रति-परीक्षण नहीं किया है । अन्य अभियुक्तों की ओर से उक्त पुलिस अधिकारी से जो प्रति-परीक्षण किया गया है उसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं आया है, जिससे यह दर्शित हो कि वह असत्य कथन कर रहा है । बचाव पक्ष की ओर से यह भी दलील दी गई है कि ग्राम निबही में गड्ढा खोदकर जो थैला निकाला गया था उसमें कोई कीचड़ नहीं पाया गया था । अगस्त का महीना बरसात का होता है, इसलिये थैले में कीचड़ न पाया जाना बरामदगी की कार्यवाही को संदेहास्पद बनाती है, किंतु इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि बरामदगी के कितने दिनों पूर्व बरसात हुआ था । इस बात का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि बरसात का पानी सीधे उस स्थान पर आता था, जहां से बरामदगी की गई थी । अतः बचाव पक्ष की उक्त दलील भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

23/6/15

एक विदेशी रिवाल्वर, 13 कारतूस, जिसमें दो एल0जी0थे और 6 .38 बोर के कारतूस बरामद किये गयेथे । यह भी प्रमाणित होता है कि अभियुक्त पलटन मल्लाह के मेमो0 बयान के आधार पर उसके रिश्तेदार सत्यप्रकाश ।अ0सा0क्र0-105। के घर ग्राम चैनपुर से एक लाल रंग की सुजुकी मोटरसायकिल बरामद की गई थी । इस मोटरसायकिल में कोई नंबर नहीं था और इसका चेसिस और इंजन नंबर घिसकर मिटा दिया गया था ।

106. ।2। बैलेस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट :-

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक आर0एस0प्रसाद ।अ0सा0क्र0-192। ने अपने बयान के क्र0-14 में बताया है कि अभियुक्त पलटन मल्लाह के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात उसने दिनांक 25-8-93 को थाना प्रभारी गोरखपुर कैंट उमेशचंद्र मिश्रा ।अ0सा0क्र0-125। से एक 12 बोर का देशी कट्टा, 12 बोर के 13 जिंदा कारतूस, एक विदेशी रिवाल्वर, 6 .38 बोर के जिंदा कारतूस एवं जप्ती-पत्र प्राप्त किया था । उसने एक लाल रंग की सुजुकी मोटरसायकिल और सील नमूना, दिनांक 24-8-93 की पुलिस डायरी की फोटोकापी भी प्राप्त किया था, जिसका उसने जप्ती-पत्र बनाया था, जो प्रदर्श पी-329 है । उमेशचंद्र मिश्रा ।अ0सा0क्र0-125। ने जो फर्द बरामदगी बनायाथा वह प्रदर्श पी-285 एवं 286 है । आर0एस0प्रसाद ।अ0सा0क्र0-192। के बयान से यह दर्शित होता है कि उसने थाना प्रभारी उमेशचंद्र मिश्रा ।अ0सा0क्र0-125। से जो देशी कट्टा, विदेशी रिवाल्वर एवं कारतूस जप्तकियाथा उसे केन्द्रीय विधि विज्ञान, नई दिल्ली के बैलेस्टिक एक्सपर्ट के पास परीक्षण हेतु भेजा था, जिसका आवेदन-पत्र प्रदर्श पी-405 है । इस बयान की पुष्टि करते हुये केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली के बैलेस्टिक एक्सपर्ट रूपसिंह ।अ0सा0क्र0-159 । ने अपने बयान के क्र0-7 से 11 में जो कथन दिया है वह निम्नानुसार है :-

।1। उसे दिनांक 27-8-93को केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली से एक सीलबंद पार्सल प्राप्त हुआथा, जिसके ऊपर पी0आर0 राय की सील लगी हुईथी । सीलें सही हालत मेंथी और नमूना के सील के साथ मिलतीथी । इसे उसने पार्सल क्र0-5 मार्क किया । उस पार्सल को खोलने पर निम्नलिखित चीजें प्राप्त हुई :-

।अ। एक 12 बोर देशी पिस्तौल, जिसे उसने डब्ल्यू-1 मार्क किया ।

।ब। 13 12 बोर के कारतूस, जिन्हें उसने सी-1 से सी-13 मार्क किया । येएक कपड़े के बेल्ट में रखे हुयेथे, जिनमें 2 एल0ए0 मार्क के 2 एल0जी0 कारतूस भी थे ।

।स। एक .380 का अमेरिका का बना हुआ रिवाल्वर, जिसे उसने डब्ल्यू-2 मार्क किया था । इसका सीरियल नंबर रगड़ा हुआ मालूम पड़ताथा ।

।द। .380 रिवाल्वर के कारतूस, जिन्हें उसने सी-14 से सी-19 मार्क किया था ।

।इ। एक पालिथीन का शीट ।टुकड़ा। ।

एक देशी कट्टा, एक विदेशी रिवाल्वर और 6 .38 बोर की गोलियां दिखाई गईं । इस साक्षी ने कहा कि ये सब सामान बरामद किये गये थे इस साक्षी को न्यायालय में पॉलिथीन भी दिखाया गया, जिसे देखकर इस साक्षी ने कहा कि इसी पॉलिथीन में सब सामान रखे थे । न्यायालय द्वारा कपड़े के बेल्ट में लिपटे हुये 12 कारतूसों को आर्टिकल एक्स-1, देशी कट्टा को एक्स-2, विदेशी रिवाल्वर को एक्स-3 एवं .38 बोर की गोलियों को एक्स-4 अंकित किया गया है ।

97. दिनेश बालोनी ।अ0सा0क्र0-104। ने आगे बताया है कि ग्राम निबही में उपर्युक्त कार्यवाही होने के बाद वे लोग अभियुक्त पलटन मल्लाह के साथ ग्राम चैनपुर गये । ग्राम निबही से चैनपुर की दूरी करीब 30-40 कि0मी0 होगी । वे लोग शाम के करीब 5-5.15 बजे ग्राम चैनपुर पहुंचे । ग्राम चैनपुर पहुंचने पर अभियुक्त पलटन मल्लाह ने कहा कि सत्यप्रकाश ।अ0सा0क्र0-105। का घर आ गया है, इसलिये गाड़ियां रोक दें । गाड़ियां रोक दी गई । अभियुक्त पलटन आगे-आगे चलने लगा और बाकी लोग उसके पीछे गये । अभियुक्त पलटन ने सत्यप्रकाश के घर का वह कमरा दिखाया जहां मोटरसायकिल रखी थी । वह कमरा तो बंद था, किंतु यह साक्षी यह नहीं बता सका कि उसमें ताला लगा था या नहीं लगा था । वह इतना अवश्य कहता है कि कमरे को खोला गया था । उस कमरे में एक लाल रंग की सुजुकी मोटरसायकिल रखी थी, जिसके ऊपर काफी धूल जमी हुई थी । थाना प्रभारी उमाचंद्र मिश्रा ।अ0सा0क्र0-125। ने वहां पर प्रदर्श पी-286 पर उसके, गवाहों के व अभियुक्त पलटन मल्लाह के हस्ताक्षर लिये थे । थाना प्रभारी ने देखने पर यह पाया कि उस मोटरसायकिल में कोई नंबर नहीं था । उस मोटरसायकिल का चेसिस नंबर भी मिटा हुआ था । इस साक्षी ने न्यायालय में पेश मोटरसायकिल ।एक्स-7। को देखकर यह कहा कि यह वही लाल रंग की सुजुकी मोटरसायकिल है, जिसे सत्यप्रकाश ।अ0सा0क्र0-105। के घर से बरामद किया गया था ।

98. दिनेश बालोनी ।अ0सा0क्र0-104। के बयान को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी गई है कि वह अ0प्र0 से बयान देने के लिये आया तो भिलाई में अपने मित्र सी0बी0आई0 निरीक्षक अशोक तड़ियाल के पास ठहरा था, किंतु न्यायालय को किसी साक्षी के बयान का मूल्यांकन गुण-दोष के आधार पर करना होता है न कि किसी तकनीकी या असंगत आधारों पर । यदि दिनेश बालोनी ।अ0सा0क्र0-104। अभियुक्त पलटन मल्लाह के मेमो0 बयान के बाद ग्राम निबही एवं ग्राम चैनपुर नहीं गया होता तो इतने विस्तार से एवं स्वाभाविकता के साथ बयान नहीं दे पाता ।

आवेदन पेश किया गया कि उक्त छर्रे (पैलेटस) को केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण कराया जाये। न्यायालय द्वारा यह आवेदन स्वीकार किया गया और उक्त तीनों छर्रे (पैलेटस) को दिनांक 24-9-93 को कांच की शीशी में न्यायालय की सील के अंतर्गत सीलबंद करके केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक आर0एस0प्रसाद (अ0सा0क्र0-192) को सौंप दिया गया। आर0एस0प्रसाद (अ0सा0क्र0-192) ने अपने बयान की क0-26 में बताया है कि न्यायालय से प्राप्त उपरोक्त पैलेटस को उसने बैलेस्टिक एक्सपर्ट को जांच के लिये भेज दिया था।

108. बैलेस्टिक एक्सपर्ट रूपसिंह (अ0सा0क्र0-159) ने अपने बयान की क0-1व (12) में बताया है कि दिनांक 27-9-93 को एक सीलबंद पार्सल (जिसे नंबर-6 मार्क किया गया) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग की सीलों से सील्ड और नमूना सील से सील मिलती थी, जो उसे प्राप्त हुआ था। यह पार्सल उसे एस0पी0, सी0बी0आई0, एस0आई0सी0-2 से केस आर0सी0-9(एस)/9(-एस0आई0यू0-5/एस0आई0सी0-2, सी0बी0आई0से प्राप्त हुआ था। पार्सल नं0-6 को खोलने पर 3 बड़े साईज के विकृत लेड पैलेटस (छर्रे) प्राप्त हुयेथे, जिसे उसने प्रदर्श पी-1 से 33 मार्क किया था। इन पैलेटस के बारे में यह बताया गयाथा कि इन्हें मृतक शंकर गुहा नियोगी के शरीर से निकाले गये हैं। ये लेड पैलेटस (प्रदर्श पी-1 से 3) एल0जी0 के पैलेटस थे और लेड के स्लग, जो कि 12 बोर के देशी पिस्तौल(डबल्यू-1) से टेस्ट फायर से मिलान किये गये थे।

109. रूपसिंह (अ0सा0क्र0-159) ने विस्तृत प्रयोगशाला परीक्षण टेस्ट फायर और माइक्रोस्कोपिक जांच से एवं मिलान से जो प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-399) दिया वह इस प्रकार है :-

(1) 3 लेड पैलेटस, जो कि पी-1 से पी-3 मार्क किये गये थे ये एल0जी0 के 12 बोर के कारतूस से चलाने से आये होंगे।

(2) ये 3 लेड पैलेटस (पी-1 से पी-3) 12 बोर के देशी कट्टा, जिसे डबल्यू-1 मार्क किया गया है से चले हुये हैं।

110. रूपसिंह (अ0सा0क्र0-159) ने बताया है कि उसने प्रदर्श पी-398 एवं 399 की जो रिपोर्ट दिया है वह माइक्रोस्कोपिक जांच व तुलना के आधार पर दिया है। उसने प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-3 के क्राइम पैलेटस और स्लग का फोटोग्राफ अवश्य लिया है, किंतु यह फोटोग्राफ उसके निष्कर्ष का आधार नहीं है, बल्कि फोटोग्राफ उसने मात्र दृष्टांत के रूप में लिया है। इस साक्षी ने यहभी स्पष्ट किया है कि

....46/

23/6/97

द्वारा दी गई सूचना का उतना भाग ही साक्ष्य अधि0 की धारा 27 के अंतर्गत सुसंगत होता है जितना कि उस सूचना के आधार पर किसी वस्तु या तथ्य की बरामदगी होती है । इसका आधार यह है कि अभियुक्त ने तथ्य या वस्तु की जानकारी दी और वह जानकारी सही साबित हुई तथा तथ्य या वस्तु बरामद हो गया ।

103. बचाव पक्ष की ओर से यह भी दलील दी गई है कि प्रदर्श पी-285 एवं 286 के अन्य साक्षी रामबिहारी सिंह एवं मिर्जा फारूख बेग का बयान न कराना अभियोजन के लिये घातक है । यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अभियोजन के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने सभी साक्षियों का परीक्षण कराये । यदि अभियोजन कुछ साक्षियों का परीक्षण कराता है और कुछ साक्षियों को बिना परीक्षण ही छोड़ देता है तब न्यायालय को यह देखना पड़ता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से जिन साक्षियों का बयान कराया गया है उससे प्रश्नगत तथ्य प्रमाणित हुये या नहीं । यदि वे तथ्य प्रमाणित हो गये हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस तथ्य के संबंध में अन्य साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया गया है । इस मामले में थाना प्रभारी गोरखपुर कैंट (अ0सा0क्र0-125) उमेशचंद्र मिश्रा के कथन का समर्थन दिनेश बालोनी (अ0सा0क्र0-104) एवं सत्यप्रकाश (अ0सा0 क्र0-105) के कथनों से पूर्णतः होता है । इसलिये रामबिहारी सिंह एवं मिर्जा फारूख बेग का बयान न कराना अभियोजन के लिये घातक नहीं है ।

104 सम्पात दलबीरकौर बनाम पंजाब राज्य (ए0आई0आर0-1977 स0को0-472) वाले मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य अधि0 की धारा 27 का अर्थान्वयन करते हुये यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियुक्त के मेमो0 बयान के आधार पर पुलिस अधिकारी एवं पंच गवाहों के समक्ष कोई वस्तु बरामद की जाती है और न्यायालय में मात्र पुलिस अधिकारी का बयान कराया जाता है और पंच गवाहों का बयान नहीं कराया जाता तो इससे मामले के गुण-दोष पर अपने आपमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि इस मामले में पुलिस अधिकारी के बयान का समर्थन 2 स्वतंत्र साक्षियों द्वारा किया गया है । अतः अभियुक्त के मेमो0 बयान एवं उसके अनुपालन में की गई जप्ती में कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता ।

105. अतः यह संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्त पलटन मल्लाह के मेमो0 बयान के आधार पर ग्राम निबही में उसके घर से देशी कट्टा,

27/1/15

फायर आर्म्स का परीक्षण किया है और सैकड़ों मामलों में न्यायालय में गवाही दिया है। वर्तमान समय में वह केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड-। एवं बैलेस्टिक विभाग का विभागाध्यक्ष है। इस तरह उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं पर्याप्त लंबे अनुभव के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि रूपसिंह ।अ०सा०क्र०-159। एक विशेषज्ञ साक्षी है।

114. बचाव पक्ष की ओर से रूपसिंह ।अ०सा०क्र०-159। के बयान को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गई है :-

1. केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने छर्रे बदल दिये।
2. विशेषज्ञ साक्षी की रिपोर्ट कारण पर आधारित नहीं है।
3. छर्रे न्यायालय से ले जाने के बाद विशेषज्ञ साक्षी को विलंब से भेजा गया है।
4. विशेषज्ञ साक्षी ने यह प्रतिवेदन केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रभाव में दिया है।

115. यह बात सही है कि मृतक शंकर गुहा नियोगी के शरीर से निकाले गये छर्रों को शुरू में जब विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया तो के०पी०निगम ।अ०सा०क्र०-78। ने दिनांक 14-10-91 को उन तीनों छर्रों ।पैलेट्स। का वजन 11.66 ग्राम पाया, जबकि करीब 2 वर्षों बाद उक्त छर्रों को केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली भेजा गया तो उनका वजन 11.425 ग्राम पाया गया।

116. इस तथ्य की न्यायिक सूचना ली जा सकती है कि एक ग्राम बराबर 1000 मि०ग्रा० होता है। इस तरह 3 छर्रों के वजन में जो अंतर पाया गया है वह एक ग्राम के 1/4 से भी कम का है। के०पी०निगम ।अ०सा०क्र०-78। ने यह अवश्य बताया है कि उनके प्रयोगशाला में जिस तुला से वजन लिया गया था उसमें दशमलव के 3 स्थान तक का सही वजन नापा जा सकता है, किंतु यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के बैलेस्टिक एक्सपर्ट रूपसिंह ।अ०सा०क्र०-159। ने अपने रिपोर्ट प्रदर्श पी-3999 में तीनों छर्रों का जो अलग-अलग वजन लिखा है वह अनुमानित वजन है। यह सामान्य अनुभव की बात है कि प्रत्येक तुला में वजन-नापने-की-शत-प्रतिशत-शुद्धता-की-गारंटी-नहीं-हो-सकती। इन दोनों विधि विज्ञान प्रयोगशाला में छर्रों के वजन में-जो-कुछ-अंतर-आया-है-उसे-बहुत-अधिक तात्विक नहीं कहा जा सकता। यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इन छर्रों को न्यायालय द्वारा सीलबंद करके भेजा गया था और विधि विज्ञान प्रयोगशाला नई दिल्ली-ने-उक्त-छर्रों-को-सीलबंद-हालत-में-ही-प्राप्त-किया था। अतः छर्रे बदलने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न-नहीं-होता-है।

....48

।2। एक 12 बोर का एल०एस० एल०जी० कारतूस, जिसे सी-1 मार्क किया गया था और एक .380 कारतूस, जिसे सी-14 मार्क किया गया था, को प्रयोगशाला में 12 बोर के देशी पिस्टल और .380 के रिवाल्वर से क्रमशः फायर किया गया और उनके चले हुये खाली खोखे वगैरह को उसी लिफाफे में वापस रख दिया।

।3। प्रयोगशाला में विस्तृत परीक्षण के बाद उसने निम्नलिखित अभिमत दिया है :-

।1। 12 बोर का देशी पिस्तौल, जिसे डबल्यू-1 मार्क किया गया है और .380 का रिवाल्वर, जिसे डबल्यू-2 मार्क किया गया है ये फायर आर्म्स हैं। चालू हालत में हैं और इनमें से फायर किया गया है। फायर करने का निश्चित समय नहीं दिया जा सकता है।

।2। 12 बोर का पिस्तौल, जिसे डबल्यू-1 मार्क किया गया है देशी बना हुआ है और .380 रिवाल्वर, जिसे डबल्यू-2 मार्क किया गया है अमेरिका का बना हुआ है।

।3। 13 12 बोर के कारतूस, जिसे सी-1 से सी-13 मार्क किया गया है और 6 .380 के कारतूस, जिन्हें सी-14 से सी-19 मार्क किया गया है ये एम्यूनिशन हैं और जिंदा कारतूस हैं।

।4। 13 12 बोर के कारतूस, जिसे सी-1 से सी-13 मार्क किया गया है, को 12 बोर के देशी पिस्तौल में जिसे डबल्यू-1 मार्क किया गया है में भरा जा सकता है और फायर किया जा सकता है।

।5। 6 .380 के कारतूस, जिन्हें सी-14 से सी-19 मार्क किया गया है को .380 रिवाल्वर, जिसे डबल्यू-2 मार्क किया गया है में भरा जा सकता है और फायर किया जा सकता है।

।6। 12 बोर के एल०जी० कारतूस को 12 बोर के कंट्रीमेड पिस्टल, जिसे डबल्यू-1 मार्क किया गया है से फायर किया जा सकता है।

।7। मौका मुलाहिजा को ध्यान में रखते हुये और छर्रों का मृतक के शरीर पर फैलाव को ध्यान में रखते हुये और बाद के लेबोरेटरी के परीक्षण के आधार पर, जिसमें 12 बोर के देशी कट्टा पिस्टल, जिसे डबल्यू-1 मार्क किया गया है से एल०जी० के कारतूस अलग-अलग दूरी से फायर किये गयेथे, जो मृतक पर गोली चलाई गई है उसकी दूरी करीबन 2 फीट रही होगी।

जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी- 398 है।

107. मृतक शंकर गुहा नियोगी के शव परीक्षण के दौरान 3 छर्रे निकाले गये थे। वे छर्रे ।पैलेट्स। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजे गयेथे और फिर वे छर्रे न्यायालय में जमा कर दिये गयेथे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक आर०एस०प्रसाद ।अ०सा०क्र०-192। ने दिनांक 7-9-93 को अभियुक्त पलटन को इस न्यायालय में पेश किया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की ओर से उसी दिन यह

121. इस मामले में बैलेस्टिक एक्सपर्ट रूप सिंह (अ0सा0क्र0-159) से लंबा प्रति-परीक्षण किया गया है, किंतु कोई भी ऐसा साक्ष्य सामने नहीं आया है, जिससे उसकी रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाये । इस तरह रूप सिंह (अ0सा0क्र0-159) का यह कथन पूर्णतः विश्वसनीय है कि क्राइम पैलेट्स प्रदर्श पी-1, 2 एवं 3 वही हैं, जो उस देशी कट्टा से फायर किये गये थे, जिसे अभियुक्त पलटन मल्लाह के मेमो0 बयान के आधार पर बरामद किया गया था ।

122. जे0पी0 निगम (अ0सा0क्र0-78) ने दिनांक 4-10-91 को घटनास्थल का निरीक्षण कर, मृतक के शव परीक्षण प्रतिवेदन, वैज्ञानिक अधिकारी बी0पी0 मैथिल की रिपोर्ट (अ0सा0क्र0-84)/एवं फोटोग्राफ्स दिनांक 28-9-9। का परिशीलन कर एवं अपराध स्थल एम0आई0जी0 1/55 हुडको, भिलाई की पुनः रचना कर यह अभिमत दे दिया था कि मृतक शंकर गुहा नियोगी की हत्या में देशी कट्टा का प्रयोग किया गया था । इस तरह बैलेस्टिक एक्सपर्ट रूप सिंह (अ0सा0क्र0-159) का प्रतिवेदन जे0पी0 निगम (अ0सा0क्र0-78) के अभिमत से भी पूर्ण रूप से मेल खाता है । अतः वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर दिया गया यह निष्कर्ष कि मृतक के शरीर से निकाले गये छर्रे अभियुक्त पलटन से बरामद देशी कट्टा से चलाया गया था स्वीकार किये जाने योग्य है ।

(3) <u>एल0जी0 कारतूस एवं देशी कट्टा प्राप्त करने का अवसर:-</u>

123. अरविंद त्रिपाठी (अ0सा0क्र0-106) के अनुसार उसके पिता ग्राम निबही में शिक्षक हैं तथा वे गांव में अभियुक्त पलटन के कोठे के बगल में उन लोगों की कुछ जमीन भी है, इसलिये यह साक्षी अभियुक्त पलटन को जानता है । इस साक्षी का यह कहना है कि उसे सन् 91 में अपने ग्राम खोरमा के खेत में एक देशी कट्टा व 3 कारतूस मिला था, जिसे उसने ट्यूबवेल के पास छिपाकर रख दिया था । उसने अपने परीचित राजकिशोर दुबे से यह कहा कि उसके कट्टे व कारतूस को बिकवा दे । राजकिशोर दुबे ने अभियुक्त पलटन को लेकर आया । अभियुक्त पलटन ने उन्हें 350/- रूपये में खरीद लिया । इस साक्षी ने न्यायालय में पेश आर्टिकल एक्स-2 के कट्टे को देखकर बताया कि उसे इसने अभियुक्त पलटन को बेचा था, किंतु इस साक्षी का कथन निम्नलिखित कारणों से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है :-

1. यह विश्वास करना बहुत कठिन है कि देशी कट्टा व कारतूस खेत में पड़े हुये हालत में मिले हों ।

FOUR RUPEES

फोटोग्राफ्स को सिर्फ एक कोण से लिया गया था, जबकि माइक्रोस्कोप से उसने विभिन्न कोणों से परीक्षण किया है ।

111. बैलेस्टिक एक्सपर्ट ने पैलेट्स पी-1, पी-2 एवं पी-3 के तथा टेस्ट बुलेट के भी फोटो लिये थे, जिन्हें प्रदर्श पी-400 से 402 तक अंकित किये गये हैं । बैलेस्टिक एक्सपर्ट ने प्रदर्श पी-398 की रिपोर्ट के संबंध में जो वर्कशीट तैयार किया है वह प्रदर्श पी-398ए है तथा प्रदर्श पी-399 के संबंध में जो वर्कशीट तैयार किया है वह प्रदर्श पी-399ए है । इस साक्षी को आर्टिकल एक्स-2 का विदेशी कट्टा और एक्स-3 का .38 का अमेरिकन रिवाल्वर दिखाया गया, जिस पर इस साक्षी ने यह कहा कि एक्स-2 के देशी कट्टा को उसने रिपोर्ट प्रदर्श पी-398 में डबल्यू-1 तथा अमेरिकन रिवाल्वर .38 को डबल्यू-2 मार्क किया था । इस साक्षी ने यह भी बताया है कि आर्टिकल एक्स-2 का देशी कट्टा, अमेरिकन रिवाल्वर एवं अन्य कारतूस उसे सीलबंद हालत में प्राप्त हुये थे । एक कारतूस का प्रयोग उसने टेस्ट फायरिंग के लिये किया था तथा शेष 12 कारतूस जिंदा हैं ।

112. बैलेस्टिक एक्सपर्ट ने अपने बयान के पैरा-19 में बताया है कि आर्टिकल एक्स-5 प्रयोगशाला में टेस्ट किया गया वाला खोखा है । इसके साथ ही टेस्ट किये गये 6 पैलेट्स और वेड्स हैं । इस कारतूस का मेक एल0ए0 (इंग्लिश) है । आर्टिकल इ की बोतल में प्रदर्श पी-1, 2 तथा 3 के लेड पैलेट्स हैं, जिसे उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-399 में दर्शाया है । यह बोतल न्यायालय कासाल से भेजा गया था । इसके बाहर न्यायालय का सील लगा था और जब इस सील को तोड़ा गया तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर की सील लगी थी । सभी वस्तुओं को परीक्षण के पश्चात उसने सीलबंद करके वापस कर दिया था ।

113. रूपसिंह (30सा0क्र0-159) ने बताया है कि वह गणित में एम0एस0सी0 है । उसने फायर आर्म्स की ट्रेनिंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, फिल्लौर (पंजाब) से लिया था । सन् 70 में उसने फायर आर्म्स में फोरेन्सिक ट्रेनिंग सर्टि0 दिल्ली वि0वि0 से प्राप्त किया । सन् 82 में उसने नेशनल डिप्लोमा इन बैलेस्टिक फोरेन्सिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेन्सिक क्रिमिनोलॉजी, नई दिल्ली से लिया है । सन् 95 में उसने रॉयल मिलेट्री कॉलेज, स्वीडन से बैलेस्टिक वूंड में सर्टि0 प्राप्त किया है और एक सप्ताह का कोर्स किया है । इस साक्षी को फायर आर्म्स के मामलों का परीक्षण करने का करीब 35 वर्षों का अनुभव है । उसने हजारों

1. बी0के0 सिंह रायपुर पुलिस लाईन के उस आरमोरर के साथ उसकी दुकान में आया था, जो पूर्व में स्वयं अपने लिये बंदूक खरीद चुका था । 4÷00

2. अभियुक्त पलटन काफी देर तक उसकी दुकान में बैठा, जिसके कारण इस साक्षी को अभियुक्त को देखने व पहचानने का पर्याप्त समय व अवसर मिला ।

3. इस साक्षी द्वारा अभियुक्त पलटन को झूठा फसाये जाने की कोई संभावना नहीं है ।

128. इसके अतिरिक्त नुरूद्दीन ।अ0सा0क्र0-66। ने प्रति-परीक्षण के क्र0-9 में यह बताया है कि सी0बी0आई0 वालों ने उसे 2 फोटो दिये थे, जिसमें से उसने एक फोटो को पहचान लिया था । इस तरह पहले फोटो द्वारा पहचान और फिर न्यायालय में पहचान से साबित होता है कि नुरूद्दीन ।अ0सा0क्र0-66। ने अभियुक्त पलटन को सही पहचाना है ।

129. अभियुक्त पलटन की ओर से यह दलील दी गई है कि शिनाख्ती की कार्यवाही नहीं कराये जाने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि नुरूद्दीन ।अ0सा0क्र0-66। ने उसे सही पहचाना है । <u>माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने हरभजन सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य ।ए0आई0आर0-1975सु0को0-1814।</u> वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि -यदि अनुसंधान अधिकारी शिनाख्ती की कार्यवाही नहीं कराते तो भी इससे आवश्यक रूप से अभियोजन का पक्ष संदेहास्पद नहीं होता । इसी तरह हाल में ही <u>माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम डेवा के सेट्ठी ।1995सु0को0केसेस-सप्लीमेंट्री वाल्यूम।।, पेज-15।</u> वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि -कुछ छोटी-मोटी विसंगतियां और शिनाख्ती परेड आयोजित न किये जाने से अभियोजन का पक्ष अस्वीकार किये जाने योग्य नहीं होता ।

130. चूंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने नुरूद्दीन ।अ0सा0क्र0-66। को एक से अधिक फोटो द्वारा अभियुक्त की शिनाख्त करवाये और न्यायालय में इस साक्षी ने अभियुक्त पलटन को दृढ़ता के साथ पहचाना है । अतः ऐसी दशा में शिनाख्त परेड आयोजित न किये जाने के कारण उक्त साक्षी का कथन अविश्वसनीय नहीं हो जाता ।

131. नुरूद्दीन ।अ0सा0क्र0-66। ने प्रति-परीक्षण में पूरे विश्वास के साथ कहा है कि यदि बीरेन्द्रकुमार ।बी0के0 सिंह। होता तो वह उसे भी पहचान लेता । इस तरह इस साक्षी ने यह भी कहा है कि विभिन्न तारीखों में जिन व्यक्तियों को उसने सामान बेचा है उन व्यक्तियों को भी वह पहचान सकता है । न्यायालय को इस साक्षी की याददाश्त पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । अतः यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 14-9-91 को बी0के0 सिंह जब अपने लायसेंस पर एवं सत्यनारायण सिंह के लायसेंस पर 3 एल0जी0कारतूस और 10 शाटस कारतूस खरीदने के लिये नुरूद्दीन

23/6/?

117. रूपसिंह (अ०सा०क्र०-159) ने क्राइम पैलेट्स प्रदर्श पी-1 से 3 एवं टेस्ट स्लग का जो माइक्रोस्कोपिक परीक्षण किया उसके संबंध में उसने प्रदर्श पी-399 में तुलनात्मक चित्र बनाया है। न्यायालय द्वारा भी इस चित्र का अवलोकन किया गया। इस अवलोकन से स्पष्ट है कि क्राइम पैलेट्स और टेस्ट स्लग में बंदूक की नली का जो निशान आया है उसमें बहुत अधिक समानता है। यह नहीं कहा जा सकता कि विशेषज्ञ की रिपोर्ट कारण पर आधारित नहीं है।

118. न्यायालय द्वारा आर०एस०प्रसाद (अ०सा०क्र०-192) को क्राइम पैलेट्स सीलबंद हालत में दिनांक 24-9-93 को सौंपे गये थे। उक्त छर्रे सीलबंद हालत में केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली को दिनांक 27-9-93 को प्राप्त हुये। दुर्ग (म०प्र०) से नई दिल्ली की दूरी 1000 कि०मी० से कम नहीं है। अतः न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि दुर्ग से नई दिल्ली यात्रा करने में कितना समय लगेगा। अतः यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी ने दिनांक 24-9-93 को छर्रे दुर्ग से प्राप्त किये और दिनांक 27-9-93 को यदि उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली में जमा कर देता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि छर्रों को पहुंचाने में विलंब किया गया है।

119. आर०एस०प्रसाद (अ०सा०क्र०-192) ने अपने बयान के कं०-62 में यह कहा है कि केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला एक स्वतंत्र विभाग है। यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि विशेषज्ञ साक्षी अनुसंधान एजेंसी के प्रभाव में आकर कोई गलत रिपोर्ट देगा। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि रूपसिंह (अ०सा०क्र०-159) ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रभाव में गलत रिपोर्ट दिया है।

120. माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने कलुवा बनाम उ०प्र०राज्य (ए०आई०आर०-1958 सु०को०-180) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि- यदि बैलेस्टिक एक्सपर्ट ने आवश्यक परीक्षण करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट दिया है तो उस रिपोर्ट को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं होता। इसी तरह माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने वीरपालसिंह बनाम उ०प्र०राज्य (ए०आई०आर०-1977 सु०को०-2083) वाले मामले में कं०-5 में यह स्पष्ट किया है कि -कारतूसों का परीक्षण करने के उपरांत बैलेस्टिक एक्सपर्ट यह निश्चित राय दे सकता है कि उसे किस बंदूक से फायर किया गया था।

22/6/97

3. इस साक्षी ने न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी द्वारा अभिलिखित दं0 प्र0सं0 की धारा 164 के अंतर्गत अभिलिखित पूरे बयान का खंडन किया है।

134. इस बात की कोई उपधारणा नहीं है कि न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी वह बयान नहीं लिखते जो साक्षी देता है, बल्कि जब कभी उपधारणा करने का प्रश्न उत्पन्न होगा यही उपधारणा करना होगा कि न्यायिक अधिकारी किसी साक्षी का वही कथन लिखते हैं, जो वस्तुतः वह देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उ0प्र0 राज्य बनाम रामप्रसाद मिश्रा 1996 (10) एस0सी0 केसेस-360 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि -यदि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और महत्वपूर्ण साक्षी सत्य कथन न करें तो न्यायालय मानवीय आचरण एवं संभावनाओं को देखते हुये परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकता है। अतः उपर्युक्त विवेचन से निम्नलिखित परिस्थितियां सामने आती हैं :-

1. नियोगी की हत्या के करीब 14 दिनों पूर्व जब बी0के0 सिंह ने सत्यनारायण सिंह के लायसेंस के आधार पर 3 एल0जी0 कारतूस खरीदा तो उसके साथ अभियुक्त पल्टन मौजूद था।

2. दिनांक 27/28-9-91 की दरम्यानी रात में नियोगी की हत्या एक एल0जी0 कारतूस द्वारा होती है।

3. नियोगी की हत्या के बाद अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा का जीजा जयनारायण त्रिपाठी (अ0सा0 20-72) बिलासपुर से रायपुर आकर 3 एल0जी0 कारतूस खरीदता है।

4. इसके बाद बी0के0 सिंह सत्यनारायण सिंह को उसका 3 एल0जी0 कारतूस वापस करता है।

5. उपर्युक्त परिस्थितियों की सम्पूर्णता के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्त पल्टन ने 3 एल0जी0 कारतूस रख लिये थे और बी0के0 सिंह ने जयनारायण त्रिपाठी से 3 एल0जी0 कारतूस मिलने के बाद उसे सत्यनारायण सिंह को लौटाये।

135. शंकर गुहा नियोगी की हत्या एक एल0जी0 कारतूस से हुई थी। अभियुक्त पल्टन मल्लाह जब हत्या के करीब 2 साल बाद पकड़ा गया तो अन्य हथियारों के साथ-साथ 2 एल0जी0 कारतूस भी उसके मेमो0 बयान के आधार पर बरामद किये गये थे। इस तरह परिस्थितियों की एक ऐसी सतत कड़ी बनती है, जिससे सिर्फ यही उपधारणा किया जायेगा कि बी0के0 सिंह से अभियुक्त पल्टन मल्लाह ने सत्यनारायण सिंह के लायसेंस वाले 3 कारतूस प्राप्त कर लिये थे। एक कारतूस से उसने नियोगी की हत्या किया और, शेष 2 कारतूस उसके पास बचे थे, जो बाद में उसके मेमो0 बयान के आधार पर बरामद किये गये हैं। इस तरह यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त पल्टन के पास एल0जी0 कारतूस प्राप्त करने का अवसर था और उसने 3 एल0जी0 कारतूस

97

23/6/97

FOUR RUPEES

2. इस साक्षी का कथन सह-अपराधी के समतुल्य है, जिसे संपुष्टि के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

3. राजकिशोर दुबे का बयान नहीं कराया गया है।

124. अरविंद त्रिपाठी (अ०सा०क्र०-106) के कथन को स्वीकार न करने के बावजूदभी अभियुक्त पलटन मल्लाह के मेमो० बयान एवं उसके आधार पर की गई जप्ती पर कोईप्रभाव नहीं पड़ेगा।

125. अ०सा०क्र०-86 (? जकुद्दीन एवं अ०सा०क्र०-66 नुरूद्दीन पिता व पुत्र हैं। ये लोग रायपुर में आर्म्स की दुकान रखे हैं, जिसे बदरूद्दीन अल्ला शम्सुद्दीन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों साक्षियों के कथनों से यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 14-9-91 को बी०के० सिंह और एक अन्य लड़का उसकी दुकान में आये थे। बीरेन्द्रकुमार ने एक बंदूक और कुछ कारतूस अपने लायसेंस पर खरीदने की इच्छा जाहिर किया था। उसने रायपुर पुलिस लाईन के अपने परीचित आरक्षक राजबहादुर को बंदूक का चुनाव करने के लिये ले आया। बी०के० सिंह ने अपने नाम के लायसेंस पर एक सिंगल बैरल गन और 5 कारतूस खरीदा था। बी०के० सिंह ने अपने साथ सत्यनारायणसिंह का लायसेंस लायाथा और उस लायसेंस के आधार पर उसने 3 एल०जी०कारतूस और 10 शाटस कारतूस खरीदाथा।

126. नुरूद्दीन (अ०सा०क्र०-66) ने अपने बयान के कं०-3 में यह बताया है कि बी०के० सिंह के साथ जो लड़का उसकी दुकान में बंदूक व कारतूस खरीदने आयाथा, वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त पलटन है। यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बी०के० सिंह और सत्यनारायणसिंह दोनों की न्यायालय में बयान लेने के पूर्व मृत्यु हो चुकी है।

127. नुरूद्दीन (अ०सा०क्र०-66) ने अपने लंबे प्रति-परीक्षण में दृढ़ता के साथयह कहा है कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त पलटनहीं बी०के० सिंह के साथ उसकी दुकान में आयाथा। यह सामान्य अनुभव की बात है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग-अलग यादداश्त होती है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं- जो किसी व्यक्ति से मिलने के कुछ दिनों बाद ही उसे भूल जाते हैं तथा कुछ ऐसे लोगभी होते हैं, जो एक बार किसी व्यक्ति से मिल लें तो सालों साल उस व्यक्ति को अच्छी तरह पहचानते हैं। नुरूद्दीन (अ०सा०क्र०-66) द्वारा अभियुक्त पलटन को बी०के० सिंह के साथ आने पर पहचाना जाना निम्नलिखित कारणों से भी स्वाभाविक प्रतीत होता है :-

सत्यप्रकाश (अ0सा0प्र0-105) ने यह भी बताया है कि वह अभियुक्त पलटन को बहलगंज में छोड़ने के बाद वापस अपने गांव चैनपुर आ गया और वह कभी-कभी अभियुक्त से मिलने के लिये बहलगंज आया करता था । इस साक्षी ने स्पष्ट किया है कि अभियुक्त के पास जो लाल रंग की मोटरसायकिल थी उसमें कोई नंबर नहीं था ।

139. सत्यप्रकाश (अ0सा0प्र0-105) ने अपने बयान की कं0-6 में यह बताया है कि जब एक दिन वह बहलगंज गया तो अभियुक्त पलटन ने बताया, कि वह जब चाय पीने के लिये गया था तो उसने समाचार-पत्र में पढ़ा है कि किसी नेता की हत्या के संबंध में सी0बी0आई0 व पुलिस उसकी तलाश कर रही है । इस साक्षी ने उससे कहा कि सी0बी0आई0 व पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है ? अभियुक्त ने उसे एकांत में ले गया और यह बताया कि उसने ज्ञानप्रकाश के साथ मिलकर भिलाई में शंकर गुहा नियोगी की रात में सोते समय देशी कट्टे से हत्या किया है । उसने यह भी संस्वीकृति किया कि ज्ञानप्रकाश मिश्रा के साथ मूलचंद, नवीनशाह एवं चंद्रकांत शाह सहयोग दे रहे हैं । अभियुक्त की यह बात सुनकर यह साक्षी सन्न रह गया । अभियुक्त भी यह कहने लगा अब वह बहलगंज में नहीं रहना चाहता । अभियुक्त ने यह व्यक्त किया कि अब वह उसके ससुराल आजमगढ़ जाना चाहता है । यह बात बताने के पहले ही अभियुक्त ने किसी दिन मोटरसायकिल उसके घर में छोड़ दिया था ।

140. सत्यप्रकाश (अ0सा0प्र0-105) के अनुसार वह और अभियुक्त बस में बैठकर बहलगंज से आजमगढ़ पहुंचे । वहां अभियुक्त कुछ विचलित हो गया और कहा कि अब वह उसके ससुराल में नहीं रहेगा । अभियुक्त ने उससे कहा कि वह दूसरे दिन सबेरे उसे आजमगढ़ के बस स्टैंड में मिले । यह साक्षी अपने ससुराल में जाकर ठहर गया । जब वह दूसरे दिन बस स्टैंड आया तो अभियुक्त ने बताया कि रात में टी0वी0 में यह समाचार आया है कि सी0बी0आई0 ने उसे पकड़ने के लिये एक लाख रुपये का ईनाम घोषित किया है । अभियुक्त यह जिद करने लगा कि अब वह भारत में नहीं रहना चाहता और नेपाल जाना चाहता है । अभियुक्त पलटन यह कहने लगा कि वह उसे नेपाल जाने का कोई उपाय बताये तब उसने अभियुक्त से कहा कि वह अपने जीजा केशनाथ के पास उसे डोहरिया बाजार ले चलेगा ।

141. सत्यप्रकाश (अ0सा0प्र0-105) ने आगे यह बताया है कि वह अभियुक्त को लेकर डोहरिया बाजार आया । उस समय घर में सिर्फ उसकी बहन थी और जीजा केशनाथ ड्यूटी पर गये हुये थे । केशनाथ रात में करीब 8.00 बजे घर आया । इस साक्षी ने अपने जीजा से अभियुक्त पलटन का परिचय कराया, किंतु रात में कोई विशेष बात नहीं हुई ।

...56

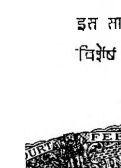

की दुकान पर आया तो उसके साथ अभियुक्त पलटन मौजूद था ।

132. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि नियोगी की हत्या दिनांक 27 व 28 -9-91 की दरम्यानी रात में हुई है । बांकेबिहारी यादव ।अ0सा0क्र0-58। ने अपने बयान में बताया है कि नियोगी की हत्या के 3-4 दिन बाद जब उसकी ड्यूटी बी0ई0सी0गेट में दोपहर 1.30 बजे से रात 9.30 बजे तक थी, तब उसे बी0के0 सिंह ने बुलाया और 3 एल0जी0कारतूस देकर कहा कि उसे सत्यनारायणसिंह को दे दे । उसने उक्त 3 एल0जी0कारतूस सत्यनारायणसिंह को दे दिया । जयनारायण त्रिपाठी ।अ0सा0क्र0-72। अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा का जीजा है । वह बिलासपुर से दिनांक 3-10-91 को रायपुर बदरूद्दीन मुल्ला शम्सुद्दीन की दुकान में आता है और अपने लायसेंस पर 7 ब्लैंक और 3 छर्रे वाले कारतूस खरीदता है । इस तथ्य की पुष्टि कमरूद्दीन ।अ0सा0क्र0-61। के कथन एवं उसके बिल प्रदर्श पी-149 से होती है । प्रदर्श पी-149 के बिल दिनांक 3-10-91 में यह उल्लेख है कि 3 एल0जी0कारतूस और 7 ब्लैंक कारतूस बेचे गये हैं ।

133. जयनारायण त्रिपाठी ।अ0सा0क्र0-72। ने अपने दंड प्र0सं0 की धारा 164 के अंतर्गत अभिलिखित बयान में यह अवश्य बताया है कि दिनांक 3-10-91 को अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अभयसिंह उसके पास बिलासपुर आये और बताये कि अभियुक्त पलटन मल्लाह ने 3 एल0जी0कारतूस बी0के0 सिंह से लिया था और उसी गोली से शंकर गुहा नियोगी की हत्या किया है । यदि वे लोग लायसेंसधारी बी0के0 सिंह को 3 एल0जी0कारतूस लौटा देंगे तो वे लोग बच जायेंगे । इसीलिये उसने रायपुर आकर बदरूद्दीन मुल्ला शम्सुद्दीन की दुकान से 3 एल0जी0कारतूस और 7 ब्लैंक कारतूस खरीदा था । 3 एल0जी0 कारतूस को लेकर अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा और अभयसिंह गायब हो गये, किंतु अपने न्यायालयीन कथन में इस साक्षी ने दंड प्र0सं0 की धारा 164 के अंतर्गत अभिलिखित बयान ।प्रदर्श पी-171। का खंडन किया है । जयनारायण त्रिपाठी ।अ0सा0क्र0-72। का कथन निम्नलिखित कारणों से अविश्वसनीय है :-

1. यह साक्षी अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा का सगा जीजा है, इसलिये उसकी यह प्रवृत्ति होगी कि वह अपने साले को बचाने का प्रयास करे ।
2. इस साक्षी को बिलासपुर सत्र न्यायालय द्वारा एक आपराधिक मामले में सजा हुई थी एवं हत्या सहित कई अन्य आपराधिक मामले इसके विरूद्ध चले हैं ।

146. प्रति-परीक्षण में पूछने पर कं-12 में इस साक्षी ने बताया है कि जिस दिन अभियुक्त पलटन और पुलिस वाले मोटरसायकिल-जप्त करने उसके घर आये थे तब उसने यह नहीं बताया था कि अभियुक्त पलटन ने संस्वीकृति किया था और अन्य अभियुक्तों का नाम भी लिया था । यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि थाना प्रभारी गोरखपुर कोई नियमित अनुसंधान नहीं कर रहे थे । इसलिये उनके व्दारा इस साक्षी से पूछताछ करके उसका बयान लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । इस साक्षी ने आगे कं0-13 में यह बताया है कि 28 या 29 अगस्त 93 को एक पुलिसवाला उसके घर आया और बताया कि सी0बी0आई0 वाले उसे दिल्ली बुलाये हैं । इसके पश्चात् वह अपने जीजा केशनाथ के साथ दिनांक 1-9-93 को दिल्ली गया । इस साक्षी ने अपने बयान के कं0-13 एवं 14 में विस्तार से बताया है कि वे लोग किस तरह जानकारी हासिल करते हुये केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली के ऑफिस पहुंचे और पुलिस-अधीक्षक को अपना बयान दिये । इस तरह इस साक्षी के बयान में कोई भी अस्वाभाविकता नहीं है ।

147. प्रति-परीक्षण के कं0-31 में इस साक्षी ने बताया है कि अभियुक्त पलटन अक्टूबर 91 के पहले सप्ताह में उसके घर आया था, जबकि इस साक्षी के सी0बी0आई0 व्दारा अभिलिखित बयान (प्रदर्श डी-4) में यह लिखा है कि अभियुक्त पलटन अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में आया था । इस साक्षी ने उक्त कथन का खंडन किया है । इस तरह इस कंडिका में इस साक्षी के कथन में जो खंडन या विसंगति आई है उसे बहुत अधिक तात्विक नहीं कहा जा सकता ।

148. अभियुक्तों की ओर से यह दलील दी गई है कि सत्यप्रकाश (अ0सा0 क्र0-105) का कथन विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि अभियुक्त पलटन व्दारा की गई संस्वीकृति को उसने करीब 2 वर्ष तक किसी को नहीं बताया । यह सामान्य अनुभव की बात है कि हमारे समाज में कोई भी रिश्तेदार अभियुक्त व्दारा की गई संस्वीकृति को स्वतः होकर पुलिस को नहीं बताते । न्यायेतर संस्वीकृति का पता तो अनुसंधान के दौरान ही लगता है । सितम्बर-अक्टूबर 91 से अभियुक्त पलटन भिलाई (जिला-दुर्ग) क्षेत्र से भागकर उ0प्र0 के ग्रामीण इलाकों में घूम रहा था । इसी दौरान उसकी मुलाकात सत्यप्रकाश (अ0सा0क्र0-105) से हुई । अभियुक्त पलटन के फरारी में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उसके विरुद्ध चालान पेश किया था । न्यायालय व्दारा अभियुक्त पलटन के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था । दिनांक 21-8-93 को अभियुक्त को पुलिस थाना गोरखपुर कैंट व्दारा पकड़ा गया । अभियुक्त के मेमो0 बयान के आधार पर ही दिनांक 24-8-93 को सत्यप्रकाश (अ0सा0क्र0-105) के घर ग्राम चैनपुर से लाल रंग की सुजुकी मोटरसायकिल बरामद

बीo पीo सिंह से प्राप्त भी किया था, किंतु अभियोजन संदेह से परे, यह प्रमाणित नहीं कर सका है कि अभियुक्त पलटन मल्लाह ने अपराध में प्रयुक्त देशी कट्टा अरविंद त्रिपाठी (अo साo-106) से खरीदा था ।

136. इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है और उसी के आधार, पर यह प्रमाणित भी हो चुका है कि अभियुक्त पलटन मल्लाह के मेमोo बयान के आधार पर, वह देशी कट्टा बरामद किया गया था, जिससे नियोगी की हत्या की गई । अतः यह प्रमाणित है कि अभियुक्त के कब्जे में अपराध का हथियार पाया गया था । इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि उसने यह हत्यारा हथियार कहां से प्राप्त किया था ।

(4) न्यायेत्तर संस्वीकृति :-

137. सत्यप्रकाश (अo साo-105) के बड़े भाई ओमप्रकाश की शादी अभियुक्त पलटन मल्लाह के चचेरी बहन कुमारीबाई के साथ हुआ है । सत्यप्रकाश (अo साo-105) अपने बयान में बताता है कि सन् 91 के अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में उससे मिलने के लिये ग्राम चैनपुर अभियुक्त पलटन आया था । अभियुक्त पलटन के गांव निबही और इस साक्षी के गांव चैनपुर की दूरी 35-40 किo मीo होनी चाहिये । अभियुक्त पलटन जब उसके घर आया तो उससे और अपनी बहन कुमारीबाई से मिलकर चला गया । घर के अन्य लोग उस समय घर पर मौजूद नहीं थे । अभियुक्त पलटन उस समय लाल रंग की हुण्डी मोटरसायकिल में आया था और एक-दो दिन रुकने के बाद वापस चला गया ।

138. सत्यप्रकाश (अo साo-105) ने आगे यह बताया है कि सन् 91 के नवम्बर महीने के अंतिम सप्ताह में कुछ बच्चों ने उसे आकर बताया कि चैनपुर से 3-4 किoमीo पहले सावचोर चौराहे पर उसके किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है । इस सूचना पर वह सावचोर चौराहे गया तो देखा कि अभियुक्त पलटन गिरा हुआ था और उसकी मोटरसायकिल भी गिरी हुई थी । उसने अभियुक्त पलटन और उसकी मोटरसायकिल को चेलगांज कस्बे में लाया, चूंकि अभियुक्त को चोट थी, इसलिये उसने उसे डॉo प्रियांज के पास दिखाया और अपने एक मित्र श्रीराम दुबे के घर में उसको रखवा दिया इसके पश्चात उसने अभियुक्त पलटन का ईलाज डॉo अंसारी के पास करवाया अभियुक्त पलटन पेट दर्द की शिकायत कर रहा था, इसलिये उसका एक्स-रे भी कराया गया । अभियुक्त पलटन के ईलाज में करीब एक माह महीने का समय लगने की संभावना थी, इसलिये वह श्रीराम दुबे के मकान में ही रहने लगा ।..

152. जब अभियुक्त को न्यायालय में यह पता लगा कि नियोगी हत्याकांड में उसकी तलाश केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं पुलिस द्वारा की जा रही है तो उसका विचलित होना स्वाभाविक था । उस परिस्थिति में सत्यप्रकाश ।अ0सा0क्र0-105। ही ऐसा व्यक्ति था, जो उसके साथ सहानुभूति रखता था और उसे सहारा दे सकता था । इस तरह यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि अभियुक्त पलटन ने सत्यप्रकाश ।अ0सा0क्र0-105। के समक्ष संस्वीकृति किया था ।

153. सत्यप्रकाश ।अ0सा0क्र0-105। के बयान के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर भी विचार किया जाना आवश्यक है :-

1. इस साक्षी का अभियुक्त पलटन से एवं अन्य अभियुक्तों से कोई रंजिश नहीं है ।
2. यह साक्षी बी0ए0 तक पढ़ा है एवं शिक्षित बेरोजगार है ।
3. यह साक्षी खेती जैसे मेहनती कार्य करके अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण करता है ।
4. यह साक्षी एक पैर से अपंग है ।
5. अभियुक्त पलटन द्वारा छोड़ी गई लाल रंग की सुजुकी मोटरसायकिल इस साक्षी के घर से बरामद हुई है ।
6. अभियुक्त पलटन वर्तमान समय में पेट दर्द व किडनी की समस्या की शिकायत करता है । सत्यप्रकाश के बयान से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त पलटन जब साकेत चौराहे पर मोटरसायकिल से गिरा था तब उसके पेट में अंदरूनी चोटें आई थीं और ~~पेट के अंदरूनी चोटों का [illegible] के पास करवाया गया था~~ । इस तरह अभियुक्त पलटन को एक्सीडेंट के दौरान जो अंदरूनी चोट आई थी उसका संबंध वर्तमान समय में उसके पेट दर्द एवं किडनी के तकलीफ से सीधा स्थापित होता है ।

154. उपर्युक्त दृष्टि से भी सत्यप्रकाश ।अ0सा0क्र0-105। के कथन में इतना अधिक स्वाभाविकता है कि उसे सरसरी तौर पर या किसी तकनीकी आधार पर अस्वीकार किये जाने से न्याय विफल हो सकता है ।

155. सत्यप्रकाश ।अ0सा0क्र0-105। ने बयान देते समय न्यायालय में पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुये यह कहा है कि न्यायालय कक्ष में उसे अभियुक्त पलटन का भय नहीं है, यद्यपि इस साक्षी ने आगे यह स्वीकार किया है कि न्यायालय के कक्ष बाहर अभियुक्त पलटन के आदमी हो सकते हैं, जिससे उसके जान, माल को अवश्य खतरा है । इस तरह जो साक्षी अपने जान के खतरे के आसन्न में भी न्यायालय पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुये बयान देता है उस साक्षी को अविश्वसनीय कहना, न्यायप्रणाली के लिये शर्मनाक बात होगी ।

156. सत्यप्रकाश ।अ0सा0क्र0-105। दुर्ग ।भिलाई। क्षेत्र में पहली बार आया था । वह यहां से हजारों कि0मी0 दूर उ0प्र0 के एक गांव से यात्रा करके आया

142. सत्यप्रकाश (अ0सा0क्र0-105) के बयान से ऐसा दर्शित होता है कि दूसरे दिन उसके जीजा ने अभियुक्त पलटन से पूछा कि कैसे आये हो तब अभियुक्त पलटन ने यही बात दोहराते हुये बताया कि उसने भिलाई में शंकर गुहा नियोगी की हत्या किया है और ज्ञानप्रकाश मिश्रा, नवीन शाह, मूलचंद शाह और चंद्रकांत शाह भी उसके सहयोग में रहे हैं । उसने यह भी कहा कि उसके पीछे पुलिस व सी0बी0आई0 पड़ी है, इसलिये वह नेपाल जाना चाहता है । अभियुक्त ने उसके जीजा से नेपाल जाने का उपाय पूछने लगा । उसके जीजा ने कहा कि वह उसे छिपा नहीं सकता । इसके बावजूद भी अभियुक्त पलटन उसके जीजा से बारबार यह निवेदन करने लगा कि वह उसे न छिपाये, किंतु किसी भी तरह नेपाल छोड़ दे ।

143. सत्यप्रकाश (अ0सा0क्र0-105) ने अपने बयान के कं0-10 में बताया है कि सबेरे अभियुक्त पलटन डोहरिया बाजार के चौराहे पर अकेले निकलकर आ गया । वे लोग अभियुक्त पलटन के पीछे-पीछे गये । अभियुक्त पलटन ने उसे अकेले में बुलाकर कहा कि उसने जो बात उसे बताया है उसे किसी और को न बताये नहीं तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा । उसके जीजा ने उसे और पलटन को घर लाया और खाना वगैरह खिलाया । उसने अभियुक्त पलटन को अपने जीजा के घर छोड़ दिया और स्वतः अपने घर चैनपुर आने के लिये वहां से रवाना हो गया ।

144. सत्यप्रकाश (अ0सा0क्र0-105) ने अपने बयान की कं0-11 में बताया है कि अभियुक्त पलटन द्वारा उसके घर में रखी हुई मोटरसायकिल वहीं पड़ी रही । 22 अगस्त (सन् 93 को) बहुत हल्ला हुआ कि अभि0 पलटन पकड़ा गया है । 24-8-93 को गोरखपुर से पुलिस वाले आये और मोटरसायकिल को जप्त कर लिये । पुलिस वालों के साथ अभियुक्त पलटन भी आया था । यह तथ्य पूर्व में प्रमाणित हो चुका है ।

145. इस साक्षी ने प्रति-परीक्षण के कं0-23 में यह स्वीकार किया है कि चूंकि यह कत्ल नवीन शाह, चंद्रकांत शाह और ज्ञानप्रकाश मिश्रा को

160. विद्वान बचाव काउन्सिल श्री रविन्द्रसिंह ने निम्नलिखित आधारों पर इस साक्षी के कथन को अविश्वसनीय कहा है :-

1. इस साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त पलटन के जाने के करीब 2-3 महीने बाद ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो वाले आये थे, जबकि वस्तुतः केन्द्रीय जांच ब्यूरो वाले इस साक्षी के पास लगभग पौने 2 वर्ष बाद आये थे ।
2. केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जब इस साक्षी का बयान लिया तो उनके साथ नेपाल का कोई अधिकारी नहीं था ।

161. इस साक्षी का साक्ष्य इतना वजनदार है कि बचाव पक्ष की ओर से उठाई गई उपर्युक्त आपत्तियों के आधार पर इस साक्षी के बयान को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता ।

162. यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि विशम्भर साहनी (अ0सा0क्र0-124) से अभियुक्त पलटन ने कोई भी प्रति-परीक्षण नहीं किया है । इस साक्षी के कथन में कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण विसंगति नहीं है, जिसके आधार पर इस साक्षी के कथन को अविश्वसनीय माना जाये । अतः विशम्भर साहनी (अ0सा0क्र0-124) एक विश्वसनीय साक्षी है । अतः इस साक्षी के बयान को विश्वसनीय मानते हुये यह प्रमाणित माना जाता है कि अभियुक्त पलटन ने शंकर गुहा नियोगी की हत्या करने की संस्वीकृति किया था और यह बताया था कि सिम्प्लेक्स कंपनी वालों एवं अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के साथ मिलकर उसने यह कार्य किया था ।

163. बचाव पक्ष के विद्वान काउन्सिल श्री रविन्द्रसिंह ने यह दलील दिये हैं कि सत्यप्रकाश (अ0सा0क्र0-105) के कथन को विश्वास नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि उसकी स्थिति एक सह-अपराधी जैसी है । इस विषय पर निर्णय दिये जाने के पूर्व सह-अपराधी के बयान के महत्व के संबंध में विधि की स्थिति को जानना, आवश्यक है । जोसेफ विरुद्ध केरल राज्य (1993 सप्लीमेंट्री-4 ए0 कोर्ट केसेस-7) वाले मामले में माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि सह-अपराधी के बयान की पुष्टि साक्षी एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य जैसे हथियार की बरामदगी आदि तथ्यों से होती है तो उस सह-अपराधी के बयान को स्वीकार किया जाना चाहिये । इसी तरह शंकर विरुद्ध तमिलनाडु राज्य (1994 (4) सु0को0केसेस-478) वाले मामले में माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने सह-अपराधी के बयान की स्थिति का विस्तृत व्याख्या किया है । यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सह-अपराधी के बयान की संपुष्टि स्वतंत्र साक्ष्य से होना चाहिये, जिससे अभियुक्त को अपराध से जोड़ा जा सके । यह संपुष्टि प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा भी हो सकती है और अंत में यह तथ्य का प्रश्न है कि संपुष्टि पर्याप्त है अथवा नहीं और यह प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति पर ही निर्भर करता है ।

...62

था। सी0बी0आई0 ने यदि इस साक्षी के मिलाई में ठहरने की व्यवस्था किया तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसके विपरीत यदि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले इस साक्षी के ठहरने की व्यवस्था यदि अभियोजन या सी0बी0आई0 द्वारा नहीं की जाती तो यह उनके विरुद्ध आलोचना के लिये एक विचारणीय प्रश्न हो सकता था।

157. विशम्भर साहनी ।अ0सा0क्र0-124। की एम0ए0 तक की शिक्षा गोरखपुर ।उ0प्र0। से हुआ है। बाद में उसने बी0एड0 त्रिभुवन वि0 वि0पृथ्वीनारायण कैम्पस पोखरा ।नेपाल। से किया है। उसकी शादी केशनाथ की बहन से हुई है। वर्तमान में यह साक्षी अरूंधोला ।जिला नवलपरासी, नेपाल। के विद्यालय में प्राचार्य है। उसके बयान से ऐसा दर्शित होता है कि सन् 91 के दिसम्बर महीने के 4 गते ।नेपाली तिथि। को वह विभागीय मीटिंग में उपस्थित रहने के लिये जिला मुख्यालय नवलपरासी चला गया था। शाम को जब वह लौटकर अपने घर आया तो उसके बच्चे ने बताया कि मामा ।केशनाथ। और उसके साथ एक और आदमी आये हैं। केशनाथ ने उसका परिचय अभियुक्त पलटन से कराया। रात में मात्र सामान्य बातचीत हुई।

158. विशम्भर साहनी ।अ0सा0क्र0-124। ने आगे अपने बयान में बताया है कि सुबह जब उसने इन लोगों से पूछा कि कैसे आना हुआ है तो केशनाथ ने बताया कि अभियुक्त पलटन उसके साले सत्यप्रकाश ।अ0सा0,0-105। का रिश्तेदार है। इस साक्षी ने आगे फिर पूछा कि ऐसा कौन सा काम पड़ गया है, जो तुम लोग यहां आये, इस पर केशनाथ ने स्पष्ट किया कि वह अभियुक्त पलटन को नेपाल में किसी सुरक्षित स्थान पर रखवा दे। इस साक्षी की जिज्ञासा बढ़ी और उसने अभियुक्तपलटन से पूछा कि आप नेपाल में क्यों रहना चाहते हैं। पलटन तो तमाम बातें किया, पर अंत में उसने यह बताया कि सिम्पलेक्स कंपनी वालों के कहने पर उसने ज्ञानप्रकाश के साथ मिलकर शंकर गुहा नियोगी की हत्या कर दिया है। चूंकि यह साक्षी शिक्षा जैसे पवित्र कार्य से जुड़ा था, इसलिये उसका क्रोधित होना स्वाभाविक था। उसने तुरंत ही केशनाथ और अभियुक्तपलटन को अपने घर से भगा दिया। इस साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित पलटन को पहचान कर भी बताया है कि वह वही व्यक्ति है, जो उसके सालेकेशनाथ के साथ नेपाल आया था।

159. विशम्भर साहनी ।अ0सा0क्र0-124। को अभियुक्त पलटन के नेपाल आने की स्थिति इसलिये अच्छी तरह याद है कि उस दिन।4 गते। को उसकी नियमित मासिक मीटिंग जिला मुख्यालय में हुआ करती थी।

168 इसी तरह यह भी संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्त पलटन मल्लाह ने नेपाल में विशेश्वर साहनी (अ0सा0क्र0-124) से यह स्वीकृति किया था कि उसने सिम्प्लेक्स कंपनी वालों के कहने से अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के साथ शंकर गुहा नियोगी की हत्या किया है ।

(5) हत्या के बाद इस क्षेत्र से फरार :-

169. विशम्भरदास, मानिकपुरी (अ0सा0क्र0-121) का पुरानी भिलाई पुलिस थाना के सामने एंशियन्ट आर्ट फोटो स्टूडियो है । उसने अपने बयान में बताया है कि थाने वालों की सूचना पर वह किसी भी व्यक्ति का फोटो खींचता है । फोटो को निगेटिव वह अपने पास रख लेता है और फोटो का पॉजिटिव पुलिस वाले को दे देता है । इस साक्षी ने बताया है कि सन् 91 के शुरू-शुरू में उसने पुलिस वालों के कहने पर अभियुक्त पलटन का फोटो खींचा था । प्रदर्श पी-318ए इसका निगेटिव है और प्रदर्श पी-318 पॉजिटिव है । उसने बाद में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी को अभियुक्त पलटन का निगेटिव और फोटोग्राफ दिया था । इसका जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-319 है ।

170. इस साक्षी ने अपने प्रति-परीक्षण के क्र0-11 में यह बताया है कि इस निगेटिव में पुलिस थाने का स्विचबोर्ड भी दिख रहा है । वह यह भी कहता है कि जहां पर थाने का लाकअप का लॉक लगता है वह स्थान भी इस निगेटिव में दिख रहा है । अभियुक्त पलटन मल्लाह ने अपने अभियुक्त कथन में यह स्वीकार किया है कि उक्त साक्षी ने उसका फोटो खींचा था । स्वतः अभियुक्त द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में लंबित दां0प्र0क्र0- 230/91 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है, जिसके अनुसार अभियुक्त पलटन को 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पुलिस थाना पुरानी भिलाई द्वारा दिनांक 21-1-91 को गिरफ्तार किया गया था और न्यायालय द्वारा दिनांक 15-3-91 को उसके 5,000/- रुपये की जमानत एवं मुचलका पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया था, किंतु अभियुक्त ने कब जमानत पेश किया और वस्तुतः कब रिहा हुआ इसके आगे की आदेश-पत्रिका पेश नहीं है । अभियुक्त ने अपने अभियुक्त कथन में यह बताया है कि वह जेल से सन् 91 के 5वें महीने में छूटा था । इस तरह यह स्पष्ट है कि अभियुक्त पलटन मई 91 में भिलाई क्षेत्र में ही था ।

171. कृष्णकुमार (अ0सा0क्र0-42) ने अपने बयान में बताया है कि अभि0 पलटन मल्लाह को नियोगी जी की हत्या के एक-दो माह पहले आखिरी बार क्वा0-नं0-6एफ, कैम्प-1, भिलाई में देखा था ।

172. क्र0-131 में यह निष्कर्ष दिया जा चुका है कि दिनांक 14-9-91 को बी0के0 सिंह के साथ अभियुक्त पलटन मल्लाह बदरुद्दीन उर्फ़ ला शम्सुद्दीन की दुकान रायपुर में गया था । इस तरह यह प्रमाणित है कि दिनांक 14-9-91 तक अभियुक्त

64. [signature] 23/6/97

COURT FEE INDIA 4 Rs.

164. उपर्युक्त न्याय-दृष्टांतों के प्रकाश में यह विचार किया जाना आवश्यक हो गया है कि सत्यप्रकाश (अ०सा०क्र०-105) के कथन की संपुष्टि अन्य साक्ष्य से होती है या नहीं । अभियुक्त पलटन मल्लाह के मेमो० बयान के आधार पर वह देशी कट्टा बरामद किया गया, जिससे मृतक शंकर गुहा नियोगी की हत्या की गई है । अभियुक्त पलटन मल्लाह ने विशम्भर साहनी (अ०सा०क्र०-124) के समक्ष भी न्यायेत्तर संस्वीकृति किया है । अभियुक्त पलटन मल्लाह द्वारा छोड़ी गई मोटरसायकिल सत्यप्रकाश (अ०सा०क्र०-105) के घर से बरामद हुई है । इस तरह सत्यप्रकाश (अ०सा०क्र०-105) के कथन की संपुष्टि पर्याप्त से भी अधिक साक्ष्य द्वारा होती है । इस तरह जहां एक ओर सत्यप्रकाश (अ०सा०क्र०-105) का कथन अपने आपमें विश्वसनीय है वहीं दूसरी ओर उसके कथन की संपुष्टि अन्य पर्याप्त साक्ष्य से होती है । इस तरह न्यायालय को सत्यप्रकाश (अ०सा०क्र०-105) के बयान को स्वीकार किये जाने में कोई भी रूकावट नहीं है ।

165. अभियुक्त पलटन मल्लाह ने नेपाल में विशम्भर साहनी (अ०सा०क्र०-124) के समक्ष भी स्वेच्छया से अपराध की संस्वीकृति किया था । उक्त साक्षी के कथन की पुष्टि भी अन्य पर्याप्त साक्ष्य से होती है । अतः विशम्भर साहनी के बयान को भी स्वीकार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है । इस बिंदु पर <u>बलदेवराज बनाम हरियाणा राज्य (1991 सप्लीमेंट्री-1 सु०को०केसेस-14)</u> वाला मामला अवलोकनीय है ।

166. अभियुक्तों की ओर से यहभी दलील दी गई है कि अभियुक्त पलटन मल्लाह ने 3 व्यक्तियों के समक्ष न्यायेत्तर संस्वीकृति दिया था, किंतु उनमें से एक केशनाथ का अभियोजन पक्ष द्वारा बयान न कराया जाना अभियोजन के लिये घातक है । इस मामले में अभियोजन ने सत्यप्रकाश (अ०सा०क्र०-105) एवं विशम्भर साहनी (अ०सा०क्र०-124) का परीक्षण कराया है । इन दोनों साक्षियों द्वारा न्यायालय में दिया गया बयान विश्वसनीय है । अतः केशनाथ का बयान न कराया जाना अभियोजन के पक्ष को संदेहास्पद नहीं बनाता । इस विषय पर <u>नरपालसिंह बनाम हरियाणा राज्य (ए०आई०आर०-1977 सु०को०-1066 पैरा-16)</u> अवलोकनीय है ।

167. ऊपर दिये गये कारणों से यह संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्त पलटन मल्लाह ने सत्यप्रकाश (अ०सा०क्र०-505) के समक्ष यह संस्वीकृति किया था कि उसने अभियुक्त ज्ञानप्रकाश के साथ जाकर नियोगी को सोते हुये हालत में देशी कट्टा से हत्या किया था । उसने यहभी संस्वीकृति किया था कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश के साथ अभियुक्त मूलचंद, नवीन शाह एवं चंद्रकांत शाह सहयोग थे । उसने यह भी संस्वीकृति किया था कि उन लोगों ने उसे पैसे दिये

176. डी0पी0 सिंह ।अ0सा0क्र0-126। के बयान को सुरेश विश्वकर्मा ।अ0सा0क्र0-97। के बयान के साथ मिलाकर ही पढ़ना होगा । सुरेश विश्वकर्मा ।अ0सा0क्र0-97। ने स्पष्ट रूप से बताया है कि अभियुक्त पलटन मल्लाह से उसकी मुलाकात अक्टूबर 91 में हुई थी और उसके साथ ही वह ईंटा लेने के लिये रामप्रवेशमल के ईंटा भट्ठे में गया था । इस तरह अभियुक्त पलटन की यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती कि सितम्बर महीने सन् 91 में वह ग्राम निबही में था ।

177. रेशमी बाई ।अ0सा0क्र0-51। को अभियुक्त पलटन मल्लाह ने भिलाई में बिना विवाह के पत्नी बनाकर रखा था । इस साक्षिनी को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित कर उसका प्रति-परीक्षण किया है । इस साक्षिनी का यह कथन अविश्वसनीय है कि जब यह कांड हुआ तो उसके 2 महीने पहले से ही अभियुक्त पलटन मल्लाह बम्बई चला गया था ।

178. कृष्णकुमार ।अ0सा0क्र0-42। के बयान से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त पलटन मल्लाह के पास भिलाई में एक लाल रंग की मोटरसायकिल थी । दिनांक 12-10-91 को रामलच्छन बाजार ।उ0प्र0। में जब डी0पी0 सिंह ।अ0सा0क्र0-126। ने अभियुक्त पलटन को देखा तो उस समय उसके पास एक लाल रंग की सुजुकी मोटरसायकिल थी, जिसका नंबर एम0पी0 24-1707 था । बाद में लाल रंग की सुजुकी मोटरसायकिल को जब अभियुक्त पलटन मल्लाह ने सत्यप्रकाश ।अ0सा0क्र0-105। के घर ग्राम चैनपुर में छोड़ा तो उसमें कोई नंबर नहीं था, उसका इंजन नंबर व चेसिस नंबर भी घिसकर मिटा दिया गया था ।

179. दीपक गुराना ।अ0सा0क्र0-87। पद्मनाभपुर, दुर्ग का रहने वाला है । उसने अपने बयान में बताया है कि उसके बजाज स्कूटर का नंबर 1707 था । इस तरह अभियुक्त पलटन मल्लाह ने लाल रंग की सुजुकी मोटरसायकिल में जो रजि0नंबर लिखवाया था वह फर्जी था । बाद में अभियुक्त के मन में जो भी विचार आया हो उसने इस नंबर को निकलवा दिया और चेसिस नंबर और इंजन नंबर को भी घिसकर मिटा दिया । इसका उद्देश्य यही प्रतीत होता है कि वाहन के पंजीकृत स्वामी का पता न लगाया जा सके । इस तरह पर्याप्त साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित होता है कि शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद अभियुक्त पलटन मल्लाह इस क्षेत्र से फरार हो गया था ।

180. इस घटना के करीब 2 वर्षों बाद अभियुक्त पलटन मल्लाह को गोरखपुर ।उ0प्र0। में भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने पकड़ा था । अभियुक्त ने इस बात का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वह 2 साल जैसी लंबी अवधि तक इस क्षेत्र से अनुपस्थित क्यों था । अभियुक्त की इस फरारी को उसके विरुद्ध अपराध में फंसाने वाला साक्ष्य की एक कड़ी के रूप में विचार किया जा सकता है ।

...66

पलटन मल्लाह इस क्षेत्र में मौजूद था ।

173. अविवादित रूप से शंकर गुहा नियोगी की हत्या 27/28-9-91 की रात्रि में भिलाई में हुई है । अभियुक्त पलटन मल्लाह के बचपन के मित्र सुरेश विश्वकर्मा ﴾अ०सा०क्र०-97﴿ ने यह बताया है कि पहले अभियुक्त ग्राम निबही में रहता था तथा बाद में वह भिलाई ﴾जिला-दुर्ग﴿ आ गया था । अक्टूबर 91 में अभि० उसे सोरमा चौक ﴾जिला-देवरिया﴿ में मिला था । उस समय अभियुक्त के पास एक लाल रंग की मोटरसायकिल थी और वह अभियुक्त पलटन के साथ ईंटा लेने के लिये रामप्रवेशमल के ईंट भट्ठा भी गया था । इस साक्षी से अभियुक्त पलटन मल्लाह ने प्रति-परीक्षण भी किया है, किंतु प्रति-परीक्षण में ऐसी कोई बात नहीं आई है, जिससे इस साक्षी के कथन को अविश्वसनीय माना जावे ।

174. डी०पी० सिंह ﴾अ०सा०क्र०-126﴿ उप-निरीक्षक है और सन् 91 में उसकी पदस्थापना थाना रूद्रपुर में था । ग्राम निबही उसके बीट के अंतर्गत आता था । इस साक्षी ने यह बताया है कि दिनांक 12-10-91 को जब वह रामलच्छन बाजार में चाय पी रहा था तो लाल रंग की सुजुकी मोटरसायकिल क्र०-एम०पी०-24-1707 में दो व्यक्ति आये । उसके साथ हिरालाल नामक जो आरक्षक था उसने कहा कि मोटरसायकिल में पीछे जो विशेश उपाध्याय नामक व्यक्ति बैठा है उससे हथियार बरामद हो सकता है । उस मोटरसायकिल को अभियुक्त पलटन चला रहा था । उसने विशेश उपाध्याय की तलाशी लिया, किंतु कुछ नहीं मिला । उस मोटरसायकिल में एक थैला भी लटका हुआ था । उसने थैले की तलाशी लेने का प्रयास किया, किंतु अभियुक्त पलटन मल्लाह मोटरसायकिल भगा ले गया ।

175. अभियुक्त पलटन मल्लाह की ओर से दलील के दौरान यह बताया गया कि वह इस पुलिस अधिकारी के बयान पर विश्वास करता है । इस बयान के आधार पर यह दलील दी गई है कि सितम्बर 91 में अभियुक्त पलटन मल्लाह ~~भिलाई~~ निबही में ही था । अभियुक्त की ओर से इस दलील का आधार इस साक्षी के बयान की कं०-10 है, जो इस प्रकार है :-

मैं ग्राम निबही में ग्राम प्रधान के घर जाता था और उसी के सामने में अभियुक्त पलटन का घर था और इसी के कारण मैं उसे जानता था । जब से मेरी पोस्टिंग उस थाने में हुई थी तभी से मैं ग्राम निबही जाता था तो ग्राम प्रधान के घर जाता था । मैं लिखाइडे में रूकने के 8-10 दिन पहले से जानता था कि ग्राम प्रधान के सामने वाला घर अभियुक्त पलटन का है । मुझे उस समय यह जानकारी मिली थी कि अभियुक्त पलटन भिलाई से आया है और अपना मकान वगैरह बनवा रहा है । सिरहे में अभियुक्त पलटन को दौड़ाने के पहले से 8-10 दिन पहले मैं ग्राम निबही गया था । उस दिन मुझे पता चला कि अभियुक्त पलटन 8-10 दिन पहले से भिलाई से आया है मकान बनवा रहा है और ईंट खरीदता है ।

एवं मोटरसायकिल उसे किस स्रोत से प्राप्त हुआ था । परिस्थितियों के आधार पर यह उपधारणा की जा सकती है कि अभियुक्त पलटन मल्लाह को जिस भी व्यक्ति ने फर्जी नंबर की मोटरसायकिल, विदेशी रिवॉल्वर, देशी कट्टा एवं कारतूस दिया था उस व्यक्ति का उद्देश्य अभियुक्त से अपने मनोनुकूल आपराधिक कार्य करवाना था और इतनी महंगी विदेशी रिवॉल्वर एवं मोटरसायकिल अभियुक्त पलटन मल्लाह को देना इस बात का पर्याप्त संकेत देता है कि वह वांछित आपराधिक कार्य कोई तुच्छ नहीं, बल्कि गंभीर एवं सुनियोजित था ।

186. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन से अभियुक्तपलटन मल्लाहके विरूद्ध निम्नलिखित तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होते हैं, जो संक्षेप में व बिंदुवार निम्नलिखित हैं :-

1. अभियुक्तपलटन मल्लाहके मेमो0 बयान के आधार पर जो देशी कट्टा बरामद किया गया उससे वे छर्रे चलाये गयेथे, जो शंकर गुहा नियोगी के मृत शरीर से पोस्टमार्टम के दौरान निकालेगये थे।
2. इस तरह अभियुक्त पलटन मल्लाह के कब्जे से वह देशी कट्टा बरामद हुआ, जिससे नियोगी की हत्या की गई है ।
3. नियोगी की हत्या के कुछ दिनों पूर्व तक अभियुक्तपलटन मल्लाह इस क्षेत्र में था तथा उसके पश्चात वह अ0प0फरार हो गया ।
4. अभियुक्त पलटन मल्लाह ने अपने रिश्तेदार सत्यप्रकाश (अ0सा0क्र0-105) एवं विशम्भर साहनी (अ0सा0क्र0-124) के समक्ष न्यायेत्तर संस्वीकृति किया था ।
5. इस घटना के बाद वह 2 साल तक फरार था और बिना किसी कार्य के अपना गुजारा करता रहा ।
6. अभियुक्त के मेमो0 बयान के आधार पर महंगी विदेशी रिवॉल्वर और मोटरसायकिल बरामद हुई, जिससे उसके अवैध आमदनी का पता लगता है ।
7. मोटरसायकिल का नंबर प्लेट निकाल दिया जाना और उसके चेसिस नंबर व इंजन नंबर को घिसकर मिटा देना इस बात का संकेत देता है कि वह चाहता था कि उक्त वाहन के पंजीकृत स्वामी का पता न लगाया जा सके ।

187. उपर्युक्त संस्वीकृति, अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एकमात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 27/28-9-91 की रात में जब शंकर गुहा नियोगी अपने क्वा0नं0-एम0आई0जी0 2/5, हुडको भिलाई में सो रहे थे तब अभियुक्त पलटन मल्लाह ने खिड़की से देशी कट्टा द्वारा एल0जी0कारतूस फायर करके उनकी हत्या कर दिया ।

188. यहां पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक एवं सुसंगत प्रतीत होता है कि शुरू से ही अभियुक्त पलटन मल्लाह ने न्यायिक प्रक्रिया में प्रतिरोध पैदा करने का

....68

इस विषय पर अशोकसिंह बनाम राजस्थान राज्य (1994-1-उ0को0केसेस-5631) वाला मामला संदर्भित किये जाने योग्य है ।

(6) पैसा कहां से आया :-

181. यह अविवादित है कि अभियुक्त पलटन इस घटना के पूर्व भिलाई में रहता था एवं सायकल मरम्मत का कार्य करता था । इस बात की उपधारणा बहुत आसानी से की जा सकती है कि सायकल मरम्मत से बहुत कम आमदनी अर्जित होती है । अभियुक्त पलटन लाल रंग की सुजुकी मोटरसायकिल का दुर्घटना (इस घटना के पहले) के पहले उपयोग करता था । इस घटना के बाद वह उक्त मोटरसायकिल से उ0प्र0 के विभिन्न स्थानों में 2 साल तक घूमते रहा । इस दौरान अभियुक्त ने कहीं कोई कार्य नहीं किया । इस तरह यह स्पष्ट है कि 2 साल तक बिना कार्य किये अभियुक्त ने अपना गुजारा किया एवं मोटरसायकिल से लगातार घूमते रहा ।

182. ग्रामीण बैंक, गोरखपुर के शाखा प्रबंधक रविन्द्रकुमार पांडे (अ0सा0प्र0-94) के बयान से यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 9-10-91 को अभियुक्त पलटन मल्लाह की विधवा बहन समारीदेवी ने बैंक में 3,500/- रूपये जमा करके नया खाताखोला था । यह वही अवधि है जब अभियुक्त पलटन मल्लाह उ0प्र0 के ग्रामीण इलाकों में घूम रहा था, किंतु बहन के बैंक खाते का दायित्व अभियुक्त पलटन पर डालना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

183. अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि अक्टूबर 91 में अभियुक्त पलटन मल्लाह ने निबही में मकान बनाने के लिये 4,000 ईंटा खरीदा था ।

184. अभियुक्त पलटन मल्लाह के मेमो0 बयान के आधार पर विदेशी रिवाल्वर, कई कारतूस, देशी कट्टा एवं बिना नंबर की सुजुकी मोटरसायकिल बरामद की गई । इस तथ्य की न्यायिक सूचना ली जा सकती है कि उक्त वस्तुओं का मूल्य कई हजार रूपयों में होगा ।

185. अभियुक्त पलटन मल्लाह ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि 2 वर्ष जैसे लंबी अवधि तक बिना काम किये उसे पैसा कहां से मिलते रहा । उसने इस बात का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि ईंटा खरीदने के लिये उसके पास पैसा कहां से आया था । उसने इस बात का भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि विदेशी रिवाल्वर, देशी कट्टा, कारतूस

जप्त कंप्यूटर फ्लापी को इस न्यायालय में पेश कराया जाये । इस आवेदन कोभी खारिज किया गया । माननीय उच्च-न्यायालय व्दारा उसके गुर्दे का ईलाज प्रोईवेट अस्पताल, इंदौर में कराये जाने का आदेश दिया गया था । उसने दिनांक 23-3-96 को यह आवेदन पेश कर दिया कि वह न तो ऑपरेशन कराना चाहता और न ही इंदौर जाना चाहता है । बाद में वह इंदौर जाने के लिये सहमत हो गया, और यह आवेदन पेश किया कि शासकीय व्यय पर उसके अधि० श्री आर०एन० तिवारी को उसके साथ इंदौर भेजा जाये । इस आवेदन कोभी न्यायालय व्दारा निरस्त किया गया । अभियुक्त पलटन मल्लाह एक बार तो अनशन में बैठ गया और मांग करने लगा कि या तो उसे जमानत पर छोड़ा जाये या तो इसमामले को अन्य न्यायालय में अंतरित किया जाये ।

190. दिनांक 27-11-91 को अभियुक्त पलटन मल्लाह ने दंड प्र०सं० की धारा 313 के अंतर्गत अंतर्गत अभियुक्त कथन देने से इंकार कर दिया । न्यायालय के पास इस बात के अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि वह अभियुक्त पलटन मल्लाह का बचाव समाप्त कर दें, इसलिये उसका बचाव समाप्त कर दिया गया, किंतु जब अभियुक्त को यह महसूस होने लगा कि न्यायिक प्रक्रिया दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही है तो उसने दंड प्र०सं० की धारा 313 के अंतर्गत अपना बयान देने की इच्छा जाहिर किया । उसका यह आवेदन स्वीकार किया गया ।

191. अभियुक्त पलटन मल्लाह ने बचाव साक्ष्य सूची में 7 व्यक्तियों का नाम पेश किया । इसमें एक ऐसे साक्षी का भी नाम था, जिसका परीक्षण अभियोजन व्दारा पूर्व में किया जा चुका था । जब एक साक्षी दिनांक 27-3-97 को हजारों कि०मी० की यात्रा करके इस न्यायालय में उपस्थित हुआ तो अभियुक्त ने उक्त बचाव साक्षी राधे पांडे (ग्राम प्रमुख) को बिना परीक्षण छोड़ दिया । अभियुक्त ने शेष जिन 5 व्यक्तियों का नाम बताया था वे दर्शाये गये पते पर उपलब्ध ही नहीं थे और उनका कोईपता लगाया ही नहीं जा सकता था । जब न्यायालय व्दारा अभियुक्त का साक्ष्य समाप्त कर दिया गया तो दूसरे दिन उसने यह आवेदन पेश किया कि उसे बचाव हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है । उसके इस आवेदन को विस्तार से कारण लिखकर इस न्यायालय व्दारा खारिज किया गया । इस आदेश के विरुद्ध उसने माननीय उच्च-न्यायालय में पुनरीक्षण भी किया । माननीय उच्च-न्यायालय व्दारा भी अभियुक्त का पुनरीक्षण खारिज किया गया । इस तरह अभियुक्त पलटन मल्लाह ने जहां तक संभव हुआ न्यायिक प्रक्रिया में रुकावट डालने का या उसकी दिशा बदलने का भरपूर प्रयास किया ।

22/6/12

हर संभव प्रयास किया । उदाहरणार्थ :- शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद वह फरार हो गया । करीब 2 वर्षों बाद जब उसे गिरफ्तार किया गया और विचारण के लिये न्यायालय में पेश किया गया तो वह बार-बार अपने अधिवक्ता बदलते रहा । उसने दिनांक2-12-95 को यह आवेदन पेश किया कि उसकी किडनी का ऑपरेशन होना है एवं वह जिंदगीऔर मौत के बीच झूल रहा है । इस आवेदन में उसने यहभी लिखा कि वह डी0के0अस्पताल, रायपुर और दिल्ली में ऑपरेशन इसलिये नहीं कराना चाहता, क्यों कि कैलाशपति केडिया की पहुंच वहां तक है और वह उसकी हत्या का प्रयास कर सकता है । उसने अभियुक्त मूलचंद शाह के विरूद्ध यह आरोप लगाया कि यदि वह बंबई में ऑपरेशन कराता है तो अभि0 मूलचंद शाह अपने किसी रिश्तेदार या डॉक्टर के माध्यम से उसकी हत्या करा सकता है । उसने अभि0 चंद्रकांत शाह और ज्ञानप्रकाश मिश्रा पर यह आरोप लगाया था कि सन् 94 में इन दोनों अभियुक्तों ने स्लोपायजन से उसकी हत्या का प्रयास किये थे । अपने आवेदन के अंत मे उसने यह नोट लगाया था कि ऑपरेशन के पहले वह कलमबंद बयान देकर यह बताना चाहता है कि शंकरगुहा नियोगी की हत्या किसके कहने से हुई है और असली अपराधीकौन है और कौन-कौन आदमी साथ में गये थे । वह यहभी बताना चाहता है कि हत्या करने के पूर्व कहां-कहां मीटिंग की जाती थी । वह उस कार को भी बताना चाहता है, जिसके व्दारा हत्यारे लोग आयेथे । न्यायालय व्दारा उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया, किंतु अभियुक्त पलटन मल्लाह बार-बार अपना बयान देना टालते रहा और अंत में बयान नहीं दिया । इस तरह अभियुक्त पलटन मल्लाह ने विचारण कीप्रक्रिया के दौरान एक सनसनी पैदा करके विचारण की दिशा को दिग्भ्रान्ति करने का प्रयास किया ।

189. अभियुक्त पलटन मल्लाह व्दारा विचारण के दौरान यह आवेदन पेश किया गया कि कैलाशपति केडिया व डॉ0 शिवेन्द्र श्रीवास्तव को अभियुक्त बनाया जाये, किंतु उसका आवेदन न्यायालय व्दारा खारिज कर दिया गया । केदारनाथ एवं सत्यप्रकाश ।अ0सा0क्र0-105। कोभी अभियुक्त बनाने हेतु अभियुक्त पलटन मल्लाह ने आवेदन पेश किया था । इस आवेदन कोभी न्यायालय व्दारा खारिज किया गया । दिनांक 20-3-96 को अभियुक्त पलटन मल्लाह के व्दारा यह आवेदन पेश किया गया कि कुछ दिनों पूर्व आयकर विभाग व्दारा मारे गये छापे में कैलाशपति केडिया के प्रतिष्ठान से

U r o o

9एम०एम०ए०यू०एस०ए० पिस्टल 30,000/-

9. 393।9। अभियुक्त चंद्रकांत शाह द्वारा रमेश भाई को लिखा गया यह पत्र कि- अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा को 1,000/- रूपये दे दिया जाये ।

10. 393।10। अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा द्वारा चंद्रकांत शाह को लिखा गया पत्र

11. 393।11। अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा द्वारा ओसवाल स्टील के रमेश भैया को लिखा पत्र, जो इस प्रकार है :-

आदरणीय भैया जी,

नमस्कार ।

आप अवधेश के हाथ से 2,000/- रूपये भिजवा दीजियेगा । कुछ पैसा डॉक्टर को देना है, कुछ खर्चा के लिये जरूरी है । कल चंद्रकांत भैया से मैं बोल दिया हूं । वे बोले कि कल रमेश भैया से ले लेना ।

धन्यवाद ।

आपका छोटाभाई,

ज्ञानप्रकाश

।13।

12. पी-393।12।/अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा द्वारा अभियुक्त चंद्रकांत शाह को लिखा गया पत्र, जो यह दर्शाता है कि इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है और अभियुक्त चंद्रकांत शाह के कल्याण के लिये अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा अपनी बड़ी से-बड़ी कुर्बानी देने में भी पीछे नहीं हटेगा ।

13. पी-393।14। काठमांडू के रोशा रेडियो कन्सर्न से खरीदा गया इलेक्ट्रानिक सामान का बिल 36,500/-

14. पी-393।15। समाचार-पत्र भिलाई टाइम्स, दिनांक 10-4-91, जिसमें मुख्य पृष्ठ पर :- नियोगी के छ०मु०मोर्चा के आह्वान पर कल संपूर्ण छत्तीसगढ़ में उद्योग बंद रहेंगे- मेरे जीने-मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता श्रम आंदोलन चलता रहेगा, समाचार प्रकाशित हुआ है ।

193. इसके अलावा अभियुक्त चंद्रकांत शाह के रहवासी मकान से नेपाली खुखरी एवं .32 मिसफायर्ड कारतूस भी बरामद हुआ था ।

194. इसके अतिरिक्त अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर की तलाशी में जो-जो दस्तावेज मिले वे इस प्रकार हैं :-

1. पी-445 होटल यलोपगोडा, काठमांडू नेपाल का बिल दिनांक 15-3-9।रू० 3,906/- रूपये 60 पैसे ।40। पैसे ।

2. होटल यलोपगोडा, नेपाल का बिल प्रदर्शपी-446 दिनांक 13-3-91 रू० 1,983/- रूपये 26 पैसे ।

3. पी-447 अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के बड़े भाई प्रद्युम्न मिश्रा द्वारा तात्कालीन मुख्यमंत्री को दिनांक 28-2-89 को नगर पुलिस-अधीक्षक रमाशंकर के विरुद्ध भेजी गई शिकायत ।

4. पी-448 अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा द्वारा पुलिस अधिकारी आर०एस० सिंह

(3) -(अ) अभियुक्तगणों से जप्तियां:-

(1) अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर की तलाशी एवं जप्ती :-

(925) (192). केन्द्रीय जांच ब्यूरो के उपाधीक्षक आर०एस०प्रसाद (अ० सा०क्र०-192) ने अपने बयान के कं०-10 में बताया है कि दि०-12-11-91 को उसने अभियुक्त चंद्रकांतशाह के रहवासी मकान अनुविला 21/24 नेहरूनगर वेस्ट की तलाशी लिया था। इस साक्षी ने आगे अपने बयान के कं०-17 में बताया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो व्दारा अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर की तलाशी लेने के पूर्व स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उसके घर को सील कर दिया था और उसकी चाबी अभियुक्त की पत्नी श्रीमती रेणु शाह को दे दिये थे। श्रीमती रेणु शाह ने पहले स्थानीयपुलिस से और बाद में उससे यह निवेदन की कि उन लोगों को रहने में तकलीफ हो रही है, इसलिये उन्हें मकान का कब्जा दिया जाये। इस पर उसने तय किया कि मकान की तलाशी ले ली जाये और मकान का कब्जा श्रीमती रेणु शाह को दे दिया जाये। इसलिये उसने उक्त मकान की तलाशी श्रीमती रेणु शाह और अभियुक्त चंद्रकांत शाह के पिता रामजी शाह की उपस्थिति में लिया। इस साक्षी ने बताया है कि इस तलाशी में 24 आर्टिकल बरामद किये गये थे, जिसे जप्त किया। इसका जप्ती-पत्र प्रदर्शपी-393 है, जो 6 पन्नों में है। इस तलाशी एवं जप्ती का समर्थन भिलाई इस्पात संयंत्र के जूनियर एक्जीक्यूटिव बी०के० राय (अ०सा०क्र०-157) ने किया है। इस तलाशी में जो दस्तावेज/वस्तुयें मिली वे इस प्रकार हैं :-

1. पी-393(1) होटल यलो पगोडा, नेपाल का बिल,
2. होटल यलो पगोडा, नेपाल का बिल पी-393(2)
3. पी-393(3) होटल यलो पगोडा, नेपाल का बियर का बिल,
4. पी-393(4) होटल यलो पगोडा, नेपाल का बिल,
5. होटल यलो पगोडा, नेपाल का बिल (पी-393(5)),
6. होटल यलो पगोडा, नेपाल का बिल (पी 393(6)),
7. प्रदर्श पी-393(7) निशा ट्रेडिंग का विजिटिंग कार्ड, जिसके पीछे कुछ लिखा गया है।
8. प्रदर्श पी-393(8) नेपाल के प्रोविजन स्टोर, मधुबन का बिल, जिसके पीछे बंदूकों के नाम व कीमत लिखे गये हैं, जो इस प्रकार है :-
   1. 30 माउजर गन -3,500/-
   2. 32 विथ सिलेक्टर- 40,000/- यू०एस०ए०
   3. 32 वेबलिसकेट पिस्टल 2,500/-

कर सकता है । प्रदर्श पी-384 इा फ्वहर शेखर का छुट्टी का आवेदन-पत्र है, जिसमें अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने राजेश भाई को यह पृष्ठांकन किया है कि शेखर के बदले रामाधा गाड़ी चलायेगा ।

196, इसके अतिर अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर की तलाशी में उसका पासपोर्ट प्रदर्श पी-235। जो कि स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड्स से संबंधित है। एवं डॉ0 गौड़ यूरोलॉजिस्ट, बांबे हॉस्पिटल का पता लिखा है और उसमें वाहन क्र0- एम0आई0आर0-फ्लिट 22/227। एवं जीप क्र0- 797। का नंबर लिखा है । यह पर्ची प्रदर्श पी-239 है । यहां पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि वाहन फ्लिट क्र0- एम0आई0आर0-227 बॉछ का रजि0 पुण्यव्रत गुन ।अ0सा0क्र0-16। के नाम पर है और जिसका नियमित रूप से उपयोग मृतक शंकर गुहा नियोगी किया करते थे । जीप क्र0- एम0पी0टी0-797। का पंजीयन ड0जु0मोर्चा के नाम पर है ।

197. ।2। आकाशगंगा परिसर से बरामदगी:-

अभियुक्त चंद्रकांत शाह के मित्र सूरजमल जैन ।अ0सा0क्र0-92। ने आकाशगंगा परिसर, भिलाई में जुलाई 90 में "जैन एंड शाह" के नाम से प्रापर्टी डीलिंग का कार्य शुरू में अकेले आरंभ किया था, किंतु उसके पास अन्य व्यवसाय एवं कार्य पर्याप्त मात्रा में थे, इसलिये उसने अभियुक्त चंद्रकांत-शाह का सहयोग लिया, किंतु समय बीतने के साथ ही अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने उक्त कार्य को अकेले एवं अनन्य रूप से देखने लगा ।

198. आकाशगंगा परिसर, भिलाई की तलाशी एवं प्रदर्श पी-298 के जप्ती से संबंधित बयान मुख्य अनुसंधान अधिकारी आर0एस0प्रसाद ।अ0सा0क्र0-192। के साक्ष्य के कं0-12, 18, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56 एवं 65 में उपलब्ध है । उसके अनुसार दिनांक 15-12-91 के कुछ समय पूर्व ही सी0बी0आई0 के एक अधिकारी ने अभियुक्त चंद्रकांत शाह से पूछताछ किया था । इसके पश्चात ही उसने आकाशगंगा परिसर में तलाशी लेने का निश्चय किया था । उसने दिनांक 15-12-91 को भिलाई इस्पात संयंत्र के दो कर्मचारियों को गवाही के रूप में बुलवाया । इनमें से एक एम0टोप्पो ।अ0सा0क्र0-113। एवं दूसरे एस0के0मुअल हैं ।

199. आर0एस0प्रसाद ।अ0सा0क्र0-192। ने बताया है कि उस समय अभियुक्त चंद्रकांत शाह पुलिस थाना दुर्ग के, किसी अन्य मामले में अभिरक्षा में था । अभियुक्त की पत्नी व पिता नहीं मिले तो उसने उसके भतीजे राजेश शाह को तलाशी पूर्व बुलवा लिया था ।

200. आर0एस0प्रसाद ।अ0सा0क्र0-192। ने अपने बयान के कं0-18 में बताया

...74

आर० पी० शर्मा के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद के आधार पर दिनांक 16-8-88 को अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश पारित किया गया है ।

5. प्रदर्श पी-449 प्रभुनाथ मिश्रा द्वारा तात्कालीन पुलिस महानिर्देशक को नगर-पुलिस अधीक्षक आर० एस० सिंह के विरुद्ध की गई शिकायत की कार्बन कापी ।

6. प्रदर्श पी-450 दैनिक समाचार-पत्र "देशबंधु", रायपुर का अंक दिनांक 2-7-88, जिसमें नगर-पुलिस अधीक्षक आर० एस० सिंह को न्यायालय से नोटिस दिये जाने का समाचार प्रकाशित हुआ है ।

7. पी-451 समाचार-पत्र "तरुण छत्तीसगढ़" दिनांक 23-8-88, जिसमें आर० एस० सिंह के खिलाफ कार्यवाही की मांग किये जाने का समाचार प्रकाशित हुआ है ।

8. पी-452 समाचार-पत्र "पहट" दिनांक 26-2-89, जिसमें आर० एस० सिंह के विरुद्ध समाचार प्रकाशित हुआ है ।

9. पी-452 समाचार-पत्र "नव-भारत", रायपुर दिनांक 2-9-88, जिसमें प्रभुनाथ मिश्रा ने आर० एस० सिंह के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग किया है ।

10. पी-453 अभियुक्त चंद्रकांत शाह द्वारा पुलिस महानिर्देशक को भेजा गया आवेदन, जिसमें यह निवेदन किया गया है कि उसके विरुद्ध "टाडा" के अंतर्गत कार्यवाही न की जाये ।

11. <u>ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा० लि० कंपनी की तलाशी:-</u>

अविवादित रूप से इस फेक्टरी का स्वामी अभियुक्त चंद्रकांत शाह है । दिनांक 12-11-91 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक आर० एस० धनकड़ (अ० सा० क्र०-187) ने तलाशी लेने पर अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा द्वारा दिनांक 24-11-88 को अभियुक्त चंद्रकांत शाह को लिखा पत्र प्रदर्श पी-296 एवं मोटरसायकिल क्र०- (चेसिस नंबर- एम० आई० एस० -3040) का रजि० प्रमाण-पत्र एवं मोटरसायकिल नंबर- एम० पी० 24बी-2377 का रजि० सर्टि० जप्त किया था । पहली मोटरसायकिल का पंजीकृत स्वामी अभियुक्त चंद्रकांत शाह है और दूसरी मोटरसायकिल की स्वामिनी उसकी पत्नी श्रीमती रेणु शाह है ।

195. केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक राजकुमार शुक्ला (अ० सा० क्र०-191) ने अभियुक्त चंद्रकांत शाह के फेक्टरी के कर्मचारी-त्रिलोकीनाथ पंडित (अ० सा० क्र०-176) से प्रदर्श पी-373 एवं प्रदर्श पी-384 के दस्तावेज जप्त किये थे, जिसका जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-425 है । प्रदर्श पी-373 के पत्र द्वारा अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने अपने कर्मचारी के एस० भाटिया (अ० सा० क्र०-26) को इस बात के लिये अधिकृत किया था कि वह भिलाई इस्पात संयंत्र से पत्र-व्यवहार

203.   आर०एस०प्रसाद (अ०सा०क्र०-192) ने पुन: परीक्षण में यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जप्ती-पत्र की प्रति उसने राजेश शाह को दे दिया था ।

204.   एम०टोप्पो (अ०सा०क्र०-113) भिलाई इस्पात संयंत्र में मैनेजर के पद पर कार्यरत है । इस साक्षी के बयान से यह दर्शित होता है कि दिनांक 15-12-91 को उसे एवं एक अन्य कर्मचारी एस०शाशिमल को सी०बी०आई०वालों ने आकाशगंगा परिसर में तलाशी हेतु बुलवाये थे । उस परिसर की तलाशी ली गई थी । वहां पर ओसवाल इंजीनियरिंग का कोई आदमी उपस्थित था, जिसका नाम इस साक्षी को याद नहीं है । निश्चित रूप से वह आदमी राजेश शाह रहा होगा । तलाशी ली गई उसकी सूची बनाई गई । प्रदर्श पी-297 जप्ती-पत्र है, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किया था । उस परिसर में कागज के फटे हुये टुकड़े भी मिले थे, जिसे गोंद से चिपकाया गया था । प्रदर्श पी-298 कागज का वही टुकड़ा है, जो वहां पर मिला था और जिसे चिपकाया गया था । इस साक्षी ने आगे बताया है कि ये अलग-अलग टुकड़े हैं । इन टुकड़ों के पीछे अ से अ भाग पर उसने एवं एक अन्य साक्षी एस०शाशिमल ने हस्ताक्षर किये थे । इस साक्षी से लंबा प्रति-परीक्षण किया गया है, किंतु कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है, जिससे यह दर्शित हो कि यह साक्षी असत्य कथन कर रहा है ।

205.   बचाव पक्ष की ओर से आकाशगंगा परिसर की तलाशी एवं प्रदर्श पी-298 की जप्ती के संबंध में निम्नलिखित आपत्तियां उठाई गई हैं :-

1. जप्ती के लिये अभियुक्त चंद्रकांत शाह को आकाशगंगा परिसर क्यों नहीं ले जाया गया।
2. अभियुक्त की पत्नी या पिता को क्यों नहीं बुलाया गया ।
3. राजेश शाह को क्यों ले जाया गया ।
4. राजेश शाह का प्रदर्श पी-298 के पीछे हस्ताक्षर क्यों नहीं कराया गया ।
5. एम०टोप्पो एक स्वतंत्र साक्षी नहीं है ।
6. पड़ोस के साक्षियों को क्यों नहीं बुलाया गया ।
7. प्रदर्श पी-298 को जप्ती-पत्र के पीछे एवं चौथे नंबर पर क्यों लिखा गया है ।
8. जिस समाचार-पत्र (कागज के टुकड़े) में प्रदर्श पी-298 लिपटा था उसे न्यायालय में क्यों पेश नहीं किया गया ।
9. उस परिसर की नियमित रूप से सफाई होने के कारण प्रदर्श पी-298 वहां नहीं मिल सकता था ।

206.   बचाव पक्ष की ओर से उठाई गई उपरोक्त आपत्तियों पर क्रमवार विचार किया जा रहा है । दिनांक 15-12-91 को अभियुक्त चंद्रकांत शाह दुर्ग पुलिस की अभिरक्षा में था । इसलिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभियुक्त को अपने अभिरक्षा में लेकर आकाशगंगा परिसर ले जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

....76   22/11/10

है कि वे लोग जब तलाशी हेतु आकाशगंगा परिसर पहुंचे तो वहां ताला लगा था और चाबी उपलब्ध नहीं था । उसने चाबी के संबंध में अभियुक्त चंद्रकांत शाह के भांजे राजेश शाह से भी पूछा, किंतु चाबी उसके पास भी नहीं थी । उसने चाबी का पता सूरज आटोमोबाइल्स में भी लगाया, किंतु वहां भी कोई सफलता नहीं मिली । इसके बाद उसने ताला बनाने वाले व्यक्ति दिलदार खां को बुलाया और उसने राजेश शाह एवं गवाहों के सामने उस कमरे का ताला खोला । इसके पश्चात् वे लोग तलाशी हेतु वहां प्रवेश किये । तलाशी की कार्यवाही संपन्न होने के बाद उसने चाबी राजेश शाह को सौंप दिया था । इन सब कार्यवाहियों का उल्लेख प्रदर्श पी-297 के जप्ती-पत्र में है ।

201. आर०एस०प्रसाद ।30 सा०क्र०-192। ने अपने बयान के क०-12 में बताया है कि वहां जो दस्तावेज मिले उसका उल्लेख उसने प्रदर्श पी-297 में किया है । तलाशी के दौरान वहां कागज के फटे हुये 6 टुकड़े मिले, जिन्हें उसने चिपकाया था । यह पत्र प्रदर्श पी-298 है । इसके प्रत्येक भाग पर उसने गवाहों का हस्ताक्षर लिया था । इस पत्र के पीछे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मालखाने के आरक्षक ने लाल स्याही से प्रकरण का नंबर लिखा है । यहां पर प्रदर्श पी-298 को उसी रूप में उद्धृत करना सुसंगत होगा :-

आदरणीय नवीन भाई जी, 28-9-91

प्रणाम ।

जैसा आपने कहा था काम करवा दिये हैं । मैंने 20,000/- रुपये देवेन्द्र पाटनी से लेकर उसको दे दिये हैं । आप इन्हें ये रुपया दे देना । शेष मिलने पर ।

आपका छोटा भाई,
ज्ञान मित्र.

202. अभियुक्तों के आवेदन दिनांक 30-8-96 पर न्यायालय द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह आदेश दिया गया कि भिलाई कैम्प में अनुसंधान के दौरान जो मालखाना रजिस्टर रखा गया था उसे पेश किया जाये । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस रजिस्टर को पेश किया, जिसे प्रदर्श पी-455।455। अंकित किया गया है । इस रजिस्टर के अनुक्रमांक-50 पर दिनांक 15-12-91 को प्रदर्श पी-298 के फटे टुकड़े जप्त किये जाने का उल्लेख है । इस तरह मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-455 के पेज नं0-23 के अनुक्रमांक-50 की प्रविष्टि से भी आर०एस०प्रसाद ।30 सा०क्र०-192। के कथन का समर्थन होता है ।

210. आर0एस0प्रसाद । अ0सा0क्र0-192। ने अपने बयान के क्र0-36 में यह बताया है कि उसने यह जानने का प्रयास किया था कि वह कौन सा अखबार है, जिसमें फटा हुआ पन्ने लिपटे हुये थे। उस अखबार में कोई तारीख नहीं थी। इस साक्षी ने यह कहा है कि जहां तक उसे याद है कि यह हिंदी का पंजाब केसरी समाचार-पत्र का टुकड़ा रहा होगा, किंतु आगे इस साक्षी ने कह दिया कि उसे याद नहीं है कि वह "पंजाब केसरी" का ही टुकड़ा था। बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई है कि "पंजाब केसरी" समाचार-पत्र दिल्ली से प्रकाशित होता है, इसलिये उस समाचार-पत्र का इस क्षेत्र में आने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, किंतु यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती। एक तो यह निश्चित नहीं है कि वह कौन सा समाचार-पत्र था, यदि यह मान भी लिया जाये कि वह दिल्ली से प्रकाशित होने वाला पत्र का टुकड़ा था तो भी यह सामान्य अनुभव की बात है कि दिल्ली से प्रकाशित होने वाले बहुत से समाचार-पत्रों का वितरण इस क्षेत्र में होता है। उस समाचार-पत्र के टुकड़े को पेश न करना अभियोजन के लिये घातक नहीं है।

211. जप्तशुदा दस्तावेज किसी-न-किसी क्रमांक पर तो लिखा ही जायेगा। यदि प्रदर्श पी-298 को जप्ती-पत्र के पीछे एवं चौथे नंबर पर लिखा गया है तो इसमें कोई भी संदेहजनक बात नहीं है।

212. दिनांक 28-9-91 की सुबह जब चंद्रकांत शाह आकाशगंगा परिसर पहुंचा एवं अपना कार्यालय खोला तो नियोगी की हत्या का समाचार जंगल के आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल चुका था। अभियुक्त चंद्रकांत शाह विचलित हो गया। सूरजमल जैन । अ0सा0क्र0-92। ने अभियुक्त चंद्रकांत शाह सहित सभी व्यापारियों को सलाह दिया कि वे दुकान का सिर्फ शटर खोलें एवं दुकान का सामान बाहर न निकालें। नियोगी की हत्या के बाद तनाव को देखते हुये इस बात की पूरी संभावना थी कि दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। इसके पश्चात् इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह दुबारा आकाशगंगा परिसर के अपने कार्यालय में आया हो, बल्कि साक्ष्य यह है कि घटना दिनांक के बाद से अभियुक्त चंद्रकांत शाह अपनी फैक्टरी में ही आना बंद कर दिया था। त्रिलोकीनाथ पंडित । अ0सा0क्र0-176। ने अपने बयान के क्र0-7 में स्पष्ट रूप से बताया है कि दिनांक 27-10-91 के एक-डेढ़ माह पहले से अभियुक्त चंद्रकांत शाह फैक्टरी नहीं आया करता था। इस बात का भी पर्याप्त साक्ष्य है कि नियोगी की हत्या के करीब एक सप्ताह के अंदर ही चंद्रकांत शाह भिलाई से आतंक एवं जल्दबाजी में फरार हुआ एवं विभिन्न प्रांतों में विभिन्न नामों से ठहरते रहा।

207. आर०एस०प्रसाद ।अ०सा०क्र०-19। ने प्रति-परीक्षण की कं0-35 में स्पष्ट रूप से बताया है कि उसने अभियुक्त चंद्रकांत शाह के पिता एवं उसकी पत्नी का पता लगाया था, किंतु वे लोग उपलब्ध नहीं हुये, इसलिये उसने राजेश शाह को तलाशी के लिये अपने साथ ले गया था । यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राजेश शाह अभियुक्त चंद्रकांत शाह का भांजा है । वह अभियुक्त के ओसवाल आयरन एंड स्टील इ0 में मैनेजर जैसे जिम्मेदार पद पर कार्य किया है । अभियुक्त चंद्रकांत शाह का बैंक में खाता राजेश शाह की पत्नी प्रफुल्ला के साथ संयुक्त रूप से है, इसलिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आकाशगंगा परिसर की तलाशी के लिये राजेश शाह को ले जाने का जो निर्णय किया गया वह पूर्णतः सद्भावनापूर्ण एवं विधिमान्य था ।

208. केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जितनी भी जप्ती बनाई गई है उन सभी के मात्र जप्ती-पत्र में ही मकान के स्वामी/आधिपत्यधारी का हस्ताक्षर लिया गया है । जप्तशुदा वस्तुओं पर मकान मालिक/आधिपत्यधारी का हस्ताक्षर नहीं लिया गया है । जप्तशुदा वस्तुओं पर अनुसंधानकर्ता एवं साक्षियों के हस्ताक्षर कराये गये हैं, इसलिये प्रदर्श पी-298 में राजेश शाह के हस्ताक्षर न कराये जाने से कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है । जप्ती-पत्र पर राजेश शाह के हस्ताक्षर हैं ।

209. प्रति-परीक्षण के कं0-37 में आर०एस०प्रसाद ।अ०सा०क्र०-19। ने स्पष्ट रूप से बताया है कि आकाशगंगा परिसर पहुंचने पर उसने सूरज आटो-मोबाइल्स एवं आसपास की दुकान से अन्य लोगों को गवाही हेतु बुलाया था, किंतु कोई भी व्यक्ति गवाह हेतु नहीं आये । एम०टोप्पो ।अ०सा०क्र०-113। भिलाई इस्पात संयंत्र में प्रबंधक जैसे जिम्मेदार पद पर कार्यरत अधिकारी थे । इस साक्षी ने अपने प्रति-परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह सी0बी0आई0 के 10-12 तलाशियों में गया था । यह सामान्य अनुभव की बात है और इस मामले के अनुसंधान में यह देखने को मिला है कि पड़ोस के लोग साक्षी बनने हेतु तैयार नहीं होते । केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा यदि कई मामलों में सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारियों को साक्षी बनाया जाता है तो इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है । <u>माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने इरंद टी दियर बनाम चीफ सेक्रेटरी ।।।सु०को०केसेस-95।</u> वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि -यदि जप्ती के गवाह उसी क्षेत्र के न हों तो भी वे जप्ती के साक्ष्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करते ।

23/6/07

216. अभियुक्तों की ओर से यह दलील दी गई है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निरीक्षक एन0के0पाठक ।अ0सा0क्र0-18।। ने अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा से प्रदर्श पी-298 लिखवा लिया था और उसे बाद में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी आर0एस0 प्रसाद ।अ0सा0क्र0-192। द्वारा आकाशगंगा परिसर में डाल दिया गया था । उक्त दलील को एन0के0पाठक ।अ0सा0क्र0-18।। के प्रति-परीक्षण के क0-11 के आधार पर दिया गया है । एन0के0पाठक ।अ0सा0क्र0-18।। ने लंबे प्रति-परीक्षण के दौरान यह कह दिया है कि हो सकता है कि प्रदर्श पी-298 का दस्तावेज उसने डिक्टेशन कर लिखवाया हो । यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि एन0के0पाठक ।अ0सा0क्र0-18।। ने दिनांक 25-11-91 एवं 29-11-91 को विशाखापटनम हॉस्टल, भिलाई में अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अन्य अभियुक्तों के नमूने के लिखावट एवं हस्ताक्षर लिया था । बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई है कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा की लिखावट फुलस्केप पेपर पर लिये गये थे और उसे नीचे से फाड़कर आकाशगंगा परिसर में डाल दिया गया था । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के नमूने के लिखावट एवं हस्ताक्षर वाले अन्य कागजों का अवलोकन किया गया । नमूने के सभी लिखावट पर ऊपर की लगभग 4-5 लाईनें अंग्रेजी में टाइटिल के रूप में अभिलिखित हैं । इस बात की गुंजाइश नहीं दिखती कि नमूने की लिखावट को इस रूप से काटा जाये कि वह प्रदर्श पी-298 का रूप ले ले, चूंकि प्रदर्श पी-298 अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के लिखावट में था और एन0के0पाठक ।अ0सा0क्र0-18।। प्रति-परीक्षण के गूढ़ रहस्य को नहीं समझ रहा था, इसलिये उसने कहा कि हो सकता है कि उसने इसे लिखवाया हो, किंतु किसी एक साक्षी के एक लाईन के कथन के आधार पर कोई निष्कर्ष देना न्यायालय के लिये न्यायोचित नहीं होता । <u>दिलावर हुसैन बनाम गुजरात राज्य ।1991।1 एस0सी0केसेस-253। पैरा-17।</u> में माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया है कि - किसी साक्षी के एक लाईन के कथन के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाना न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत है । माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने यह कहा है कि किसी भी साक्षी के पूरे बयान को पढ़ना चाहिये और उसे अन्य साक्षियों के बयान के संदर्भ में देखना चाहिये ।

217. जहां विधि में यह उपधारणा है कि अभियुक्त निर्दोष होता है वहां ऐसी कोई उपधारणा नहीं है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो मिथ्या साक्ष्य रचती ।गढ़ती। है । अत: एन0के0पाठक ।अ0सा0क्र0-18।। के एकाकी कथन के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रदर्श पी-298 को उसने नमूने के लिखावट के रूप में पूर्वोक्त फुलस्केप पेपर पर ले लिया था और फिर आर0एस0प्रसाद ।अ0सा0क्र0-192। ने उसे नीचे से आधा फाड़ दिया और आकाशगंगा परिसर में फाड़कर डाल दिया था ।

213. दिनांक 15-12-91 को जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी आर०एस०प्रसाद (अ०सा०क्र०-192) एवं एस०टोप्पो (अ०सा०क्र०-113) आकाशगंगा परिसर तलाशी हेतु पहुंचे तो वहां ताला बंद था एवं चाबी उपलब्ध नहीं था। एस०टोप्पो (अ०सा०क्र०-113) ने ताले वाले से चाबी बनवाने की बात तो स्पष्ट रूप से नहीं बताया है, किंतु उसने यह बताया है कि वहां ताला बंद था और उन लोगों को बहुत देर तक बाहर खड़ा रहना पड़ा था। आखिर लंबे समय तक बाहर क्यों खड़े रहना पड़ा होगा इस तथ्य को आर०एस०प्रसाद (अ०सा०क्र०-192) के कथन के संदर्भ में देखा जाना चाहिये। इस तरह एस० टोप्पो (अ०सा०क्र०-113) के कथन से आर०एस०प्रसाद (अ०सा०क्र०-192) के कथन की विवक्षित रूप से संपुष्टि होती है। इस तरह परिस्थितियों से यह पूर्णतः स्थापित होती है कि दिनांक 28-9-91 से 15-12-91 तक अभियुक्त चंद्रकांत शाह के आकाशगंगा परिसर में ताला बंद था।

214. रश्मि-अमीन (अ०सा०क्र०-142) का प्रति-परीक्षण की कं०-12 (13) का यह कथन कि आकाशगंगा परिसर के कार्यालय की दिवाली के समय सफाई हुई थी विश्वसनीय नहीं है। यदि सफाई हुई होती तो प्रदर्श पी-298 के कागज का टुकड़ा वहां नहीं मिला होता, जबकि संदेह से परे यह प्रमाणित हो चुका है कि दिनांक 15-12-91 को उक्त परिसर में प्रदर्श पी-298 का टुकड़ा मिला था। प्रति-परीक्षण में साक्षी कुछ ऐसा कथन कह देते हैं, जिससे अभियुक्त को फायदा हो जाये। न्यायालय को परिस्थितियों की समग्रता के आधार पर यह विचार करना होता है कि ऐसे साक्षी का ऐसा कथन सत्य एवं स्वीकार किये जाने योग्य है अथवा नहीं। यदि परिस्थितियां व्यक्ति के मौखिक कथन की अपेक्षा अधिक प्रबल एवं सत्य प्रतीत हो तो न्यायालय का यह कर्तव्य होता है कि ऐसे प्रबल व सत्य परिस्थितियों को मौखिक कथन की तुलना में अधिमान दे। इस मामले में निश्चित रूप से हमारे सामने ऐसी परिस्थिति है, जिसे मौखिक-साक्ष्य की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाना चाहिये।

215. माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने उ०प्र०राज्य बनाम रमेशप्रसाद मिश्रा (1996) 10-एस०सी०केसेस-360 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि -यदि साक्षी असत्य कथन करने को उत्सुक रहते हैं तो न्यायालय का यह कर्तव्य होता है कि वह मानव स्वभाव, संभावनाओं एवं परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकाले। उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि दिनांक 15-12-91 को अभियुक्त चंद्रकांत शाह के आकाशगंगा परिसर में स्थित कार्यालय से प्रदर्श पी-298 का दस्तावेज फटे हुये हालत में बरामद किया गया था।

...79

8. नियोगी से निपटने के लिये जल्दबाजी में कार्यवाही नहीं करनी चाहिये ।

9. प्रतिद्वंदी श्रमिक संगठनों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये ।

10. समाचार-पत्रों में नियोगी की खामियों को प्रतिदिन प्रकाशित किया जाना चाहिये ।

11. निचले स्तर पर जो पुलिस अधिकारी नियोगी को सूचना देते हैं एवं उससे सहानुभूति रखते हैं, उनका स्थानांतिरण कराया जाये ।

12. नियोगी के विरुद्ध बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव एवं बिलासपुर में जो दांडिक प्रकरण चल रहे हैं एवं जिसमें उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निकला है उस पर पुलिस से मिलकर कार्यवाही की जाये, ताकि यदि नियोगी सभी प्रकरणों में न्यायालय में उपस्थित होना आरंभ कर दें तो उसके पास अपनी स्थिति मजबूत करने के लिये समय ही नहीं बचेगा ।

13. नियोगी की आक्रामक युक्ति से निपटने के लिये राजनैतिक पार्टी से संपर्क कर उसका प्रकाशन कराया जाये ।

14. भिलाई में शिक्षित एवं राजनैतिक रूप से जागरूक लोगों की संख्या पर्याप्त है, यदि उन लोगों से संपर्क किया जाये और नियोगी की कमियों को बताया जाये तो वे नियोगी की कार्यशैली से सहमत नहीं होंगे ।

15. भिलाई के श्रमिक अपने संगठन को अधिक चंदा देने के अभ्यस्त नहीं हैं, इस तथ्य का छ0मु0मोर्चा के विरुद्ध अच्छा उपयोग करना चाहिये ।

16. यदि नियोगी के राजहरा के आर्थिक स्रोत को बंद कर दिया जाये तो उसके भूखे मरने की स्थिति आ जायेगी ।

17. नियोगी की छवि को कम करने के लिये उसके विदेशी संगठनों से संबंधों का पता लगाकर उसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिये ।

18. जिला प्रशासन द्वारा स्थिति से चालाकीपूर्ण ढंग से निपटा जाना चाहिये एवं नियोगी को महत्व दिया जाना बंद करना चाहिये ।

2. प्रदर्श पी-262- शंकर गुहा नियोगी एवं छ0मु0मोर्चा के पदाधिकारियों के विरुद्ध लंबित 32 दांडिक प्रकरणों की सूची ।

3. प्रदर्श पी-263, 265 एवं 266 - पॉम्पलेट, जिसमें मजदूरों का "मसीहा" शंकर गुहा नियोगी जिंदाबाद, लेकिन चंद सवाल छपा है ।

4. प्रदर्श पी-264- श्री गुहा नियोगी की हत्या के संदर्भ में कुछ सवाल हैं, जिनका समाधान बहुत जरूरी है, जो कि श्री एन0के0सिंह, भोपाल संवाददाता, "इंडिया टुडे" और श्री सियाल, पी0यू0सी0एल0 और ईसाई मिशन, रायपुर के संरक्षक को देना जरूरी है छपा है ।

5. प्रदर्श पी-267 से 273- धीरेश कुमार उर्फ शंकर गुहा नियोगी श्रमिकों और छत्तीसगढ़ी भावना का सबसे बड़ा शोषक, साइक्लोस्टाइल है ।

6. प्रदर्श पी-274- समाचार-पत्र "अमृत-संदेश", रायपुर दिनांक 17-10-91, जिसमें "भिलाई के उदयोग दूसरे दिन भी बंद रहे ।" प्रकाशित हुआ है ।

2.18. यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मिथ्या साक्ष्य गढ़ना होता तो वे तलाशी 25-11-91 या 29-11-91 के तत्काल बाद किसी दिन भी ले सकते थे, किंतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जब अभियुक्त चंद्रकांत शाह से पूछताछ की गई और अपराध से संबंधित साक्ष्य मिलने की जब संभावना हुई तब ही दिनांक 15-12-91 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आकाशगंगा परिसर की तलाशी ली गई। इस तरह दिनांक 15-12-91 को तलाशी लिया जाना अनुसंधान एजेंसी की स्वाभाविकता को दर्शाता है।

2.19 ऊपर दिये गये कारणों से यह निष्कर्ष दिया जाता है कि प्रदर्श पी-298 को एन0के0पाठक [अ0सा0क्र0-191] ने अभियुक्त ज्ञानप्रकाश से नमूने की लिखावट के रूप में नहीं लिखवाया था, बल्कि आर0एस0प्रसाद [अ0सा0क्र0-192] एवं एम0टोप्पो [अ0सा0क्र0-113] एवं प्रकट परिस्थितियों एवं विवेक के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रदर्श पी-298 फटे हुये हालत में आकाशगंगा परिसर में मिला था।

[3] अभियुक्त मूलचंद शाह के घर की तलाशी एवं वहां से जप्तियां:-

आर0एस0प्रसाद [अ0सा0क्र0-192] एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी एच0सी0कपूर [अ0सा0क्र0-155] के कथनों से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि दिनांक 18-11-91 को अभियुक्त मूलचंद शाह के रहवासी मकान [सिम्पलेक्स कॉलोनी, जी0ई0रोड, दुर्ग] से निम्नलिखित दस्तावेज बरामद किये गये [इसका जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-28] है :-

1. प्रदर्श पी-26 :- यह एक गोपनीय नोट है, जो शंकर गुहा नियोगी के संबंध में तैयार किया गया है। इस नोट में निम्नलिखित बातें बताई गई हैं :-

 1. नियोगी को नक्सलवादी बताया गया है और इसमें उसके उदगम का वर्णन है।
 2. नियोगी की कार्यपद्धति।
 3. नियोगी का दूसरे क्षेत्र में पदार्पण।
 4. जिला प्रशासन द्वारा स्थिति को ठीक से न निपटने के कारण नियोगी का बढ़ता प्रभाव।
 5. नियोगी की संपत्ति।
 6. ठेकेदारी प्रथा के कारण ही नियोगी का प्रभाव।
 7. नियोगी के प्रभाव को कम करने के लिये श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाना चाहिये।

...81

23/6/0

20. प्रदर्श पी-28॥13॥- एक समाचार-पत्र, जिसमें नियोगी हत्याकांड के अभियुक्त 10 दिन की पुलिस अभिरक्षा में, प्रकाशित हुआ है ।

21. प्रदर्श पी-28॥14॥- एक समाचार-पत्र, जिसमें नियोगी हत्याकांड का वी0पी0, जोगी एवं अन्य के आरोपों का गृहमंत्री द्वारा जवाब, प्रकाशित हुआ है ।

22. प्रदर्श पी-28॥15॥- एक समाचार-पत्र, जिसमें न पलटन का पता न उसके वाहन का, प्रकाशित हुआ है ।

23. प्रदर्श पी-28॥16॥- एक समाचार-पत्र, जिसमें नियोगी को श्रद्धांजलि देने मुक्ति मोर्चा ने विशाल रैली किया, प्रकाशित हुआ है ।

24. प्रदर्श पी-28॥17॥- "टाइम्स ऑफ इंडिया" अंग्रेजी समाचार-पत्र, जिसमें भिलाई के पूंजीपतियों द्वारा नियोगी की योजनाबद्ध ढंग से हत्या का समाचार प्रकाशित हुआ है ।

25. प्रदर्श पी-28॥18॥- एक समाचार-पत्र, जिसमें नियोगी हत्याकांड से संबंधित समाचार प्रकाशित हुआ है ।

26. प्रदर्श पी-28॥19॥- एक समाचार-पत्र, जिसमें गृहमंत्री ने नियोगी हत्याकांड में ठोस तथ्य मिलने का दावा किया है ।

27. प्रदर्श पी-28॥20॥- एक समाचार-पत्र, जिसमें छ0मु0मोर्चा द्वारा नियोगी की हत्यारों की गिरफ्तारी का स्वागत किया गया है ।

28. प्रदर्श पी-28॥21॥- एक समाचार-पत्र, जिसमें सिम्पलेक्स के शाह भी हत्या के षड़यंत्र में शामिल प्रकाशित हुआ है ।

29. प्रदर्श पी-28॥22॥- एक समाचार-पत्र, जिसमें चंद्रकांत शाह जर्मनी चले गये प्रकाशित हुआ है ।

30. प्रदर्श पी-28॥23॥- "नवभारत" समाचार-पत्र दिनांक 13-10-91, जिसमें नियोगी के हत्यारों को पचास बचा रहे हैं प्रकाशित हुआ है ।

31. प्रदर्श पी-28॥24॥- एक समाचार-पत्र, जिसमें नियोगी के हत्यारे को कारतूस देने वाला बंदी प्रकाशित हुआ है ।

32. प्रदर्श पी-28॥25॥- एक समाचार-पत्र, दिनांक 13-10-91, जिसमें सांसद सदस्य अजीत जोगी द्वारा सत्ता में आने पर इं0का0. सुंदरलाल पटवा पर मुकदमा चलाया गया, प्रकाशित हुआ है ।

33. प्रदर्श पी-28॥26॥- "सम्मेत-शिखर", दिनांक 13-10-91, जिसमें नियोगी हत्याकांड में 2 हिरासत में प्रकाशित हुआ है ।

34. प्रदर्शपी-28॥27॥- "देशबंधु" समाचार-पत्र दिनांक 16-10-91, जिसमें नियोगी हत्या प्रकरण में गिरफ्तारी का स्वागत प्रकाशित हुआ है ।

35. प्रदर्श पी-28॥28॥- "सम्मेत-शिखर", दिनांक 13-10-91, जिसमें जनता दल के पूर्व महासचिव का वक्तव्य प्रकाशित हुआ है कि पैसा वाले व्यक्ति को मार सकते हैं, आंदोलन को नहीं ।

36. प्रदर्शपी-28॥29॥- सम्मेत-शिखर", दिनांक 15-10-91, जिसमें नियोगी हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार प्रकाशित हुआ है ।

COURT FEE 4 Rs. ॥५॥ 2/3/6/97

7. प्रदर्श पी-275:- समाचार-पत्र "अमृत संदेश", रायपुर दिनांक 15-10-91, जिसमें "प्रमुख षड्यंत्रकारी चंद्रकांत शाह की पुलिस को तलाश, 5 में से 2 आरोपी पकड़े गये एवं नियोगी हत्याकांड से रहस्य का पर्दा हटा तथा देशी कट्टे से पलटन ने गोली मारी।" समाचार प्रकाशित हुआ है। इस समाचार के साथ अग्रपृष्ठ पर मृतक शंकर गुहा नियोगी एवं अभियुक्त चंद्रकांत शाह का फोटो भी प्रकाशित हुआ है।

8. प्रदर्श पी-28।1। -"अमृत-संदेश" समाचार-पत्र, जिसमें नियोगी हत्याकांड में गृहमंत्री द्वारा ठोस तथ्य मिलने का दावा किया गया है।

9. प्रदर्श पी-28।13।- अंग्रेजी समाचार-पत्र की कटिंग, जिसमें पुलिस द्वारा उद्योगपतियों की तलाशी का समाचार प्रकाशित हुआ है।

10. प्रदर्श पी-28।14।- समाचार-पत्र "समवेत-शिखर", रायपुर दिनांक 13-10-91, जिसमें नियोगी हत्याकांड से संबंधित समाचार प्रकाशित हुआ है।

11. प्रदर्श पी-28।15। - समाचार-पत्र "देशबंधु", रायपुर दिनांक 16-10-91, जिसमें नियोगी हत्याकांड की साजिश का पर्दाफाश करने वाले पुलिस कर्मियों की प्रभारी मंत्री द्वारा प्रशंसा की गई है एवं इसीसमाचार-पत्र में अभियुक्त चंद्रकांतशाह एवं अभियुक्त पलटन व अभयसिंह कीफरारी का समाचार भी प्रकाशित हुआ है।

12. प्रदर्श पी-28।16।- एक समाचार-पत्र, जिसमें शंकर गुहा नियोगी को छत्तीसगढ़ का जननायक बताया गया है।

13. प्रदर्श पी-277- साप्ताहिक समाचार-पत्र "जनधर्म", भोपाल, दिनांक 14 से 20 अक्टूबर 91, जिसमें शंकर गुहा नियोगी की नृशंस हत्या का समाचार प्रकाशित हुआ है।

14. प्रदर्श पी- 28।17।-"अमृत-संदेश" समाचार-पत्र दिनांक 16-10-91, जिसमें नियोगी हत्याकांड के लिये सरकार को भी जिम्मेदार बताया गया है।

15. प्रदर्श पी-28।18। समाचार-पत्र "देशबंधु", रायपुर दिनांक 15-10-91, जिसमें नियोगी हत्याकांड में 2 बंदी एवं एक उद्योगपति चंद्रकांत शाह की तलाशी का समाचार प्रकाशित हुआ है।

16. प्रदर्श पी-28।19।- "नवभारत समाचार-पत्र दि0 14-10-91, जिसमें नियोगी की हत्या की गुत्थी सुलझी प्रकाशित हुआ है।

17. प्रदर्श पी-28।110।- एक समाचार-पत्र, जिसमें सरकार नियोगी हत्याकांड में जवाबदेही से नहीं बच सकती प्रकाशित हुआ है।

18. प्रदर्श पी-28।111- "अमृत-संदेश", समाचार-पत्र दिनांक 16-10-91, जिसमें छ0मु0मोर्चा द्वारा पुलिस जांच से असहमति व्यक्त की गई है और यह प्रकाशित हुआ है कि पूंछ पकड़ने से काम नहीं चलेगा असली हत्यारों को गिरफ्तार किया जाये।

19. "देशबंधु" समाचार-पत्र।प्रदर्श पी-28।112।, जिसमें पुलिस-अधीक्षक, दुर्ग का यह वक्तव्य प्रकाशित किया गया है कि नियोगी हत्याकांड का कोई सुराग नहीं मिला है।

अभियुक्त मूलचंद शाह के ऑफिस की तलाशी एवं वहां से जप्तियां :-

223. आर०पी० लिटोरिया (अ०सा०क्र०-185) केन्द्रीय जांच ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक थे। उन्होंने दिनांक 19-11-91 को अभियुक्त मूलचंद शाह के सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग एंड फाउंड्री वर्क्स इंडस्टेट, भिलाई की तलाशी लिया था। इस तलाशी में जो दस्तावेज जप्त किये उनका जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-299 है। इस जप्ती का पूर्णतः समर्थन भिलाई इस्पात संयंत्र के मैनेजर डी० आर०गौरिकर (अ०सा०क्र०-114) ने किया है। जप्तशुदा दस्तावेज निम्नानुसार है :-

1. प्रदर्श पी-300-मृतक शंकर गुहा नियोगी के विरुद्ध राजनांदगांव के न्यायालय में लंबित दा०प्र० का चालान।
2. प्रदर्श पी-301- मृतकशंकर गुहा नियोगी के विरुद्ध राजनांदगांव के न्यायालय में लंबित दा०प्र० का दूसरा चालान।
3. प्रदर्श पी-302- छ०मु०मोर्चा का पॉम्पलेट।
4. प्रदर्श पी-116- अभियुक्त मूलचंद शाह की लिखावट में गृहमंत्री को नियोगी के विरुद्ध लिखा गया अधूरा आवेदन।
5. प्रदर्श पी-282- उमाशंकर राय एवं भारतभूषण पांडे के वर्तमान एवं स्थाई पता।

224. सिम्पलेक्स उद्योग के मैनेजर (कार्मिक) योगेश मुकुंद दवे (अ०सा०क्र० 99) ने अपने बयान में बताया है कि प्रदर्श पी-282 की लिखावट उसकी है। उसने यह कहा है कि इस दस्तावेज में उमाशंकरराय एवं भारतभूषण पांडे के पते हैं। वह आगे यह बताता है कि अभियुक्त मूलचंद शाह के निजी सहायक भट्टाचार्य ने उक्त दोनों व्यक्तियों के पते उससे मंगवाये थे। वह यह स्पष्टीकरण देता है कि भट्टाचार्य ने यह कहा था कि इन दोनों मजदूरों की जानकारी पुलिस वाले मांग रहे हैं।

225. अभियुक्त मूलचंद शाह की ओर से यह दलील दी गई है कि उमाशंकर राय एवंभारतभूषण पांडे का पता उसने पुलिस को देने के लिये मंगवाया था, क्योंकि उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध थे। इस बात का कोई भी साक्ष्य नहीं है किउमाशंकर राय एवंभारतभूषण पांडे के विरुद्ध कोई अपराध पंजीबद्ध था यदि अभियुक्त मूलचंद शाह ने उक्त दोनों श्रमिकों के पते वास्तव में पुलिस को देने के लिये मंगवाये होते तो प्रदर्शपी-282 वह पुलिस को दे दिया होता। पुलिस को यह पता न देने से यही अनुमान लगाया जायेगा कि अभियुक्त मूलचंद शाह ने उक्त दोनों श्रमिकों के पते पुलिस को देने के लिये नहीं, बल्कि किसी अन्य प्रयोजन से मंगवाये थे।

226. यहां पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि उमाशंकर राय एवं भारतभूषण पांडे छ०मु०मोर्चा के महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। श्रमिक आंदोलन के दौरान उमाशंकर राय पर प्राणघातक हमला हुआ था। भारतभूषण पांडे (अ०सा०क्र०-57) के बयान से यह दर्शित होता है कि उसे यह पता लगा कि सिम्पलेक्स के मालिकों ने उसका फोटो गुंडों को दे दिये हैं। वह भयभीत हुआ और पुलिस थाना जामुल में

37. प्रदर्श पी-28।।30।- एक समाचार-पत्र-की कटिंग, जिसमें नियोगी की हत्या के बाद श्रमिकों की जुलूस का समाचार प्रकाशित हुआ है ।

38. प्रदर्श पी-28।।31।- "देशबंधु", समाचार-पत्र दिनांक-15-10-91, जिसमें नियोगी हत्याकांड में 2 बंदी व एक उद्योगपति की तलाश का समाचार प्रकाशित हुआ है ।

220. अभियुक्त मूलचंद शाह की ओर से यह दलील दी गई है कि प्रदर्श पी-26। की जो कार्य योजना जप्त की गई है उसका उससे कोई संबंध नहीं है । अभियुक्त मूलचंद शाह के पुत्र केतन शाह ।30सा0क्र0-98। ने अपने बयान में बताया है कि प्रदर्श पी-26। उसके बेडरूम से जप्त किया गया था । उसने यह भी बताया है कि इस दस्तावेज ।प्रदर्श पी-26।। को उसके निर्देश पर तैयार किया गया था । उसने यहभी कहा है कि इस गोपनीय नोट का उसके पिताजी अभियुक्त मूलचंद शाह से कोई सरोकार नहीं है ।

221. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अभियुक्त मूलचंद शाह सिम्पलेक्स उद्योग समूह का मालिक है । इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि मालवीयनगर स्थित जिस मकान की तलाशी से प्रदर्श पी-26। जप्त किया गया है उस मकान का स्वामी अभियुक्त मूलचंद शाह है । अब यहां पर केतन शाह ।30सा0क्र0-98। के इस बयान की विश्वसनीयता की परीक्षा किया जाना है कि क्या प्रदर्श पी-26। केन नोट से अभियुक्त मूलचंद शाह का कोई सरोकार नहीं है । मृतक शंकर गुहा नियोगी का आंदोलन सिम्पलेक्स उद्योग के विरुद्ध चल रहा था । केतन शाह ।30सा0क्र0-98। शंकर गुहा नियोगी की हत्या के करीब एक महीने पहले ही सिम्पलेक्स उद्योग में काम करना आरंभ किया था अभियुक्त मूलचंद शाह के घर से प्रदर्श पी-26। के अलावा बहुत से ऐसे दस्तावेज जप्त किये गये हैं, जो मृतक शंकर गुहा नियोगी से संबंधित हैं । अतः यह उपधारणा बहुत आसानी से की जा सकती है कि केतन शाह ।30सा0क्र0-98। अपने पिता अभियुक्त मूलचंद शाह को बचाने के आशय से यह कहा है कि प्रदर्श पी-26। का अभियुक्त मूलचंद शाह से कोई सरोकार नहीं है । कोई भी विवेकशील व्यक्ति यह बहुत आसानी से कह सकता है कि प्रदर्श पी-26। का संबंध परिस्थितियों एवं अन्य जप्तियों के आधार पर अभियुक्त मूलचंद शाह से है ।

222. प्रदर्शपी-26। की जो गोपनीय कार्ययोजना शंकर गुहा नियोगी के विरुद्ध तैयार की गई थी उसे उद्योग के मालिक ही तैयार कर सकते थे । उसे कोई ऐसा व्यक्ति तैयार नहीं कर सकता था, जिसे उद्योग ज्वाइन किये हुये एक महीने भी नहीं हुआ था ।

फोटोग्राफ्स को आखाई रूप से प्रदर्शित किया गया था । चूंकि इन फोटोग्राफ्स को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इन्हें इसी रूप में ही जप्त किया है अतः निरीक्षण के अभाव में भी इन फोटोग्राफ्स को साक्ष्य में प्रदर्शित व प्रमाणित किया जा सकता है ।

230. (6) <u>अभियुक्त अभयसिंह के घर का तलाशी एवं जप्ती</u>:-

पुलिस निरीक्षक एस०के०एन०नक्वी (अ०सा०क्र०-163) ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 13-10-91 को उसने गवाहों की उपस्थिति में अभियुक्त अभयसिंह के घर कैम्प-1 की तलाशी लिया था । इस तलाशी के समय अभियुक्त अभयसिंह का भाई अरूणसिंह उपस्थित था, जिसने प्रदर्श पी-385 के जप्ती-पत्र पर हस्ताक्षर किया है । इस जप्ती-पत्र में निम्नलिखित दस्तावेजों का जप्त होना बताया गया है :-

1. एक भिलाई टाइम्स पेपर मंगलवार दिनांक 30-4-91 का जिसके उपर हाथ से नीली स्याही से सिम्पलेक्स कॉस्टिंग इंजीनियरिंग वर्क्स, लाईट इंडस्ट्रियल एरिया, भिलाई (म०प्र०) लिखा है । पेपर के उपर 15 पैसे की डाक टिकट लगी है तथा पोस्ट ऑफिस की अस्पष्ट सील लगी है । इस दस्तावेज को प्रदर्श पी-126 अंकित किया गया है ।

231. पोस्टमास्टर राधाकृष्णन (अ०सा०क्र०-34), के०के०पाठक (अ०सा०क्र०-35), श्रीमती क्रिस्टिना कुमार (अ०सा०क्र०-36) एवं अतीत बोस (अ०सा०क्र०-37) के बयानों के संयुक्त रूप से अवलोकन करने पर यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि प्रदर्श पी-126 के भिलाई टाइम्स समाचार-पत्र को सिम्पलेक्स कॉस्टिंग एवं इंजी० के पते पर भेजा गया था । यह समाचार-पत्र 30-4-91 का है । यह समाचार-पत्र <u>अभियुक्त अभयसिंह</u> के घर में पाया गया था ।

232. अ०सा०क्र०-192 आर०एस०प्रसाद ने अपने बयान की कं०-8 में बताया है कि दिनांक 10-11-91 को उसने अभियुक्त अभयसिंह के क्वा०नं०-7जी, कैम्प-1 की तलाशी लिया था । इसका जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-69 है । जो दस्तावेज जप्त किये गये वे निम्नानुसार हैं :-

1. प्रदर्श पी-70 एक नोटबुक, जिसमें अन्य बातों के साथ -साथ अभियुक्त ज्ञान मिश्रा का नाम एवं हितेश भसीन (अ०सा०क्र०-50) का नाम भी लिखा है ।
2. प्रदर्श पी-71- सन् 1988 की एक्जीक्यूटिव डायरी, जिसमें नियोगी- जी०पी०-एम०बी०आर०-1438 भी लिखा है ।

(4) <u>अभियुक्त पल्टन कहां रहता था एवं उसके व्यक्तित्व की सम्भ्रांतता</u> :-

233. कृष्णकुमार (अ०सा०क्र०-42) भिलाई इस्पात संयंत्र में ऑपरेटर है एवं वह भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आबंटित क्वा०नं०-7सी, कैम्प-1 में रहता है । चूंकि अभियुक्त अभयसिंह भी भिलाई इस्पात संयंत्र में क्रेन ऑपरेटर है, इसलिये वह उसे अच्छी तरह जानता है । इस साक्षी ने यह बताया है कि यदि उसके क्वा० के सामने

रिपोर्ट दर्ज कराया । यह रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है, जो थाने में दिनांक 1-9-91को प्राप्त हुई है ।

227. योगेश मुकुंद दवे ।अ0सा0क्र0-99। अभियुक्त मूलचंद शाह का कर्मचारी है । अतः उसमें यह प्रवृत्ति अवश्य रहेगी कि वह अपने मालिक को बचाने के लिये असत्य कथन करे । न्यायालय को जब यह प्रतीत हो कि कोई साक्षी असत्य कथन कर रहा है तो न्यायालय मानवीय आचरण, संभावनाओं एवं परिस्थितियों के आधार पर युक्तिसंगत निष्कर्ष निकाल सकता है । अतः योगेशमुकुंद दवे ।अ0सा0क्र0-99।का यह कथन विश्वसनीय नहीं है कि अभियुक्त मूलचंद शाह के निजी सहायक भट्टाचार्य ने उमाशंकर राय एवंभारतभूषण पांडे का पता पुलिस को देने के लिये मंगवाया था, बल्कि परिस्थितियों के आधार पर यह निष्कर्ष अधिक विवेकपूर्ण होगा कि अभि0 मूलचंद शाह ने उक्त दोनों श्रमिकों के पते उन्हें दबाने के लिये मंगवाये थे ।

।5। <u>अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के घर की तलाशी एवं वहां से जप्तियां</u> :-

228. केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक आर0एस0प्रसाद ।अ0सा0क्र0-192। एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधक एम0टोप्पो ।अ0सा0क्र0-113। के कथनों से यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित होता है कि दिनांक 11-11-91 को अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के घर कैम्प-1, भिलाई की तलाशी लिया गया था । उस समय अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा घर में नहीं था । तलाशी के समय अभियुक्त का पिता एवं घर के अन्य सदस्य थे । जप्ती-पत्र प्रदर्शपी-293 है । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के घर से निम्नलिखित दस्तावेज बरामद हुये :-

1. प्रदर्श पी-294- अभियुक्त चंद्रकांत शाह द्वारा दिनांक 3-7-88 को पुलिस महानिरीक्षक ।आतंकवादी गतिविधियों।से स्वयं को उन्मुक्त करने हेतु दिया गया आवेदन ।

2. प्रदर्श पी-295-टाडा न्यायालय, रायपुर के जमानत आदेश, दिनांक 11-8-88 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जिसमें अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं सत्येन्द्रसिंह एवं जनार्दन शुक्ला को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया है ।

3. प्रदर्शपी-161 से 169-ये अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के बड़ेभाई प्रभुनाथ मिश्रा के विवाह के अवसर के रंगीन फोटोग्राफ्स हैं । इन फोटोग्राफ्स में अभियुक्त अवधेश राय एवं साक्षी जयनारायण त्रिपाठी ।अ0सा0क्र0-72। दिख रहे हैं ।

229. जयनारायण त्रिपाठी ।अ0सा0क्र0-72। के साक्ष्य के दौरान क्र0-4 में अभियुक्तों की ओर से उक्त फोटोग्राफ्स को साक्ष्य में प्रदर्शित करने पर आपत्ति किया गया था । साक्ष्य की सुविधा की दृष्टि से उस समय इन

236. अभियुक्त पलटन ग्राम सिवही, जिला देवरिया ।उ0प्र0। का स्थाई निवासी था और पिछले कुछ वर्षों से वह औद्योगिक नगरी, भिलाई ।जिला-दुर्ग ।म0प्र0। में रहने लगा था । वह साइकल मरम्मत का कार्य करता था । रेशमी बाई ।अ0सा0क्र0-51। नामक अपने से उम्र में कम-से-कम 10 वर्ष बड़ी परित्यक्ता महिला को वह भिलाई-3 में रखैल बनाकर रखा था और उसी के घर में रहा करता था ।

237. अभियुक्त पलटन के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा 457, 380, 379, 394 एवं 25/27 आर्म्स एक्ट के मामले तथा भा0दं0वि0 की धारा 353, 307, 397, 341, 294, 506 ।बी। एवं 323 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 के अंतर्गत विभिन्न आपराधिक मामले चल चुके थे । प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों से भी वह अछूता नहीं था और कई बार जेल जा चुका था ।

238. वह भिलाई इस्पात संयंत्र के क्वा0नं0-6एफ, कैम्प-1 में अनाधिकृत कब्जा करके रहता था । उसने अपने न्यायेत्तर संस्वीकृति में पैसे के लिये अपराध करना स्वीकार किया है । उपरोक्त पृष्ठभूमि के आधार पर यह उपधारणा आसानी से की जा सकती है कि वह ऐसा व्यक्ति है, जो पैसे के लिये कोई भी अपराध कर सकता है ।

239. यह आपराधिक षड़यंत्र का मामला है । यहां पर अभियुक्त पलटन के आचरण को अन्य सुसंगत तथ्यों से अलग करके साबित नहीं किया जा सकता । ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त पलटन का पूर्व बुरा चरित्र सुसंगत हो जाता है । इसके अतिरिक्त इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त पलटन का बुरा चरित्र अपने आपमें विवादयक तथ्य है । अत: अभियुक्तपलटन का बुरा चरित्र भारतीय साक्ष्य अधि0 की धारा 8 एवं धारा 54 के स्पष्टीकरण।1। के अंतर्गत सुसंगत है ।

240. अभियुक्त पलटन के विरुद्ध इतने अधिक आपराधिक प्रकरण लंबित थे कि वह अपराध करने का अभ्यस्त हो गया था । अपराध करना उसके व्यवहार व जीवनशैली का अभिन्न अंग बन गया था । ऐसे अभ्यस्त अपराधी का पेशेवर अपराधी के रूप में रूपांतरण बिना कठिनाई के हो सकता है ।

।5। <u>अभियुक्तों के आपसी संबंध:-</u>

<u>अभियुक्त पलटन एवं अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के संबंध:-</u>

241. सहायक जेलर एस0पी0सिंह ।अ0सा0क्र0-63। ने न्यायालय में बताया है कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा, पलटन मल्लाह और अवधेश राय सन् 85 से 88 तक

...90

23/6/?

COURT FEE INDIA ।।यो।

खड़ा रहा जाये तो अभियुक्त अमरसिंह का मकान दाहिनी ओर पड़ता है जो उसके क्वार्टर से 3 क्वार्टर छोड़कर चौथा क्वार्टर है । इस साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि सितम्बर 1991 में नियोगी की हत्या के पूर्व वह क्वा0नं0-6एफ में अभियुक्त पलटन मल्लाह को रहते हुये देखा था । प्रति-परीक्षण के कं0-8 में इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि नियोगी जी कीहत्या के लगभग एक-दो माह पहले उसने अभियुक्त पलटन को आखिरी बार क्वा0नं0-6एफ में देखा था । इस साक्षी के बयान में कोई ऐसी बात नहीं है, जिससे इसका कथन संदेहास्पद प्रतीत हो"।

234. अभियुक्त पलटन मल्लाह ने कोई भी ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया है कि नियोगी की हत्या के एक-दो महीने पहले वह किस क्वार्टर में रहता था । अभियुक्त पलटन ने न तो किसी मकान मालिक का बयान कराया है और न ही कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया है, जिससे वह स्वयं मकान का मालिक दिखता हो ।

235. यह अविवादित है कि क्वा0नं0-6एफ कैम्प-1, भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र का क्वार्टर है । पी0बी0नायर ।अ0सा0क्र0-19। ने अपने बयान में बताया है कि क्वा0नं0-6एफ केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम पर आबंटित किया गया था । इस क्वार्टर का कब्जा केन्द्रीय औ0 सुरक्षा बल को दिनांक 28-1-91 को दे दिया गया । केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निरीक्षक मोरपड़े ।अ0सा0क्र0-23। ने यह बताया है कि क्वा0नं0-6एफ को आरक्षक रामारेड्डी को आबंटित किया गया था, किंतु रामारेड्डी ने कभीभी क्वा0नं0-6एफ का कब्जा नहीं लिया।-इसक्वार्टर की चाबी उसके पास हीथी । सन् 91 में इस क्वार्टर को किसी को भी आबंटित नहीं किया गया था । सन् 93 में आरक्षक राजू शर्मा को यह क्वार्टर आबंटित किया गया। डी0एन0साहू ।अ0सा0क्र0-24। के कथन से भी यह दर्शित होता है कि आरक्षक रामारेड्डी की सेवायें 17-9-91 को समाप्त कर दी गई थी । इस तरह यह स्पष्ट है कि नियोगी की हत्या के कुछ महीने पहले से क्वा0नं0-6एफ में शासकीय रूप से कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था । अतः कृष्णकुमार ।अ0सा0क्र0-42। का यह कथन पूर्णतः विश्वसनीय है कि क्वा0नं0-6एफ में अभियुक्तपलटन रहा करता था । इन सब परिस्थितियों के आधार पर यह उपधारणा की जा सकती है कि अभियुक्त पलटन ने क्वा0नं0-6एफ में जबरदस्ती कब्जा कर लिया था ।

...89

को और अधिक ठोस बनाता है ।

246. इसके अतिरिक्त अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा कैम्प-1, भिलाई में रहता था । उसी कैम्प-1 एरिया में उसके मित्र अभियुक्त अभयसिंह के पड़ोस में अभियुक्त पलटन क्वा0नं0-6एफ में अनाधिकृत रूप से रहता था । उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि अभियुक्त पलटन एवं ज्ञानप्रकाश मिश्रा में संबंध था ।

<u>अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अभियुक्त चंद्रकांत शाह के संबंध</u> :-

247. मन्नूभाई बोड़ा ।अ0सा0क्र0-11। सिम्प्लेक्स कॉस्टिंग में जूनियर एक्जीक्यूटिव के पद पर कार्य करता है । उसने अपने बयान के कं0-6 में बताया है कि ओसवाल ।मालिक चंद्रकांत शाह। से जो माल टूटकर उसकी फैक्टरी में वापस आता था उस माल के ट्रकों के साथ कभी-कभी अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा भी सिम्प्लेक्स कॉस्टिंग में आया करता था । अतुलचंद्र पाल ।अ0सा0क्र0-3। के अनुसार अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने ग्राम सोनपुर में उसके नाम से एक ईंटा भट्ठा खरीद दिया था । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा उस भट्ठे में कोयला वगैरह लाने का कार्य किया करता था ।

248. सूरजमल जैन ।अ0सा0क्र0-92। के कंडिका-10 के बयान से यह दर्शित होता है कि शंकर गुहा नियोगी की हत्या के 2 दिन बाद दिनांक 30-9-91 को जब वह अभियुक्त चंद्रकांत शाह को अपनी पुत्री के जन्मदिन पार्टी का निमंत्रण देने के लिये उसके घर गया तो वहां अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा बैठा हुआ था ।

249. रविन्द्रकुमार सिंह ।अ0सा0क्र0-91। के अनुसार मार्च सन् 91 में जब वह टैम्पो ट्रैक्स से अभियुक्त चंद्रकांत शाह, अभयसिंह एवं अवधेश राय को लेकर नेपाल गया तो वहां अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा मिला था । अभियुक्त चंद्रकांत शाह और ज्ञानप्रकाश मिश्रा एक ही कमरे में ठहरे थे ।

250. रोशन मतीन ।अ0सा0क्र0-142। ने अपने बयान के कं0-6 में बताया है कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा अभियुक्त चंद्रकांत शाह की फैक्टरी में आना-जाना करता था, यदि अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा को पैसा देने के लिये चिट्ठी भेजा रहा होगा तो उसने अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा को पैसा दिया रहा होगा ।

251. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के घर की तलाशी में अभियुक्त चंद्रकांत शाह द्वारा दिनांक 3-7-88 को लिखा गया पत्र ।प्रदर्शपी-294। बरामद हुआ है ।

2/ 23/6/5?

....92

।।५।।

252. अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर से बरामद दस्तावेज ।प्रदर्श पी-393।9।, 393।10।, 393।11।, 393।12 व ।13।, प्रदर्श पी-447, 448, 449से 453 यह दर्शित करते हैं कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं चंद्रकांत शाह के बीच घनिष्ठ संबंध है ।

अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अभियुक्त अभयसिंह के संबंध :-

253. पी0 के0 विजयकुमार ।अ0सा0क्र0-119। के बयान से यह दर्शित होता है कि सितम्बर 91 में अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के बड़े भाई प्रभुनाथ मिश्रा की सिपसरिया पर टॉकीज के सायकल स्टैंड का ठेका अवधेश रॉय को दिया गया था । ठेका लेने के लिये अवधेश रॉय के साथ-साथ अभयसिंह भी आया था । इस सायकल स्टैंड का पैसा अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के सिंडीकेट बैंक में उसके खाते में जमा होता था ।

254. होटल मालिक राजकुमार पांडे ।अ0सा0क्र0-48। के बयान से भी यह दर्शित होता है कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अवधेश और अभयसिंह उसकी होटल में कभी-कभी खाना खाने के लिये आया करते थे ।

255. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अभयसिंह एक ही मोहल्ले कैम्प-। में रहते थे ।

256. शंकर गुहा नियोगी की हत्या के करीब एक सप्ताह बाद अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अभयसिंह एक साथ ही रात में भिलाई से पचमढ़ी गये । इस तरह इन दोनों अभियुक्तों के बीच में संबंध स्थापित होता है ।

अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अभियुक्त अवधेश रॉय के संबंध :-

257. अभियुक्त अवधेश रॉय भी पहले कैम्प-। में रहा करता था, जहां अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा का घर है ।

258. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा व अवधेश रॉय राजकुमार पांडे ।अ0सा0क्र0-48। के होटल में एक साथ खाना खाने के लिये जाया करते थे ।

259. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के बड़े भाई प्रभुनाथ मिश्रा के विवाह में अवधेश रॉय सक्रिय रूप से सम्मिलित हुआ था, जोकि प्रदर्श पी-161 से 169 तक के फोटोग्राफ्स में दर्शित होता है ।

260. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अवधेश रॉय एक साथ जिला जेल दुर्ग में रहे हैं ।

261. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के बड़े भाई प्रभुनाथ मिश्रा की सिफारिश पर मौर्या टाकीज में अभियुक्त अवधेश राय ने सायकल स्टैंड का ठेका लिया उसकी आमदनी अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के सिंडीकेट बैंक के खाते में जमा होता था ।

262. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अभियुक्त अवधेश राय के बीच भी संबंध स्थापित होता है ।

अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं चंद्रप्रकाश एवं बलदेव के संबंध :-

263. अभियुक्त चंद्रप्रकाश व बलदेव उस सायकल स्टैंड के क्रियाकलाप में संलग्न रहे हैं, जिसकी आमदनी। आमदनी। अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के सिंडीकेट बैंक के खाते में जमा की जाती थी ।

अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अभियुक्त मूलचंद शाह एवं नवीन शाह के संबंध:-

264. अभियुक्त नवीन शाह एवं अभियुक्त मूलचंद शाह सिम्प्लेक्स उद्योग समूह के मालिकों में से हैं । ओसवाल इंडस्ट्रीज। मालिक चंद्रकांत शाह। से जो माल ट्रकद्वारा सिम्प्लेक्स उद्योग में आता था उन ट्रकों के साथ-साथ अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा आया करता था ।

265. नियोगी के आंदोलन के दौरान अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा सिम्प्लेक्स गेट पर मौजद रहता था, जबकि वह सिम्प्लेक्स उद्योग का कर्मचारी नहीं था ।

266. अभियुक्त मूलचंद शाह एवं नवीन शाह अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के अभिन्न मित्र अभियुक्त चंद्रकांत शाह के बड़े भाई हैं ।

267. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा द्वारा दिनांक 28-9-91 को अभियुक्त नवीन शाह को प्रदर्श पी-298 का पत्र लिखा गया था । इस तरह इन तीनों अभियुक्तों का संबंध भी स्थापित होता है ।

268. अभियोजन की ओर से यह दलील दी गई है कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ही सिम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित अभियुक्तगण एवं अन्य अभियुक्तों के बीच धुरी का कार्य किया है ।

269. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा का अन्य अभियुक्तों के साथ जो उपर्युक्तानुसार संबंध रहा है उससे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा सिम्प्लेक्स उद्योग से संबंधित अभियुक्तों एवं अन्य अभियुक्तों के बीच एक महत्वपूर्ण धुरी का कार्य कर रहा था और सारा घटनाक्रम जिस प्रकार का रूप ले रहा था उससे सहज यह उपधारणा की जा सकती है कि इस प्रकरण के अभियुक्तों की गतिविधियों का केन्द्रबिंदु अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा था ।

28/6/93

COURT FEE 4 Rs.

270. 16। अभियुक्तों की लिखावट :-

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पुलिस-अधीक्षक बी०एस०कंवर ।अ०सा० क्र०-183। ने अपने बयान की कं०-7 में बताया है कि दिनांक 16-12-91 को उसने अभियुक्त चंद्रकांत शाह की नमूने की लिखावट ।एस०-13 से एस०-24। लिया था, जो प्रदर्श पी-259 है । उसने आगे प्रति-परीक्षण में कहा है कि उसे मुख्य अनुसंधान अधिकारी आर०एस०प्रसाद ने दिनांक 16-12-91 को ही कहा था कि नेवई थाना जाकर अभियुक्त चंद्रकांत शाह के नमूने की लिखावट ले ले । इस साक्षी ने प्रति-परीक्षण के कं०-15 में यह स्पष्ट किया है कि उस समय अभि० चंद्रकांत शाह पुलिस थाना दुर्ग के पुलिस रिमांड के अंतर्गत था ।

271. भरतलाल देवांगन ।अ०सा०क्र०-96। भिलाई इस्पात संयंत्र का कर्मचारी है । उसके अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो वालों ने उनके कार्यालय में आकर उनके अधिकारी बी०ममतानी से कहा कि उन्हें दो कर्मचारियों की आवश्यकता है । बी०ममतानी ने उसे और पी०आर०देवांगन को कहा कि वे सी०बी०आई० अधिकारी की मदद करें । वह पुलिस थाना नेवई आया तो देखा कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह थाने के अंदर कुर्सी में आराम से बैठा था । केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी धीरे-धीरे बोलता था, जिसे अभियुक्त लिखता था । अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने नमूने की लिखावट ।एस-13 से एस-24। उसके सामने ही लिखा था, जो प्रदर्श पी-258 है । अभियुक्त चंद्रकांत शाह को नमूने का लिखावट लिखने में लगभग एक घंटे का समय लगा था । इस तरह अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य पेश किया गया है उससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह से नमूने के लिखावट लिये गये है । अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने आराम से नमूने की लिखावट लिखकर दिया था ।

272. केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निरीक्षक एन०के०पाठक ।अ०सा०क्र०-181। ने अपने बयान में बताया है कि उसने दिनांक 25-11-91 को और 29-11-91 को विशाखापटनम हॉस्टल भिलाई में अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के नमूने की लिखावट लिया था । उसने दिनांक 25-11-91 को नमूने की जो लिखावट लिया।एस-25 से एस-78। वह प्रदर्श पी-341 तथा दिनांक 29-11-91 को जो नमूने की लिखावट ।एस-82 से एस-97। लिया वह प्रदर्श पी-379 है । प्रदर्श पी-379 की लिखावट ।नमूने की। अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा की है, इसका समर्थन जनार्दन पांडे अ०सा०क्र०-148 ने किया है और प्रदर्श पी-341 के नमूने की लिखावटभी अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा की है, जिसका समर्थन इंद्रकुमार अ०सा०क्र०-128 ने किया है ।

273. यहां पर उन्हीं दस्तावेजों के लिखावट के बारे में विचार किया जा रहा है, जो इस प्रकरण के निराकरण के लिये आवश्यक है । हस्तलिपि विशेषज्ञ डॉ0 एस0सी0 मित्तल (अ0सा0क्र0-160) ने अभियुक्त चंद्रकांत शाह की स्वीकृत लिखावट, नमूने की लिखावट एवं प्रश्नगत लिखावट (प्रदर्श पी-239) का परीक्षण करके यह प्रतिवेदन दिया है कि उक्त लिखावटों को लिखने वाला व्यक्ति एक ही है ।

274. इसी तरह हस्तलिपि विशेषज्ञ ने अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के स्वीकृत लिखावट, नमूने की लिखावट एवं प्रश्नगत लिखावट (प्रदर्श पी-298 एवं पी-393(8)) का परीक्षण करने के बाद उक्त लिखावटों को एक ही व्यक्ति का होने का अभिमत दिया है । हस्तलिपि विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्रदर्श पी-409 है ।

275. यहां पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि प्रदर्श पी-239 कागज का वह चिट है, जिसमें फियट कार नं0- एम0आई0आर0-227 एवं जीप नं0 एम0पी0टी0-7971 लिखा है । फियट कार नं0- एम0आई0आर0-227 का रजिस्ट्रेशन डॉ0 पुण्यव्रत गुन (अ0सा0क्र0-416) के नाम पर है । सन् 87 में जब शंकर गुहा नियोगी के पैर की हड्डी टूट गई तब से लेकर अपने जीवन के अंतिम समय तक शंकर गुहा नियोगी उक्त फियट कार का नियमित रुप से उपयोग करते थे । यह तथ्य पुण्यव्रत गुन (अ0सा0क्र0-416) एवं सुधा भारद्वाज (अ0सा0क्र0-15) के कथनों से प्रमाणित होता है । जीप क्र0 एम0पी0टी0-7971 का रजि0 छ0मु0मो0 के नाम पर है ।

276. प्रदर्श पी-298 का चिटकागज कावह फटा हुआटुकड़ा है, जो अभियुक्त चंद्रकांत शाह के आकाशगंगा परिसर कार्यालय में दिनांक 15-12-91 को बरामद किया गया था । यह पत्र अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा द्वारा अभियुक्त नवीन शाह को लिखा गया था ।

277. प्रदर्श पी-239 का चिट एवं प्रदर्श पी-393(8) अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर में तलाशी के दौरान मिला था । प्रदर्श पी-393(8) काठमांडू, नेपाल के एक प्रोविजन स्टोर म्युजन का बिल है, जिसके पीछे भाग पर अंग्रेजी में आर्म्स के नाम एवं उनकी कीमत लिखा है । हस्तलिपि विशेषज्ञ के अनुसार प्रदर्श पी-393(8) की लिखावट अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा की है ।

278. अभियुक्तों ने हस्तलिपि विशेषज्ञ से जो प्रति-परीक्षण किया है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं आई है, जिससे उसके प्रतिवेदन पर संदेह किया जा सके, बल्कि हस्तलिपि विशेषज्ञ ने अपने बयान के क0-13, 14 व 15 में निश्चयात्मक अभिमत दिया है ।

....96

279. हस्तलिपि विशेषज्ञ एस0सी0 मित्तल ।अ0सा0क्र0-160। ने रसायनशास्त्र में डॉक्टरेट किया है, फोरेन्सिक साइंस में दिल्ली वि0वि0 से एक वर्ष का डिप्लोमा किया है। उसने एफ0आर0आइ0, देहरादून से 6 महीने का पेपर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया है। केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सन् 70 से कार्यरत है। अपनी लेबोरेटरी में ही 2 वर्ष का वर्किंग ट्रेनिंग। विवादास्पद दस्तावेजों का परीक्षण किया है। सन् 78 से लेकर अभी तक उसने 1800 मामलों में दस्तावेजों का परीक्षण करके अपना अभिमत दिया है। उसने करीब 70ड मामलों में न्यायालयों में एवं विभागीय जांच में विशेषज्ञ के रूप में अपना बयान दिया है। इस तरह डॉ0 एस0सी0 मित्तल ।अ0सा0क्र0-160। हस्तलिपि विज्ञान में उच्च शैक्षणिक योग्यता रखते हैं और उन्हें दस्तावेजों के परीक्षण का काफी लंबा अनुभव है। डॉ0 मित्तल ।अ0सा0क्र0-160। एक विशेषज्ञ साक्षी हैं और उनके अभिमत से न्यायालय को सही निष्कर्ष देने में मदद मिलती है।

280. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा की ओर से केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निरीक्षक के0भट्टाचार्य ।अ0सा0क्र0-169। से यह प्रति-परीक्षण किया गया है कि प्रदर्श पी-393।8। की लिखावट उसकी है। उक्त साक्षी ने इस सुझाव का खंडन किया है। इसके पश्चात अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा की ओर से यह आवेदन पेश किया गया कि उक्त साक्षी के नमूने के लिखावट लिये जायें। न्यायालय द्वारा उसका आवेदन स्वीकार किया गया एवं उक्त साक्षी का नमूने का लिखावट ।प्रदर्श डी-50ए, बी, एवं सी। लिया गया, किंतु अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने इस साक्षी के नमूने के लिखावट को हस्तलिपि विशेषज्ञ के पास परीक्षण हेतु नहीं भेजा। अतः यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रदर्श पी-393।8। की लिखावट के0भट्टाचार्य ।अ0सा0क्र0-169। की है।

281. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रदर्श पी-।16 के अंग्रेजी की लिखावट अभियुक्त मूलचंद शाह की है।

।7। <u>नियोगी की डायरी व कैसेट:-</u>

282. जी0एम0 अंसार ।अ0सा0क्र0-55। के अनुसार उसने सन् 83 में अंग्रेजी में एम0ए0 किया है। वह सन् 74 में पश्चिम बंगाल से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिये राजहरा ।जिला-दुर्ग। आया था। सन् 77 में शंकर

....97

22/6/16

गुहा नियोगी से उसका परिचय हुआ । नियोगी जी ने उसे मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिये नियुक्त किया । उसके पश्चात नियोगी जी उससे प्रभावित हुये और छ०मु०मोर्चा की ओर से "मितान" नामक जो पत्रिका निकलती थी उसका उसे संपादक बना दिये । सन् 83 में वह राजहरा से वापस पश्चिम बंगाल चला गया और नियोगी जी जब उसे पत्र लिखते तो वह साल में एक-दो बार राजहरा आया करता था । इस तरह यह साक्षी शंकर गुहा नियोगी की लिखावट से भलीभांति परीचित था ।

283. इस साक्षी ने प्रति-परीक्षण की कं०- 9 में बताया है कि नियोगी जी उसे कविता लिखकर देते थे, जिसे वह छापता था । वह नियोगी जी की डायरी से नकल करके नहीं छापता था । नियोगी जी कभी डायरी में कविता लिखते थे और कभी पन्ने में कविता लिखकर देते थे और उसे कहते थे कि इसे उतार लो । नियोगी जी डायरी में-कविता और संगठन के बारे में लिखा करते थे । शंकर-गुहा नियोगी पुत्री क्रांति नियोगी ।अ०सा०क्र०-67। के कं०-10 के बयान से भी यह दर्शित होता कि उसके पिताजी डायरी लिखा करते थे । सुधा भारद्वाज ।अ०सा०क्र०-15। ने भी यह बताई है कि नियोगी जी ने उन्हें बताया था कि जेल में उन्हें पढ़ने के लिये एक नॉवेल मिला था और उस नॉवेल के कुछ सूक्तियों को उन्होंने अपनी डायरी में लिखे हैं अतः इन तीनों साक्षियों के कथनों से यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित होता है कि शंकर गुहा नियोगी अपने जीवनकाल में डायरी लिखा करते थे ।

284. जी०एम०अंसार ।अ०सा०क्र०-55। के बयान से ऐसा दर्शित होता कि शंकर गुहा नियोगी की हत्या का समाचार उसने पश्चिम बंगाल में समाचार-के माध्यम से जाना । वह कुछ दिनों बाद राजहरा आया और मृतक की पत्नी, पुत्री और छ०मु०मोर्चा के सदस्यों से मिला और नियोगी जी की डायरी के बारे पता लगाया । उसे यह पता लगा कि नियोगी जी एक डायरी भिलाई में है और वह सुधा भारद्वाज ।अ०सा०क्र०-15। के पास है । वह भिलाई आया और डायरी का पता लगाया, किंतु कुछ पता नहीं लगा, फिर वह रायपुर गया और सुधा भारद्वाज ।अ०सा०क्र०-15। से वह डायरी लिया । इस डायरी में कुछ कवितायें लिखी थी और अंग्रेजी में यह लिखा था कि "सम वन हेज कलेक्टेड पॉवर आन द नियोगी" । यह डायरी उसने डॉ० गुन ।अ०सा०क्र०-16। एवं डॉ० जाना ।अ०सा० क्र०-39। को दिखाया । उस समय पुलिस वाले अनुसंधान कर रहे थे । उसने यह डायरी पुलिसवालों को दिखाया । पुलिसवालों ने उससे वह डायरी जप्त किया इसका जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-105 है । इस साक्षी ने न्यायालय में पेश डायरी ।प्रद

पी-93। को देखकर कहा कि यह वही डायरी है जिसे नियोगी जी लिखा करते थे। इस साक्षी ने इस डायरी के पेज नं0-19 से लेकर 26 तक की लिखावट को नियोगी जी का होना बताया है। इसी तरह पेज नं0-27 से लेकर 33 तक की कविताओं को नियोगी जी की/लिखा होना बताया है। इस साक्षी ने पेज नं0-169 से लेकर 174 तक की लिखावट को नियोगी जी का होना प्रमाणित किया है। इस साक्षी ने पेज नं0-172 में अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा, संतोष, अवधेश, अभयसिंह, ओमप्रकाश मिश्रा, बिज्जू, राजकुमार पांडे एवं दिलीप पांडे का नाम होना बताया है।

285. डॉ0 पुण्यव्रत गुन ने अपने बयान के कं0-35 में बताया है कि मृतक शंकर गुहा नियोगी ने अपनी हत्या के 3-4 दिन पहले अपने हाथ से एक पत्र ।प्रदर्श पी-72। लिखकर उसके पास भेजा था और कहा था कि निरंजन यादव को 1,500/- रुपये महीना भुगतान करना है। इस तरह प्रदर्श पी-72 नियोगी जी की स्वीकृत लिखावट है। बसंत-गुप्ता ।अ0सा0क्र0-14। ने भी अपने बयान के कं0-24 में बताया है कि प्रदर्श पी-72 से प्रदर्श पी-92 तक के दस्तावेज में नीली स्याही से घिरा हुआ लेख सिवाय मार्किंग ए-1 से ए-21 तक को छोड़कर स्व0 शंकर गुहा नियोगी के हाथ का लिखा हुआ है। इस तरह इस साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रदर्श पी-93 की डायरी के लेख क्यू-2 से क्यू-7, जो कि लाल पेंसिल से घिरा हुआ है उसमें मार्किंग भाग ।क्यू-2 से क्यू-7। को छोड़कर शेष/लेख स्व0शंकर गुहा नियोगी के हाथ का है, जिसे प्रदर्श पी-94 से 99 तक अंकित किया गया है। इन सुसंगत प्रविष्टियों की पुष्टि हस्तलिपि विशेषज्ञ ।अ0सा0क्र0-168। एस0सी0 मित्तल के बयान से भी होती है।

286. इस तरह स्व0शंकर गुहा नियोगी ने अपने जीवनकाल में प्रदर्श पी-93 की डायरी में वर्तमान अभियुक्तों के संबंध में जो प्रविष्टियां किया है वह निम्नलिखित है :-

1. पेज नं0-32- सिम्पलेक्स-केडिया जैसे उद्योगपतियों ने दुर्ग जिला कि आला अफसरों को मिलाकर एक फासीवादी गिरोह बना चुका है। दुख के बात यह है कि दुर्ग एवं राजनांदगांव जिले की न्यायपालिका भी इस गिरह में शामिल हो चुका है।

2. पेज नं0-169:- अंग्रेजी में है और मिश्रित वाक्य है, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है :- पुलिस द्वारा बमकांड में गिरफ्तार लोगों से यह जानकारी प्राप्त हुई कि ज्ञानु ने फायर आर्म्स इकट्ठा करने के लिये सिम्पलेक्स से 5 लाख रुपये एकत्र किया है, प्रदीपसिंह से0-2 ने सिवान जिले से नियोगी को खत्म कराने के लिये एक आदमी प्राप्त किया है।

3\. पेज नं0 -172:- 1. ज्ञानप्रकाश मिश्रा,
2\. अवधेश-अबे से0-4, अभयसिंह, अवधेश से0-41, ज्ञानू का बांया हाथ ।

4, पेज नं0-174:- ज्ञानू -चंद्रकांत

287\. अतः यह प्रमाणित होता है कि स्व0शंकर गुहा नियोगी डायरी लिखते थे और वर्तमान अभियुक्तों के संबंध में की गई प्रविष्टियां स्व0शंकर गुहा नियोगी की लिखावट में है ।

288\. स्व0शंकर गुहा नियोगी की पुत्री क्रांतिगुहा नियोगी अ0सा0प्र0-67 67 ने अपने बयान के कं0-3 में बताई है कि एक दिन जब वह अपने घर के अंदर आंगन में खेल रहीथी तो उसके पिताजी गाने वाले कैसेट में दूसरी तरफ अपनी बात टेप कर रहे थे । उस समय उसने ध्यान नहीं दी कि उसके पिताजी क्या टेप कर रहे हैं । मृतक की पत्नी आशागुहा नियोगी अ0सा0प्र0-68 ने यह बताई है कि दिल्ली जाने के करीब 2 महीने पहले नियोगीजी ने उसे एक कैसेट दियाथा । उस कैसेट कोउसने रख दी और कैसेट वाली बात भूलभी गई थी । डॉ0 पुण्यव्रत गुन अ0 सा0प्र0-16 ने अपने बयान के कं0-7 में बताया है कि नियोगी जी कहते थे कि देश के सर्वोच्च प्रतिष्ठान राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, इससे अगर कोई हल नहीं निकलता तो आंदोलन तेज करेंगे । नियोगी जी ने अपने संबंध में यह भी कहाथा कि उन पर कभी भी हमला हो सकता है । नियोगी जी ने यहभी बताया कि एक कैसेट में उदयोगपतियों के नाम रिकार्ड किया हूं अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो कैसेट को सुन लेना और यूनियन के सदस्यों कोभी सुना देना । आगे कं0-13 में इस साक्षी ने कहा है कि नियोगी जी ने यह बात अपनी मृत्यु के करीब एक-डेढ़ महीने पहले ही बताया था, किंतु उसने सोचा कि नियोगी जी मजाक कर रहे हैं ।

289\. डॉ0 पुण्यव्रत गुन अ0सा0प्र0-16 ने बताया है कि शंकर गुहा नियोगी की मृत्यु के बाद जब अनुसंधान करने वाले अधिकारी क्रांतिगुहा नियोगी अ0सा0प्र0-67 से पूछताछ कर रहे थे तो क्रांति ने कैसेट का उल्लेख किया । वह छ0मु0मोर्चा के कार्यालय आया और कैसेट ढूंढा । उसे 2 कैसेट मिले।उसने उन दोनों कैसेटों को सुना, किंतु उसमें नियोगी जी की हत्या से संबंधित कोई भी बात नहीं थी । इस पर वह मृतक की पत्नी आशागुहा नियोगी अ0सा0प्र0-68 से पूछा कि क्या ऐसा कोई कैसेट है तब आशागुहा नियोगी अ0सा0प्र0-68 ने पेटी के अंदर से एक कैसेट निकालकर दी ।उन लोगों ने यूनियन के पदाधिकारियों के साथ उस कैसेट को सुना । उन्होंने इस कैसेट का डबिंग दूसरे कैसेट में कराया । सुधा भारद्वाज अ0सा0प्र0-15 ने इस कैसेट का ट्रांसक्रिप्शन किया । इसके पश्चात उसने

इस कैसेट को पुलिस को सौंप दिया, जिसे पुलिस ने जप्त किया । इसका जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-106 है । पुलिस उपाधीक्षक एम0जी0अग्रवाल. ।अ0सा0क्र0-18 21 ने भी अपने बयान के कं0-6 में बताया है कि डॉ0 गुन ।अ0सा0क्र0-26 के पेश करने पर उसने एक माइक्रोकैसेट जप्त किया था, जिसका जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-106 है । माइक्रोकैसेट डबिंग करने का पंचनामा प्रदर्श पी-107 है । उसने माइक्रोकैसेट के आवाजवाले बड़े कैसेट में डबिंग कर दिया और माइक्रोकैसेट को सीलबंद कर दिया । क्रांतिगुहा नियोगी ।अ0सा0क्र0-67। एवं आशागुहा नियोगी ।अ0सा0क्र0-68। के बयानों सेभी यह स्पष्ट होता है कि शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद उन लोगों ने कैसेट निकालकर डॉ0 गुन ।अ0सा0क्र0-16। को दिये ।

290. सुधा भारद्वाज ।अ0सा0क्र0-15। ने अपने बयान के कं0-8 में बताई है कि 5 अक्टूबर 91 को डॉ0 गुन ।अ0सा0क्र0-16। ने उसे एक कैसेट सुनने के बाद लिपिबद्ध करने के लिये कहा । उसने कैसेट को सुना । यह कैसेट शंकर गुहा नियोगी के आवाज में था । इस साक्षिनी ने बताई है कि उसने शंकर गुहा नियोगी को कई बार बोलते हुये सुना था और टेलीफोन पर भी उनकी आवाज सुनी थी, इसलिये वह नियोगी जी की आवाज पहचानती थी । कैसेट को सुनने के बाद उसने इसका ट्रांसक्रिप्शन किया, जो प्रदर्श पी-101 है । इस ट्रांसक्रिप्शन को उद्धरित करना सुसंगत होगा:-

भिलाई के पूंजीपतियोंने जिस प्रकार झूठ और फरेब का राज्य चला रहा है, उन्होंने जिला प्रशासन को जिस प्रकार दबाव डाल रहा है, उन्होंने, गुंडों को जिस प्रकार यूनियन के समर्थकों या यूनियन के नेताओं के ऊपर जानलेवा हमले करने के लिये उकसा रहा है, इससे यह बात दिख जा रहा है कि निकट भविष्य में वहां ऐसी कुछ गलत काम संगठित हो सकेंगे, जिससे मजदूर आंदोलन के ऊपर एकभयंकर खूंखार हमला के जरिये उसे चकनाचूर करने के लिये, उसे खत्म करने के लिये एक आखिरी प्रयास हो सकेगा ।

परंतु मजदूर वर्ग इस बात को जानता है कि पूंजीपति कितना भी ताकतवर क्यों न हो उसे मुकाबला हमें करना ही होगा । अगर हम सही ढंग से मुकाबला न कर सकेंगे, अगर हम इन खूंखार मालिकों के खिलाफ अपनी सारी ताकत न लगा सकेंगे, फिर ऐसी कुछ पूंजीपतियों की दादागिरी हर वक्त चलता रहेगा, परंतु जनवादी प्रक्रिया के आंदोलन को इन खूंखार दरिंदों ने हमेशा-हमेशा की तरह हमला करते ही रहेंगे । इसलिये मुकाबला की आवश्यकता है और मुकाबला हमें करना ही होगा ।

23/1/95

....10।

मैं जानता हूं कि ये लोग मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है । मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि हो सकता है इस आंदोलन के दरम्यान में मुझे मार डालेंगे । मृत्यु सबके लिये आयेगा, मेरे लियेभी आयेगा । आज नहीं तो कल । एक साल बाद या पर साल बाद या कल के दिन । मैं जानता हूं यह दुनिया बहुत सुंदर है । मैं यह चाहता हूं कि इस दुनिया में ऐसी व्यवस्था कायम करने के लिये जहां शोषण नहीं रहेगा, जहां मेहनतकश मजदूर किसान शांति से अपना जीवन जियेंगे, परंतु मैं चाहने से सब कुछ नहीं होने वाला है । मुझे मेरी जिंदगानी पूरी करना है । मैं सुंदर दुनिया को अवश्य प्यार करता हूं, परंतु मेरा कर्तव्य, मेरा काम मेरे लिये सबसे प्यारा है । मैं जिस जिम्मेदारी को लिया हूं, उठाया हूं उस जिम्मेदारी को मुझे पूरा करना ही होगा और ये लोग मुझे मार डालेंगे, फिर भी मैं जानता हूं मुझे मारने से हमारे आंदोलन को कोई समाप्त नहीं कर सकेगा । यह जरूर है कि ।मैं। यह बात निश्चित रूप से सामने आयेगा कि मेरे मृत्यु के बाद "कौन मुझे मारा" ।क्या इस बात की। मेरे मृत्यु के पीछे कौन जिम्मेदार है ।

सिम्प्लेक्स के लोग जिस प्रकार से बदमाशी कर रहा है, विशेष रूप से— मूलचंद, जिस प्रकार से क्रिमिनल्स लोगों को इकट्ठा कर रहा है, उधर प्रभुनाथ मिश्रा है, जो शांतिलाल जैन का दोस्त भी है । उसने जिस प्रकार उसका भाई गुंडा है, उसनेभी पूरा जोर कोशिश कर रहा है कि यहां पे ऐसी कुछ अघटन घटाया जाये । केडिया बहुत चालू आदमी है । उससे ही मुझे यह विश्वास है कि मूलचंद और केडिया ये दो ही आदमी आज इस समय ये सारे साजिशों के पीछे हैं । मैं आभास से इस बात को पूरा समझते जा रहा हूं कि ये दोनों व्यक्ति लगातार यहां के जो आई0जी0- इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं मिस्टर सिंह, उसके साथ मिलकर एक बड़ा साजिश में जुटा हुआ है और इसलिये मैं इस बात को, मेरे दिल की भावना को मैंने टेपरिकार्डर के जरिये से रिकार्ड करके जा रहा हूं औरक्योंकि शायद बहुत जल्दी कुछ होने वाला है इसलिये ये रिकार्ड हमारे साथियों को ये सारे बातों को समझने मेंमदद करेगा ।

मेरे मृत्यु के बाद एक ऐसे नेतृत्व को कायम रखना होगा, जिस नेतृत्व को इस बात का यकीन होना चाहिये कि हम सही दिशा में इस आंदोलन को ले के जायेंगे । हमारे आंदोलन में रचना और संघर्ष यह दो मुख्य बात है । माने रचनात्मक कार्य करना होगा और शोषण-हर शोषण और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष भी जारी रखना होगा । ।अनूपसिंह एक अच्छेव्यक्ति हैं, नवयुवक हैं, परंतु उनका कुछ समस्या भी है, आर गणेश, अनूप, जनक, डॉ0 गुन, डॉ0 जाना, नीलरतन के साथ इन लोग

मिलकर अगर सही ढंग से एक डेमाक्रेटिक प्रोसेस के जरिये, एक जनवादी प्रक्रिया के जरिये से कोई निर्णय लें तो वह निर्णय सही निर्णय होगा ।। हमें यह कोशिश करना होगा कि भिलाई के सिम्पलेक्स में जो दो-चार साथी नये आ रहे हैं- इसी, सब कॉस्टिंग, इंजीनियरिंग और उद्योग ये तीन विभाग में और जो साथी लोग उरला में काम कर रहे हैं, टेडेसरा में काम कर रहे हैं, उसमें से नया साथी लोग आ रहे हैं । उन लोगों को ले के एक अच्छे संगठन का शुरूआत किया जा सकता है । इसके अलावा जो गायक कलाकार लोग। जिनको जिन्होंने इस आंदोलन के स्टेज से उभरकर आया है- फागूलाल जी-भागू राम जी के साथ मिल के ये लोग भी कुछ काम करें तो जो। हमारे निर्णय लेने के जो कल के दिन जो निर्णय लिया जायेगा उसी निर्णय लेने वाली जो टीम होगा उसमें इन लोगों को भी जोड़ के हम लोगों को शामिल करना चाहिये ।

राजनैतिक ग्रुप से हमारे निकटतम है पीपुल्सवार ग्रुप और आई० पी०एफ० । पीपुल्स वार ग्रुप में कुछ हमारा विरोध भी है- वह है कि उन्होंने सिर्फ बंदूक के आधार करके जो संगठन बनाना चाहता है उससे मेरा सहमत नहीं है । हमें जनवादी आंदोलन को तेज कर, जनता को गोलबंद कर, फिर आवश्यकता पड़ने पर या समय की पुकार पर हमें सशस्त्र संग्राम से भी ने डरना चाहिये और हथियारबंद संघर्ष के लिये भी हमें तैयार रहना चाहिये, परंतु शुरू में हथियारबंद संघर्ष का गैर जनवादी तरीका में जाना उचित नहीं होगा । पहले हमें यह कोशिश करना होगा कि सारी शक्ति हम जनवादी कृत्य में लगायें । जनता को महसूस हो कि नहीं, जनवादी प्रक्रिया से कुछ संभव नहीं हो रहा है । इस व्यवस्था को खत्म करने के लिये उस समय हम अगर हथियारबंद संघर्ष करेंगे तो वह एक सही रास्ता होगा । आई० पी०एफ० से मेरा फर्क यही है कि आई०पी०एफ० के लोग यह जो लोग इन बातों को बता रहे हैं, परंतु उसका नेतृत्व जो है वह एक पीछे हटने वाला कुछ कदम उठाया है, जो हमें पसंद नहीं है । उन्होंने पेरेस्त्रोइका या ग्लासनोस्त के बारे में जिस प्रकार से अपना भावना बनाया । यह एक बिल्कुल गलत भावना है और वर्तमान सोवियत नेतृत्व को हम किसी हालत में क्रांतिकारी नेतृत्व नहीं मान सकते । तो अगर मैं समझता हूं कि एक दिन ऐसे भी आयेगा कि भारत में कुछ एक सही ढंग का एक मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी बनेगी । जिस दिन एक मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी बनेगी उस दिन छत्तीसगढ़ के हमारे क्रांतिकारी साथियों को मैं निवेदन करूंगा उस दिन उन मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी के साथ में मिल के उन्होंने भी नया दुनिया या नया समाज रचना में सबको सहयोग देते हुये आगे बढ़े ।

98 23/6/(?)

...103

Regarding the theoretical matter we must continuously ~~xxxxxx~~ discuss with Com.Dr.Vinayak Sen.

Bhimrao Bagde should be included in the central decision making committe and Sheikh Ansar is a brilliant chap. He shold also be included in the decision making body.

Atul and Somdutt should be encouraged to develop in our future programme.

मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में अंजोर सिंह को जरूर लेना चाहिये। ये इनके उपर हमारा काफी उम्मीद है। मुझे विश्वास है अंजोर सिंह के नेतृत्व में आदिवासी इलाकाओं में एक ऐसी शक्ति पैदा होगा, जो कि इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के दिन में जो बहुत बड़ी-से-बड़ी जत्था का निर्माण होगा उसका नेतृत्व कर सकेंगे।

291. अभियुक्तगणों की ओर से यह दलील दी गई है कि नियोगी जी की आवाज में कई कैसेट है और प्रश्नगत माइक्रोकैसेट नियोगी जी की आवाज में नहीं है। यह बात सही है कि सुधा भारद्वाज (अ०सा०क्र०-15) एवं डॉ० पुण्यव्रत गुन (अ०सा०क्र०-16) के बयानों से यह दर्शित होता है कि मृतक शंकर गुहा नियोगी ने अपने जीवनकाल में अपने कई भाषणों को कैसेट में रिकार्ड किया था और उक्त कैसेटों को छ०मु०मोर्चा के कार्यालय में सुना जाता था। इसमें कोई भी अस्वाभाविकता नहीं है। शंकर गुहा नियोगी एक श्रमिक नेता था, इसलिये उनके लिये यह स्वाभाविक एवं कुछ हद तक आवश्यक भी था कि वे अपने विचारों को मजदूरों एवं सामान्य जनता तक पहुंचायें। कोई भी व्यक्ति एक ही बात को बार-बार बोल नहीं सकता, इसलिये व्यक्ति अपने अच्छे विचारों को या अपने उन कार्य पद्धति को, जिसे वह अच्छा समझता है रिकार्ड कर लेता है। ऐसा रिकार्ड एक स्थाई संपत्ति होती है, जिसका लाभ सुनने वालों को मिल सकता है। श्रमिक नेता के साथ-साथ बहुत से राजनेता एवं आध्यात्मिक व्यक्ति भी अपने विचारों एवं भाषणों को कैसेट में रिकार्ड करते हैं एवं अपने अनुयायियों को सुनने के लिये दिया करते हैं, इसलिये यदि शंकर गुहा नियोगी ने अपने जीवनकाल में अपने भाषणों को कैसेट में रिकार्ड किया था तो इससे कोई संदेह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।

292. न्यायालय को इस बात पर भी विचार करना है कि माइक्रोकैसेट में जो आवाज है वह मृतक शंकर गुहा नियोगी की है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनके आवाज की नकल (मिमिक्री) तो नहीं किया गया है। सुधा भारद्वाज (अ०सा०क्र०-15)

COURT FEE

....104

के कं0-8 एवं 9 के बयान से यह स्पष्ट होता है कि उसने न्यायालय में माइक्रोकैसेट सुनने के पश्चात यह बताई है कि यह आवाज नियोगी जी की है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि उक्त साक्षिनी ने ही माइक्रोकैसेट का ट्रांसक्रिप्शन प्रदर्श पी-101 तैयार कीथी। इस साक्षिनी ने न्यायालय में बताई है किप्रदर्श पी-101 में पहले लाईन में जहां पूंजीपति लिखा है वह वास्तव में उद्योगपति होना चाहिये। इस तरह ट्रांसक्रिप्शन में बहुत ही तुच्छ त्रुटि हुई है। इस साक्षिनी ने न केवल शंकर गुहा नियोगी की, बल्कि उसकी पत्नी श्रीमती आशागुहा नियोगी [अ0सा0क्र0-68] की आवाज को भी पहचान लेने बोली है। इसी तरह डॉ0 पुष्पव्रत गुन [अ0सा0क्र0-16] नेभी न्यायालय में माइक्रोकैसेट [आर्टिकल सी"] को सुनने के पश्चात यह बताया है कि यह मृतक शंकर गुहा नियोगी की आवाजहै।

293. मृतक शंकर गुहा नियोगी की पत्नी आशागुहा नियोगी [अ0सा0क्र0-68] नेभी अपने बयान के कं0- 4 में माइक्रोकैसेट को सुनने के बाद यह दावा की है कि यह उसके पति की आवाज है। मृतक की पुत्री क्रांतिगुहा नियोगी [अ0सा0क्र0-67] ने भी न्यायालय में 2 बार कैसेट सुनने के पश्चात यह बताई है कि इसकी आवाज उसके पिता जी की है।

294. बचाव पक्ष के विदवान काउन्सिल श्री राजेन्द्रसिंह ने यह दलील दिये हैं कि मृतक शंकर गुहा नियोगी की आवाज [कैसेट] की पहचान स्वतंत्र साक्षी द्वारा की जानी चाहिये न कि हितबद्ध साक्षी द्वारा। यह सामान्य अनुभव की बात है कि किसी व्यक्ति की आवाज या तो उसके परिवार के सदस्य पहचानेंगे या ऐसे व्यक्ति पहचानेंगे, जिससे उस व्यक्ति का लगातार बातचीत होते रहता है। कोई अनजान व्यक्ति मृतक की आवाज नहीं पहचान सकता।

295. न्यायालय मेंजब माइक्रोकैसेट आर्टिकल सी" चलाया गया तो उसकी आवाज सुनकर मृतक की पत्नी आशा गुहा नियोगी [अ0सा0क्र0-68] रोने लगी। इसी तरह क्रांतिगुहा नियोगी [अ0सा0क्र0-67] कैसेट की आवाज सुनकर एवं प्रदर्शपी-93 की डायरी की लिखावट देखकर एवं मृतक के कपड़े देखकर रोने लगी। इस तरह पत्नी एवं पुत्री द्वारा जिस आवाज को सुनकर ऐसा भयविह्वल वातावरण निर्मित हो गया था वह आवाज निश्चित ही उनके पति/पिता की हीथी। यदि आवाज बनावटी रहती तो कोई कारण नहीं है कि उसे उसके परिवार के सदस्य नहीं पहचान पाते। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि माइक्रोकैसेट आर्टिकल "सी" मृतक की न होकर किसी बनावटी [मिमिक्री] आवाज में है।

296. डा0 पुण्यव्रत गुन ।अ0सा0क्र0-16।, सुधाधारद्वाज ।अ0सा0क्र0-15।, प्रीतिगुहा नियोगी ।अ0सा0क्र0-67 एवं आशागुहा नियोगी ।अ0सा0क्र0-68।' के बयानों के आधार पर एवं माइक्रोकैसेट आर्टिकल "सी" के संदर्भ के आधार पर यह निश्चित रुप से कहा जा सकता है कि उक्त माइक्रोकैसेट में जो आवाज है वह मृतक शंकर गुहा नियोगी की ही है ।

297. मृतक की डायरी प्रदर्श पी-93 के पेज नं0-169 परभी इस मामले के साक्ष्य के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिये । होटल बंजारा, सिवान ।बिहार। के मैनेजर अजयकुमार सिंह ।अ0सा0क्र0-156। ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 14-11-90 को अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा भिलाई से उसकी होटल में आया और दिनांक 19-11 -90 तक ठहरा था । दिनांक 19-11-90 को अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने होटल छोड़ने के बाद पुनः एक अन्य व्यक्ति के साथ उसकी होटल में आ गया और दिनांक 23-11-90 तक ठहरा था । दिनांक 22-11-90 को अवधेश कैम्प-1, भिलाई एक व्यक्ति के साथ उसकी होटल में आया और दिनांक 23-11-90 तक उसकी होटल में ठहरा । दिनांक 23-11-90 को अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा अन्य दो व्यक्तियों के साथ उसकी होटल में आया और दिनांक 1-12-90 तक उसकी होटल में ठहरा था । दिनांक 9-12-90 को अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा उसकी होटल में आया और दिनांक 13-12-90 तक उसकी होटल में ठहरा था । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा को न्यायालय में इस साक्षी ने देखकर पहचान किया है । चूंकि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा उसकी होटल में कई बार और लंबे समय तक ठहरा था, इसलिये इस साक्षी द्वारा अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा को पहचाना जाना अस्वाभाविक नहीं है । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने अपने अभियुक्त कथन में होटल बंजारा, सिवान ।बिहार। में उपरोक्तानुसार ठहरना स्वीकार किया है । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने अपने अभियुक्त कथन में यह बताया है कि वह अपने मित्र शहाबुद्दीन ।पूर्व विधायक एवं वर्तमान संसद सदस्य।-से मिलने सिवान जाया करता था, किंतु यह कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, यदि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा अपने मित्र से मिलने गया होता तो वह उसके घर में ठहरता न कि इस तरह होटल में रुका होता । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा द्वारा अपने मित्र से मिलने के संबंध में और कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है ।

298. अभियुक्त अवधेश राय ने अपने अभियुक्त कथन में होटल बंजारा, सिवान।बिहार। में ठहरने से इंकार किया है, किंतु होटल बंजारा के यात्री रजिस्टर प्रदर्श पी-307 से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अभियुक्त अवधेशराय

दिनांक 22-11-90 एवं 23-11-90 को उक्त होटल में ठहरा था ।

299. मृतक की हत्या जिस व्यक्ति ने किया है वह जिला सिवान, बिहार का रहने वाला नहीं है । प्रदर्श पी-93 की डायरी के पेज -169 में मृतक शंकर गुहा नियोगी ने जिस तरह मिश्रित एवं विलष्ट वाक्य लिखा है उससे तोड-मरोडकर यह निष्कर्ष निकाला जाना कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने नियोगी को मारने के लिये सिवान जिले से एक आदमी प्राप्त किया है उचित नहीं होगा, किंतु यह अर्थ निकाला जा सकता है कि ज्ञानू (ज्ञानप्रकाश मिश्रा) ने सिम्पलेक्स से 5 लाख रूपये प्राप्त करके फायर आर्म्स एकत्र किया है ।

300. यहां पर यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि क्या मृतक नियोगी ऐसा व्यक्तिथा, जो अपनी डायरी (प्रदर्श पी-93) एवं माइक्रोकैसेट आर्टिकल "सी" में असत्य कथन कर सकता था ? कोई व्यक्ति असत्य कथन कर सकता है या नहीं यह जानने के लिये उस व्यक्ति के पूर्व आचरण एवं पृष्ठभूमि को देखना सुसंगत होता है । -जी0एम0 अंसार (30सा0क्र0-55) के कथन से यह स्पष्ट है कि जब उसकी मुलाकात मृतक शंकर गुहा नियोगी से हुई थी तो उसने मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिये उसे नियुक्त किया था । मृतक शंकर गुहा नियोगी ने डॉ0 पुण्यव्रत गुन को छ0मु0मोर्चा द्वारा स्थापित अस्पताल (शहीद हॉस्पिटल) में नियुक्त किया था । मृतक ने मजदूरों के हितों के लिये पहले राजहरा में फिर ए0सी0सी0 जामुल में और उसके पश्चात सन 90 से भिलाई में आंदोलन चलाया था । आंदोलन के दौरान जो मजदूर निकाल दिये जाते थे उसे नियोगी संगठन की ओर से 1,500/- रूपये मासिक दिलाया करते थे ।

301. मृतक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी व बच्चे अभी भी मगोलीपारा, राजहरा में दो कमरों के मकान में रहते हैं । बच्चों की पढ़ाई का खर्च छ0मु0मोर्चा वहन करती है । मृतक की पत्नी व बच्चों के भरण-पोषण के लिये छ0मु0मोर्चा की ओर से उन्हें 1,500/- रूपये मासिक मिलता है । यह रकम उतनी ही है, जितना मृतक शंकर गुहा नियोगी अपने जीवनकाल में छटनी किये गये मजदूरों को संगठन की ओर से मासिक दिलवाया करता था । इससेयह स्पष्ट है कि संगठन (छ0मु0मोर्चा) के पास पर्याप्त आमदनी का स्रोत होते हुयेभी उसका प्रमुख (शंकर गुहा नियोगी) ने व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित नहीं किया था । इसके विपरीत मृतक की पत्नी व अवयस्क बच्चों का रहन-सहन देखकर कोई भी सामान्य विवेक वाला व्यक्ति यह कह सकता है कि शंकर गुहा नियोगी एक ईमानदार व्यक्तिथा, जिसने संपत्ति अर्जित करना अपना व्यक्तिगत ध्येय नहीं बनायाथा ।

302. जो व्यथित मजदूरों एवं उनके बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामूहिक कल्याण के लिये संघर्ष कर रहा था, जो अपने जीवन में ईमानदार था क्या वह असत्य कथन कर सकता था ? इसका उत्तर सरलता से यह दिया जा सकता है कि शंकर गुहा नियोगी एक सत्यवादी व्यक्ति था, जो कि डायरी एवं कैसेट में असत्य कथन नहीं कर सकता था । मृतक ने अपनी डायरी में अभियुक्तों के नाम को जिस ढंग से लिखा है उसकी सत्यता साक्ष्य द्वारा भी प्रमाणित होती है। जैसे - पेज नं0-174 पर ज्ञानू-चंद्रकांत, पेज नं0-172 पर- अवधेश। नं0-4। ज्ञानू का बांया हाथ ।

303. अभियुक्तों के उपर्युक्त घनिष्ठ संबंध साक्ष्य द्वारा पूर्व में ही प्रमाणित हो चुके हैं ।

304. जब मृतक का कथन ।डायरी एवं कैसेट में। सत्य है तब उसकी सुसंगतताम देखना और उसकी हत्या से अभियुक्तों की संलग्नता जोड़ने का कार्य सागर मंथन जैसे है ।

305. विद्वान व्याव काउन्सिल श्री राजेन्द्रसिंह ने निम्नलिखित आधारों पर यह दलील दिये हैं कि मृतक द्वारा डायरी में की गई प्रविष्टि एवं कैसेट में रिकार्ड किया गयाकथन भारतीय साक्ष्य अधि0 की धारा 32। ।। की परिधि के अंतर्गत नहीं आता:-

1. मृतक की डायरी की प्रविष्टि एवं उसके कैसेट के कथन उसकी मृत्यु से संबंधित नहीं है ।
2. डायरी में इंद्राज कब किया गया और कैसेट में कथन कब रिकार्ड किया गया इसका कोई साक्ष्य नहीं है ।
3. मृतक की डायरी की प्रविष्टियां एवं कैसेट के कथन बहुत पूर्व के हो सकते हैं, जिसका उसकी मृत्यु से कोई नजदीकी संबंध नहीं है ।

306. विद्वान व्याव काउन्सिल श्री राजेन्द्रसिंह ने यहभी दलील दिये है कि किसी कथन को साक्ष्य अधि0 कीधारा 32। ।। के अंतर्गत सुसंगत होने के लिये -"समीपता केपरीक्षण ।प्रॉक्सिमिटी टेस्ट" द्वारा साबित होना चाहिये ।

307. इस बात में कोई विवाद नहीं है कि मृतक ने अपनी डायरी में व अपने कैसेट में अभियुक्तों का नाम जिस संदर्भ से लिया है उसका उसकी मृत्यु से सीधा संबंध/साक्ष्य का विषय है । मृतक शंकर गुहा नियोगी ने सन 90 में ही भिलाई में आकर उद्योगपतियों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कियाथा । उसकी मृत्यु सन 91 में हो गई । इस तरह डायरी की प्रविष्टियों के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि मृतक ने अपने मृत्यु के एक वर्ष के अंदर ही उसमें प्रविष्टि किया था । मृतक शंकर गुहा नियोगी 4-2-91 से 3-4-91 तक दुर्ग जेल में रहे । प्रदर्श पी-93 की डायरी

के पेज 169 में मृतक ने जो प्रविष्टियाँ किया है उससे यह दर्शित होता है कि ये उसकी जेल की अवधि के दौरान की प्रविष्टियाँ हैं । सितम्बर, 91 में मृतक की हत्या हो गई । इस तरह पेज नं0-169 की प्रविष्टि मृतक की मृत्यु के 5-6 महीने पूर्व की होनी चाहिये ।

308. मृतक की पत्नी आशा गुहा नियोगी अ0सा0क्र0-68 ने अपने बयान के कं0-2 में बताई है कि दिल्ली जाने के करीब 2 महीने पहले नियोगी जी ने उसे कैसेट दिया था । शंकर गुहा नियोगी सितम्बर 91 में ही दिल्ली गये थे । डॉ0 पुण्यब्रत गुन ने अपने बयान के कं0-13 में बताया है कि नियोगी जी ने अपनी मृत्यु के एक-डेढ़ महीने पहले कैसेट की चर्चा किया और बताया कि उन पर कभी भी हमला हो सकता है । नियोगी जी ने उसे यह भी बताया कि कैसेट में उद्योगपतियों के नाम रिकार्ड किया हूं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो कैसेट को सुन लेना और यूनियन के सदस्यों को भी सुनवा देना । इस तरह मृतक की पत्नी व डॉ0 पुण्यब्रत गुन अ0सा0क्र0-16 के बयानों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाये तो यह कहा जा सकता है कि अपनी मृत्यु के करीब 2 से 3 महीने के अंदर ही मृतक ने माइक्रोकैसेट आर्टिकल "सी" अपनी आवाज में रिकार्ड किया था ।

309. विद्वान बचाव काउन्सिल श्री राजेन्द्र सिंह ने <u>ओंकार गणेश बनाम म0प्र0 राज्य 1974 एम0पी0एल0जे0-429</u> वाले खंडन्यायपीठ के निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया है । इस निर्णय में माननीय उच्च-न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधि0 की धारा 32(1) के अंतर्गत यह अभिनिर्धारित किया है कि- संव्यवहार की परिस्थितियों का मृत्यु से सीधा संबंध होना चाहिये, यदि मृतक ने अपना कथन घटना के बहुत पूर्व किया हो और इससे हेतुक का सुझाव मिलता हो तो वह ग्राह्य नहीं होता ।

310. <u>माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने शरद बिरदीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य ए0आई0आर0-1984 सु0को0-1622 पैरा-21</u> में यह अभिनिर्धारित किया है कि -समीपता के परीक्षण के विषय में यह कहा है कि- इसका शाब्दिक एवं संकुचित अर्थ नहीं लगाया जा सकता । समय की दूरी कितनी है यह प्रकरण के विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करती है, जहां कि मृत्यु एक लंबे नाटकीय प्रक्रिया के बाद होती है और अगर मृतक का कथन उस नाटक के प्रत्येक भाग से जुड़ता हो तो भी यह साक्ष्य में ग्राह्य होगा ।

311. हाल में ही <u>माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने रतन सिंह बनाम हिमाचलप्रदेश राज्य 1997 क्रि0लॉ0ज0-833, पैरा-15</u> में साक्ष्य अधि0

है कि- यह आवश्यक नहीं है कि परिस्थितियां समीप की हों, अपितु परिस्थितियां यदि दूर की हों तो भी वे साक्ष्य में ग्राह्य होती हैं, यदि उसका संबंध उस संव्यवहार से हो, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई हो । उपर्युक्त कारण से मृतक द्वारा अपनी डायरी में की गई प्रविष्टि एवं कैसेट में रिकार्ड किया गया उसका बयान साक्ष्य अधि0 की धारा 32॥॥ के अंतर्गत सुसंगत एवं ग्राह्य है ।

312. उपर्युक्त न्याय-दृष्टांत के क्र0-17 में यह भी कहा गया है कि साक्ष्य अधि0 की धारा 32॥॥ का कथन सारवान साक्ष्य होता है और उस पर संपुष्टि के बिना भी कार्यवाही की जा सकती है, किंतु इस मामले की परिस्थितियां और जटिलता को देखते हुये न्यायालय को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मृतक की डायरी एवं कैसेट में जिन अभियुक्तों का नाम है उनके अपराध में भागीदारी अन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि की जाये ।

18। <u>नियोगी का आंदोलन एवं अपराध का हेतुक :-</u>

1. सिम्पलेक्स उद्योग समूह को हानि,
2. सिम्पलेक्स उद्योग से मजदूरों की छटनी,
3. छ0मु0मोर्चा के श्रमिकों पर हमले ।

313. उप-निरीक्षक पी0सी0 तिवारी ।अ0सा0क्र0-3। सन् 90 में पुलिस थाना लालबाग, जिला-राजनांदगांव में थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत थे । उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिम्पलेक्स उद्योग समूह की 3 फैक्टरियां थी । सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग एवं फाउंडरी वर्क्स लिमिटेड, राजनांदगांव यूनिट के महाप्रबंधक ने दिनांक 5-5-91 को पुलिस-अधीक्षक, राजनांदगांव को यह शिकायत ।प्रदर्श पी-29। भेजा कि छ0मु0मोर्चा के श्रमिक आंदोलन कर रहे हैं । इस शिकायत के साथ छ0मु0मोर्चा के नारे की फोटोकापी प्रदर्श पी-28 भी भेजी गई थी । उप-निरीक्षक सुरेश सेन पुलिस थाना जामुल, भिलाई के बयान से ।अ0सा0क्र0-6। स्पष्ट है कि सिम्पलेक्स यूनिट-1 व 2 के मालिक अभियुक्त मूलचंद शाह हैं और सिम्प्लेक्स कॉस्टिंग के मालिक अभियुक्त नवीन शाह हैं । दिनांक 1-1-91 को जब उसकी ड्यूटी सिम्पलेक्स उद्योग नं0-2 के पास थी तब छ0मु0मोर्चा के मजदूर नारेबाजी कर रहे थे और उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई । उस दिन दोपहर के करीब 1.30 बजे मृतक शंकर गुहा नियोगी आये और उन्होंने श्रमिकों को संबोधित किया । मजदूर लोग उद्योगपतियों के विरुद्ध नारे लगा रहे थे ।

314. तात्कालीन नगर-निरीक्षक एस0एल0 सलाम ।अ0सा0क्र0-7। ने अपने बयान के क्र0-7 में बताया है कि दिनांक 17-9-90 को छ0मु0मोर्चा एवं छ0श्रमिक संघ की ओर से जुलूस निकाला गया । इस जुलूस में करीब 1,000-1,200 मजदूर थे । सिम्पलेक्स कंपनी

का गेट बंद था और अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा गेट के अंदर कुछ मजदूरों के साथ खड़ा था । इस जुलूस को मुख्य अतिथि के रूप में शंकर गुहा नियोगी ने संबोधित किया था, अन्य वक्ताओं में जनकलाल ठाकुर एवं हरीसिंह ठाकुर थे । शंकर गुहा नियोगी ने अपनेभाषण में निकाले गये मजदूरों को वापस लेने एवं ठेकेदारों के मजदूरों को नियमितकरने पर जोर दियाथा ।

315. नगर-निरीक्षक ने आगे यह बताया है कि दिनांक 14-11-90 को भिलाई इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, सिम्पलेक्स उद्योग समूह, सिम्पलेक्स कॉस्टिंग एवं सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग के गेटों के आसपास धारा 144 दं0प्र0 सं0 लागू की गईथी एवं शंकर गुहा नियोगी एवं उनके साथियों को उस क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंधित किया गया था ।

316. दिनांक 23-1-91 को छ0मु0मोर्चा एवं छ0श्रमिक संघ की कैलाशनगर में रैली हुई, जिसे शंकर गुहा नियोगी ने संबोधित किया था । शंकर गुहा नियोगी ने भड़काने वाला भाषण दिया था और इससे शांति भंग होने की संभावना हो गई थी । शंकर गुहा नियोगी ने यह कहाथा कि वह कभी हारना नहीं सीखा है, हमेशा जीत उसकी हुई है । उसने यहभी कहा कि वह मांगोंको मंगवाकर ही दम लेगा नहीं तो सिम्पलेक्स गेट के सामने उसकी लाश बिछेगी । मृतक शंकर गुहा नियोगी ने अभियुक्त मूलचंद शाह, नवीन शाह एवं अरविंद शाह को घुटना टिकाकर दम लेने की बात कहाथा । नगर-निरीक्षक ने थाना लौटकर इसका इंद्राज रो0सा0 (प्रदर्श पी-7) में किया था ।

317. दिनांक 15-11-90 को दंड प्र0सं0 की धारा 144 लागू थी और एक चूने की लाईन खिंचकर मजदूरों को उद्योगों के आसपास आने से निबंधित किया गयाथा । इससभाधक को मृतक शंकर गुहा नियोगी ने संबोधित कियाथा । जिन श्रमिकों ने धारा 144 दंड प्र0सं0 का उल्लंघन किया उन्हें बंदी बनाया गया. जिसके कारण मजदूर लोग उत्तेजित भी हो गये थे ।

318. नगर-निरीक्षक एस0एल0सलाम (अ0सा0क्र0-71) ने अपने बयान के क0-17 में बताया है कि दिनांक 15-11-90 को शंकर गुहा नियोगी ने अपने भाषण में यह कहा था कि अभियुक्त नवीन शाह और मूलचंद शाह का पांडाल भी लगा है और चूने की रेखाभी उन्होंने खीची है । यह चूने की रेखा सिम्पलेक्स ग्रुप के फैक्टिरयों को बचाने के लिये खीची गई थी । मृतक शंकर गुहा नियोगीने प्रशासन द्वारा खीची गई इस चूने की रेखा को लक्ष्मण रेखा कहाथा और सिम्पलेक्स ग्रुप के उद्योगों कोसीता कहकर संबोधित कियाथा, किंतु उसने यह कहा था कि वह इन सीताओं का अपहरण नहीं करना चाहता ।

एस0एल0सलाम 130सा0प्र0-71 ने आगे यहभी बताया है कि शंकर गुहा नियोगी ने कहाथा कि वह आतंक फैलाने के लिये भिलाई नहीं आया है, बल्कि उद्योगपति व प्रशासन उसकी छवि को खराब कर रहे हैं । उसने यहभी कहाथा कि उद्योगपति व प्रशासन अगर अशांति नहीं चाहते तो आकर उससे बातभी कर सकते हैं । मृतक ने आगे यहभी कहा था कि उसे उम्मीद है कि जो लोग बात करने से कतरा रहे हैं वे लोग एक दिन घुटनों के बल चलकर आयेंगे और समझौते के लिये कहेंगे । एस0एल0सलाम 130सा0प्र0-71 ने अपने बयान के कं0-18 में बताया है कि शंकर गुहा नियोगी ने कहा था कि उसकी लड़ाई सिम्पलेक्स के मालिकों से है और छोटे-मोटे उद्योगों से नहीं है । उसने यहभी कहा कि अभियुक्त नवीन शाह व मूलचंद शाह सोचें और फिर उससे आकर बात करें । उसने इन अभियुक्तों को 5 दिन का समय देते हुये कहा कि ये लोग आकर बात कर लें, अन्यथा फैक्टिरियों को बंद कर देंगे । उसने यहभी कहा कि जो आज उद्योगपति बने बैठे हैं उन्हें छोटा होकर वापस जाना पड़ेगा । नियोगी ने दिनांक 15-11-90 को जो भाषण दियाथा उसेउसने प्रदर्श पी-9 के सान्हे में दर्ज किया था ।

319. दिनांक 25-6-91 और 26-6-91 को भी पासीदासनगर में छ0मु0मोर्चा की बैठक एवं जुलूस निकाला गया था, जिसमें थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मचारियों को उद्योगपतियों का नौकर होना बताया गया था ।

320. नगर-निरीक्षक सलाम 130सा0प्र0-71 ने अपने बयान के कं0-20 में बताया है किदिनांक 4-7-91 को पासीदासनगर में मृतक शंकर गुहा नियोगी ने सिम्पलेक्स कास्टिंग उद्योग एवं अन्य उद्योगों के विरुद्ध भड़काने वाला भाषण दिया था । इसका उल्लेख प्रदर्श पी-10 के सान्हे में किया गया है ।

321. दिनांक 7-8-91 को पासीदासनगर में छ0मु0मोर्चा द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नियोगी के विरुद्ध जिला बदर कार्यवाही की आलोचना की गई । दिनांक 26-8-91 को भी छ0मु0मोर्चा की मीटिंग हुई, जिसमें अधिकार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और 3 दिन के बंद का आव्हान किया गया ।

322. एस0एल0सलाम 130सा0प्र0-71 के अनुसार दिनांक 15-8-91 को सिम्पलेक्स गेट के सामने छ0मु0मोर्चा का विशाल जुलूस निकला था और ये लोग धरने में बैठ गये । इस सभा को शंकर गुहा नियोगी ने संबोधित करते हुये कहा कि ...112

4 COURT FEE

स्वतंत्रता मिले 44 साल बीत गये, परन्तु मजदूरों को स्वतंत्रता नहीं मिली है। उद्योगपतियों को जब तक सबक नहीं सिखाया जायेगा तब तक मजदूर स्वतंत्र नहीं होंगे। सुभाषचंद बोस के क्रांतिकारी कदम का उदाहरण देते हुये यह बोला गया कि मजदूर अपने ढंग से स्वतंत्रता दिवस मनाता है। वर्तमान में पंजाब, काश्मीर तथा, लिट्टे का उदाहरण देकर बोला कि इन प्रदेशों में आतंकवादियों को सरकार, कंट्रोल नहीं कर पा रही है, हम मजदूरों को पूंजीपतियों के इशारे पर दबाना चाहती है। हमें भी इन आतंकवादियों का रुख अपनाना पड़ेगा। इस तरह नियोगी ने मजदूरों को उत्तेजित करने वाला भाषण दिया।

323. दिनांक 28-8-91 को छ0मु0मोर्चा ने धिक्कार दिवस मनाया और एक विशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस अभियुक्त मूलचंद शाह और कैलाशपति केडिया के विरुद्ध था। इस जुलूस में शंकर गुहा नियोगी, जनकलाल ठाकुर एवं एन0आर0घोषाल शामिल थे।

324. इस जुलूस में शंकर गुहा नियोगी ने कहा था कि उद्योगपति मजदूरों की मांग को 11 महीने से नहीं मान रहे हैं, इसलिये वह प्रशासन, उद्योगपति एवं पटवा सरकार को धिक्कारते हैं। नियोगी ने यह भी कहा कि वे राजनेताओं को इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देंगे।

325. दिनांक 4-9-91 को छ0मु0मोर्चा एवं छ0श्रमिक संघ की सभा कैलाशनगर मैदान में हुई। इस सभा को मृतक शंकर गुहा नियोगी ने संबोधित करते हुये कहा कि पुलिस प्रशासन, पटवा सरकार एवं जिला कलेक्टर उद्योगपतियों से बिके हुये हैं। उन्हें इस बात के लिये धिक्कारा गया कि वे मजदूर आंदोलन को चाकू एवं तलवार चलाकर तोड़ना चाहते हैं। शंकर गुहा नियोगी ने इसके लिये उद्योगपतियों में मूलचंद शाह, केडिया और बी0आर0जैन को प्रमुख रूप से जिम्मेदार कहा। नियोगी ने 9 तारीख को बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव से दिल्ली जाकर राष्ट्रपति महोदय को मजदूरों द्वारा ज्ञापन देने की बात भी कहा। नियोगी ने यह भी कहा कि उसे उद्योगपतियों के खिलाफ श्रममंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से शिकायत करना है। उसने यह भी कहा कि दिल्ली में भारी जोश के साथ जुलूस निकालना है। इसके बावजूद भी यदि मजदूरों की मांग पूरी नहीं हुई तो वे भिलाई को पलाश बना देंगे। क्रांति का रास्ता अपनायेंगे, खून की होली खेलेंगे और यह उसकी

...113.

अंतिम लड़ाई होगी । नगर-निरीक्षक ने इस भाषण को थाने के रोजनामचे में दर्ज कियाथा. प्रदर्श पी- 20 है ।

326. पुलिस चौकी उरला (जिला रायपुर) के उप-निरीक्षक परमेश्वर (अ0सा0 क्र0-8) ने बताया है कि उसके चौकी क्षेत्र कीसबसे बड़ी फैक्टरी सिम्पलेक्स कॉस्टिंग है । दिनांक 17-4-91 को उस फैक्टरी से मजदूरों के आंदोलन के संबंध में उसे रिपोर्ट प्राप्त हुई थी । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को सिम्पलेक्स कॉस्टिंग के महाप्रबंधक डी0 वी0 सिंह (अ0सा0क्र0-147) ने प्रदर्श पी-51 की रिपोर्ट पेश किया था । डी0वी0 सिंह, अ0सा0क्र0-147 के बयान से यह दर्शित होता है कि छ0मु0मोर्चा वाले उनकी फैक्टरी के सामने तंबू लगाकर बैठ गयेथे और जोभी कर्मचारी बाहर निकलताथा उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे । इस साक्षी ने यह भी बताया है कि उरला के फैक्टरी में आंदोलन तब से ही प्रारंभ हुआ जब से छ0मु0मोर्चा ने सन् 91 में भिलाई में अपना आंदोलन आरंभ कियाथा ।

327. सिम्पलेक्स कॉस्टिंग उरला में भी हड़ताल का नेतृत्व शंकर गुहा नियोगी कर रहे थे और मजदूरों को भड़काने वाला भाषण दिया करते थे ।सिम्पलेक्स कॉस्टिंग के निवेदन पर उनके फैक्टरी में पुलिस गार्ड की तैनाती की गई थी ।

328. उप-निरीक्षक विश्रामप्रसाद बंजारे (अ0सा0क्र0-91) ने भी अपने बयान में बताया है कि भिलाई में सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग व सिम्पलेक्स कॉस्टिंग के विरुद्ध छ0मु0 मोर्चा का जुलूस निकला था । दिनांक 13-8-91 को छ0मु0मोर्चा का जो जुलूस निकला था वह सिम्पलेक्स कॉस्टिंग की ओर चला गया । दिनांक 20-8-91 को सिम्पलेक्स गेट के सामने रोजाना की तरह छ0मु0मोर्चा के श्रमिक नारेबाजी किये और काम पर जाने वाले मजदूरों को रोकते थे ।

329. दिनांक 20-8-91 को करीब 40 श्रमिक सिम्पलेक्स उदयोग के गेट के सामने नारेबाजी कर रहे थे । उन लोगों ने उमाशंकर राय के साथ की गई मारपीट के विरोध में यह मीटिंग कियेथे । यहभी अल्टीमेटम दिया गया था कि उमाशंकर राय पर हमला करने वाले अपराधियों को एक सप्ताहके अंदर गिरफ्तार किया जाये, अन्यथा 3 दिन तक समस्त औदयोगिक संस्थान बंद कर दिये जायेंगे । दिनांक 22-8-91 को छ0मु0मोर्चा के श्रमिक उमाशंकरराय के साथ की गई मारपीट में संलग्न अपराधियों को गिरफ्तार करने एवं सिम्पलेक्स व केडिया प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग किये थे । दिनांक 26-8-91 को उसे पवन कुमार नामक मजदूर ने आकर बताया कि सिम्पलेक्स कंपनी के प्रथम तथा द्वितीय पाली में जाने वाले मजदूरों को छ0मु0मोर्चा के लोग रोकते हैं । इस रिपोर्ट को उसने सान्हा में दर्ज किया, जो प्रदर्शपी-45 है ।

...114

330. सुधा भारद्वाज (अ0सा0क्र0-15) ने अपने बयान के कं0-4 में बताई है कि शंकर गुहा नियोगी ने जुलाई 89 में ए0सी0सी0 के विरुद्ध आंदोलन किया था और उसके पश्चात राजहरा से भिलाई आ गये थे । शंकर गुहा नियोगी ने 5 उद्योगों को मांग-पत्र दिये थे, किंतु उनका आंदोलन विशेष रूप से सिम्पलेक्स उद्योग समूह के खिलाफ था ।

331. डॉ0 पुण्यब्रत गुन (अ0सा0क्र0-16) ने अपने बयान की कं0-5 में बताया है कि शंकर गुहा नियोगी ने भिलाई में छ0मु0मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन आरंभ किया था । उनकी मांग मजदूरों को स्थाई करना, जीने लायक वेतन देना एवं संगठन बनाने का अधिकार देना था । नियोगी जी के इस आंदोलन को उद्योगपतियों एवं पत्रकारों ने आतंकवादी रूप देने का प्रयास किया था । अपने बयान के कं0-17 में इस साक्षी ने बताया है कि छ0मु0मोर्चा के आंदोलन से सबसे अधिक प्रभावित सिम्पलेक्स उद्योग हुआ ।

332. सुदामाप्रसाद (अ0सा0क्र0-54) ने अपने बयान में बताया है कि जब वह मांग-पत्र लेकर अभियुक्त मूलचंद शाह और अरविंद शाह के पास गया तो उन लोगों ने मांग-पत्र लेने से इंकार कर दिया । उसे फैक्टरी के अंदर भी नहीं जाने दिया । उनका कहना था कि जो कुछ बात करना है, जबानी करो, कागज से बात मत करो । इसके पश्चात वह मजदूरों के साथ वापस आ गया और मांग-पत्र को रजिस्ट्री से भिजवा दिया गया । उसे नौकरी से निकाल भी दिया गया । इस साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्त मूलचंद शाह ने कहा था कि जो लोग छ0मु0मोर्चा से संबंध नहीं रखेंगे वे हस्ताक्षर करें और काम पर आ जायें और जो उक्त संगठन से संबंध रखेगा उसको काम पर नहीं लिया जायेगा ।

333. सुदामाप्रसाद (अ0सा0क्र0-54) ने अपने बयान की कं0-3 में यह बताया है कि रामआश्रय नामक मजदूर ने उसका परिचय अभि0 ज्ञानप्रकाश मिश्रा से करवाया था और कहा था कि इसका सिम्पलेक्स कंपनी में आना-जाना है । रामआश्रय ने इस साक्षी को सावधान करते हुये यह कहा था कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा गुंडा प्रवृत्ति का है और मालिक से मिला हुआ है, इससे सतर्क रहना ।

334. उप-श्रमायुक्त आर0जी0पांडे (अ0सा0क्र0-65) ने बताया है कि उसे छ0मु0मोर्चा की ओर से मांग-पत्र मिला था । इस मांग-पत्र के बाद सिम्पलेक्स कास्टिंग और भिलाई वायर्स में औद्योगिक अशांति हो गई थी । 115

23/6/

इसके कारण उसने उद्योगपतियों को एवं श्रमिकों को बैठक के लिये आहूत किया । दिनांक 31-10-90, 8-11-90, 14-11-90, 27-11-90 एवं 10-12-90 को बैठकें बुलाई गई । इन पांचों बैठकों में श्रमिकों के प्रतिनिधि तो आते थे, किंतु उद्योगपति अनुपस्थित रहे ।

335. उप श्रम-आयुक्त आर0जी0पांडे (अ0सा0क्र0-65) ने अपने बयान के कं0-5 में बताया है कि सिम्पलेक्स ग्रुप के उद्योगों में 32 निरीक्षण किये गये, जिनमें 27 प्रकरण बनाकर न्यायालय में पेश किये गये हैं । सिम्पलेक्स ग्रुप के संविदा श्रमिक अधि0 में 9 मामले पेश किये गयेथे ।

336. उप श्रमायुक्त आर0जी0पांडे (अ0सा0क्र0-65) के बयानों से यह दर्शित होता है कि आंदोलन के बावजूदभी सिम्पलेक्स एवं अन्य उद्योगों के मालिक हठधर्मिता पर अड़े हुयेथे । उप श्रमायुक्त ने जितनी भी बैठकें बुलाई, उन सभी बैठकों में मजदूर संगठन के प्रतिनिधि तो आते रहे, किंतु उद्योगपतियों ने उक्त बैठकों का बहिष्कार कियेथे । इससे ऐसा दर्शित होता है कि मजदूर संगठन एवं प्रबंधन के बीच वार्तालाप बंदथी और गतिरोध उत्पन्न हो गया था ।

337. राजेन्द्र सायल (अ0सा0क्र0-70) नेभी अपने बयान के कं0-5 में बताया है कि नियोगी जी ने घोषणा कियाथा कि मजदूर स्थायी बनें और उनकी मांगें पूरी की जाये और संगठन फलता-फूलता रहे । उनकी प्रमुख मांग मजदूरों को नियमित किये जाने की थी । उन्होंने यहभी कहाथा कि यदि उद्योगपति मांग पूरी नहीं करते तो हड़ताल किया जायेगा । शंकर गुहा नियोगी ने कई कारखानों में हड़ताल किया, धरना दिया और जुलूस निकाला था ।

338. सिम्पलेक्स कास्टिंग के एक पूर्व अधिकारी प्रदीप कुमार गुराब (अ0सा0 क्र0-133) ने अपने बयान में बताया है कि छ0मु0मोर्चा के श्रमिक हड़तालपरचले गयेथे । छ0मु0मोर्चा के नेता जनकलाल ठाकुर और शंकर गुहा नियोगी सिम्पलेक्स गेट पर आकर भाषण दिया करते थे ।

339. एस0एल0सलाम (अ0सा0क्र0-7) ने अपने बयान के कं0-30 में बताया है कि उसके थाना क्षेत्र जामुल के अंतर्गत ए0सी0सी0 के बाद सिम्पलेक्स उद्योग समूह सबसे बड़ा उद्योग है । उसने यह भी कहा है कि उसकी जानकारी के अनुसार मजदूरों की छटनी सबसे अधिक सिम्पलेक्स समूह में ही हुई थी । बसंत कुमार साहू (अ0सा0क्र0-14) ने अपने बयान की कं0-6 में बताया है कि सिम्पलेक्स उद्योग के व्दारा मजदूरों की छटनी होने के कारण मजदूरों को लेने के लिये और न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिये आंदोलन किया गया था । भिलाई में स्थित उद्योगों में से सिम्पलेक्स उद्योग से ही

...116

COURT FEE INDIA

सबसे अधिक मजदूर निकाले गये है । इस साक्षी ने आगे अपने बयानकंo-20 एवं 22 में निकाले गये श्रमिकों की जो संख्या बताया है वह इस प्रकार है :-

1. सिम्पलेक्स कास्टिंग से -414,
2. सिम्पलेक्स कास्टिंग, उरला से -311,
3. सिम्पलेक्स यूनिट नं0-2 से -204
4. सिम्पलेक्स मेटल्स, टेड़ेसरा से -12,
5. संगम फोरजिंग्स, टेड़ेसरा से -31,
6. सिम्पलेक्स इं0एंड फा0वर्क्स यूनिट नं0-1 से -208

340. गणेशराम चौधरी ।अ0सा0क्र0-22। ने अपने बयान की कं0-13 एवं 14 में बताया है कि सबसे ज्यादा मजदूरों की छटनी सिम्पलेक्स ग्रुप से की गई थी । मजदूर आंदोलन का सबसे ज्यादा जोर लि0 के खिलाफथा मजदूर लोग स्वेच्छया से काम पर नहीं जाते थे, इसलिये उत्पादन में कमी हुई थी ।

341. उपर्युक्त साक्षियों के बयानों के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि मृतक शंकर गुहा नियोगी ने छ0मु0मोर्चा का नेतृत्व करते हुये सन् 90-91 में भिलाई में उद्योगों के विरूद्ध जो आंदोलन चलाया था उससे सबसे अधिक प्रभावित सिम्पलेक्स उद्योग समूह हुआथा । इस बात का भी पर्याप्त साक्ष्य है कि सिम्पलेक्स उद्योग समूह द्वारा ही सबसे अधिक संख्या में मजदूरों की छटनी की गई थी ।

342. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के प्रस्तुतकार विष्णुप्रसाद सोनी ।अ0सा0क्र0-41। का परीक्षण कराया गया है । इस साक्षी ने सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग एवं फाउंडरी वर्क्स लि0, भिलाई की ओर से संस्थित व्यवहार वाद क्र0- 1ए/91 एवं 2ए/91 को प्रमाणित किया है । सिम्पलेक्स इं0एंड फा0 वर्क्स की ओर से प्रतिवादियों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष भी मांगा गया था । मृतक शंकर गुहा नियोगी एवं छ0मु0मोर्चा के पदाधिकारी प्रतिवादी के रूप में दर्शित किये गयेहै । इन दोनों वादपत्रों में सिम्पलेक्स इं0एंड फा0वर्क्स की ओर से यह बताया गया है कि प्रतिवादीगणों के अवैध कृत्य के कारण उन्हें लाखों रूपये की क्षति हो रही है । अभियुक्तगणों की ओर से उक्त साक्षी से कोई भी प्रति-परीक्षण लगभग नहीं किया गया है ।

343. उपर्युक्त साक्ष्य से जो परिस्थिति निर्मित होती है उससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि शंकर गुहा नियोगीने भिलाई में जो 117

23/6/97

मजदूर आंदोलन चलाया था उससे सिम्पलेक्स उदयोग समूह को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप प्रभावित होना पड़ा था । मजदूरों की छटनी भी सबसे अधिक सिम्पलेक्स उदयोग समूह से ही की गई थी और इन सबका अंततोगत्वा परिणाम उत्पादन पर पड़ना था । जब उत्पादन कम होगा तो स्वाभाविक है कि उससे फायदा भी कम होगा और इस बात पूरी संभावना रहेगी कि हानि हो जाये और इसी लिये सिम्पलेक्स इं0एंड फा0वर्क्स की ओर से जो दो व्यवहार वाद संस्थित किये गये थे उसमें स्वाभाविक रूप से यह लिखना पड़ा था कि उक्त उदयोग को आंदोलन के कारण लाखों रूपये की हानि हो रही है । अतः यह प्रमाणित होता है कि शंकर गुहा नियोगी के आंदोलन के कारण सबसे अधिक नुकसान सिम्पलेक्स उदयोग समूह को हुआ था ।

344. विद्वान बचाव काउन्सिल श्री अशोक यादव ने यह दलील दी है कि मृतक शंकर गुहा नियोगी की हाथ की स्वीकृत लिखावट प्रदर्श पी-76 से प्रदर्श पी-80 के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केडिया डिस्टलरी में कम-से-कम 80,000 लीटर प्रतिदिन का उत्पादन था और छ0मु0मोर्चा के कारण केडिया उदयोग का उत्पादन सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, किंतु इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता । यह सही है कि प्रदर्श पी-76 से प्रदर्श पी-80 की लिखावट से यह अनुमा लगाया जा सकता है कि इसमें शराब बनाने की प्रक्रिया दी गई है, किंतु इन दस्त के आधार पर केडिया डिस्टलरी या छ0डिस्टलरी का उत्पादन नहीं निकाला जा सकता । श्री अशोक यादव, अधि0 की यह दलील अभिलेख के आधार पर स्वीकार न की जा सकती कि शंकर गुहा नियोगी के आंदोलन के कारण केडिया डिस्टलरी या छ0डिस्टलरी को सबसे अधिक नुकसान हुआ था ।

345. सूर्यदेव वर्मा (अ0सा0क्र0-13) ने अपने बयान में बताया है कि "विश्व पूजा" के दिन (17-9-90) को वह छ0मु0मोर्चा के जुलूस में शामिल हुआ था । जब सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग के पास पहुंचा तो उस पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दि वह देख नहीं पाया कि किन लोगों ने उस पर हमला किये थे ।

346. एस0एल0सलाम (अ0सा0क्र0-7) ने अपने बयान के कं0-13 में बताया कि दिनांक 22-12-90 को शांतिलाल श्रीवास्तव ने थाने में एक लिखित रिपोर्ट दे बताया था कि रात के करीब 9.00 बजे हुडको से आते समय कार क्र0- सी0आई0आर से कुछ लोग उतरे और उसे मारपीट की धमकी देते हुये बोले कि मूलचंद शाह के वि जो रिपोर्ट लिखाये हो उसे वापस ले लो । इस रिपोर्ट की नकल प्रदर्श पी-5 है । इस रिपोर्ट को उसने जांच हेतु सहायक उप-निरीक्षक को सौंप दिया ।

347. मजदूर आंदोलन के दौरान छ0मु0मोर्चा के एक पदाधिकारी उमाशंकर राय पर प्राणघातक हमला हुआ था । एक अन्य पदाधिकारी भारतभूषण पांडे ।अ0सा0क्र0-57। को जब यह जानकारी मिली कि सिम्पलेक्स उदयोग के मूलचंद शाह ने उसे मरवाने के लिये उसका फोटो और 50,000/- रूपये गुंडों को दे दिया है तो उसने दिनांक 1-9-91 को पुलिस थाना जामुल में रिपोर्ट ।प्रदर्श पी-43। दर्ज कराया ।

348. स्वामी अग्निवेश ।अ0सा0क्र0-13। ने अपने बयान में बताया है कि जब शंकर गुहा नियोगी राष्ट्रपति जी से मिलने के लिये दिल्ली गये थे तब उन्होंने बताया था कि वे मजदूरों के कल्याण के लिये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, किंतु उदयोगपति के गुंडे मजदूरों पर प्राणघातक हमला कर रहे हैं । नियोगी जी ने यह भी कहा था कि उसके जीवन को भी खतरा हो गया है ।

349. बसंत कुमार साहू ।अ0सा0क्र0-14। ने अपने बयान के कं0-7 में बताया है कि सन् 91 में नियोगी जी को मालिकों की ओर से और गुंडों की ओर से धमकियां आने लगी थी । सुधा भारद्वाज ।अ0सा0क्र0-15। ने अपने बयान के कं0-3। में बताई है कि सन् 91 के सितम्बर महीने के एक-दो महीने पूर्व उसे नियोगी जी ने कहा था कि अनूपसिंह के जीवन को भी खतरा है । नियोगी जी अपने मजदूर साथियों के लिये चिंतित रहा करते थे ।

350. पुण्यब्रत गुन ।अ0सा0क्र0-16। ने अपने बयान में बताया है कि उन पर कभी भी हमला हो सकता है ऐसा नियोगी जी ने उसे बताया था । नियोगी जी को उदयोगपतियों से अपने जान का खतरा हो गया था । गणेशराम चौधरी ।अ0सा0क्र0-22। ने अपने बयान के कं0-20 में बताया है कि नियोगी जी ने कहा था कि उन्हें भिलाई से हटाने का प्रयास किया जा रहा है ।

351. राजेन्द्र सायल ।अ0सा0क्र0-70। ने अपने बयान के कं0-7 में बताया है कि 24 अगस्त 91 को सिम्पलेक्स फैक्टरी, उरला में जो मजदूर धरने पर बैठे थे उन पर तलवार, रॉड और लाठी से हमला किया गया था । इसकी जानकारी मिलने पर वह मजदूरों को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया । उनकी फोटो लिया और इसकी जानकारी फोन से उच्चाधिकारियों को दिया

2236(5)

352. नरेन्द्रकुमार सिंह ।अ0सा0क्र0-7।। दिनांक 27-9-91 की दोपहर में जब शंकर गुहा नियोगी से मिला तो उन्होंने अपने आंदोलन की जानकारी देते हुये बताया कि कारखानों के मालिकों ने मिलकर काफी उपद्रव मचा रखे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उद्योगपति मजदूरों के साथ आये दिन मारपीट करते हैं और उन्हें धमकियां देते हैं। उद्योगपतियों ने अपनी निजी सेना गठित कर लिये हैं और उसके गुंडों का इस्तेमाल मजदूर आंदोलन के दमन के लिये करते हैं। नियोगी जी ने यह भी कहा कि सिम्पलेक्स के शाह लोग और केडिया उसे मरवाना चाहते हैं।

353. इस तरह उद्योगपति अपने श्रमिकों को समानता का स्थान देने के लिये तैयार नहीं थे और वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हो गई थी। समाज में मालिक और मजदूर का भेद मिटना चाहिये इसका मतलब यह नहीं है कि मालिक की अक्ल का उपयोग न किया जाये, जो मालिक होगा वह मजदूर भी होगा और जो मजदूर होगा वह मालिक भी होगा। कुछ तो मालिक-प्रधान मजदूर होना चाहिये, जो हाथ का काम करते हुये दिमाग को प्रधानता दें तथा कुछ मजदूर-प्रधान मालिक होना चाहिये, जो दिमाग का काम करते हुये हाथ को प्रधानता दें। बुद्धिप्रधान शरीर श्रम करने वाले और श्रम-प्रधान बुद्धि का काम करने वाले ऐसी सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिये। अगर भगवान यह नहीं चाहता तो कुछ को तो वह हाथ देता और कुछ को बुद्धि ही। राहू एवं केतु के समान सबको अपूर्ण बनाता, पर उसने सबको परिपूर्ण बनाया है, ताकि सभी परिपूर्ण जीवन बिता सकें।

354. विद्वान बचाव काउन्सिल श्री राजेन्द्रसिंह ने यह दलील दिये हैं कि इस मामले में सिम्पलेक्स उद्योग समूह के मालिकों के अलावा केडिया एवं अन्य उद्योगों के मालिकों का भी इस अपराध में हेतुक हो सकता है, जब एक से अधिक व्यक्तियों का अपराध में हेतुक दर्शित हो तो उनमें से किसी को भी अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अपने दलील के समर्थन में उन्होंने <u>परमहंस यादव एवं सदानंद त्रिपाठी बनाम बिहार राज्य ।ए0आई0आर0-1987 सु0को0-955।</u> वाले मामले को संदर्भित किया है।

355. जहां प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, वहां हेतुक का विशेष महत्व होता है, किंतु मात्र हेतुक के आधार पर न तो अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है और न ही उसे हेतुक के अभाव में दोषमुक्त किया जा सकता है, यदि उसके विरूद्ध अपराध से जोड़ने वाला साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इस मामले में भी हेतुक के अलावा अभियुक्तगणों के विरूद्ध अपराध में फसाने वाला क्या साक्ष्य उपलब्ध है, इस पर विचार किया जाना है?

19। षड़यंत्र की शुरुआत एवं उसकी जनक:-

356. शंकर गुहा नियोगी दिनांक 4-2-91 से 3-4-91 तक जिला जेल, दुर्ग में बंद थे। उनकी डायरी से यह प्रतीत होता है कि उन्हें अपनी हत्या के षड़यंत्र का अंदेशा हो गया था। जब वे जेल से छूटकर बाहर आये तो उन्हें दिनांक 29-4-91 को दल्लीराजहरा में एक अंतर्देशीय-पत्र।प्रदर्श पी-103। प्राप्त हुआ। शंकर गुहा नियोगी ने इस पत्र को के0एस0साहू।अ0सा0क्र0-46। को दिया और कहा कि उसकी फोटो कराकर पुलिसथाने में रिपोर्ट दर्ज करा दें। के0एस0साहू।अ0सा0क्र0-46। ने उसी दिन प्रदर्श पी-49 के अग्रेषण-पत्र के साथ उक्त अंतर्देशीय-पत्र की फोटोकापी।प्रदर्श पी-50। पुलिस थाना राजहरा में भिजवा दिया। शंकर गुहा नियोगी को जो अंतर्देशीय-पत्र।प्रदर्श पी-103। प्राप्त हुआथा वह इस प्रकार है :-

श्रीमान्

इस पत्र के माध्यम से मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं कि आपकी हत्या करवाने की तैयारी-पूरी करके सिम्पलेक्स ग्रुप का चंद्रकांत शाह विदेश यात्रा-पर रवाना हो गया है। आपके द्वारा पूर्व में रायपुर से प्रकाशित एक दैनिक में अपनी भेंटवार्ता में ऐसीआशंका जाहिर कीथी, इसलिये सिम्पलेक्स के द्वारा चंद्रकांत की विदेश यात्रा का आयोजन किया गया है, चूंकि चंद्रकांत के द्वारा ही सिम्पलेक्स ने ये काम कुछ लोगों को सौंपा है इन्हें चंद्रकांत कुछ दिनों पूर्व नेपाल से जाकर अत्याधुनिक हथियारों की खरीदीभी की गई है और उन्हें चंद्रकांतकी गैर-मौजूदगी में आप पर हमला करने के लिये निर्देशित किया गया है। इन आदमियों से लेन-देन का मामला भी चंद्रकांत के माध्यम से ही तय हुआ है। इन लोगों के द्वारा यदि और किसी तैयारी की जानकारी मिली तो पत्र द्वारा सूचित करूंगा।

एक शुभचिंतक.

357. ऐसा प्रतीत होता है कि शंकर गुहा नियोगी के जीवनकाल में इस रिपोर्ट के आधार पर कोई भी अनुसंधान नहीं किया गया है। शंकर गुहा नियोगी की मृत्यु के बाद पुलिस उपाधीक्षक एन0जी0अग्रवाल।अ0सा0क्र0-182। को पुलिस-अधीक्षक, दुर्ग ने दो अंतर्देशीय-पत्रों की फोटोकापी दिया और कहा कि इसका मूल राजहरा में होना चाहिये। उसने उप-निरीक्षक आर0एन0सिंह को राजहरा भेजा और आर0एन0सिंह ने प्रदर्श पी-103 के पत्र को डॉ0 गुन।अ0सा0क्र0-16। से जप्त करके लाया।

358. डॉ0 पुण्यव्रत गुन (अ0सा0क्र0-16) ने अपने बयान के कं0-9 में बताया है कि गुमनाम पत्र प्रदर्श पी-103 को पुलिस को उससे जप्त कियाथा, इसका जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-104 है । इस साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि प्रदर्श पी-103 के अंतर्देशीय-पत्र की फोटोकापी कार्यालय सचिव (अ0सा0क्र0-46) ने थाना राजहरा भिजवा दिया था । डॉ0 गुन (अ0सा0क्र0-16) ने प्रति-परीक्षण की कं0-37 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-104 के जप्ती-पत्र में पुलिस ने उससे दो पत्र जप्त किया था । यह अविवादित है कि दूसरा पत्र अनुसंधान एजेंसी ने न्यायालय में पेश नहीं किया है । बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई है कि प्रदर्श डी-10 वही पत्र है, जो पुलिस ने डॉ0 गुन से जप्त कियाथा और जो बाद में समाचार-पत्र में प्रकाशित भी हुआ था, किंतु डॉ0 गुन (अ0सा0क्र0-16) ने अपने प्रति-परीक्षण की कं0-38 में और के0एस0साहू (अ0सा0क्र0-46) ने अपने प्रति-परीक्षण की कं0-7 में यह बताये हैं कि मूल पत्र देखे बगैर वे यह नहीं कह सकते कि समाचार-पत्रों में छपा प्रदर्श डी-10 का पत्र वही है, जिसे पुलिस ने प्रदर्श पी-104 के जप्ती-पत्र द्वारा जप्त कियाथा । इस तरह प्रदर्श डी-10 के पत्र के संबंध में न्यायालय में जो साक्ष्य आया है वह अनुश्रुत साक्ष्य है ।

359. इस तरह शंकर गुहा नियोगी को अपने हत्या के षड़यंत्र की भनक जेल में और फिर जेल से छूटने के बाद प्रदर्श पी-103 के अंतर्देशीय-पत्र मिलने से हो गई ।

(10) <u>नेपाल यात्रा का उद्देश्य</u> :-

रविन्द्रकुमार मेंडे उर्फ रवि (अ0सा0क्र0-9) । सूरजमल जैन (अ0सा0क्र0-92) का ड्रायव्हर था । अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने सन् 91 में मार्च में होली त्यौहार के बाद अपने टेम्पो ट्रेक्स नं0-एम0पी024बी-6622 से भिलाई से नेपाल जाने का कार्यक्रम बनाया । अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने अपने मित्र सूरजमल जैन (अ0सा0क्र0-92) से एक ड्रायव्हर की मांग किया । सूरजमल जैन (अ0सा0क्र0-92) ने अभियुक्त चंद्रकांत शाह को नेपाल जाने हेतु ड्रायव्हर रविन्द्रकुमार मेंडे (अ0सा0क्र0-9) को उपलब्ध करा दिया ।

360. रविन्द्रकुमार मेंडे (अ0सा0क्र0-9) ने अपने बयान में बताया है कि टेम्पो ट्रेक्स में वह, अभियुक्त चंद्रकांत शाह, अभयसिंह व अवधेश राय को लेकर भिलाई से नेपाल के लिये निकला । वे लोग रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर होते हुये बनारस गये । बनारस से वे लोग अभियुक्त अभयसिंह के घर खालिसपुर गये । खालिसपुर में वे लोग रात में रुके, फिर दूसरे दिन सुबह वे लोग खालिसपुर से निकलकर सिवान पहुंचे

सत्र न्यायाधीश (म.प्र.)

सिवान में चाय-नाश्ता करने के बाद वे लोग वहां से निकले और दोपहर में बीरगंज (नेपाल) पहुंचे और वहां होटल कैलाश में ठहरे। वहां अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्र मिला। वे लोग होटल कैलाश में 2 दिन तक रुके रहे।

361. अभियोजन की ओर से इंडियन एयरलाइंस के अधिकारी टी०के० सेन गुप्ता (अ०सा०क्र०-135) के बयान के आधार पर यह दलील दी गई है कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्र दिनांक 26-2-91 को कलकत्ता से हवाईजहाज से काठमांडू गया था। इस साक्षी ने प्रदर्श पी-363 के फ्लाइट कूपन को प्रमाणित किया है, जिसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति का नाम जी० मिश्र लिखा है। इसके अतिरिक्त यात्री का और कोई भी विवरण नहीं दिया गया है। मात्र जी० मिश्र के आधार पर एवं अन्य साक्ष्य के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि दिनांक 26-2-91 को हवाई जहाज से कलकत्ता से काठमांडू यात्रा करने वाला व्यक्ति अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्र ही था।

362. बीरगंज से 5-6 घंटा की यात्रा करके अभियुक्तगण काठमांडू पहुंचे और वहां होटल जनक में दो कमरा लेकर रुके। एक कमरे में अभि० चंद्रकांत शाह व ज्ञानप्रकाश मिश्र ठहरे तथा अन्य 2 अभियुक्त एवं ड्रायव्हर दूसरे कमरे में ठहरे। वे लोग काठमांडू में 2-3 दिन रहे। अभियुक्तों ने पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन किये और अभियुक्त चंद्रकांत शाह अपने परीचित व्यक्तियों से मिला।

363. ड्रायव्हर रविकुमार मेंढे (अ०सा०क्र०-91) ने आगे अपने बयान में यह बताया है कि वे लोग रीवा, मैहर, जबलपुर होते हुये भिलाई आ गये। उसने अभियुक्त चंद्रकांत शाह को उसके घर में छोड़ दिया और वाहन को सर्विसिंग के लिये प्रोजेक्ट आटोमोबाइल्स में दे दिया।

364. ड्रायव्हर रविकुमार मेंढे (अ०सा०क्र०-91) ने अपने बयान के कं०-4 में बताया है कि रक्सौल में उसके टैम्पो ट्रेक्स में बंदूक, कारतूस, टेपरिकार्डर और टायर नहीं रखाया गया था, किंतु इस साक्षी ने अपने दंड प्र०सं० की धारा 164 के अंतर्गत दिये गये कथन (प्रदर्श पी-230) के ई से ई भाग पर यह बताया है कि -" इसके बाद वे लोग रक्सौल गये। वहां पर चंद्रकांत शाह ने टेपरिकार्डर, जे०पसी के टायर, एक बंदूक और थैली में कुछ कारतूस गाड़ी में रखवाये। इसी तरह इस साक्षी ने दंड प्र० सं० की धारा 164 के अंतर्गत दिये गये कथन (प्रदर्श पी-230) के भ से भ भाग पर--"वहां से हम लोग बेतिया के लिये रवाना हुये। मैं बेतिया से कुछ देर पहले गाड़ी रोका था। रक्सौल से एक आदमी मेरे गाड़ी में बैठा था।

D/- 27/6/9

जिसे मैं जानता नहीं था, जिसे चंद्रकांत ने दो पिस्तौलें दी । उस आदमी को चंद्रकांत शाह ने वापस रवाना कर दिया । कुछ दूर जाने पर चंद्रकांत शाह ने फिर गाड़ी रुकवाई, बताया है । इस साक्षी का यह स्पष्टीकरण है कि वह पुलिस के रटाने के कारण मजिस्ट्रेट के सामने उपर्युक्त बयान दिया था ।

365. न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी दंड प्र०सं० की धारा 164 के अंतर्गत साक्षी का वही बयान लिखते हैं, जो वह देता है । इस साक्षी ने जैसा बयान दिया वैसा ही न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी ने अभिलिखित किया था । इस साक्षी ने न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी से यह शिकायत नहीं किया कि वह दबाव के अंतर्गत पुलिस के सिखाये अनुसार बयान दे रहा है । निश्चित ही इससे न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी यह उपधारणा करेंगे कि साक्षी स्वेच्छया से बयान दे रहा है और उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है ।

366. कोई साक्षी दंड प्र०सं० की धारा 164 के अंतर्गत जो बयान देता है उसका उपयोग साक्षी के न्यायालयीन कथन के खंडन या संपुष्टि के लिये किया जाता है । यहां ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि उक्त साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में तो यह कहा है कि नेपाल से हथियार नहीं लाये, किंतु वह यह कहता है कि दंड प्र०सं० की धारा 164 के प्रावधानों के अंतर्गत हथियार लाने वाली बात बताया था, फिर भी इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसके न्यायालयीन कथन का समर्थन दंड प्र०सं० की धारा 164 के कथन से होता है । अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुये मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि नेपाल से हथियार लाये ।

367. अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि साक्षी सत्य कथन न करे और न्यायालय को परिस्थितियों के आधार पर किसी तथ्य का अस्तित्व सिद्ध दिखे तो उस स्थिति में क्या करना चाहिये ? <u>माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने उ0प्र0 राज्य बनाम रमेशप्रसाद मिश्रा (1996) 10 एस0सी0केसेस-360</u> वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि - "यदि महत्वपूर्ण साक्षी सत्य कथन नहीं करते और परिस्थितियों का परीक्षण करने के उपरांत सामान्य मानवीय आचरण एवं संभावनाओं के आधार पर किसी तथ्य का अस्तित्व यदि साबित हो तो न्यायालय को इसे सिद्ध मानना चाहिये ।

368. यहां पर यह देखना है कि ऐसे कौन से परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, जो यह दर्शित करते हैं कि अभियुक्तों ने नेपाल यात्रा के दौरान शस्त्र (हथियार) एकत्रित किये थे ।

....124

369. दिनांक 12-11-91 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जब अभियुक्त चंद्रकांत शाह के रहवासी मकान "अनुविला" 21/24, नेहरूनगर वेस्ट, भिलाई की तलाशी ली गई तो वहां से नेपाल के एक प्रोविजन स्टोर भुवन का बिल, प्रदर्श पी-393(8) बरामद किया गया, जिसके पीछे अंग्रेजी (विदेशी) फायर आर्म्स के नाम व कीमत लिखे हुये थे। यह सिद्ध हो चुका है कि यह लिखावट अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के हाथों की थी। अभियुक्त चंद्रकांत शाह या ज्ञानप्रकाश या नेपाल यात्रा करने वाले किसी भी अभियुक्त ने यह स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उक्त प्रोविजन स्टोर के बिल के पीछे हथियारों के नाम व कीमत क्यों लिखे गये हैं। इससे यही उपधारणा की जा सकती है कि नेपाल यात्रा के दौरान अभियुक्तों ने विदेशी हथियार प्राप्त किये थे। इसके अतिरिक्त अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर की तलाशी में नेपाली खुखरी एवं .32 मिसफायर कारतूस भी बरामद किया गया है।

370. अभियुक्तों द्वारा किये गये नेपाल यात्रा का समय भी महत्वपूर्ण है। उस समय भिलाई में शंकर गुहा नियोगी का आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था। अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने जिन व्यक्तियों के साथ यह यात्रा किया उनमें से दो व्यक्तियों के विरूद्ध हत्या जैसे मामले चलने की पृष्ठभूमि थी और एक व्यक्ति भिलाई इस्पात संयंत्र का क्रेन ऑपरेटर था। यदि वास्तव में अभियुक्त चंद्रकांत शाह का एकमात्र उद्देश्य तीर्थयात्रा एवं नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करना होता तो वह यह यात्रा अपनी पत्नी, बच्चों या परिवार के सदस्यों के साथ किया होता, किंतु जो भी परिस्थितियाँ रही हों अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने यह यात्रा अपने परिवार के सदस्यों के साथ न करके अपने उन मित्रों के साथ किया, जिनकी पृष्ठभूमि का वर्णन उपर किया जा चुका है।

371. शंकर गुहा नियोगी जब जेल से छूटकर राजहरा पहुंचा तो एक अज्ञात व्यक्ति ने प्रदर्श पी-103 का अंतर्देशीय-पत्र भेजकर उसे सावधान किया। इस अंतर्देशीय-पत्र में अभियुक्त चंद्रकांत शाह की नेपाल यात्रा, अत्याधुनिक हथियार एकत्र करना एवं विदेश चले जाने के बारे में तथा अभियुक्तों से लेन-देन के बारे में सूचना दिया गया है। अगर साक्ष्य के आधार पर इस अंतर्देशीय-पत्र (प्रदर्श पी-103) को देखें तो इसमें बहुत हद तक तथ्यगत सत्यता प्रतीत होती है, क्योंकि अभियुक्त चंद्रकांत शाह के

घर की तलाशी में उसका पासपोर्ट (प्रदर्श पी-235) भी बरामद किया गया है, जो कि उसके स्वीटजरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड की यात्रा से संबंधित है ।

372. चूंकि प्रदर्श पी-393(8) में विदेशी हथियारों का नाम एवं कीमत लिखा है, इसलिये उपधारणा यह की जायेगी कि ये हथियार वास्तव में प्राप्त किये गये थे । यह सामान्य अनुभव की बात है कि अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री का कोई सही बिल नहीं मिलता है ।

373. न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया जाता है कि ड्रायव्हर रविन्द्रकुमार मैंडे (अ०सा०क्र०-91) नेपाल यात्रा के दौरान अभियुक्तों द्वारा हथियार प्राप्त करने के तथ्य को छिपा रहा है, जबकि अभिलेख में उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर यह दर्शित होता है कि नेपाल यात्रा के दौरान अभियुक्तों ने विदेशी हथियार प्राप्त किये ।

374. यह सही है कि अभियुक्तों ने नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर गये थे और वहां भगवान का दर्शन किये थे, किंतु पशुपतिनाथ का दर्शन करना अभियुक्तों के यात्रा का एकमात्र या मुख्य उद्देश्य नहीं था, बल्कि उनकी यात्रा का उद्देश्य हथियार एकत्र करना था और भगवान का दर्शन प्रासंगिक था ।

375. चूंकि अभियुक्तों ने शंकर गुहा नियोगी के आंदोलन के दौरान नेपाल यात्रा किये और वहां से अवैध हथियार एकत्र करके लाये (। इससे यह उपधारणा की जा सकती है कि नेपाल यात्रा का उद्देश्य एक आपराधिक षड्यंत्र की शुरूआत थी ।

(11) <u>नियोगी की आशंका</u>:-

1. किन-किन लोगों को बताया
2. राष्ट्रपति को ज्ञापन,
3. दिनांक 27-9-91 की घटनायें ।

376. भिलाई में आंदोलन आरंभ करने के पश्चात शंकर गुहा नियोगी ने अपनी पुत्री क्रांति गुहा नियोगी (अ०सा०क्र०-67) को यह कहा था कि सायकल सावधानी से चलाया करो और कोई कार आते-जाते दिखे तो सावधान हो जाया करो । उसने अपनी पत्नी आशा गुहा नियोगी (अ०सा०क्र०-68) को भी कुछ उद्योगपतियों का नाम लेते हुये यह बताया था कि उद्योगपति और गुंडे उसके पीछे पड़े हुये हैं, जिसके कारण उसे कुछ खतरा महसूस होता है । डॉ० गुन (अ०सा०क्र०-16) ने बताया है कि अपनी मृत्यु के एक-डेढ़ महीने पहले नियोगी जी ने कहा था कि उन पर कभी भी हमला हो सकता है, इसलिये उसने उद्योगपतियों का नाम रिकार्ड कर दिया है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो कैसेट को सुन लेना और संगठन के सदस्यों को सुना देना ।

377. डॉ0 सैबाल जाना [30सा0क्र0-39] के बयान से दर्शित होता है कि सन् 91 में भिलाई आंदोलन के दौरान शंकर गुहा नियोगी ने अपनी जान का खतरा होना बताया था। उन्होंने यहभी बताया था कि जिन उद्योगपतियों के खिलाफ यह आंदोलन कर रहे हैं वे बदमाश हैं और उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। नियोगी जब एक दिन अपने क्वार्टर एम0आई0जी0 1/55 में बैठे थे तो वे छ0मु0 मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहने लगे कि खिड़की से उन्हें कोई भी गोली मार सकता है। इस साक्षी ने शंकर गुहा नियोगी को सलाह दिया कि खिड़की में जाली या ग्रिल लगा लीजिये तो कोई गोली नहीं मार सकेगा।

378. अंजोरीराम [30सा0क्र0-44] बढ़ई है। दिनांक 24-9-91 को उसने नियोगी जी के मकान के खिड़की व दरवाजे का नाप ग्रिल लगाने के लिये लिया था। नियोगी जी ने कहा था कि यहां दंगा-फसाद होते रहता है, इसलिये खिड़की में सिटकिनी और ग्रिल लगाना है। इस साक्षी ने ग्रिल लगाने के लिये खिड़की और दरवाजे का नाप तो ले लिया, किंतु वह ग्रिल और सिटकिनी लगा पाता इसके पहले ही यह घटना हो गई। बाबूलाल [30सा0क्र0-45] इलेक्ट्रिशियन है। दिनांक 23-9-91 को वह राजहरा से नियोगी जी के क्वार्टर में आया, क्योंकि वहां के बिजली का पंखा काम नहीं कर रहा था। इस इलेक्ट्रिशियन कोभी नियोगी जी ने कहा था कि भिलाई के उद्योगपतियों से उसके जान को खतरा महसूस होता है।

379. इस तरह भिलाई में आंदोलन के दौरान शंकर गुहा नियोगी ने उद्योगपतियों से अपनी जान का खतरा महसूस किया और जिन लोगों केभी संपर्क में वह आया उन्हें उसने इस तथ्य की जानकारी दिया।

380. नियोगी जी ने, जब यह महसूस किया कि आंदोलन के दौरान उद्योगपतियों द्वारा मजदूरों पर हमले हो रहे हैं और हमलावरों के विरुद्ध कोई उचित कार्यवाही नहीं हो रही है तो उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का निश्चय किया। उदाहरण के रूप में भारतभूषण पांडे, सूर्यदेव एवं शांतिलाल श्रीवास्तव द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ऐसा प्रतीत होता है।

381. बसंत कुमार साहू [30सा0क्र0-14] ने अपने बयान की कं0-8 में बताया है कि 9 सितम्बर 91 को नियोगी जी ने 50,000 मजदूरों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन लेकर दिल्ली के लिये रवाना हुये थे। नियोगी जी के साथ छ0मु0 मोर्चा के 300-400 लोग गये थे। सुधा भारद्वाज [30सा0क्र0-15] ने अपने बयान की कं0-6 में बताई है कि नियोगी जी अपने साथ छ0मु0 मोर्चा के ढाई-तीन सौ कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली आये थे। उसने दिल्ली में लाजपतनगर के

एक धर्मशाला में उनके ठहरने की व्यवस्था कराई थी । नियोगी जी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वी0पी0 सिंह एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिले थे । डॉ0 पुण्यव्रत गुन (अ0सा0क्र0-16) भी नियोगी जी के साथ दिल्ली गया था और 12-9-91 को राष्ट्रपति महोदय को प्रदर्श पी-62 का ज्ञापन सौंपा था । राजेन्द्र सायल (अ0सा0क्र0-70) ने अपने बयान के कं0-6 में बताया है कि नियोगी जी जब जेल से रिहा हुये तो मजदूर आंदोलन और भी तेज हो गया । इस बीच मजदूर एवं मजदूर नेताओं पर गुंडों द्वारा हमले होने लगे । उसने स्वतः कई स्थान पर जाकर मजदूरों से बातचीत किया और पी0यू0सी0एल0 के उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदन भी भेजा । इसके पश्चात नियोगी जी को जिला बदर की नोटिस मिल गई । नियोगी जी ने यह व्यक्त किया कि उसके पीछे उद्योगपतियों का हाथ है जो किसी न-किसी तरह उसे यहां से हटाना चाहते हैं । 9-अगस्त-91 को माननीय उच्च-न्यायालय ने जिला बदर की कार्यवाही को एकपक्षीय रूप से स्थगित कर दिया । इस पर उसने नियोगी से पूछा कि जो लोग तुम्हें हटाना चाहते हैं अब वे क्या करेंगे । इस पर नियोगी जी ने कहा कि अब उनके पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि उसे गोली मार दें । नियोगी जी ने यह भी कहा कि अब वे प्रजातांत्रिक तरीके से इस मुद्दे को राष्ट्रपति तक ले जायेंगे और मजदूरों के जीने की अधिकार की मांग करेंगे । उन्होंने भी यह कहा था कि वे जो ज्ञापन सौंपेंगे उस पर 50,000 मजदूरों के हस्ताक्षर रहेंगे ।

382. अभिलेख में उपलब्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि शंकर गुहा नियोगी ने 12 या 12 सितम्बर 91 को राष्ट्रपति को प्रदर्श पी-62 का ज्ञापन सौंपा था । Ex.P.62 is being reproduced :-

COURT FEE 4 Rs भारत INDIA चार रुपये FOUR RUPEES

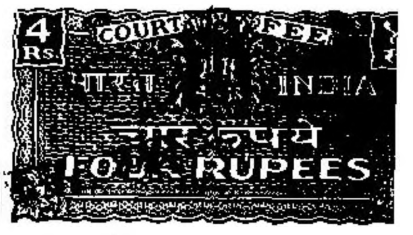

To

The President of India,
Rashtrapati Bhawan,
New Delhi.

Sub:- For resolving the longstanding problemsn of workers and their.

(i) Right to life and Body security as per Section 21 of Constitution.

(ii) Right to form Trade Union as per Section 19(1)(a)(b) &(c) are protected.

Sir,

It is with great pain xxx that we inform you that 4-5 neo - rich industrialists of Raipur , Rajnandgaon , Durg Bhilai b belst have been exploiting their workers working in Engineering and Foundry industry or in chemical industries such as Liquor manu-facxturing . They have not accepted that the workers have right to form Union in their factories. By bribing the Union Leader

or by a threat on their lives and when that too did not work then by unleashing physical violence upon workers with the aid of Police these employeeas have crushed all the previous attempt s of the workers to form Trade Union.

Last year the workers of these industries hafe organised one again and have raised chiefly two damands:-
(i) The workers be regularised when the work is of permanent nature in the industry (as per the section 10(a) of Contractual labour Regulation & Abolition Act.).

(ii) A living wage be decided for the workmen basing upon the consideration of Industry and Region.

Most of the emplbyers refused to even accept the demand letters. Yet these demand letters were submitted to the Asstt. Labour Commission so that the workers' right to form Trade Union and their just demands are fulfilled. Industrialists tried their utmost to break workers organisation. In failing ~~do~~ to do so they resorted to physical violence upon workers and have gone to the extent of physically eliminating the workers. Keso Rao of Chhatisgarh Distilleries Ltd. and Mani Ram of Simplex Group were murdered at the instructions of their empliyers. Apart from that their hadm been attempts on the lives many workers including Shri Ravindra Shuklal Shri Jagdish Verma, Shri Purhottam whosustained knife inuries. More gently, police acting on the help ofthe Industrialists, resorted to a barbarous lathi charge on the workers. During this lathi charge the workers' leaders were pointedly tortur inhumanely. When all these attempts have failed now the employers are bent upon creating a large scale bloodshed whereby there is a danger to the lives and bodies of the workers and workers' leaders. ee On August 19th Sri Uma Shanker Rap, Vice President , Pragatishe Engineering Shrimik S-ngh (Bhilai) was surrounded by the hired Gundas of the employers who assaulted him with knife and iron rods and left him on the road thinking ~~ka ba~~ him to be dead. Shri S.K. Singh Vice President PESS (Urla) Shri Haldhar Secretary and Sri Sukhlal, Treasurer were assaulted with swords and iron rods on 24th August while they were asleep.

Throughout the Police is giving protection to the Criminals. Not only that the Bhilai Police has yet to arrest a single culprit, they have in fact, acted to protect them.

In this situation there is a danger to the security of lives and bodies of workers and their leaders.

Hence, His Majesty, is requested to bring in check on these acts of violence by the Industrialists and to order a C.B.I. inquiry so that the workers are not denied of their Constitutional Rights.

Here we are :-

the workers of Bhilai, Dalli Rajhara , Rajnand-goan , Urla, Tedesara ,Balod Bazar, Hiri and citizens of Chhattisgarh.

383. प्रतिष्ठित समाचार-पत्रिका "इंडिया टुडे" के संवाददाता नरेन्द्रकुमार सिंह ।अ०सा०क्र०-7।। सितम्बर 91 में म०प्र० के बस्तर जिले में भूमि हड़पने के मामले पर और छ०ग० में आरखानी के प्रदूषण के मामलों पर रिपोर्ट तैयार करने हेतु इस क्षेत्र के दौरे पर थे । नरेन्द्रकुमार सिंह ।अ०सा०क्र०-7।। शंकर गुहा नियोगी को सन् 77 से जानते थे । दिनांक 27-9-91 के दोपहर में जब वे दुर्ग पहुंचे तो उन्होंने छ०ग० माइंस श्रमिक संघ के कार्यालय में नियोगी जी को फोन किया । नियोगी जीने उन्हें बातचीत करने के लिये अपने कार्यालय में बुला लिया । एन०के० सिंह ।अ०सा०क्र०-7।। प्रेस फोटोग्राफर प्रशांत पंजियार के साथ नियोगी जी के कार्यालय में गया । नियोगी जी का आंदोलन करीब एक साल से चल रहा था और वे काफी चिंतित दिखाई दे रहे थे । खासकर आंदोलन को लेकर जिस तरह हिंसा हो रही थी उसके कारण नियोगी जी चिंतित थे नियोगी जी ने उसे बताया कि कारखानों के मालिकों ने काफी उपद्रव मचा रखा है । वे लोग आये दिन मजदूरों के साथ मारपीट करते हैं और उन्हें धमकियां देते हैं नियोगी जी ने यह भी बताया कि उद्योगपतियों ने अपनी निजी सेना गठित कर रखी है और उसके गुंडों का इस्तेमाल मजदूर आंदोलन को दबाने के लिये करते हैं । नियोगी ने यहभी बताया कि उन्होंने सुना है कि उद्योगपतियों ने उन्हें मरवाने के लिये किराये के गुंडे लाये हैं । जब इस साक्षी नेऔर अधिक जानकारी चाही तो नियोगी जी ने बताया कि सिम्प्लेक्स के शाह लोग और केडिया उसे मरवाना चाहते हैं ।

384. इस साक्षी ने प्रति-परीक्षण के कं०- 10 में यह कहा है कि उसे याद नहीं आ रहा है कि नियोगी जी ने किसी शाह का नाम बताया था या नहीं, किंतु इतना अवश्य कहा था कि शाह लोग उसे मरवाना चाहते हैं ।

385. शंकर गुहा नियोगी 27-9-91 को शाम के करीब 7-7.30 बजे रायपुर गये और राजेन्द्र सायल ।अ०सा०क्र०-70। को फोन करके बोले कि बाक्स बंगले में आकर मिलो । बाक्स बंगला राजेन्द्र सायल ।अ०सा०क्र०-70। का कार्यालय है । राजेन्द्र सायल के पास थोड़ी देर बाद एन०के० सिंह ।अ०सा०क्र०-7।। का फोन आया और उसने कहा कि वह पिकाडली होटल, रायपुर में ठहरा हुआ है । राजेन्द्र सायल ।अ०सा०क्र०-70। ने एन०के० सिंह ।अ०सा०क्र०-7।। को बताया कि नियोगी जी का फोन आया है और वे रायपुर आ गये हैं, इस पर एन०के० सिंह ने राजेन्द्र सायल से कहा कि वह नियोगी जी को लेकर पिकाडली होटल आ जाये, जहां सब एक साथ ही खाना खायेंगे ।

23/6/97

.....130

386. राजेन्द्र सायल (अ0सा0क्र0-70) पहले बाग बंगला गया, जहाँ नियोगी जी से उसकी रात के करीब 8.30 बजे तक बात होती रही। चूंकि दिल्ली से लौटने के बाद शंकर गुहा नियोगी और राजेन्द्र सायल की यह पहली मुलाकात थी, इसलिये विभिन्न विषयों पर बातें होती रहीं। नियोगी जी दो अक्टूबर (गांधी जयंती) का कार्यक्रम रायपुर में मनाना चाहते थे, इसलिये वे मुख्यतः उसी विषय पर बात करते रहे। नियोगी जी राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के बावजूद भी मजदूरों की मांगों के बारे में आश्वस्त नहीं थे। नियोगी जीने कहा कि पिछले दिनों उद्योगपतियों ने मजदूरों पर जिस तरह से हमले किये हैं उस तरह के हमले अब भी हो सकते हैं। राजेन्द्र सायल (अ0सा0क्र0-70) ने जब नियोगी जी से यह कहा कि एन0के0सिंह (अ0सा0क्र0-71) पिकाडली होटल में ठहरे हैं और उनको याद कर रहे हैं तो नियोगी जी पिकाडली होटल जाने के लिये तैयार हो गये।

387. राजेन्द्र सायल (अ0सा0क्र0-70) और शंकर गुहा नियोगी पिकाडली होटल आये। वहां नियोगी जी ने बताया कि उद्योगपतियों के निजी गुंडों द्वारा मजदूरों पर हमला किया जा रहा है और उन पर भी कातिलाना हमला हो सकता है। नियोगी जी ने यहभी बताया कि सिम्पलेक्स के मूलचंद शाह और उसके पार्टनर तथा निजी सेना से उनको सबसे ज्यादा खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि केडिया से भी उनको खतरा है। उन्होंने यहभी कहा कि निजी सेना के ज्ञानप्रकाश मिश्रा द्वारा मजदूरों पर हमले कराये जाते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि सिम्पलेक्स में डर्टी विंग का कार्य मूलचंद शाह और चंद्रकांत शाह द्वारा देखा जाता है।

388. एन0के0सिंह (अ0सा0क्र0-71) ने भी अपने बयान के क0-7 में बताया है कि रात में पिकाडली होटल में नियोगी जी बार-बार मजदूर आंदोलन की बात ही छेड़ते थे। उन्होंने बताया कि आंदोलन को दबाने के लिये किस तरह से गुंडागर्दी चल रही है। उन्होंने यहभी कहा कि उद्योगपति उसको मारने के लिये किस-किस प्रकार की साजिश रच रहे हैं। इस तरह इस साक्षी एवं राजेन्द्र सायल (अ0सा0क्र0-70) के बयानों से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक को शंकर गुहा नियोगी ने अभियुक्त मूलचंद शाह, चंद्रकांत शाह एवं केडिया से अपनी जान का खतरा महसूस होना, व्यक्त किया था।

389. बचाव पक्ष के विद्वान काउन्सिल श्री अशोक यादव ने दलील दिये हैं कि राजेन्द्र सायल (अ0सा0क्र0-70) ने दंड प्र0सं0 की धारा 161 के कथन में अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा का नाम नहीं बताया है।

अतः यह नहीं माना जाना चाहिये कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा सिम्पलेक्स के निजी सेना का प्रमुख था ।

390. माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने रतनसिंह बनाम हिमाचलप्रदेश राज्य 1997 क्रि0लॉ0ज0-833, पैरा-9 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि-यदि साक्षी के बयान में कोई लोप आता है तो उसे अन्य साक्ष्य के आधार पर देखना चाहिये कि ऐसे लोप का अस्तित्व है या नहीं । यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि शंकर गुहा नियोगी के मजदूर आंदोलन के दौरान अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा सिम्पलेक्स गेट के अंदर खड़ा रहता था । सुदामाप्रसाद अ0सा0क्र0-54 के कं0-3 के बयान सेभी यह दर्शित होता है कि रामअवध ने उसका परिचय अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा से यह कहकर कराया था कि वह असमाजिक तत्वों का आदमी है और सिम्पलेक्स कंपनी में बराबर आना-जाना करता है । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा गुंडा प्रवृत्ति का है और मालिक से मिला हुआ है, इसलिये इससे सावधान रहना । इसलिये उपर्युक्त साक्ष्य के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि राजेन्द्र सायल अ0सा0क्र0-70 के बयान में अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के नाम का जो लोप आया है वह बहुत अधिक तात्विक नहीं है ।

391. शंकर गुहा नियोगी रात में करीब 11-11.30 बजे पिकाडली होटल से राजेन्द्र सायल अ0सा0क्र0-70 के साथ निकलकर पहले बाबर बंगला आया और उसके पश्चात् अपनी कार से भिलाई आने के लिये रवाना हो गया । राजेन्द्र सायल अ0सा0क्र0-70 अपने घर वापस चला गया । रात के करीब 4-4.30 बजे बसंत अ0सा0क्र0-14 ने फोन पर राजेन्द्र सायल को यह सूचना दिया कि नियोगी जी को किसी ने गोली मार दी है, वह जल्दी आ जाये । इसके थोड़ी देर पश्चात छ0मु0मोर्चा के एक अन्य कार्यकर्ता एन0एल0यादव का फोन आया कि नियोगी जी की मृत्यु हो गई है । राजेन्द्र सायल अ0सा0क्र0-70 नियोगी जी की हत्या का समाचार सुनकर रोने लगा । उसने यह दुःखद समाचार एन0के0सिंह अ0सा0क्र0-71 को दिया, फिर वे दोनों सुबह रायपुर से निकलकर भिलाई आये । नियोगी जी की लाश मरच्युरी में रखी हुई थी ।

392. अभियुक्तों की ओर से नीलरतन घोषाल अ0सा0क्र0-62 के कथन के आधार पर यह दलील दी गई है कि राजेन्द्र सायल अ0सा0क्र0-70 एक विश्वसनीय साक्षी नहीं है और उसकी भूमिका बहुत ही संदिग्ध है । नीलरतन घोषा अ0सा0क्र0-62 का संबंधित कथन कं0-11 इस प्रकार है :-

23/6/6

नियोगी जी ने यह कहाथा कि उन पर, संगठन पर या संगठन के नेताओं पर कभी भी कोईभी दुर्घटना घट सकती है । नियोगी ने यहभी कहा कि वहभी फस गया है और संगठन भी फस गया है, हमने बहुत बड़ी गलती की है । मैंने उनसे पूछा कि क्या गलती किये हैं तो उन्होंने कहा कि उनके संगठन में कुछ ऐसे लोग घुस गये हैं जो विदेशी संगठन के हैं और उनके आंदोलन को सफलता की ओर से आगे ले जाने के बजाय पीछे ढकेलना चाहते हैं । उन्होंने कहा कि राजेन्द्र सायल ऐसा आदमी है, जो दोस्त-हितैषी के रूप में उनके बीच में घुस गया है और धीरे-धीरे वह संगठन को कमजोर कर रहा है । राजेन्द्र सायल पी0यू0सी0एल0 का राष्ट्रीय सचिव है ।

393. यहां पर, शंकर गुहा नियोगी और राजेन्द्र सायल ॥अ0सा0क्र0-70॥ के आपसी संबंधों को भी जानना जरूरी है । अगस्त 91 में शंकर गुहा नियोगी अपनी पुत्री क्रांतिगुहा नियोगी ॥अ0सा0क्र0-67॥ के साथ राजेन्द्र सायल ॥अ0सा0क्र0-70॥ के घर रायपुर गयेथे । शंकर गुहा नियोगी ने प्रदर्श पी-103 का पत्र राजेन्द्र सायल ॥अ0सा0क्र0-70॥ को दिखायाथा और कहाथा कि इस पत्र को वे पुलिस को देंगे । दिनांक 27-9-91 कोशाम को रायपुर पहुंचने के बाद स्वतः शंकर गुहा नियोगी ने राजेन्द्र सायल ॥अ0सा0क्र0-70॥ को फोन करके बुलाया था । शंकर गुहा नियोगी ने राष्ट्रपति से मिलने का जो कार्यक्रम बनाया था उसमें भीउसने राजेन्द्र सायल ॥अ0सा0क्र0-70॥ को आमंत्रित किया था । इस तरह यह स्पष्ट होता है कि शंकर गुहा नियोगी का राजेन्द्र सायल ॥अ0सा0क्र0-70॥ के साथ घनिष्ठ संबंध था । यह विश्वास करना बहुत कठिन है कि शंकर गुहा नियोगी राजेन्द्र सायल ॥अ0सा0क्र0-70॥ पर संदेह करता रहा होगा । ऐसा प्रतीत होता है कि राजेन्द्र सायल ॥अ0सा0क्र0-70॥ के बारे में शंकर गुहा नियोगी ने जो बातें कहीं हों उसे नीलरत्न घोषाल ॥अ0सा0क्र0-62॥ बढ़ाकर बता रहा हो ।

394. यदि शंकर गुहा नियोगी राजेन्द्र सायल ॥अ0सा0क्र0-70॥ पर शक करता तो वह अपनी पुत्रीके साथ उसके घर क्यों जाता । घटना दिनांक को शंकर गुहा नियोगी द्वारा राजेन्द्र सायल को फोन करके मिलने के लिये बुलाना, उसके साथ घंटों बात करना, उसके साथ खाना खाना और अपनी जान को जिन-जिन लोगों से खतरा है उनका नाम बताना यह दर्शित करता है कि उन दोनों के बीच अच्छा संबंध था ।

।12। अभियुक्तों का फरार होना :-

अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अभियुक्त अभयसिंह :-

395. पी0के0विजयकुमार ।अ0सा0क्र0-119। मौर्या टॉकीज, भिलाई में मैनेजर के पद पर कार्यरत है । उसने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 30-9-91 को अभियुक्त अवधेश रॉय ने सायकल स्टैंड के ठेके का करार निष्पादित किया था । इस साक्षी ने अपने प्रति-परीक्षण के कं0-11 में बताया है कि अवधेश रॉय को सायकल स्टैंड का ठेका चलाते हुये 2-या-3 दिन ही हुयेथे कि पुलिस उसे पकड़कर ले गई, जबकि पुलिस उपनिरीक्षक एम0जी0अग्रवाल ।अ0सा0क्र0-182। ने अपने बयान के कं0-8 में बताया है कि शक होने के कारण उसने दिनांक 13-10-91 को अभियुक्त अवधेश रॉय को गिरफ्तार किया था । इस साक्षी ने प्रति-परीक्षण के कं0-32 में अभियुक्त के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि दिनांक 3-10-91 को उसने अभियुक्त अवधेश रॉय को पुलिस निरीक्षक नक्वी से लूना सहित उठवा लिया था । अवधेश रॉय ने दंड प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत यह बताया है कि दिनांक 3-10-91 से ही पुलिस ने उसे बैठा लिया था । यदि 3-10-91 से 13-10-91 तक अभियुक्त अवधेश रॉय पुलिस की अभिरक्षा में नहीं होता तो अवश्य ही अपने सायकल स्टैंड का काम देखा रहता, किंतु वह सायकल स्टैंड में उपलब्ध नहीं था । अतः साक्ष्य की समग्रता के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि पुलिस ने अभियुक्त अवधेश रॉय को दिनांक 13-10-91 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया, किंतु अभियुक्त अवधेश रॉय दिनांक 3-10-91 से ही पुलिस की नजर एवं अभिरक्षा में आ गया था ।

396. राजकुमार हरसुख उर्फ बंटू ।अ0सा0क्र0-90। ने अपने बयान में बताया है कि उसके चाचा कौशल देशमुख के पास एक मारूति वेन एम0पी024-ए-8256 थी, जिसे टीकमदास साहू ।अ0सा0क्र0-88। चलाया करता था । अक्टूबर 91 की एक रात में ज्ञानू उसके पास आया और बोला कि उसको पचमढ़ी जाने के लिये गाड़ी चाहिये । वह ज्ञानू को इसलिये जानता था कि वह देवेन्द्र पाटनी ।अ0सा0क्र0-158। के पास आया-जाया करता था । देवेन्द्र पाटनी के पास एक पुरानी कार थी, जिसकी मरम्मत यह साक्षी किया करता था । इस साक्षी ने आगे यह बताया है कि न्यायालय में उपस्थित ज्ञानप्रकाश ही ज्ञानू है ।

397. राजकुमार हरसुख ।अ0सा0क्र0-90। आगे यह बताता है कि वह रात के करीब 10.00 बजे टीकम साहू ।अ0सा0क्र0-88। के घर गया और उसे बुलाकर लाया। उस गाड़ी में अभियुक्त ज्ञानप्रकाश ने ही पेट्रोल डलाया । टीकम साहू ।अ0सा0क्र0-88।

....134

अभियुक्त ज्ञानप्रकाश को लेकर चला गया । इस साक्षी के बयान से यह दर्शित होता है कि मारूति वेन उसकी गैरेज से 4 अक्टूबर को निकली थी और टीकम साहू ।अ0सा0क्र0-88। उस गाड़ी को लेकर 6 अक्टूबर 91 को वापस आ गया था ।

398. टीकम साहू ।अ0सा0क्र0-88। के अनुसार दिनांक 4-10-91 की रात में बंटू मिस्त्री ।अ0सा0क्र0-90। और देवेन्द्र पाटनी ।अ0सा0क्र0-158। उसके घर आये और बोले कि 4-5 दिन के लिये मारूति वेन एम0पी0 24ए-8256 लेकर पचमढ़ी जाना है । चूंकि इस साक्षी का दिनांक 9-10-91 को भिलाई इस्पात संयंत्र में इंटरव्यू होने वाला था, इसलिये यह साक्षी जाने से इंकार कर दिया । इसके पश्चात बंटू मिस्त्री ।अ0सा0क्र0-90। और देवेन्द्र पाटनी ।अ0सा0क्र0-158। पुनः इस साक्षी के पास आये और बोले कि 9 तारीख तक पचमढ़ी में रुकने की आवश्यकता नहीं है, तुम यात्रियों को पचमढ़ी छोड़कर दूसरे दिन वापस आ जाओ । इस शर्त पर वह पचमढ़ी जाने के लिये तैयार हो गया ।

399. टीकम साहू ।अ0सा0क्र0-88। के बयान से यह दर्शित होता है कि वह अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा और अभयसिंह को लेकर पचमढ़ी गया और उन लोगों को वहां छोड़ने के बाद वापस दुर्ग आ गया ।

400. महेन्द्र सिंह पटेल ।अ0सा0क्र0 122। पचमढ़ी के नीलाम्बर होटल में रिसेप्शनिस्ट है । यह होटल राज्य शासन के विकास प्राधिकरण ।साडा। द्वारा चलाया जाता है । इस साक्षी ने यह बताया है कि दिनांक 5-10-91 को उसके होटल में अभयकुमार सिंह के आने का उल्लेख है । वे लोग कुल 3 आदमी थे और 2 कमरे किराये पर लियेथे । उन्हें कमरा क्र0- 3 और 4 आवंटित किया गया था । उक्त तीनों यात्रियों ने दिनांक 6-10-91 को दोनों कमरे खाली कर दिये । इसके पश्चात उसी दिन दोनों यात्रियों ने सिर्फ एक कमरा ।कमरा नं0-3। लिये और उस कमरे में दिनांक 9-10-91 के दिन के 11.00 बजे तक रहे । अतः यह स्पष्ट है कि टीकमदास साहू ।अ0सा0क्र0-88। जब अभियुक्तों को पचमढ़ी में छोड़ने के बाद वापस आ गया तो उन लोगों को दो कमरों की आवश्यकता नहीं रही और वे सिर्फ एक कमरे में रहे । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अभयसिंह ने अपने अभियुक्त कथन में यह स्वीकार किये हैं कि वे लोग दिनांक 4-10-91 की रात में दुर्ग से पचमढ़ी के लिये रवाना हुयेथे और दिनांक 9-10-91 तक वहां ठहरे थे ।

....135

401. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा की ओर से यह दलील दी गई है कि वह घूमने के लिये पचमढ़ी गया था, जबकि अभियुक्त अभयसिंह की ओर से यह दलील दी गई है कि उ0प्र0 से यह खबर आई थी कि उसकी पत्नी की तबियत खराब है, इसलिये वह अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के साथ पचमढ़ी चला गया और वहीं से उ0प्र0 चला गया।

402. टीकमदास साहू ।अ0सा0क्र0-88। एवं राजकुमार हरसुख ।अ0सा0क्र0-90। के बयानों को देखने से ऐसा नहीं लगता कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा घूमने के लिये पचमढ़ी गया था। यदि वस्तुतः अभियुक्त अभयसिंह की पत्नी की तबियत खराब होती तो वह सीधे अपनी पत्नी के पास उ0प्र0 गया होता न कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के साथ पहले पचमढ़ी जाता। यहां पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि उ0प्र0 जाने का रास्ता और पचमढ़ी जाने के रास्ते बिल्कुल ही विपरीत हैं।

403. देवेन्द्र पाटनी ।अ0सा0क्र0-158। ने अपने बयान की कं0-17 में इस बात से इंकार किया है कि दिनांक 4-10-91 को उसने बंटू मिस्त्री ।अ0सा0क्र0-90। को बोलकर अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा व अभयसिंह के पचमढ़ी जाने हेतु मारूति वेन की व्यवस्था करवाया था। इस साक्षी को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित कर उसका प्रति-परीक्षण भी किया है। यह साक्षी अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा का मित्र है। अतः उसे बचाने हेतु इस साक्षी में असत्य कथन करने की प्रवृत्ति नजर आती है।

404. टीकमदास साहू ।अ0सा0क्र0-88। एवं राजकुमार हरसुख ।अ0सा0क्र0-90। के बयान से यह प्रमाणित हो चुका है कि देवेन्द्र पाटनी ।अ0सा0क्र0-158। ने ही अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा व अभयसिंह को पचमढ़ी भेजने की व्यवस्था किया था। यहां पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि अभियुक्तगणों ने पचमढ़ी से दिनांक 9-10-91 को दुर्ग टेलीफोन नंबर- 3854 पर बात किये। देवेन्द्र पाटनी ।अ0सा0 क्र0-158। ने अपने बयान के कं0-7 में यह स्वीकार किया है कि उसके घर का टेलीफोन नंबर 3854 है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पचमढ़ी पहुंचने के बाद अभियुक्तगणों ने देवेन्द्र पाटनी ।अ0सा0क्र0-158। से संपर्क बनाये हुये थे।

405. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा और अभयसिंह द्वारा दिनांक 4-10-91 को दुर्ग से फरार होने की पृष्ठभूमि यह दिखती है कि उनके साथ नेपाल यात्रा करने वाला मित्र अभियुक्त अवधेश राय पुलिस की नजर में आ गया था। अतः परिस्थितियों की समग्रता के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा व अभयसिंह दिनांक 4-10-91 को इस क्षेत्र से फरार हो गये।

23/6/10 136

COURT FEE INDIA 4 Rs.

अभियुक्त अभयसिंह :-

406. अभियुक्त अभयसिंह के फरारी की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि उसने दिनांक 3-10-91 को दर्शनानंद तिवारी (अ0सा0क्र0-52) को अवकाश छुट्टी का आवेदन (प्रदर्श पी-144) दिया था, किंतु वह कार्य पर पहुंच गया। दर्शनानंद तिवारी (अ0सा0क्र0-52) के पूछने पर अभियुक्त अभयसिंह ने कहा कि पैसे की व्यवस्था नहीं हुई है, इसलिये कल या परसों जाऊंगा। दिनांक 5-10-91 को जब अभियुक्त अभयसिंह कार्य पर उपस्थित नहीं हुआ तो दर्शनानंद तिवारी (अ0सा0क्र0-52) ने 3 तारीख को 5 तारीख बनाकर ऑफिस में उक्त आवेदन को छोड़ दिया। भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्मिक अधिकारी जेकब कुरियन (अ0सा0क्र0-53) ने अभिलेख के आधार पर यह साबित किया है कि अभियुक्त अभयसिंह दिनांक 5-10-91 को कार्य से अनुपस्थित हो गया और उसके बाद वह कार्य पर वापस भी नहीं आया। अभियुक्त अभयसिंह जब कार्य पर वापस ही नहीं आया तो दिनांक 23-1-92 को उसकी सेवायें समाप्त कर दी गई। अभियुक्त अभयसिंह ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वह अपनी नौकरी से बिना किसी आवेदन या पर्याप्त कारण के क्यों अनुपस्थित हो गया। इस तरह इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि नियोगी की हत्या के एक हफ्ते बाद अभियुक्त अभयसिंह और ज्ञानप्रकाश मिश्रा इस क्षेत्र से फरार हुयेथे।

अभियुक्त चंद्रकांत शाह :-

407. कोदूराम (अ0सा0क्र0-103) अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर दूध लाने, कुत्ता घुमाने एवं अन्य घरेलू काम किया करता था। वह अपने बयान में बताता है कि शंकर गुहा नियोगी की हत्या के करीब 8-10 दिन बाद अभियुक्त चंद्रकां. शाह ने उससे कहा कि ड्रायव्हर महादेव से कह देना कि हरे रंग की जो बड़ी गाड़ी आई है उसे सूरज सेठ के खेत में रख दे। महादेव ड्रायव्हर ने हरे रंग की बड़ी गाड़ी को सूरज सेठ के खेत में खड़ी करके चला गया। बाद में इमामुद्दीन ने बोला कि बड़ी वाली गाड़ी को लेकर अभियुक्त चंद्रकांत शाह चला गया है और छोटी गाड़ी को गैरेज के अंदर

....137

226(60)

रखवाने के लिये बोले हैं ।

408. सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एस०एन० सिंह ।अ०सा०क्र० - 123। ने अपने बयान में बताया है कि टैम्पो-ट्रैक्स क्र० - एम०पी० 24बी-6622 का रजि० दिनांक 5-3-91 को ओरियान्स आयरन एंड स्टील प्रा०लि० कंपनी के नाम पर हुआ था । इस फर्म का अविवादित रूप से स्वामी अभियुक्त चंद्रकांत शाह है । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के क० - 5 में बताया है कि उक्त टैम्पो-ट्रैक्स हरे रंग का था । इस तरह कोदूराम ।अ०सा०क्र० - 103। एवं एस०एन० सिंह ।अ०सा०क्र० - 123। के बयानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि शंकर गुहा नियोगी की हत्या के 8-10 दिन बाद अभियुक्त चंद्रकांत शाह भिलाई से हरे रंग की टैम्पो ट्रैक्स क्र० - एम०पी० 24बी-6622 को लेकर निकला था ।

409. होटल ग्रांट, नागपुर के जनरल मैनेजर विजय बजाज ।अ०सा०क्र० - 130। ने अपने बयान में बताया है कि उसके होटल में दिनांक 5-10-91 को हेमंतसिंह नामक यात्री 12.10 बजे आया और दिनांक 8-10-91 के रात्रि 8.30 बजे तक उसकी होटल में ठहरा था । होटल का रजिस्टर प्रदर्श पी-348 है । हस्तलिपि विशेषज्ञ डॉ०एस०सी० मित्तल ।अ०सा०क्र० - 160। ने अभियुक्त चंद्रकांत शाह की स्वीकृत लिखावट, नमूने की लिखावट एवं विवादास्पद लिखावट क्यू-80/प्रदर्श पी-348 की तुलना करके यह प्रतिवेदन दिया है कि क्यू-80/प्रदर्श पी-348 अभियुक्त चंद्रकांत शाह की लिखावट में है ।

410. होटल सोना, नागपुर के रिसेप्शनिस्ट अनंता रंभाराव पिंपलवार ।अ०सा०क्र० - 134। ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 8-10-91 की रात 9.30 बजे सी०के० शाह नामक यात्री उसकी होटल में आया और दिनांक 9-10-91 को उक्त यात्री ने उनका होटल छोड़ा था । उस यात्री के साथ एक महिला भी थी । इस रजि० में यात्री ने अपना नाम और पता 34 सिविक सेंटर, भिलाई स्वतः लिखा है । होटल का रजिस्टर प्रदर्श पी-360 है । पी-361 है और होटल का बिल प्रदर्श पी-360 है । अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने अपने अभियुक्त कथन में होटल सोना, नागपुर में दिनांक 8-10-91 एवं 9-10-91 को ठहरना मंजूर किया है ।

411. होटल प्रेसीडेंट, मद्रास के एकाउंटेंट के०एस०भास्यम ।अ०सा०क्र० - 172। ने प्रदर्श पी-419 का एराइवल फार्म, 420 की रसीद एवं 421 के बोर्ड एवं अपार्टमेंट बिल को देखकर यह बताया है कि दिनांक 15-10-91 से 18-10-91 तक शाह चंद्रा, निवासी - भिलाई ।दुर्ग ।म०प्र०।। उक्त होटल में ठहरा था । इस साक्षी से कोई भी

प्रति-परीक्षण नहीं किया गया है । अतः होटल प्रेसीडेंट, मद्रास में यात्री का जो नाम एवं पता लिखा है उसके आधार पर यह विधिकउपधारणा की जा सकी है कि वह यात्री अभियुक्त चंद्रकांत शाह था ।

412. डी0इंदरपाल ।अ0सा0क्र0-117। सन् 91 में गुडूर, जिला-नेल्लोर ।आ0प्र0। में सहायकजनसंपालन मंत्री के पद पर पदस्थ था । उसने अपने साथ टॉलटैक्स बेरियर का रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि ।प्रदर्श पी-311। लेकर उपस्थित हुआ था । इस साक्षी ने बताया है कि इस रजिस्टर के अनुक्रमांक-20 पर दिनांक 13-10-91 को वाहन क्र0- एम0पी0 24बी-6622 के बेरियर से गुजरने का इंद्राज है । उस बेरियर पर पोलैय्या ।अ0सा0क्र0-118। वर्किंग इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है । उसके बयान एवं प्रदर्श पी-313 की रसीद के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि वाहन क्र0- एम0पी0 24बी-6622 मनोबुलू टॉलटैक्स बेरियर से गुजरा था । इससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह होटल प्रेसीडेंट, मद्रास पहुंचने के पूर्व मनोबुलू टॉलटैक्स बेरियर को पार किया था ।

413. होटल गोदावरी, भद्राचलम ।आ0प्र0। के मैनेजर शेखर ।अ0सा0क्र0-137। ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 11-10-91 को उसकी होटल में सी0के0शाह नामक यात्री आया था, जिसे कमरा नं0-205 आवंटित किया गया था । इस होटल के रजिस्टर प्रदर्श पी-247 में यात्री ने अपना हस्ताक्षर किया था । प्रदर्श पी-247 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यात्री का नाम सी0के0शाह और पता 34 सिविक सेंटर, भिलाई लिखा है । होटल के इस इंद्राज को हस्तलिपि विशेषज्ञ डॉ0 एस0सी0मित्तल ।अ0सा0क्र0-160। ने क्यू-47 अंकित किया है । हस्तलिपि विशेषज्ञ ने अभियुक्त चंद्रकांत शाह की स्वीकृत लिखावट, नमूने की लिखावट एवं विवादास्पद लिखावट ।क्यू-47/प्रदर्श पी-247। को एक ही व्यक्ति द्वारा लिखाजाना बताया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 11-10-91 को अभियुक्त चंद्रकांत शाह होटल गोदावरी, भद्राचलम ।आ0प्र0। में ठहरा था ।

414. मनोहर वासुदेव राव पोहेकर ।अ0सा0क्र0- 166। सन् 91 में महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन लॉज ।नवेगांव बांध। में मैनेजर के पद पर कार्यरत था । इस साक्षी ने उक्त टूरिस्ट लॉज के रजिस्टर प्रदर्श पी-417 ... 139

के आधार पर यह प्रमाणित किया है कि उक्त लॉज में दिनांक 3-11-91 के दोपहर 12.00 बजे से लेकर 5-11-91 की सुबह 8.00 बजे तक पर्यटक सी0आर0शाह, 34 सिविक सेंटर, भिलाई (दुर्ग) म0प्र0 ठहरा था। यह लॉज राज्य शासन द्वारा चलाया जाता है। अतः उपधारणा यह होगी कि इसमें जो प्रविष्टियां की जाती हैं वे सही होंगी। अभियुक्त की ओर से इस साक्षी से कोई भी प्रति-परीक्षण नहीं किया गया है। अतः प्रदर्श पी-417 के रजिस्टर में पर्यटक का जो नाम और पता लिखा गया है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह अभियुक्त चंद्रकांत शाह ही था।

415. भगवतीप्रसाद तिवारी (अ0सा0क्र0-127) पिछले 7-8 वर्षों से होटल सूर्या, नागपुर में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत है। उसने यह बताया है कि होटल के रजिस्टर प्रदर्श पी-330 के अनुक्रमांक 3326 पर यात्री रामसिंह, निवासी- 52 सिविक सेंटर, जबलपुर के ठहरने का इंद्राज है। यह यात्री दिनांक 5-11-91 की रात के 9.00 बजे उनके होटल में आया था और दिनांक 8-11-91 की रात्रि 7.00 बजे उसने होटल को छोड़ा था। इस रजिस्टर पर यात्री ने ही प्रविष्टि एवं हस्ताक्षर किया था। हस्तलिपि विशेषज्ञ डॉ0 एस0सी0मित्तल (अ0सा0क्र0-160) ने होटल सूर्या, नागपुर के रजिस्टर प्रदर्श पी-330 के अनुक्रमांक 3326 की प्रविष्टि को क्यू-78 अंकित किया है। हस्तलिपि विशेषज्ञ ने अभियुक्त चंद्रकांत शाह के स्वीकृत लिखावट, नमूने की लिखावट एवं विवादास्पद लिखावट (क्यू-78/प्रदर्श पी-330) का परीक्षण करने के उपरांत यह अभिमत दिया है कि उक्त तीनों लिखावटें एक ही व्यक्ति के हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह दिनांक 5-11-91 से 8-11-91 तक होटल सूर्या, नागपुर में रामसिंह के नाम से ठहरा था।

416. राजेश दुआ (अ0सा0क्र0-131) होटल कांटिनेन्टल, नागपुर का मालिक है। वह यह बताता है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उससे होटल के रजिस्टर का मूल पन्ना प्रदर्श पी-356 एवं होटल का बिल प्रदर्श पी-357 जप्त किया था। इसका जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-355 है। प्रदर्श पी-357 का बिल यात्री आर0के0सिंह के नाम पर काटा गया है। यह यात्री दिनांक 11-11-91 को उक्त होटल में आर0के0सिंह, 34 सिविक सेंटर, जबलपुर के नाम से ठहरा था। हस्तलिपि विशेषज्ञ डॉ0 एस0सी0मित्तल (अ0सा0क्र0-160) ने अभियुक्त चंद्रकांत शाह के नमूने के लिखावट, स्वीकृत लिखावट और विवादास्पद लिखावट (क्यू-79/प्रदर्श पी-356) का परीक्षण करने के उपरांत यह अभिमत दिया है कि उक्त तीनों लिखावटें एक ही व्यक्ति के हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 11-11-91 को अभियुक्त चंद्रकांत शाह होटल कांटिनेंटल, नागपुर में आर0के0सिंह के नाम से ठहरा था।

COURT FEE 4 Rs INDIA

417. किंशुक चक्रवर्ती ।अ०सा०क्र०-139। होटल सेन्ट्रल प्वाइंट, जमशेदपुर में सन् 91 में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्य करता था । उसने बताया है कि होटल के गेस्ट रजिस्ट्रेशन फार्म प्रदर्श पी-370।पी-370। में यात्री ने अपना नाम और पता तथा तारीख भरा है और हस्ताक्षर किया है । गेस्ट रजिस्टर फार्म के अनुसार यात्री का नाम एच०के०शाह तथा उसका स्थाई पता 34 सिविक सेंटर, भिलाई लिखा गया है । यह यात्री उक्त होटल में दिनांक 23-11-91 से 25-11-91 तक ठहरा था । उक्त होटल के सीनियर रिसेप्शनिस्ट आर०रिवजी ।अ०सा०क्र०-140। ने दिनांक 25-11-91 को यात्री द्वारा होटल छोड़ते समय प्रदर्श पी-371 का बिल 1,349/- रूपये 40 पैसे का काटा था । हस्तलिपि विशेषज्ञ ने अभियुक्त चंद्रकांत शाह के नमूने के लिखावट, स्वीकृत लिखावट एवं विवादास्पद लिखावट ।गेस्ट रजि०फार्म क्यू-46/प्रदर्श पी-370। का परीक्षण करने के उपरांत यह अभिमत दिया है कि उक्त तीनों लिखावटें एक ही व्यक्ति की हैं । इस तरह यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह होटल सेंट्रल प्वाइंट, जमशेदपुर में दिनांक 23-11-91 से 25-11-91 तक एच०के०शाह, 34 सिविक सेंटर, भिलाई के नाम से ठहरा था । प्रदर्श पी-370 एवं 371 के दस्तावेजों को आर०एस० प्रसाद ।अ०सा०क्र०-192। ने प्रदर्श पी-372 के जप्ती-पत्र द्वारा जप्त किया था ।

418. सी०एल०शिवकुमार ।अ०सा०क्र०-141। टैक्सी चालक है । वह कहता है कि उसके मालिक ।राधाबिहारी टूर एंड ट्रव्हल्स, नागपुर। ने उससे कहा कि होटल सूर्या से फोन आया है कि संबंधित यात्री को अपनी टैक्सी कार एम०एस०-31/2052 से गंतव्य स्थान तक छोड़ दे । वह दिनांक 7-11-91 को दोपहर के करीब 3.00 बजे जब होटल सूर्या पहुंचा तो वहां उसे यात्री मिला । उस यात्री को उसने नवेगांव बांध ।महाराष्ट्र राज्य का पर्यटन लॉज। के सामने छोड़ दिया । होटल सूर्या से नवेगांव बांध की दूरी करीब 140 कि० मी० थी । वहां पर एक टैम्पोट्रेक्स वाहन खड़ा था । वह यात्री टैम्पोट्रेक्स को चलाते हुये नागपुर रोड की तरफ चला गया । यहां पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह दिनांक 5-11-91 से 8-11-91 तक रामसिंह के नाम से होटल सूर्या में ठहरा था । इसके पूर्व अभियुक्त चंद्रकांत शाह दिनांक 3-11-91 से 5-11-91 की सुबह 8.00 बजे नवेगांव बांध के फॉरेस्ट लॉज में ठहर चुका था । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि नवेगांव बांध

का फॉरेस्ट लॉज छोड़ते समय एवं होटल सूर्या, नागपुर में ठहरने के पूर्व अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने फॉरेस्ट लॉज नवेगांव के सामने टैम्पोट्रेक्स को छोड़ आया था ।

419. नियोगी की हत्या के करीब 8-10 दिन बाद अभियुक्त चंद्रकांत शाह अचानक ही भिलाई से अपने टैम्पो ट्रैक्स क्र0-एम0पी0 24डी-6622 से निकला और नागपुर के विभिन्न होटलों में, नवेगांव फॉरेस्ट लॉज में, होटल सेंट्रल प्वाइंट, जमशेदपुर में, होटल गोदावरी, भद्राचलम में, होटल प्रेसीडेंट, मद्रास में ठहरते रहा है । अभियुक्त चंद्रकांत शाह होटल ग्रांट, नागपुर में दिनांक 5-10-91 से 8-10-91 तक छदम नाम (हेमंतसिंह) से ठहरा था, इसी तरह होटल सूर्या, नागपुर में दिनांक 5-11-91 से 8-11-91 तक छदम नाम (रामसिंह) से ठहरा था । इसी तरह होटल कांटिनेंटल, नागपुर में अभि0चंद्रकांत शाह दिनांक 11-11-91 को छदम नाम (आर0के0 सिंह) से ठहरा था । इसी तरह अभियुक्त चंद्रकांत शाह होटल-सेन्ट्रल प्वाइंट, जमशेदपुर में दिनांक 23-11-91 से 25-11-91 तक छदम नाम (एच0के0शाह) से ठहरा था ।

420. अभियुक्त चंद्रकांत शाह की ओर से यह दलील दी गई है कि वह वस्तुतः फरार नहीं हुआ था, बल्कि उसने अग्रिम जमानत हेतु माननीय उच्च-न्यायालय में आवेदन पेश किया था । माननीय उच्च-न्यायालय द्वारा जब उसे एकपक्षीय अग्रिम जमानत मिल गया तो वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो, कैम्प-भिलाई के समक्ष उपस्थित हो गया था, किंतु यह दलील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । शंकर गुहा नियोगी की हत्या के करीब एक सप्ताह बाद अभियुक्त चंद्रकांत शाह अचानक ही अपने टैम्पो-ट्रैक्स से भिलाई से निकला और नागपुर के विभिन्न होटलों में तथा अन्य शहरों के होटलों में छदम नाम से ठहरते रहा है । अभियुक्त चंद्रकांत शाह एक महत्वपूर्ण उद्योगपति था । उसे इस बात की क्या आवश्यकता थी कि वह फरार होता और छदम नाम से विभिन्न होटलों में इस तरह ठहरते रहता । इससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह नियोगी की हत्या के एक सप्ताह के बाद भिलाई से फरार हुआ था और अपने आपको गुप्त रखने के आशय से विभिन्न होटलों में छदम नाम से ठहर रहा था ।

421. <u>माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने कुंदला बाला सुब्रमण्यम बनाम आं0प्र0 राज्य (1993)2 सु0को0केसेस-684</u> वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि-अभियुक्त का मात्र फरार होना अपने आपमें दोषसिद्धि के लिये सकारात्मक साक्ष्य नहीं होता, क्योंकि कभी-कभी निर्दोष व्यक्ति भी झूठे फसाये जाने के भय से भाग जाते हैं, किंतु यदि अभियुक्त के विरुद्ध और भी अपराध में फसाये जाने लायक साक्ष्य हो तो अभियुक्त का फरार होना एक महत्वपूर्ण लिंक हो जाता है ।

.... 142

422. शंकर गुहा नियोगी की हत्या के दो दिन बाद ही अभियुक्त अवधेश राँय ने मौर्या टॉकीज के सायकल स्टैंड का ठेका लिया था । उसे सायकलस्टैंड चलाते हुये मुश्किल से दो 3 दिन ही हुये थे कि वह पुलिस की नजर में आ गया । ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस ने अभियुक्त अवधेश राँय को 3-10-91 को ही अपनी अभिरक्षा में ले लिया था, किंतु औपचारिक गिरफ्तारी दिनांक 13-10-91 को की गई है । इसके पश्चात् दूसरे दिन ही अर्थात् दिनांक 4-10-91 की रात को अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अभियुक्त अभयसिंह भिलाई से फरार हुये और पचमढ़ी चले गये । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा दिनांक 13-10-91 के किसी दिन पूर्व भिलाई वापस आया तो उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । अभियुक्त अभयसिंह तो वापस न तो भिलाई आया और न ही बी0एस0पी0 में अपनी ड्यूटी ही ज्वाइन किया । केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक मिथिलेश कुमार झा ।अ0सा0क्र0-184। के नेतृत्व में दिनांक 17-11-91 को अभियुक्त अभयसिंह को गाजीपुर में गिरफ्तार किया गया ।

423. अभियुक्त चंद्रकांत शाह भी दिनांक 4-10-91 को अपने टैम्पो ट्रेक्स क्र0-एम0पी024बी-6622 से भिलाई से फरार हुआ और नागपुर एवं विभिन्न शहरों के होटलों में छद्म नाम से ठहरते रहा । इस तरह उपर्युक्त तीनों अभियुक्त अभियुक्त अवधेश राँय की पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने के बाद इस क्षेत्र से फरार हुये । यहाँ पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि मार्च 91 में अभियुक्त चंद्रकांत शाह, ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अभयसिंह एवं अवधेश राँय ने टैम्पोट्रेक्स क्र0- एम0पी024बी-6622 से भिलाई से नेपाल की यात्रा किये थे । ऊपर यह भी प्रमाणित हुआ है कि इस यात्रा का उद्देश्य हथियार एकत्र करना था ।

424. महंगूलाल पंचबुद्ध ।अ0सा0क्र0-143। ग्राम नागरा में पटेल है । वह कहता है कि दिनांक 7-11-91 की सुबह उसने अपने गांव से आधा फर्लांग दूरी पर बालाघाट रोड पर सड़क में एक हरे रंग का टैम्पो ट्रेक्स देखा था । उस टैम्पोट्रेक्स का नंबर उसे याद नहीं है । वह टैम्पो ट्रेक्स बंद थी और उसके आजू-बाजू या अंदर कोई नहीं था । उसने दिनांक 9-11-91 को उस टैम्पो ट्रेक्स को उसी जगह पर खड़े हुये देखा था । उसे शक हुआ कि यह गाड़ी दो दिनों से इस हालत में कैसे खड़ी हुई है । उसकी तबियत कुछ ठीक नहीं थी,

इसलिये वह तत्काल रिपोर्ट करने थाने नहीं जा सका । वह दिनांक 11-11-91 को पुलिस थाना गोंदिया ।ग्रामीण। गया और थाने के निरीक्षक कुंभलकर ।अ0सा0क्र0-145। को बताया कि उसके गांव के पास एक टैम्पो-ट्रेक्स खड़ी हुई है । कुंभलकर ।अ0सा0 क्र0-145। ने कहा कि सिंग साहब के पास रिपोर्ट दर्ज करा दो । उसने सिंग साहब के पास रिपोर्ट दर्ज करवाकर वापस आ गया । दिनांक 13-11-91 को पुलिस उपाधीक्षक संदीप विश्नोई उसके गांव आये और टैम्पो-ट्रेक्स के पास पुलिस गार्ड लगा दिये । उसे 18-11-91 को पता चला कि टैम्पो-ट्रेक्स को ले जा चुके हैं ।

425. पुलिस निरीक्षक सहसराम कुंभलकर ।अ0सा0क्र0-145। ने बताया है कि दिनांक 11-11-91 को टैम्पो-ट्रेक्स क्र0- एम0पी024बी-6622 के खड़े होने की सूचना मिलने के पश्चात वह उप-निरीक्षक सिंग एवं ग्राम पटेल के साथ ग्राम नागरा गया । उसने देखा कि गाड़ी में लॉक था और गाड़ी गेयर में थी । उसने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग को लिखा कि उक्त मोटर यान का स्वामी कौन है । इसी बीच रामजीशाह ।अभियुक्त चंद्रकांत शाह के पिता। का यह टेलीग्राम आया कि उसके लड़के को पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं और यहभी लिखा कि नागरा के पास जहां गाड़ी खड़ी है वहां पर उसके लड़के को परेशान किया जा रहा है । उसने रामजीशाह को जबलपुर के पते से यह पत्र भेजा कि आप थाने आकर आवश्यक जानकारी दें । उसके पश्चात रामजी शाह का एक औरभी पत्र आया, जिसमें यह लिखा था कि भिलाई के किसी नायर से उसे सूचना मिली है कि उसके लड़के को परेशान किया जा रहा है ।

426. निरीक्षक सहसराम कुंभलकर ।अ0सा0क्र0-145। ने आगे यहभी बताया है कि दिनांक 18-11-91 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पुलिस-अधीक्षक बी0एस0 कंवर ।अ0सा0क्र0-183। ग्रामीण थाना गोंदिया आ गये । इस पर उसके पुलिस-अधीक्षक ने यह निर्देश दिये कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अनुसंधान में सहयोग दिया जाये । वह गोंदिया से वाहन का ताला खोलने वाले को, फोटोग्राफर को औरअंगुल चिन्ह लेने वाले को साथ लेकर नागपुर गया । इस साक्षी ने आगे यह बताया है कि ताला खोलने वाले ने वाहन का ताला खोला और फोटोग्राफर ने वाहन और उसमें पाये गये वस्तुओं की फोटो लिया । उस वाहन में वाहन का रजिस्ट्रेशन और बीमा के कागजात भी पाये गये । वाहन के अंदर कैलेंडर, चप्पल, टावेल, कुछ किताबें, कपड़े, वूलन कैप एवं मैटिंग वगैरह पाये गये, जिसे जप्त किया गया । इस साक्षी ने यहभी बताया है कि गाड़ी के मैट में टावेल में वूलनकैप में और तौलिये में खून के दाग पाये गये हैं ।

427. केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पुलिस-अधीक्षक बी0एस0 कंवर ।अ0सा0क्र0-183। ने बताया है कि गोंदिया-बालाघाट रोड पर खड़ी टैम्पो-ट्रेक्स के अंदर जितने भी सामान व दस्तावेज मिले उसे उसने जप्त किया था, जिसका जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-144

FOUR RUPEES

376 है-। इस साक्षी ने आगे बताया है कि टैम्पो-ट्रैक्स के अंदर पाये गये सफेद रंग के तौलिये, रबरसीट/रबरमेट में खून के दाग पाये गयेथे । इस टैम्पो-ट्रैक्स के अंदर कार्डबोर्ड (प्रदर्श पी-237), भी मिलाथा, जिसमें चंद्रकांत शाह कुछ फोन नंबर लिखे हुयेथे । वाहन के अंदर दिवाली ग्रीटिंग कार्ड (प्रदर्श पी-243), ग्रीटिंग कार्ड (पी-244), इनवलप (पी-246), होटल गोदावरी का ओरिजनल बिल (पी-377), वाहन का रजि0 का फोटोकापी (पी-326), वाहन के बीमा की फोटोकापी (पी-433), होटल गोलकुंडा का लिफाफा (पी-434), दिवाली ग्रीटिंग कार्ड (पी-410), एक लिफाफा (पी-411), रोड एटलस आफ इंडिया (पी-412), सिगरेट का पैकेट, आडियो कैसेट, एक कंघी, एक माचिस, दो पैकेट अगरबत्ती, एक हवाई चप्पल, एक जोड़ी जूता व मोजा, एक तकिया कव्हर, एक चादर, एक हॉकी स्टिक, एक छाता, एक कमीज, एक स्केल, एक डुलवर्कर, एक कपड़ों का भरा हुआ बैग, एक लाउंडरी का प्लास्टिक बैग व दर्पण उसी वाहन में मिले थे, जिसेभी उसने जप्त किया था ।

428. उक्त जप्ती का समर्थन ग्राम नागरा के किसान बालकृष्ण (अ0सा0क्र0-144) ने किया है ।

429. केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा टैम्पोट्रैक्स क्र0- एम0पी0 24बी-6622 के अंदर जो टॉवेल, बैग और रबरमैट पाये गयेथे उसे जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था । सिरोलॉजिस्ट सी0एम0 पटेल (अ0सा0क्र0-152) ने अपने बयान में बताया है कि जप्तशुदा टॉवेल, बैग और रबरमैट में मानव रक्त पाये गयेथे, जो कि "ओ" ग्रुप का था ।

430. डॉ0 दिलीप भालचंद्रवालकर (अ0सा0क्र0-120 पैथॉलॉजिस्ट) नागपुर में रक्त एकत्र करने का और उसे बिक्री करने का कार्य करता है । जो व्यक्ति उसके पास रक्त लेने के लिये आता है उसको रक्त ग्रुप के मिलान के बाद रक्त दिया जाता है । यदि कोई बाहर गांव से व्यक्ति आता है और किसी विशेष ग्रुप का रक्त मांगता है तो वह बिना मैच किये ही रक्त इस शर्त पर दे देता है कि मिलान कराना खरीददार या मरीज की जिम्मेदारी होगी । वह जो रक्त बिक्री करता है उसका रजिस्टर रखता है । डॉ0 दिलीप भालचंद्रवालकर (अ0सा0क्र0-120) आगे यह बताता है कि दिनांक 7-11-91 को एक व्यक्ति उसके पास आया था और कहा था कि उसके रिश्तेदार को "ओ" पॉजिटिव ग्रुप के खून की जरूरत है । उसने उस व्यक्ति

ओ/ 22/6/97

से कहा कि ब्लड ग्रुप का मिलान करने के बाद ही मरीज को खून देना । डॉ0 दिलीप भालचंद्रवालकर ।अ0सा0क्र0-120। द्वारा ब्लडइश्यू रजिस्टर रिकार्ड ।प्रदर्श पी-316। द्वारा मिस्टर सिंग को "ओ" पॉजिटिव ग्रुप के खून देने का इंद्राज किया गया है । प्रदर्श पी-316 में वही सब बातें लिखी हैं, जो इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है ।

431. यहां पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह दिनांक 5-11-91 से 8-11-91 तक होटल सूर्या, नागपुर में छद्म नाम ।रामसिंह। से ठहरा हुआ था । दिनांक 7-11-91 को नागपुर के पैथालॉजिस्ट डॉ0 दिलीप भालचंद्रवालकर ।अ0सा0क्र0-120। से सिंग नामक व्यक्ति ने एक मरीज के लिये "ओ" पॉजिटिव ग्रुप का रक्त खरीदा था । अभियुक्त चंद्रकांत शाह की टैम्पो-ट्रेक्स क्र0-एम0पी0 24बी-6622, जो ग्राम नागरा के पास खड़ी थी उसके अंदर जो मैट, कैप और टॉवेल पाये गये थे वह रक्तरंजित था । इन वस्तुओं में जो रक्त पाया गया था वह भी "ओ" पॉजिटिव ग्रुप का था । इन परिस्थितियों के आधार पर यह उपधारणा की जा सकती है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने ही सिंग नाम से डॉ0 दिलीप भालचंद्रवालकर ।अ0सा0क्र0-120। से "ओ" पॉजिटिव ग्रुप का रक्त खरीदा था और उक्त रक्त को टॉवेल, कैप और वाहन के मैट में लगा दिया था । यदि यह मान लिया जाये कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने पैथालॉजिस्ट ।अ0सा0क्र0-120। से "ओ" पॉजिटिव ग्रुप का रक्त नहीं खरीदा था तो भी इससे स्थिति में कोई अंतर नहीं आयेगा । चूंकि टैम्पो ट्रेक्स अभियुक्त चंद्रकांत शाह की थी, इसलिये यह उसका भार है कि वह स्पष्ट करे कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं, जिसके कारण उसके वाहन के अंदर पाई गई वस्तुओं में "ओ" पॉजिटिव ग्रुप का रक्त पाया गया था, किंतु अभियुक्त ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके टैम्पो ट्रेक्स में के अंदर पाई गई वस्तुओं में रक्त किन परिस्थितियों के अंतर्गत आया था ।

432. ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह द्वारा ग्राम नागरा में अपने टैम्पो ट्रेक्स को लावारिस हालत में छोड़ना और उसके अंदर की वस्तुओं में रक्त लगाने का आशय यह हो सकता है कि वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसंधान को दिग्भ्रमित कर दे । ऐसा भी दर्शित होता है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह एक सनसनी वाली स्थिति निर्मित करना चाहता था, जिससे कि अनुसंधान एजेंसी अपने लक्ष्य की ओर न रूककर सही दिशा से विमुख हो जाये । सामान्य विवेक वाला व्यक्ति इसके अतिरिक्त और कोई भी उपधारणा नहीं निकाल सकता ।

23/6/97

FOUR RUPEES

433. फोटोग्राफर बब्बाराव गेवारे ।अ0सा0क्र0-146। के बयान से भी एवं उसके द्वारा खीचे गये फोटो से भी यह प्रमाणित होता है कि हरे रंग का वाहन क्र0-एम0पी024बी-6622 ग्राम नागरा में खड़ा हुआ था। फोटोग्राफर ने उक्त वाहन का विभिन्न कोणों से फोटोग्राफ भी लिया है, जो प्रदर्श पी-377। 1 से 17। तक है। इस तरह अनुसंधान अधिकारी के कथन की पुष्टि फोटोग्राफ से भी होती है।

।13। से ।15। नियोगी की डायरी व कैसेट तथा उसका साक्षिक महत्व:-

434. मृतक शंकर गुहा नियोगी की डायरी प्रदर्श पी-93 के पेज-32 में यह लिखा है- सिम्पलेक्स-केडिया जैसे उद्योगपतियों ने दुर्ग जिला कि आला-अफसरों को मिलाकर एक फासीवादी गिरोह बना चुका है। दुख के बात यह है कि दुर्ग एवं राजनांदगांव जिले की न्यायपालिका भी इस गिरोह में शामिल हो चुका है। पेज 169 में उसने लिखा है-ज्ञानने सिम्पलेक्स से 5 लाख रूपये प्राप्त करके फायर आर्म्स इकट्ठा किया है-।

435. राजकुमार हरख ।अ0सा0क्र0-90। नेअपने बयान में बताया है कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश ही ज्ञानू है।

436. डायरी के पेज क्र0- 172 में अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अवधेश एवं अभयसिंह का नाम लिखा है। आगे यहभी लिखा है कि अवधेश ।ए.C-4। ज्ञानू का बांया हाथ है।

437. पेज क्र0- 174 में ज्ञानू-चंद्रकांत लिखा है।

438. मृतक शंकर गुहा नियोगी ने अपने मृत्यु के पूर्व माइक्रोकेसेट आर्टिकल सी1 में अपना जो बयान रिकार्ड किया था उसका सुसंगत अंश इस प्रकार है :- "मैं जिस जिम्मेदारीको लिया हूं, उठाया हूं उस जिम्मेदारी को मुझे पूरा करना ही होगा और ये लोग मुझे मार डालेंगे, फिरभी मैं जानता हूं कि मुझे मारने से हमारे आंदोलन को कोई समाप्त नहीं कर सकेगा। यह जरूर है कि मैं यह बात निश्चित रूप से सामने आयेगा कि मेरे मृत्यु के बाद "कौन मुझे मारा"। क्या इस बारा की। मेरे मृत्यु के पीछे कौन जिम्मेदार है। सिम्पलेक्स के लोग जिस प्रकार से बदमाशी कर रहा है, विशेष रूप से मूलचंद, जिस प्रकार से क्रिमिनल्स लोगों को इकट्ठा कर रहा है। उधर प्रभुनाथ मिश्रा का गुंडाभाई ।स्पष्ट संकेत अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा की ओर। भी पूरा जोर-कोशिश कर रहा है कि यह मैं पे ऐसी कुछ अघटन घटाया जाये।

....147

439. मृतक शंकर गुहा नियोगी ने सितम्बर 90 से भिलाई में उद्योगपतियों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया था। 27/28-9-91 की रात में शंकर गुहा नियोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस तरह नियोगी की डायरी एवं कैसेट में जो बातें लिखी व रिकार्ड है वे सुसंगत हैं। न्यायालय को यह देखना होगा कि डायरी और कैसेट की आवाज में जिन अभियुक्तों का नाम आया है उनके संबंध में अभिलेख में और क्या साक्ष्य उपलब्ध हैं।

440. साक्ष्य अधिनियम की धारा 32॥। इस प्रकार है :-

जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है - जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो।

ऐसे कथन सुसंगत है, चाहे उस व्यक्ति को, जिसने उन्हें किया है, उस समय जब वे किये गये थे, मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं और चाहे उस कार्यवाही की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है प्रकृति कैसी ही क्यों न हो।

441. ~~यह आवश्यक नहीं है कि मृतक द्वारा कथन किये जाने के तुरंत~~ बाद ही मृतक की मृत्यु हुई हो। यदि मृतक ने अपनी मृत्यु के काफी समय पूर्व भी कोई ऐसा कथन किया हो तो वह भी उपर्युक्त प्रावधान के अंतर्गत सुसंगत होता है, बशर्ते कथन उस संव्यवहार से संबंधित हो, जिसके अंतर्गत उसकी मृत्यु हुई हो। इस विषय पर रतन सिंह बनाम हिमाचलप्रदेश राज्य ।1997 क्रि0ला0ज0-833 पैरा0-15। संदर्भित किये जाने योग्य है। अतः मृतक शंकर गुहा नियोगी की डायरी के लिखावट एवं कैसेट के कथन सुसंगत हैं।

।16। अभियुक्त पलटन द्वारा अपने संस्वीकृति में किन अभियुक्तों का नाम लिया गया:-

1. ज्ञानप्रकाश मिश्रा 2. मूलचंद शाह,
3. नवीन शाह 4. चंद्रकांत शाह.

442. उपर्युक्त क्र0-167 में यह प्रमाणित पाया गया है कि अभियुक्त पलटन मल्लाह ने सत्यप्रकाश ।अ0सा0क्र0-105। के समक्ष यह संस्वीकृति किया था कि उसने अभियुक्त ज्ञानप्रकाश के साथ जाकर नियोगी की सोते हुये हालत में देशी कट्टा से हत्या किया था। उसने यहभी संस्वीकृति किया था कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश के साथ अभियुक्त मूलचंद, नवीन शाह एवं चंद्रकांत शाह सहयोग में रहे हैं। उसने यहभी संस्वीकृति किया था कि उन लोगों ने उसे पैसे दिये थे और पैसे के कारण ही उसने यह काम किया है।

443. दं0-168 में यह प्रमाणित पाया गया है कि अभियुक्त पलटन मल्लाह ने नेपाल में बिशम्भर साहनी- (30सा0प्र0-124) से यह संस्वीकृति किया था कि उसने सिम्पलेक्स कंपनी वालों के कहने से अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के साथ शंकर गुहा नियोगी की हत्या किया है।

444. अभियुक्त मूलचंद शाह एवं नवीन शाह सिम्पलेक्स उद्योग समूह के मालिक हैं। अभियुक्त चंद्रकांत शाह उनका भाई है और उससे उसका औद्योगिक एवं व्यावसायिक संबंध भी है। अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा अभियुक्त चंद्रकांत शाह का अभिन्न मित्र है। शंकर गुहा नियोगी के आंदोलन के दौरान अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा सिम्पलेक्स गेट पर मौजूद रहा करता था। इस तरह ये सभी अभियुक्त सिम्पलेक्स उद्योग समूह से जुड़े हुये हैं।

445. यहां पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अभियुक्त पलटन मल्लाह ने अपनी संस्वीकृति में अन्य अभियुक्तों का जो नाम लिया है उसका साक्ष्यिक महत्व क्या है। सामान्यतः अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य अधि0 की धारा 3 के अंतर्गत साक्ष्य की परिभाषा में नहीं माना जाता। <u>माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने श्रीशैल नागेशी पारे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (ए0आई0आर0-1985 सु0को0-866)</u> वाले मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि- वापस ली गई संस्वीकृति उस अभियुक्त के दोषसिद्धि का आधार बन सकता है, यदि उसकी सामान्य पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्ष्य से हो, किंतु वापस ली गई संस्वीकृति किसी अन्य अभियुक्त के दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता, यद्यपि न्यायालय चाहें तो इस वापस ली गई संस्वीकृति को अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध विचार में ले सकता है।

446. इस संबंध में साक्ष्य अधि0 की धारा 30 के दृष्टांत पर विचार करना आवश्यक है, जो इस प्रकार है :- क और ख को ग की हत्या के लिये संयुक्ततः विचारित किया जाता है। यह साबित किया जाता है कि क ने कहा, "ख और मैंने ग की हत्या की है। ख के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा।

447. इस तरह कानून की जो स्थिति निर्मित होती है वह यह है कि न्यायालय सीधे एक अभियुक्त की संस्वीकृति का उपयोग दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध न करे, बल्कि न्यायालय अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध जो स्वतंत्र साक्ष्य है उस पर विचार करे और अगर यह पाये कि उपलब्ध साक्ष्य अभियुक्तों को दोषसिद्ध करने के लिये युक्तिसंगत नजर आये तो अभियुक्त की संस्वीकृति को अंतिम कड़ी के रूप में उपयोग में लाये। अतः अभियुक्त पलटन मल्लाह द्वारा

29/6/98

अपने संस्वीकृति में अपने को अपराध में फंसाते हुये अन्य जिन अभियुक्तों का नाम लिया गया है उस पर उन संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध अभिलेख में उपलब्ध अन्य साक्ष्य को देखने के उपरांत अभियुक्त पलटन द्वारा की गई उक्त संस्वीकृति के आधार पर विचार किया जायेगा ।

448. बचाव पक्ष के विद्वान काउन्सिल श्री राजेन्द्र सिंह ने दलील दिये हैं कि यह आपराधिक षड्यंत्र का मामला है, इसलिये एक षड्यंत्रकारी द्वारा षड्यंत्र की समाप्ति के उपरांत किया गया कथन साक्ष्य अधि० की धारा 10 के अंतर्गत सुसंगत नहीं होता । यह भी दलील दिया गया है कि इस मामले में अभियुक्तों का षड्यंत्र शंकर गुहा नियोगी की हत्या करना था । अभियुक्त पलटन मल्लाह उनमें से एक षड्यंत्रकारी था । अभियुक्त पलटन मल्लाह ने सत्यप्रकाश (अ0सा0क्र0-105) एवं विशम्भर साहनी (अ0सा0क्र0-124) के समक्ष जोभी कथन किया है वह षड्यंत्र की समाप्ति (नियोगी की हत्या के बाद) किया है । अतः अभियुक्त पलटन मल्लाह का कथन साक्ष्य अधि० की धारा 10 के प्रावधानों के अंतर्गत सुसंगत एवं ग्राह्य नहीं है ।

449. श्री राजेन्द्र सिंह, अधि० ने <u>मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर (ए0आई0आर0-1940 प्री0कौ0-176)</u> वाले मामले को संदर्भित किया है ।

450. इस मामले में जो साक्ष्य आये हैं उससे स्पष्ट है कि अभियुक्त पलटन मल्लाह आर्थिक रूप से कोई संपन्न व्यक्ति नहीं था । वह सायकल मरम्मत करके अपना जीवनयापन करता था । उसे एक मोटरसायकिल और इतना अधिक रुपये दिये गये थे कि वह कई बरस तक बिना काम के ही अपना गुजारा करते रहे और उसे इस क्षेत्र में वापस लौटकर आने की कोई आवश्यकता न रहे । अभियुक्त पलटन मल्लाह शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद करीब 2 वर्षों तक बिना काम किये ही अपना गुजारा करते रहा । अतः साक्ष्य के आधार पर यह दर्शित होता है कि षड्यंत्र का उद्देश्य मात्र शंकर गुहा नियोगी की हत्या तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उससे आगे यह भी उद्देश्य था कि शंकर गुहा नियोगी की हत्या करने वाला व्यक्ति इस क्षेत्र से मोटरसायकिल से इतना दूर चला जाये कि उसका इस क्षेत्र में या अन्य किसी स्थान पर पता ही न लग सके । इस तरह इस मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि षड्यंत्रकारियों का उद्देश्य की समाप्ति शंकर गुहा नियोगी की हत्या के साथ हो गई अतः अभियुक्त पलटन मल्लाह ने सत्यप्रकाश (अ0सा0क्र0-105) एवं विशम्भर साहनी (अ0सा0क्र0-124) के समक्ष जो संस्वीकृति किये हैं वे असंगत नहीं हैं ।
बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त दलील प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं षड्यंत्रकारियों के उद्देश्य के प्रकाश में स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

(म.प्र.)

451. ।।7। प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य :-

1. ज्ञानप्रकाश मिश्रा :-

उपर्युक्त कं0-187 में यह प्रमाणित पाया गया है कि दिनांक 27/28-9-91 की रात में जब शंकर गुहा- नियोगी अपने क्वा0नं0-एम0आई0जी0 1/55 हुडको, भिलाई में सो रहा था तब अभियुक्त पलटन मल्लाह ने खिड़की से देशी कट्टा द्वारा एल0जी0कारतूस फायर करके उसकी हत्या कर दिया।

452. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अभियुक्त पलटन मल्लाह लंबे समय तक जिला जेल, दुर्ग में एक साथ निरोधित रहे थे। शंकर गुहा नियोगी की हत्या के कुछ महीने पूर्व अभियुक्त पलटन मल्लाह कैम्प-1, भिलाई के क्वा0नं0-6एफ में अनाधिकृत रूप से रहने लगा था। अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा भी कैम्प-1 का ही रहने वाला है। क्वा0नं0-6एफ अभियुक्त ज्ञानप्रकाश-मिश्रा-के-मित्र-अभियुक्त-अवधसिंह के पड़ोस में है। इस तरह अभियुक्त पलटन मल्लाह एवं अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा-के-बीच-संबंध-स्थापित होता है।

453. मृतक शंकर गुहा नियोगी ने भिलाई में जब मजदूरों का आंदोलन आरंभ कियाथा उस दौरान अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा सिम्पलेक्स गेट पर मौजूद रहताथा, जबकि वह सिम्पलेक्स का कर्मचारी नहीं था। सुदामाप्रसाद ।अ0सा0क्र0-54। ने अपने बयान में बताया है कि रामआश्रय नामक मजदूर ने उसका परिचय अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा से यह कहकर करायाथा कि वह असमाजिक तत्वों का आदमी है। रामआश्रय ने उसे यहभी बतायाथा कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा सिम्पलेक्स कंपनी में बराबर आया-जाया करता है। उसने यहभी बताया कि यह गुंडा प्रकृतिका का है और मालिक से मिला हुआ है, इसलिये इससे सतर्क रहना।

454. इसके अतिरिक्त सिम्पलेक्स से जो माल ओसवाल इं0 ।मालिक चंद्रकांत शाह। टूटने के लिये जाताथा और वहां से टूटकर जब वापस आताथा तो उस माल के ट्रकों के साथ कभी-कभी अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा सिम्पलेक्स कॉस्टिंग आया करता था। इस तरह अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा का अभियुक्त चंद्रकांत शाह एवं सिम्पलेक्स के मालिकों के साथ संबंध था।

455. राजेन्द्र सायल ।अ0सा0क्र0-70। के अनुसार शंकर गुहा नियोगी ने अपने जीवन की अंतिम रात्रि में उसे बताया था कि ..।151।

सिम्पलेक्स के निजी सेना के ज्ञानप्रकाश मिश्रा के द्वारा मजदूरों पर हमले कराये गये हैं ।

456. शंकर गुहा नियोगी ने अपने डायरी प्रदर्श पी-93 में कई स्थानों पर अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा का नाम लिखा है । इस डायरी के पेज नं0-169 में नियोगी की लिखावट में यह लिखा है कि -ज्ञानू ने सिम्पलेक्स से 5,00,000/- रुपये प्राप्त करके हथियार इकट्ठे किये हैं । रामकुमार हरबुख ।अ0सा0क्र0-90। के बयान से यह स्पष्ट है कि ज्ञानू ही अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा हैं ।

457. मार्च 91 में अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने अभियुक्त चंद्रकांत शाह व अन्य अभियुक्तों के साथ नेपाल यात्रा किया था । बाद में अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर की तलाशी में नेपाल के एक प्राविहजन स्टोर म्युबन के बिल के पीछे विदेशी हथियारों का नाम एवं कीमत लिखा हुआ पाया गया । यह लिखावट अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा की है । पूर्व में यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि अभियुक्तों के नेपाल यात्रा का उद्देश्य हथियार इकट्ठा करना था और यह आपराधिक षड्यंत्र था ।

458. नियोगी ने अपने माइक्रोकैसेट ।आर्टिकल सी। में यह कहा था कि प्रभुनाथ मिश्रा का गुंडाभाई ।जिसका संकेत अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा की ओर है। ने भी पूरा जोर-कोशिश कर रहा है कि यहां पे कुछ ऐसी अटैक घटाया जाये ।

459. नियोगी हत्या के 2 दिन बाद अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर बैठा हुआ था ।

460. नियोगी की हत्या के बाद अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के बड़ेभाई प्रभुनाथ मिश्रा की सिफारिश पर दिनांक 30-9-91 को मौर्या टॉकीज के सायकल स्टैंड का ठेका अभियुक्त अवधेश राय को दिया गया । इस सायकल स्टैंड की आमदनी अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के सिंडीकेट बैंक के खाते में जमा किया जाने लगा ।

461. नियोगी की हत्या के करीब 5 दिन बाद दिनांक 3-10-91 को, जब अभियुक्त अवधेश राय पुलिस की नजर/अभिरक्षा में आया तो अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा अभियुक्त अभयसिंह के साथ दिनांक 4-10-91 को रातोंरात इस क्षेत्र से फरार होकर पचमढ़ी चला गया । यदि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा दोषी मस्तिष्क का नहीं था तो उसे इस क्षेत्र से रातोंरात फरार होने की क्या आवश्यकता थी ?

462. दिनांक 15-12-91 को जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अभियुक्त चंद्रकांत शाह के आधिपत्य के कार्यालय जैन एंड शाह ।आकाशगंगा परिसर, भिलाई। की तलाशी लिये तो वहां कागज के फटे हुये टुकड़े मिले । केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उन टुकड़ों को चिपकाया गया, जो प्रदर्श पी-298 है । यह पत्र अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा

द्वारा अभियुक्त नवीन शाह को लिखा गया था, जो इस प्रकार है :-

आदरणीय नवीन भाई जी, 28-9-91।

प्रणाम ।

जैसा आपने कहा था काम करवा दिये हैं । मैंने 20,000/- रूपया देवेन्द्र पाटनी से लेकर उसको दे दिये हैं । आप इन्हें ये रूपया दे देना । शेष मिलने पर ।

आपका छोटाभाई,
ज्ञान मिश्रा ।

463. शंकर गुहा नियोगी की हत्या दिनांक 27/28-9-91 की रात में हुई है । अतः दिनांक 28-9-91 को अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा द्वारा अभियुक्त नवीन शाह को लिखा गया पत्र अपराध की संस्वीकृति माना जायेगा

464. अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर की तलाशी में अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा द्वारा लिखा गया पत्र ।प्रदर्श पी-393। ।2 एवं ।3। से यह दर्शित होता है कि इन दोनों अभियुक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध है और अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा अभियुक्त चंद्रकांत शाह की खुशी एवं कल्याण के लिये बड़ी-से-बड़ी कुर्बानी देने में भी पीछे नहीं हटेगा ।

465. अभियुक्त पलटन मल्लाह ने सत्यप्रकाश ।अ0सा0क्र0-105। एवं बिशम्भर साहनी ।अ0सा0क्र0-124। के समक्ष जो न्यायेत्तर संस्वीकृति किया था उसमें उसने बताया था कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के साथ जाकर उसने देशी कट्टा से शंकर गुहा नियोगी की सोते में हत्या किया है ।

२. चंद्रकांत शाह:-

466. यह प्रमाणित है कि शंकर गुहा नियोगी के आंदोलन का सबसे बुरा प्रभाव सिम्पलेक्स उद्योग समूह पर पड़ा था । मजदूरों की सबसे अधिक छटनी सिम्पलेक्स उद्योग समूह से ही हुई है । नियोगी के आंदोलन के कारण सिम्पलेक्स उद्योग को लाखों का नुकसान होने लगा और उन्होंने मृतक शंकर गुहा नियोगी एवं छ0मु0मोर्चा के अन्य पदाधिकारियों के विरूद्ध जिला न्यायालय, दुर्ग में दो व्यवहार वाद दायर कियेथे ।

467. अभियुक्त मूलचंद शाह एवं अभियुक्त नवीन शाह, सिम्पलेक्स उद्योग समूह के मालिक हैं । अभियुक्त चंद्रकांत शाह इन अभियुक्तों का सौतेलाभाई है, किंतु इन तीनों अभियुक्तों में आपसी संबंध खराब नहीं है । अभियुक्त मूलचंद शाह के पुत्र केतन शाह ।अ0सा0क्र0-98। ने अपने बयान में अभियुक्त चंद्रकांत शाह को भी उतने ही सम्मान के साथ चाचाजी कहा है, जितना कि अभियुक्त नवीन शाह के लिये सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग किया है

468. ओसवाल आयरन एंड स्टील कं0 के पूर्व कर्मचारी त्रिलोकीनाथ पंडित ।अ0सा0क्र0-176। ने अपने बयान के कं0-7 में बताया है कि सिम्पलेक्स को स्टिंग से जोड़ने के लिये रिजेक्टेड माल कम आ रहा था, इसलिये ओसवाल कं0 में काम बंद हो गया। इस तरह शंकर गुहा नियोगी के हड़ताल का असर अभियुक्त चंद्रकांत शाह की फैक्टरी ओसवाल आयरन एंड स्टील कं0 पर पड़ा और वह फैक्टरी बंद हो गई।

469. अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने नियोगी के आंदोलन के दौरान मार्च 91 में अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अभयसिंह एवं अवधेश राय के साथ नेपाल की यात्रा किया। नियोगी की हत्या के बाद जब अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर की तलाशी ली गई तो नेपाल के एक प्राविजन स्टोर मधुबन के बिल ।प्रदर्श पी-393।8। के पीछे विदेशी हथियारों का नाम एवं कीमत लिखा हुआ था। यह लिखावट अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा की थी। पूर्व में नेपाल यात्रा का उद्देश्य हथियार एकत्र करना एवं आपराधिक षड़यंत्र ठहराया गया है।

470. अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर की तलाशी में एक चिट ।प्रदर्श पी-239। भी पाया गया था, जिसमें फियट कार नं0- एम0आई0आर0-227 एवं जीप क्र0- एम0पी0टी0-797। लिखा था। यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जीप क्र0- एम0पी0टी0-797। का पंजीयन छ0मु0मोर्चा के नाम पर है। फियट कार नं0- एम0आई0आर0-227 का रजि0 डॉ0 गुन ।अ0सा0क्र0-16। के नाम पर है, किंतु 87 में जब शंकर गुहा नियोगी के पैर की हड्डी टूट गई तब से लेकर वे अपने जीवन के अंतिम समय तक उक्त फियट कार का नियमित रूप से उपयोग करते थे। दिनांक 27-9-91 की रात में भी शंकर गुहा नियोगी उक्त फियट कार से ही रायपुर से भिलाई आये थे। अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने यह स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उक्त वाहनों का नंबर वह क्यों लिखकर रखा था।

471. दिनांक 15-12-91 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जब अभियुक्त चंद्रकांत शाह के कार्यालय जैन एंड शाह ।आकाशगंगा परिसर, भिलाई। की तलाशी लिया तो वहां अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा द्वारा लिखे गये संस्वीकृति सूचक पत्र ।प्रदर्श पी-298। के फटे हुये टुकड़े पाये गये थे।

472. दिनांक 27-9-91 की दोपहर में मृतक शंकर गुहा नियोगी ने पत्रकार एम0के0 सिंह ।अ0सा0क्र0-71। से कहा था कि भिलाई के उद्योगपतियों ने उस मरवाने के लिये किराये के गुंडे लाये हैं। मृतक ने यह भी कहा था कि सिम्पलेक्स के शाह लोग उसे मरवाना चाहते हैं।

473. दिनांक 27-9-91 की रात में पिकाडली होटल में भी मृतक शंकर गुहा नियोगी ने पत्रकार एम0के0 सिंह ।अ0सा0क्र0-71। से उपरोक्त बातें दोहराई थीं।

474. मृतक शंकर गुहा नियोगी ने अपने जीवन की अंतिम रात्रि दि0 27-9-91 को पिकाडली होटल, रायपुर में राजेन्द्र नायक ।अ0सा0क्र0-70। से कहा था कि सिम्पलेक्स के मूलचंद शाह और उनके पार्टनर तथा निजी सेना से उसको सबसे ज्यादा खतरा है। उसने यह भी कहा था कि सिम्पलेक्स में डर्टी विंग का कार्य मूलचंद शाह और चंद्रकांत शाह व्दारा देखा जाता है।

475. [illegible] नियोगी की डायरी में भी अभियुक्त चंद्रकांत शाह का नाम लिखा हुआ है।

476. शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद जब दिनांक 3-10-91 को अभियुक्त अवधेश राय छठी पुलिस की नजर/अभिरक्षा में आया और अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अभयसिंह पचगढ़ी के लिये फरार हो गये तब अभियुक्त चंद्रकांत शाह भी अपने हरे रंग की टैम्पो ट्रेक्स क्र0- एम0पी0 24बी-6622 लेकर भिलाई से निकल गया और नागपुर के विभिन्न होटलों में, जमशेदपुर के होटल में, होटल गोदावरी श्रीशैलम ।ए0पी0। में एवं होटल प्रेसीडेंट, मद्रास में ठहरते रहा। अभियुक्त चंद्रकांत शाह होटल ग्रांड, नागपुर में छद्म नाम ।हेमंतसिंह।, होटल सूर्या, नागपुर में छद्म नाम । राजसिंह।, होटल कांटिनेंटल, नागपुर में ।आर0के0 सिंह। एवं होटल सेंट्रल प्वाइंट, जमशेदपुर में छद्म नाम ।एच0के0शाह। से ठहरते रहा।

477. अभियुक्त चंद्रकांत शाह भिलाई का करोड़पति उद्योगपति था। उसे नियोगी की हत्या के बाद इस तरह फरार होने एवं छद्म नाम से ठहरने की क्या आवश्यकता थी ? यह अभियुक्त के दोषी मस्तिष्क को दर्शाता है।

478. अभियुक्त चंद्रकांत शाह अपनी फरारी के दौरान अपने हरे रंग के टैम्पोट्रेक्स एम0पी0 24बी-6622 को ग्राम नागरा के पास छोड़ दिया था। इस टैम्पो-ट्रेक्स के अंदर जो वस्तुयें थी उसमें खून पाया गया था। इससे ऐसा दर्शित होता है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह एक सनसनी पैदा करना चाहता था और अनुसंधान एजेंसी के कार्य को गलत दिशा में मोड़ना चाहता था।

479. अभियुक्त पलटन मल्लाह ने सत्यप्रकाश ।अ0सा0क्र0-105। के समक्ष जो न्यायेत्तर संस्वीकृति किया था उसमें उसने यह कहा था कि उसने शंकर गुहा नियोगी की हत्या किया है और उसके सहयोग में ज्ञानप्रकाश मिश्रा, मूलचंद शाह, नवीन शाह एवं चंद्रकांत शाह रहे हैं।

...155

480. अभियुक्त पलटन मल्लाह ने विशम्भर साहनी, साक्षि नेपाल (अ0 5-सा0क्र0-124) के समक्ष यह न्यायेत्तर संस्वीकृति किया था कि - सिम्पलेक्स कंपनी वालों के कहने पर ज्ञानप्रकाश मिश्रा के साथ जाकर उसने शंकर गुहा नियोगी की हत्या किया था। यह पूर्व में ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह सिम्पलेक्स कंपनी एवं उसके मालिकों से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है।

481. (नोट:-) दिनांक 13-10-91 को अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के मेमो0 बयान के आधार पर जो विदेशी पिस्तौल देवेन्द्र पाटनी के घर से बरामद करना बताया गया है उसके संबंध में इस प्रकरण में कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया जा रहा है। अभियुक्त चंद्रकांत शाह उक्त प्रकरण में भी अभियुक्त है। उक्त प्रकरण के संबंध में पुलिस थाना दुर्ग में अलग से अपराध पंजीबद्ध करके न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में चालान पेश किया गया है।

(3) अवधेश राय :-

482. जेलर एस0पी0 सिंह (अ0सा0क्र0-63) ने दुर्ग जेल का रिकार्ड (प्रदर्श पी-1559) प्रमाणित किया है। इस रिकार्ड के अनुसार अभियुक्त अवधेश राय जिला जेल, दुर्ग में भा0दं0सं0 की धारा 302/349 के अंतर्गत दिनांक 19-12-87 से 2-7-88 तक निरोधित रहा है। अभियुक्त पलटन मल्लाह जिला जेल, दुर्ग में भा0दं0सं0 की धारा 353, 307, 397, 341, 294, 506 (बी), 323 एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दिनांक 1-3-88 से 10-8-88 तक निरोधित रहा है। इससे यह उपधारणा की जा सकती है कि अभियुक्त अवधेश राय एवं पलटन मल्लाह का संबंध था।

483. अभियुक्त अवधेश राय ने मार्च 91 में अभियुक्त चंद्रकांत शाह, ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अभयसिंह के साथ नेपाल की यात्रा किया था। शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद जब अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर की तलाशी ली गई तो वहां से नेपाल के एक प्राविहजन स्टोर म्युब्न का बिल (प्रदर्श पी-393(8)) बरामद किया गया। इस बिल के पीछे अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा की लिखावट में विदेशी हथियारों के नाम व कीमत लिखा था। यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि अभियुक्तों के नेपाल यात्रा का उद्देश्य हथियार एकत्र करना था और यह आपराधिक षड्यंत्र था।

484. साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि अभियुक्त अवधेश राय अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा का अभिन्न मित्र है। मृतक शंकर गुहा नियोगी की डायरी में भी अभियुक्त अवधेश राय को अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा का बांया हाथ बताया गया है।

485. शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के बड़ेभाई प्रभुनाथ मिश्रा की सिफारिश पर अभियुक्त अवधेश राय ने दिनांक 30-9-91

2/- 23/6/97 156

COURT FEE 4 Rs. INDIA

आया

को मौर्या टॉकीज, भिलाई के सायकल स्टैंड का ठेका 25,000/- रूपये माहवारी पर लिया । सितम्बर 91 में सायकल स्टैंड के ठेके लिये जो निविदायें बुलाई गई थी उसमें अभियुक्त अवधेश रॉय का कोई भी निविदा नहीं था । अतः यह स्पष्ट है कि इस सायकल स्टैंड का ठेका प्रभुनाथ मिश्रा की सिफारिश के आधार पर ही टॉकीज के मालिक सुनील अग्रवाल ने दिया था । ठेका लेने के लिये अभियुक्त अवधेश रॉय के साथ अभियुक्त अभयसिंह आया था ।

486. अभियुक्त अवधेश रॉय व्दारा ठेका लेने के पहले उस सायकल स्टैंड को राजप्पन नामक व्यक्ति 19,000/- रूपये मासिक ठेके पर चलाता था । चूंकि सायकल स्टैंड में खास आमदनी नहीं हो रही थी, इसलिये राजप्पन के ठेके को 19,000/- रूपये से घटाकर 15,000/- रूपये कर दिया गया था । इस तरह यह स्पष्ट होता है कि जिस सायकल स्टैंड का ठेका 15,000/- रूपये मासिक पर चल रहा था उस सायकल स्टैंड का ठेका अभियुक्त अवधेश रॉय ने 25,000/- रूपये मासिक पर लिया ।

487. इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त अवधेश रॉय कोई नौकरी करता है या उसका अन्य कोई व्यवसाय है । इस तरह शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद अचानक अभियुक्त अवधेश रॉय के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया या पैसा मिलने की गारंटी कहाँ से हो गई और अभियुक्त ने स्पष्ट नहीं किया है । अभियुक्त अवधेश रॉय को दिनांक 24-10-91 तक सायकल स्टैंड का ठेका दिये हुये एक महीने नहीं हुआ था, इसलिये उसने कोई रकम जमा नहीं किया था ।

488. इस तरह शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद अभियुक्त अवधेश रॉय के पास अचानक अत्यधिक रकम आ जाना या अत्यधिक रकम आ जाने की गारंटी देना और अभियुक्त व्दारा इसे स्पष्ट न करना उसे अपराध में फसाने वाला एक साक्ष्य माना जायेगा ।

(4) <u>अभयसिंह:-</u>

489. अभियुक्त अभयसिंह अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अवधेश रॉय का अभिन्न मित्र है ।

490. अभियुक्त अभयसिंह ने मार्च 91 में अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अवधेश राय एवं अभियुक्त चंद्रकांत शाह के साथ नेपाल की यात्रा किया । पूर्व में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नियोगी की हत्या के बाद जब अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर की तलाशी ली गई तो नेपाल के एक प्रा0 टिहजा स्टोर गुप्तजा का बिल (प्रदर्श पी-393) बरामद किया गया, जिसके पीछे विदेशी हथियारों के नाम एवं कीमत लिखे हुये, जो ज्ञानप्रकाश मिश्रा की लिखावट में थे । पूर्व में नेपाल यात्रा का उद्देश्य हथियार एकत्र करना एवं आपराधिक षड़यंत्र ठहराया गया है ।

491. नियोगी हत्या के कुछ दिनों पूर्व अभियुक्त पलटन मल्लाह अभियुक्त अभयसिंह के पड़ोस में भिलाई इस्पात संयंत्र के क्वा0नं0-6एफ में आकर अनाधिकृत रूप से रहने लगा था ।

492. अभियुक्त अभयसिंह के घर की तलाशी में भिलाई टाइम्स समाचार-पत्र दिनांक 30-4-91 बरामद किया गया । यह समाचार-पत्र सिम्प्लेक्स कॉस्टिंग एंड इंजीनियरिंग वर्क्स इंडस्ट्रियल एरिया, भिलाई के पते पर डिस्पैच किया गया था । इस समाचार-पत्र का अभियुक्त अभयसिंह के घर में पाया जाना यह दर्शाता है कि उसका सिम्प्लेक्स उद्योग से संबंध है । यहां पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि इस समाचार-पत्र में यह प्रकाशित हुआ है कि -" नियोगी की हत्या का षड़यंत्र रचा था शाह ने, चंद्रकांत शाह के विदेश प्रवास का राज क्या है ?

493. अभियुक्त अभयसिंह के घर की तलाशी में प्रदर्श पी-71 की डायरी बरामद की गई । इस डायरी में नियोगी जीप क्र0- एम0पी0आर0-1438 लिखा हुआ है । अभियुक्त अभयसिंह ने यह स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उसकी डायरी में मृतक शंकर गुहा नियोगी का नाम व वाहन का नंबर क्यों लिखा है ?

494. अ0सा0क्र0-81 रविन्द्रकुमार चौधरी ने अपने बयान में बताया है कि उसकी जीप एम0पी0आर0-1438 टैक्सी के रूप में चलती थी । शंकर गुहा नियोगी की हत्या के 5-6 महीने पहले उक्त जीप को नियोगी जी के कार्यकर्ताओं ने 2-3 दिन के लिये किराये पर लिया था । इससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त अभयसिंह नियोगी जी के कार्यकर्ता जब उस जीप का उपयोग करते थे तो उस वाहन पर नजर रखता था या उस वाहन का पीछा किया करता था ।

495 शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद जब अभियुक्त अवधेश राय मौर्या टॉकीज के सायकल स्टैंड का ठेका लेने के लिये गया था तो उसके साथ अभियुक्त अभयसिंह भी गया था ।

22/6/00

....158

COURT FEE INDIA 4 Rs.

496. दिनांक 3-10-91 को जब अभियुक्त अवधेश राय पुलिस की नजर/अभिरक्षा में आ गया तो यह अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के साथ दिनांक 4-10-91 को रात में अचानक ही इस क्षेत्र से फरार होकर पचमढ़ी चला गया अभियुक्त अभयसिंह की ओर से यह दलील दी गई है कि उ0प्र0से यह सूचना आई थी कि उसकी पत्नी की तबियत खराब है, इसलिये वह चला गया था। अभियुक्त अभयसिंह ने दर्शनानंद तिवारी [अ0सा0क्र0-52] के माध्यम से अपने विभाग में जो छुट्टी का आवेदन [प्रदर्श पी-144] भेजा था उसमें यह नहीं लिखा है कि उसकी पत्नी की तबियत खराब है। आवेदन में मात्र यह लिखा है कि कुछ आवश्यक कार्यवश वह घर जा रहा है। इसके पश्चात अभियुक्त अभयसिंह अपने नौकरी पर उपस्थित ही नहीं हुआ। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने अभियुक्त अभयसिंह को दिनांक 17-11-91 को गाजीपुर से गिरफ्तार किये। यदि अभियुक्त अभयसिंह की पत्नी की तबियत वास्तव में खराब होती तो वह सीधे उ0प्र0 अपनी पत्नी के पास जाता न कि विपरीत दिशा में अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के साथ रातोंरात पचमढ़ी भगा होता। इस तरह अभियुक्त अभयसिंह नियोगी की हत्या के बाद इस क्षेत्र से फरार हो गया था और वह अपनी ड्यूटी पर उपस्थित ही नहीं हुआ।

497. अभियुक्त अभयसिंह का नाम शंकर गुहा नियोगी की डायरी में है।

[5] <u>मूलचंद शाह</u> :-

498. अभियुक्त मूलचंद शाह सिम्पलेक्स उद्योग समूह का मालिक है। मृतक शंकर गुहा नियोगी ने सन 90 में राजहरा से भिलाई आकर मजदूरों का जो आंदोलन आरंभ किया था उसका सबसे खराब प्रभाव सिम्पलेक्स उद्योग समूह पर ही पड़ा था। छ0मु0मोर्चा के सबसे अधिक सदस्य सिम्पलेक्स उद्योग समूह से निकाल दिये गयेथे। इस हड़ताल के कारण सिम्पलेक्स उद्योग को लाखों का नुकसान हो रहा था। सिम्पलेक्स उद्योग की ओर से जिला न्यायालय, दुर्ग में दो व्यवहार वादभी दायर किये गयेथे, जिनमें यह अभिवचन/स्वीकारोक्ति की गई थी कि शंकर गुहा नियोगी के हड़ताल के कारण इस उद्योग को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। सिम्पलेक्स उद्योग द्वारा दायर वाद में शंकर गुहा नियोगी एवं छ0मु0मोर्चा के पदाधिकारी प्रतिवादी बनाये गयेथे।

499. अभियुक्त मूलचंद शाह छ0मु0मोर्चा का शपथ-पत्र लेने के लियेभी तैयार नहीं था । वह उन्हीं श्रमिकों को कार्य पर ले रहा था जो छ0मु0मोर्चा से अपना संबंध विच्छेद करने के लिये तैयार थे, जो श्रमिक छ0मु0मोर्चा से संबंध बनाये हुयेथे उन्हें वह कार्य पर नहीं ले रहा था ।

500. श्रमिक समस्या के समाधान के लिये सहायक श्रम-आयुक्त द्वारा बुलाई गई बैठकों में भी यह अभियुक्त नहीं गया था ।

501. अभियुक्त मूलचंद शाह के कार्यालय की तलाशी में उमाशंकर राय एवं भारतभूषण पांडे के वर्तमान और स्थाई पते लिखे हुये चिट पाये गये । ये दोनों व्यक्ति छ0मु0मोर्चा के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे । श्रमिक आंदोलन के दौरान उमाशंकर राय पर प्राणघातक हमला हुआथा, जिसके संबंध में इस प्रकरण के अभियुक्त बलदेवसिंह।एवं अन्य दो। के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा 307 के अंतर्गत चालान भी प्रस्तुत किया गया था ।

502. भारतभूषण पांडे ने दिनांक 1-1-91 को पुलिस थाना जामुल में प्रदर्श पी-48 की यह रिपोर्ट दर्ज करायाथा कि सिम्पलेक्स के मूलचंद शाह ने यूनियन के प्रमुख लोगों को मारने के लिये 50,000/- रुपये और फोटो दिया है, जिसमें से एक आदमी उमाशंकर राय को मार दिया गया है और दूसरा नंबर उसका ।भारतभूषण। है" ।

503. मजदूर आंदोलन के दौरान छ0मु0मोर्चा के एक श्रमिक सुखदेव पर सि0 गेट के सामने अज्ञात लोगों ने हमला किया था ।

504. शांतिलाल श्रीवास्तव नामक व्यक्ति ने यह रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसे कुछ लोगों ने धमकी दिया है कि वह अभियुक्त मूलचंद शाह के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज कराया है उसे वापस ले ले ।

505. डॉ0 पुण्यव्रत गुन। अ0सा0क्र0-16। ने अपने बयान के पं0-5 में बताया है कि शंकर गुहा नियोगी को लगभग 32 पुराने मुकदमों में गैरहाजिरी के कारण दि0 4-2-91 से 3-4-91 तक जेल में रखा गया था । अभियुक्त मूलचंद शाह के घर की तलाशी में उन 32 दांडिक प्रकरणों की सूची ।प्रदर्श पी-262। बरामद की गई है । इससे ऐसा दर्शित होता है कि शंकर गुहा नियोगी को जेल भिजवाने में अभियुक्त मूलचंद शाह का हाथ था ।

506. अभियुक्त मूलचंद शाह के घर से प्रदर्श पी-263, 265, 266 का जो लेख जप्त किया गया है वह शंकर गुहा नियोगी की छबि खराब करने वाला है । इसी तरह प्रदर्श पी-267 से 273 तक का साइक्लोस्टाइल लेख "धीरेश कुमार उर्फ शंकर गुहा नियोगी श्रमिकों और छत्तीसगढ़ी भावना का सबसे बड़ा शोषक,-" भी शंकर गुहा

4 COURT FEE

नियोगी की छवि खराब करने वाला है । यह दस्तावेज भी अभियुक्त मूलचंद शाह के घर से बरामद किया गया है । ये दस्तावेज एवं प्रदर्श पी-263, 265 एवं 266 नियोगी के जीवनकाल में ही प्रिंट कराये गये है ।

507. अभियुक्त मूलचंद शाह के घर से जो प्रदर्श पी-264 का दस्तावेज बरामद किया गया है वह अनुसंधान एजेंसी को सही अनुसंधान की दिशा से विमुख करने वाला है ।

508. शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद अनुसंधान की प्रगति समाचार-पत्रों में प्रकाशित होता था । अभियुक्त मूलचंद शाह ने समाचार-पत्रों की अनुसंधान से संबंधित कटिंग को अपने पास एकत्र करके रखा था । इसे भी उसके घर से बरामद किया गया है ।

509. अभियुक्त मूलचंद शाह के घर से प्रदर्श पी-261 की जो गोपनीय कार्ययोजना बरामद की गई है उसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त मृतक शंकर गुहा नियोगी की आर्थिक स्रोत बंद करके, प्रशासन के माध्यम से उसे निष्प्रभावी करके, प्रतिद्वंदी श्रमिक संगठन को प्रोत्साहित करके एवं न्यायालयीन मामलों में उसे उलझा कर शक्तिहीन करना चाहता था ।

510. अभियुक्त मूलचंद शाह के घर से उसके द्वारा गृहमंत्री को लिखा गया अधूरा पत्र (प्रदर्श पी-1161) जप्त किया गया है, जो इस प्रकार है :-

Hon'ble,
Shri Kailash chawla,
Home Minister,
Govt. of M.P.,
Bhopal

DearSir,

Sub:_ Labour Unrest created at Industrial estate Bhilai.

With ref. to above wehave explained to you the unrest and increasing naxalite activities of by Shri Shankar Guha Niyogi.

He has creat ed such a sitiution that local population and willing workers are totaly terrorised

some of our m ember units

511. प्रदर्श पी-116 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त मूलचंद शाह शंकर गुहा नियोगी एवं उसके आंदोलन से बुरी तरह परेशान था । अभियुक्त इतना अधिक तनावग्रस्त था कि वह पत्र भी पूरा नहीं लिख पाया ।

512. शंकर गुहा नियोगी ने अपने डायरी प्रदर्श पी-93 के पेज -32 में सिम्पलेक्स -केडिया उद्योगपतियों को फासीवादी गिरोह बताया है ।

513. शंकर गुहा नियोगी ने इसी डायरी के पेज नं0-169 में यह लिखा है कि ज्ञानू ।ज्ञानप्रकाश मिश्रा । ने सिम्पलेक्स से 5 लाख रुपये प्राप्त कर फायर आर्म्स एकत्र किया है ।

514. मृतक शंकर गुहा नियोगी ने अपने माइक्रोकैसेट ।आर्टिकल "सी" /ट्रांस-क्रिप्शन प्रदर्श पी-101 । में यह कहा था कि उसकी मृत्यु के बाद कौन उसे मारा यह प्रश्न उत्पन्न होगा । उसके ठीक बाद मृतक ने यह कहा है कि सिम्पलेक्स के लोग जिस प्रकार से बदमाशी कर रहा है, विशेष रूप से मूलचंद जिस प्रकार से क्रिमिनल्स लोगों को इकट्ठा कर रहा है ।

515. दिनांक 27-9-91 की दोपहर में मृतक शंकर गुहा नियोगी ने पत्रकार एन0के0 सिंह ।अ0सा0क्र0-7।। से यह कहा था कि भिलाई के उद्योगपतियों ने निजी सेना गठित कर लिये हैं और उसके गुंडों का इस्तेमाल मजदूर आंदोलन के दमन के लिये करते हैं । नियोगी जी ने अपनी जान को खतरा होना बताया था और यह कहा था कि सिम्पलेक्स के शाह लोग उसे मरवाना चाहते हैं । शंकर गुहा नियोगी ने रात को रायपुर के पिकाडली होटल में भी एन0के0 सिंह ।अ0सा0क्र0-7।। से उपरोक्त बातें दोहराई थी ।

516. शंकर गुहा नियोगी ने अपने मृत्यु के कुछ घंटे पूर्व रायपुर के पिकाडली होटल में राजेन्द्र साहू ।अ0सा0क्र0-70। से यह कहा था कि सिम्पलेक्स के निजी सेना के ज्ञानप्रकाश द्वारा मजदूरों पर हमले कराये जाते हैं । शंकर गुहा नियोगी ने सिम्पलेक्स के मूलचंद शाह, उसके पार्टनर और निजी सेना से सबसे ज्यादा खतरा बताया था । शंकर गुहा नियोगी ने यह भी स्पष्ट किया था कि सिम्पलेक्स में डर्टी विंग का कार्य मूलचंद शाह और चंद्रकांत शाह देखते हैं ।

FOUR RUPEES

23/6/97

517. अभियुक्त पलटन मल्लाह ने सत्यप्रकाश ।अ0सा0क्र0-105। के समक्ष जो न्यायेत्तर संस्वीकृति किया था उसमें भी अभियुक्त मूलचंद शाह द्वारा नियोगी की हत्या में सहयोग किया जाना बताया था ।

518. इसी तरह अभियुक्त पलटन मल्लाह ने विश्वम्भर साहनी ।अ0सा0क्र0-125। के समक्ष जो न्यायेत्तर संस्वीकृति किया था उसमें भी उसने बतायाथा कि सिम्पलेक्स कंपनी वालों के कहने के कारण वह शंकर गुहा नियोगी की हत्या किया है ।

।6। नवीन शाह :-

519. अभियुक्त नवीन शाह सिम्पलेक्स कॉस्टिंग का मालिक है ।

520. शंकर गुहा नियोगी ने जो आंदोलन चलायाथा उससे इस अभियुक्त का उदयोग बुरी तरह प्रभावित हुआ था ।

521. अभियुक्त चंद्रकांत शाह के आधिपत्य के कार्यालय जैन एंड शाह ।आकाशगंगा परिसर, भिलाई। की तलाशी में फटे हुये हालत में जो कागज के टुकड़े ।प्रदर्श पी-298। मिला था वह अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा द्वारा इस अभियुक्त को संबोधित था । इस पत्र में अभियुक्त ज्ञानप्रकाश ने लिखा था कि आपने ।अभियुक्त नवीन शाह ने। जैसा कहा था वैसा काम करवा दिये हैं । उसने 20,000/- रूपये देवेन्द्र पाटनी से लेकर उसको दे दिये हैं । आप इन्हें ये रूपया दे देना । शेष मिलने पर । इसतरह अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा द्वारा अपराध की संस्वीकृति सूचक यह पत्र इस अभियुक्त को संबोधित किया गया है ।

522. अभियुक्त पलटन मल्लाह ने सत्यप्रकाश ।अ0सा0क्र0-105।,के समक्ष जो न्यायेत्तर संस्वीकृति किया था उसमें भी अभियुक्त नवीन शाह द्वारा नियोगी की हत्या में सहयोग किया जाना बताया था ।

523. इसी तरह अभियुक्त पलटन मल्लाह ने विश्वम्भर साहनी ।अ0सा0क्र0-125। के समक्ष जो न्यायेत्तर संस्वीकृति कियाथा उसमें भी उसने बतायाथा कि सिम्पलेक्स कंपनी वालों के कहने के कारण वह शंकर गुहा नियोगी की हत्या किया है ।

।7। एवं ।8। चंद्रबक्श उर्फ छोटू एवं बलदेव सिंह :-

524. ये दोनों अभियुक्त मित्र हैं । ये दोनों अभियुक्त उस टाक्सल स्टैंड का कार्य देखते थे, जो नियोगी की हत्या के बाद अवधेश राय ने दिनांक

30-9-91 को 25,000/- रुपये मालिक बैंक पर लिया था ।

525. अभियुक्त बलदेव साथकल स्टैंड की आमदनी को अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के सिंडीकेट बैंक खाते में जमा किया करता था ।

(18) क्या नियोगी की हत्या में अन्य व्यक्ति/समूह का हाथ हो सकता है :-

(1) छ0मु0मोर्चा का आंतरिक संघर्ष :-

526. विद्वान बचाव काउन्सिल श्री राजेन्द्रसिंह ने यह दलील दिये हैं कि शंकर गुहा नियोगी की हत्या में वर्तमान अभियुक्तों का हाथ नहीं है, बल्कि यह छ0मु0मोर्चा के आंतरिक संघर्ष का परिणाम है । उन्होंने यह भी दलील दिये हैं कि शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद बंगाली लोग और गैर बंगाली लोग विभक्त हो गये । इससे यह दर्शित होता है कि शंकर गुहा नियोगी की मृत्यु के पहले उक्त दोनों समुदायों के बीच संघर्ष चल रहा था । यह भी दलील दी गई है कि शंकर गुहा नियोगी एक बंगाली थे उनके आंदोलन से छत्तीसगढ़ क्षेत्र के श्रमिक वर्ग सहमत नहीं थे और इसी असहमति के कारण छ0मु0मोर्चा के किसी वर्ग ने उनकी हत्या करा दी और छ0मु0मोर्चा के विभाजन का मार्ग प्रशस्त हो गया ।

527. इस बात का कोई भी साक्ष्य नहीं है कि छ0मु0मोर्चा का कोई वर्ग शंकर गुहा नियोगी से रंजिश रखता हो । जब किसी नेता द्वारा बड़े पैमाने पर कोई आंदोलन चलाया जाता है तो उस आंदोलन की कार्यप्रणाली को लेकर मामूली मतभेद हो सकते हैं, किंतु शंकर गुहा नियोगी के आंदोलन के कारण कोई भी गंभीर आंतरिक मतभेद नहीं था । शंकर गुहा नियोगी छ0मु0मोर्चा के सर्वमान्य नेता थे । शंकर गुहा नियोगी ने छटनी किये गये मजदूरों को संगठन की तरफ से मासिक भरण-पोषण भत्ता दिलाया करते थे । उन्होंने अपने श्रमिक आंदोलन को समाज सुधार से भी जोड़ा था । वे मजदूरों के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये भी हर संभव उपाय करते थे । उन्होंने नशाबंदी पर भी जोर दिया था । अतः उनके आंदोलन में कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि छ0मु0मोर्चा का कोई वर्ग उनसे रंजिश रख सकता था ।

528. बचाव पक्ष की ओर से यह भी दलील दी गई है कि छ0मु0मोर्चा के पास चंदे से एवं अन्य स्रोतों से अपार धन एकत्र हो गया था । इस धन का कोई हिसाब नहीं था । हो सकता है कि पैसे के लालच में ही छ0मु0मोर्चा के किसी पदाधिकारी ने शंकर गुहा नियोगी की हत्या कर दिया हो । अनुसंधान में कोई भी ऐसी कड़ी नहीं मिली, जिससे यह दर्शित हो कि छ0मु0मोर्चा के किसी वर्ग

ने नियोगी जी की हत्या कराई हो । अतः अभियोजन के लिये यह बिल्कुल ही आवश्यक नहीं था कि वह छ0मु0मोर्चा के आमदनी व व्यय का हिसाब न्यायालय के सामने पेश करते । कार्यालय सचिव के0एस0सन्हू ।अ0सा0क्र0-46। ने अपने बयान के कं0- 5 में बताया है कि उसकी संस्था में जो भी रूपये आता था उसका हिसाब उमेदीराम यादव ।केशियर। रखता था। अतः बचाव पक्ष की उपरोक्त दलील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। ---- ----------

।2। पीपुल्सवार ग्रुप:-

529. विद्वान बचाव काउन्सिल श्री राजेन्द्रसिंह ने यह भी दलील दिये हैं कि नियोगी की हत्या में पीपुल्सवार ग्रुप ।नक्सली संगठन। के हाथ होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । उन्होंने आगे यह दलील दिये हैं कि दो दशक पूर्व छ0मु0मु0 शंकर गुहा नियोगी सिलीगुड़ी ।पश्चिम बंगाल। से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आये थे । सिलीगुड़ी नक्सलबाड़ी के नजदीक है ।नक्सलबाड़ी वह स्थान है, जहां से नक्सलवाद का उद्गम हुआ है । इस तरह स्वतः नियोगी नक्सलवादी थे ।

530. श्री राजेन्द्रसिंह ने यह भी दलील दिये हैं कि स्वयं शंकर गुहा नियोगी ने अपने माइक्रोकैसेट ।आर्टिकल "सी" /ट्रांसक्रिप्शन प्रदर्श पी-10।। में यह कहा था कि राजनीतिक रूप से हमारे निकटतम पीपुल्सवारग्रुप और आई0पी0एफ0 हैं । पीपुल्सवारग्रुप से हमारा कुछ विरोध भी है-- वह है कि उन्होंने सिर्फ बंदूक के आधार करके संगठन बनाना चाहता है। उससे मेरा सहमत नहीं है । नियोगी की हत्या के बाद समाचार-पत्रों में वह पत्र भी छपा था, जिससे इस बात की उपधारणा की जा सकती है कि नियोगी की हत्या में पीपुल्सवारग्रुप का हाथ हो सकता है ।

531. समाचार-पत्रों में क्या प्रकाशित हुआ था यह एक अश्रुत साक्ष्य है, जो साक्ष्य अधि0 के प्रावधानों के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ग्रहण किये जाने योग्य नहीं है । अभियोजन पक्ष की ओर से एवं बचाव पक्ष की ओर से जो साक्ष्य पेश किये गये हैं उसमें रंचमात्र भी इस बात का साक्ष्य नहीं है कि नियोगी की हत्या में पीपुल्सवारग्रुप का हाथ हो सकता है । बचाव पक्ष की यह दलील साक्ष्य से बाहर है । अतः यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है ।

।3। कैलाशपति केडिया या उसके एजेंट :-

532. भिलाई क्षेत्र में कैलाशपति केडिया का केडिया डिस्टलरी और छत्तीसगढ़ डिस्टलरी है । शंकर गुहा नियोगी ने जब वहां श्रमिक आंदोलन आरंभ

23/6/97

किया तो यह उपधारणा की जा सकती है कि अन्य उद्योगों के साथ कैलाशपति केडिया के उद्योग पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ा रहा हो । यहां पर यह विचारणीय है कि क्या अभिलेख में कैलाशपति केडिया के विरुद्ध उसको नियोगी की हत्या से जोड़ने लायक कोई साक्ष्य उपलब्ध है ? यह बात नहीं है कि सिम्पलेक्स के मूलचंद शाह, चंद्रकांत शाह एवं [illegible] उनके निजी सेना के बाद यदि शंकर गुहा नियोगी को किसी व्यक्ति से अपनी जान का खतरा था तो वह कैलाशपति केडिया था । दिनांक 27-9-91 की रात में जब शंकर गुहा नियोगी एवं राजेन्द्र सायल (अ0सा0क्र0-70) पिकाडली होटल पहुंचे तो उनके पूर्व वहां केडिया डिस्टलरी के डायरेक्टर शिवेन्द्र श्रीवास्तव, एन0के0सिंह (अ0सा0क्र0-71) से मिलने के लिये गये थे । शंकर गुहा नियोगी एवं राजेन्द्र सायल (अ0सा0क्र0-70) के पिकाडली होटल पहुंचने के पूर्व ही शिवेन्द्र श्रीवास्तव एन0के0सिंह से मिलकर जा चुके थे । इस तरह शिवेन्द्र श्रीवास्तव एवं कैलाशपति केडिया को इस बात की जानकारी होने का कोई साक्ष्य नहीं है कि शंकर गुहा नियोगी पिकाडली होटल गये हैं और रात में लौटकर भिलाई आने वाले हैं ।

533. राजेन्द्र सायल (अ0सा0क्र0-70) के बयान से ऐसा दर्शित होता है कि उन्होंने 27-9-91 की रात में माननीय उच्च-न्यायालय का वह आदेश शंकर गुहा नियोगी को दिया था, जो प्रदूषण के संबंध में केडिया डिस्टलरी के विरुद्ध था । यह आदेश न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है । राजेन्द्र सायल (अ0सा0क्र0-70) के बयान से ऐसा दर्शित होता है कि यह कोई पुराना एवं स्थगित आदेश था । यह आदेश रायपुर के किसी याचिकाकर्ता की याचिका पर जारी किया गया था । यदि इस साक्ष्य पर विश्वास करें तो भी यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि माननीय उच्च-न्यायालय के उस आदेश की कापी शंकर गुहा नियोगी को मिल जाने से 28-9-91 को केडिया डिस्टलरी बंद हो जाती ।

534. यदि केडिया डिस्टलरी को बंद होना होता तो वह उच्च-न्यायालय के आदेश के बाद बहुत पहले ही हो जाया रहता । केडिया डिस्टलरी को बंद करवाने में रायपुर का याचिकाकर्ता कम हितबद्ध नहीं रहा होगा । यदि माननीय उच्च-न्यायालय के आदेश में केडिया डिस्टलरी को बंद कराने लायक कोई बात होती तो रायपुर का याचिकाकर्ता आगे कार्यवाही करके केडिया डिस्टलरी को बहुत पहले ही बंद करा दिया होता । इसके अतिरिक्त कैलाशपति केडिया को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसके विरुद्ध माननीय उच्च-न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उसकी कापी [illegible] शंकर गुहा नियोगी ने प्राप्त किया है ।

चार रुपये FOUR RUPEES

535. जब माननीय उच्च-न्यायालय के आदेश के बावजूद पूर्व में केडिया डिस्टलरी बंद नहीं हुई थी तो उस आदेश की कापी शंकर गुहा नियोगी को मिल जाने से केडिया डिस्टलरी बंद होने की कोई संभावना नहीं थी ।

536. यहां पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि अभियुक्त पलटन ने कैलाशपति केडिया एवं डॉ० शिवेन्द्र श्रीवास्तव को अभियुक्त बनाने हेतु दंड-प्र०सं० की धारा 319-1319। के अंतर्गत आवेदन पेश किया था । इस न्यायालय द्वारा 92 साक्षियों का परीक्षण करने के उपरांत दिनांक 26-12-95 को उक्त आवेदन का निराकरण किया गया । अभियुक्त पलटन का आवेदन खारिज कर दिया गया । आदेश में कारण विस्तार से लिखे गये हैं ।

537. मुख्य अनुसंधान अधिकारी आर०एस०प्रसाद ।अ०सा०-192। ने अपने बयान में बताया है कि उन्होंने कैलाशपति केडिया से विशाखापटनम हास्टल में पूछताछ किया था । अनुसंधान के दौरान कैलाशपति केडिया के घर और ऑफिस या फैक्टरी की तलाशी भी ली गई थी, किंतु कैलाशपति केडिया के विरुद्ध चालान करने लायक कोई साक्ष्य हीं नहीं मिला ।

538. इस तरह इस मामले के अभिलेख में जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उससे यह नहीं कहा जा सकता कि शंकर गुहा नियोगी की हत्या में कैलाशपति केडिया या उसके किसी कर्मचारी का हाथ है ।

।4। अन्य उद्योगपति:-

539. शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद उसकी पत्नी आशा गुहा नियोगी ने दिनांक 30-9-91 को पुलिसथाना रायपुरा में प्रदर्श पी-11। की रिपोर्ट दर्ज कराई थी । इस रिपोर्ट में उसने अपने पति की हत्या में कैलाशपति केडिया, मूलचंद शाह, अरविंद शाह, नवीन शाह, बी०आर० जैन, एच०पी०सेतावत, विजय गुप्ता, कुलदीप गुप्ता, विनय केडिया आदि उदयोगपतियों का हाथ होना बताई थी, किंतु अनुसंधान में कैलाशपति केडिया अरविंद शाह, बी०आर०जैन, एच०पी०सेतावत, विजय गुप्ता, कुलदीप गुप्ता एवं विनय केडिया के विरुद्ध अपराध में फसाये जाने लायक कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ ।

540. मुख्य अनुसंधान अधिकारी आर0एस0प्रसाद [अ0सा0क्र0-192] ने अपने प्रति-परीक्षण के कं0-80[80] में इस बात से इंकार किया है कि कैलाशपति केडिया और बी0आर0जैन [ii] तथा भिलाई के अन्य उद्योगपतियों का [जिन्हें इस मामले में अभियुक्त नहीं बनाया गया है] राजनीतिज्ञों से इतना अधिक गहरा संबंध था कि वे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को प्रभावित करने की स्थिति में थे।

541. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत यह दलील भी साक्ष्य से बाहर है कि नियोगी की हत्या के बाद पूर्व प्रधानमंत्री वी0पी0सिंह एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री जार्ज फर्नांडीज एवं अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के दबाव के कारण केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर उद्योग समूह को [सिम्पलेक्स उद्योग समूह] मालिकों को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

542. किसी उच्चस्तरीय नेता की हत्या के बाद यह स्वाभाविक होता है कि अन्य नेता अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करें, किंतु उनकी मांग का यह अर्थ कभी नहीं होता कि सही अपराधियों को छोड़ दिया जाये और निर्दोष एवं कमजोर तबके के लोगों को अपराध में झूठा फंसा दें। नेताओं के मांग एवं दबाव के बावजूद भी अनुसंधान एजेंसी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निष्पक्षता से अनुसंधान करें और अपने आपको राजनैतिक दबाव/उद्देश्य से दूर रखें। इस मामले में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है, जिससे यह दर्शित हो कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राजनैतिक दबाव के अंतर्गत गलत अनुसंधान किया है। अतः अभियुक्तों की उपरोक्त दलील भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

[5] <u>झारखंड मुक्ति मोर्चा</u> :-

543. बहलराम [अ0सा0क्र0-64] के बयान में यह आया है कि 24 तारीख को झारखंड का एक आदमी आया था। वह आदमी 27 तारीख की दोपहर तक था। उसके बाद वह व्यक्ति नहीं दिखा। अभियुक्तों की ओर से यह दलील दी गई है कि झारखंड के उक्त व्यक्ति का 27 तारीख की दोपहर के बाद अचानक गायब होना एक संदेह की स्थिति निर्मित करता है।

544. बहलराम [अ0सा0क्र0-64] के बयान से यह भी दर्शित होता है कि झारखंड का वह व्यक्ति पूर्व में भी आया करता था। वह व्यक्ति कौन था यह तो बहलराम नहीं जानता।

545. चूंकि शंकर गुहा नियोगी एक बहुत बड़े श्रमिक नेता थे, इसलिये यह स्वाभाविक था कि उनसे मिलने के लिये विभिन्न संगठन के लोग आते रहे होंगे। इस हत्या में झारखंड के उस व्यक्ति का हाथ होने का कोई भी प्रश्न उत्पन्न नहीं---

होता । हो सकता है कि झारखंड के उस व्यक्ति को 27 तारीख को लौटना रहा हो और वह लौट गया हो । अतः झारखंड मुक्ति मोर्चा का नियोगी की हत्या से संबंध होने का कोई भी साक्ष्य नहीं है ।

॥19॥ निष्कर्ष :-

546. ए०सी०सी० जामुल, ॥भिलाई॥ में शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में मजदूरों एवं प्रबंधन के बीच जो समझौता हुआ उसे बहुत हद तक मजदूरों के हित में समझा गया ।" विश्वकर्मा पूजा" के दिन ॥दिनांक 17-9-90॥ को औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई में मजदूरों का विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें नियोगी ने भाषण दिया एवं निकाले गये मजदूरों को काम पर वापस लेने एवं ठेकेदारों के मजदूरों को नियमित करने की मांग किया । जल्दबाजी में इसी से प्रेरित होकर शंकर गुहा नियोगी ने सन् 90 के अंत में यह फैसला किया कि अब वह राजहरा से भिलाई आकर मजदूरों के हितों के लिये कार्य करेगा । भिलाई क्षेत्र में छोटे व बड़े औद्योगिक इकाइयों की कोई कमी नहीं है । शंकर गुहा नियोगी का यह निर्णय अंत में दुर्भाग्यपूर्ण ही साबित हुआ ।

547. श्रमिकों के स्थाईकरण एवं उनके जीने लायक मजदूरी के लिये आंदोलन आरंभ करने के कुछ ही महीनों के बाद शंकर गुहा नियोगी को भिलाई के उद्योगपतियों से अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था । मजदूरों को उद्योगपतियों की ओर से धमकियां मिलने लगीं और कुछ मजदूर तो हिंसा के भी शिकार हुये ।

548. आंदोलन के दौरान सुखदेव नामक छ०मु०मोर्चा का कार्यकर्ता जब सिम्प्लेक्स फैक्टरी के पास पहुंचा तो उस पर अज्ञात लोगों ने हमला किये । शांतिलाल श्रीवास्तव ने जामुल थाने में यह रिपोर्ट दर्ज कराया कि कार नं०-सी०आई०आर०-12 में कुछ लोग आये और उसके साथ मारपीट कर धमकी दिये और उसे बोले कि अभियुक्त मूलचंद के खिलाफ जो रिपोर्ट लिखाया है उसे वापस लो ।

549. छ०मु०मोर्चा के एक प्रमुख कार्यकर्ता उमाशंकर राय पर प्राणघातक हमला हुआ, जिसके संबंध में इस मामले के अभियुक्त बलदेव सिंह ॥एवं अन्य दो॥ के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 307 के अंतर्गत चालान भी पेश किया गया है ।

sd/- 23/6/(?)

.....169

550. छ0मु0मोर्चा के एक अन्य कार्यकर्ता भारतभूषण पांडे ने दिनांक 1-9-91 को थाने में यह रिपोर्ट दर्ज कराया कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा का कहना है कि सिम्पलेक्स के मूलचंद शाह ने भिलाई के कुछ प्रमुख लोगों को मारने के लिये 50,000/- रुपये और फोटो दिया है, जिसमें एक आदमी उमाशंकर राय को मार दिया गया है और अब दूसरा नंबर उसका (भारतभूषण पांडे) का है।

551. सिम्पलेक्स, उरला (जिला-रायपुर) के सामने छ0मु0मोर्चा के जो श्रमिक धरना पर बैठे थे उन पर दिनांक 24-8-91 को तलवार, रॉड एवं लाठियों से हमला किया गया।

552. दिनांक 29-4-91 को स्वत: शंकर गुहा नियोगी को एक अंतर्देशीय-पत्र (प्रदर्श पी-103) प्राप्त हुआ था, जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि सिम्पलेक्स वालों ने अभियुक्त चंद्रकांत शाह को उनके ऊपर हमला कराने की जिम्मेदारी दी है। अभियुक्त चंद्रकांत शाह कुछ दिनों पूर्व नेपाल से अत्याधुनिक हथियार खरीदकर लाया है। अभियुक्त चंद्रकांत शाह विदेश जाने वाला है और उसकी गैर-मौजूदगी में उनके ऊपर हमला होने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन सब रिपोर्टों पर नियोगी के जीवनकाल में कोई अनुसंधान ही नहीं हुआ।

553. इस तरह नियोगी स्वयं के एवं मजदूरों की सुरक्षा के लिये चिंतित रहते थे। यहां पर "गोल्ड स्मिथ" की सूक्ति को उद्धृत करना सुसंगत प्रतीत होता है :-

"Laws grind the poor and richmen rule the law."

इसके पश्चात नियोगी को आने वाले दिनों में और भी हिंसा बढ़ने की संभावनायें दिखने लगी। उसने अपनी भावनाओं एवं आशंकाओं को कैसेट में रिकार्ड किया और कह दिया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाये तो उस कैसेट को संगठन के लोगों को सुना देना।

554. नियोगी दिनांक 11 सितम्बर 91 को दिल्ली जाकर राष्ट्रपति महोदय को 50,000 मजदूरों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा और उद्योगपतियों के हिंसा के विरुद्ध मजदूरों के जीने के अधिकार की मांग किया। इस ज्ञापन में सिम्पलेक्स उद्योग के मालिकों पर यह आरोप लगाया गया कि वे मजदूरों पर आक्रमण कर रहे हैं।

555. इसके बावजूद भी नियोगी यह आश्वस्त नहीं थे कि उद्योगपति उनकी मांगों को पूरा करेंगे।

FOUR RUPEES

556. नियोगी गांधी जयंती (2 अक्टूबर 91) के पावन दिन पर, श्रमिकों का कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहते थे, किंतु उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका और दिनांक 27/28-9-91 की रात में जब वे अपने क्वार्टर में सो रहे थे तब एक अज्ञात हत्यारे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। यह निष्कर्ष दिया गया है कि अभियुक्त पल्टन ने नियोगी को गोली मारा था। इस बात का विश्वास करने का पर्याप्त साक्ष्य है कि नियोगी की हत्या एक दीर्घकालीन षड़यंत्र का परिणाम था।

557. आपराधिक षड़यंत्र एक ट्रेन की तरह होती है, जो एक स्टेशन से आरंभ होकर अपने गंतव्य तक जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक षड़यंत्रकारी आरंभिक स्टेशन से अंतिम स्टेशन तक यात्रा करें। कुछ ऐसे षड़यंत्रकारी हो सकते हैं, जो बीच के किसी स्टेशन में चढ़ जाये तथा कुछ दूर यात्रा करके उतर जायें। यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक षड़यंत्रकारी दूसरे षड़यंत्रकारी की भूमिका को जाने या उसमें सहयोग करे। यदि षड़यंत्रकारी षड़यंत्र के किसी भी हिस्से में भाग लेता है तो वह आपराधिक दायित्व से नहीं बच सकता।

558. इस मामले में साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित है कि अभियुक्त पल्टन, ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अवधेश राय दुर्ग जेल में विचाराधीन बंदी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रह चुके हैं। इस तरह उनके बीच संबंध एवं सहयोग था। नियोगी के आंदोलन के दौरान अभियुक्त चंद्रकांत शाह, ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अवधेश राय एवं अभयसिंह टैम्पो-ट्रैक्स से भिलाई से नेपाल यात्रा करते हैं। यह प्रमाणित पाया गया है कि अभियुक्तों ने इस यात्रा के दौरान विदेशी हथियार एवं नेपाली खुखरी प्राप्त किये हैं। किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपना नाम प्रगट न करते हुये नियोगी को पत्र लिखकर अभियुक्तों के नेपाल यात्रा का विवरण देता है और उसे सावधान करता है कि सिम्पलेक्स वालों ने अभियुक्त चंद्रकांत शाह के माध्यम से उसको मरवाने का ठेका दे दिये हैं। अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर की तलाशी में पासपोर्ट बरामद हुआ, जो उस पत्र के इस तथ्य की पुष्टि करता है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह विदेश चला गया था। इस तरह साक्ष्य से उपर्युक्त पत्र के तथ्यों की सत्यता दर्शित होती है।

559. नियोगी की हत्या के दो दिन बाद दिनांक 30-9-91 को अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर जाकर उनसे मिलता है । उसी दिन अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के बड़े भाई प्रभुनाथ मिश्रा मौर्या टॉकीज ।भिलाई। के मालिक सुनील अग्रवाल से यह सिफारिश करते हैं कि अभियुक्त अवधेश रॉय को सायकल स्टैंड का ठेका दिया जाये । पूर्व में कुछ व्यक्तियों ने सायकल स्टैंड के ठेके लिये निविदायें दिये थे, किंतु उन निविदाओं को नजरअंदाज करते हुये अभियुक्त अवधेश रॉय को दिनांक 30-9-91 को सायकल स्टैंड का ठेका 25,000/- रूपये मासिक पर दिया जाता है ।

560. इस सायकल स्टैंड को पूर्व में राजप्पन नामक व्यक्ति 19,000/- रूपये मासिक ठेके पर लिया था, किंतु फायदा न होने के कारण उसके ठेके की रकम को घटाकर 15,000/- रूपये मासिक कर दिया गया था । इस तरह यह स्पष्ट है कि 15,000/- रूपये मासिक ठेके पर चलने वाले सायकल स्टैंड का ठेका अभियुक्त अवधेश रॉय ने नियोगी की हत्या के दो दिन बाद ही 25,000/- रूपये मासिक पर ले लिया ।

561. यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस सायकल स्टैंड की आमदनी को अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के सिंडीकेट बैंक ।जो मौर्या टॉकीज परिसर में ही है। के खाते में जमा किया जाने लगा । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने यह खाता ।क्र०-5405। दिनांक 4-10-91 को ही खोला था । इससे यह दर्शित होता है कि यह बैंक खाता सिर्फ सायकल स्टैंड की आमदनी को जमा करने के लिये ही विशेष रूप से खोला गया था ।

562. अभियुक्त अवधेश रॉय व अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने अपने अभियुक्त कथनों में इस बात से इंकार किये हैं कि सायकल स्टैंड की आमदनी उक्त बैंक खाते में जमा किया जाता था, किंतु सायकल स्टैंड के नौकर कमालुद्दीन ।अ०सा०क्र०-102। एवं बैंक के सहायक प्रबंधक एच०के०कुलभास्कर ।अ०सा०क्र०-85। के कथनों एवं बैंक अभिलेख से यह तथ्य असंदिग्ध रूप से प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश के बैंक खाते में सायकल स्टैंड की आमदनी निम्न तिथियों में जमा की गई थी :-

दिनांक 7-10-91 को 1,500/- दिनांक 10-10-91 को 1,500/-
दिनांक 12-10-91 को 1,100/- दिनांक 15-10-91 को 2,700/-

563. इस तरह नियोगी की हत्या के तत्काल बाद अभियुक्त अवधेश रॉय एवं ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने किसी गुप्त समझौता के अंतर्गत ही सायकल स्टैंड का ठेका

23/6/97

.... 172

लिया था । अभियुक्त अवधेश राय या ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने यह स्पष्टीकरण नहीं दिये हैं कि सायकल स्टैंड के ठेके लिये इतनी बड़ी रकम उन्हें किस स्रोत से प्राप्त हुई या प्राप्त होने की गारंटी हो गई हो । इस तरह उद्योगपतियों के खिलाफ आंदोलन करने वाले नियोगी की हत्या के तत्काल बाद अभियुक्त अवधेश राय एवं ज्ञानप्रकाश मिश्रा को एक बड़ी रकम मिलना या मिलने की गारंटी होना एक सुसंगत तथ्य है एवं इन दोनों अभियुक्तों को अपराध में फसाने की प्रवृत्ति रखने वाले साक्ष्य की एक कड़ी के रूप में मानी जायेगी और इसे नियोगी के हत्या के षड़यंत्र से अलग रखकर नहीं देखा जा सकता ।

564. दिनांक 3-10-91 को अभियुक्त अवधेश राय पुलिस की निगरानी में आ जाता है । दूसरे दिन अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अभयसिंह भिलाई से पचमढ़ी के लिये फरार हो जाते हैं । अभियुक्त अभयसिंह तो अपने कार्य ।भिलाई इस्पात संयंत्र। पर वापस ही नहीं आता और उसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के दल ने दिनांक 17-11-91 को गाजीपुर ।उ0प्र0। से गिरफ्तार कर लाया ।

565. इसी तरह दिनांक 4-10-91 को ही अभियुक्त चंद्रकांत शाह अचानक टैम्पोट्रैक्स लेकर फरार होता है एवं नागपुर एवं जमशेदपुर के होटलों में भिन्न-भिन्न छद्म नामों से ठहरता है । टैम्पोट्रैक्स को वह ग्राम नागरा के पास छोड़ देता है एवं उसमें रखे कपड़ों में खून जैसे दाग लगा देता है । इसमें अभियुक्त चंद्रकांत शाह का उद्देश्य सनसनी फैलाना व अनुसंधान को गुमराह करना था ।

566. ये फरार हुये तीनों अभियुक्त वही हैं, जो नेपाल की यात्रा किये थे ।

567. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा का कथन है कि उसे सन 88-89 में पुलिस-अधीक्षक, दुर्ग सुरेन्द्रसिंह के कहने पर महाविद्यालय में एम0ए0अंतिम में प्रवेश नहीं दिया गया था । उसने पुलिस-अधीक्षक के विरुद्ध माननीय उच्च-न्यायालय में रिट याचिका दायर किया था । पुलिस-अधीक्षक माननीय उच्च-न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये तो उन्हें न्यायालय द्वारा फटकार सुननी पड़ी थी एवं माफी भी मांगनी पड़ी थी, इसलिये पुलिस-अधीक्षक सुरेन्द्रसिंह उससे रंजिश रखते थे । नियोगी हत्याकांड के समय भी सुरेन्द्रसिंह दुर्ग में पुलिस-अधीक्षक थे ।

अतः उन्होंने उसे इस मामले में झूठा फसा दिया है।

568. अभियुक्त की ओर से महाविद्यालय के प्राचार्य के0के0वर्मा (ब0सा0 क्र0-2) का न्यायालय में बयान कराया गया है। इस साक्षी ने बताया है कि पुलिस विभाग से यह फोन आया था कि अभियुक्त से कहा जाये कि वह अनापत्ति प्रमाण-पत्र लाकर पेश करे। उसने अभियुक्त से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लाने के लिये कहा, किंतु अभियुक्त ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र लाकर प्रस्तुत नहीं किया। इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि ऐसी बात नहीं है कि पुलिस-अधीक्षक, दुर्ग के कहने पर उसने अभियुक्त को प्रवेश देने से मना किया था।

569. प्राचार्य वर्मा (ब0सा0क्र0-2) ने स्पष्ट किया है कि म0प्र0शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्षप्रवेश के लिये नियम बनाये जाते हैं एवं उन्हीं नियमों के अंतर्गत छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के मामले में भी उक्त नियमों को ध्यान में रखा गया था।

570. इस बात का कोई भी साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त के रिट याचिका के कारण पुलिस-अधीक्षक को माफी मांगनी पड़ी थी।

571. यदि नियोगी हत्याकांड के समय सुरेन्द्र सिंह पुलिस-अधीक्षक, दुर्ग के पद पर थे तो क्या यह उनका कर्तव्य नहीं था कि अपराधियों को पकड़ने के लिये वे आवश्यक कदम उठाते ? निष्पक्षता से अनुसंधान करना पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है। इस बात को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है कि पुलिस-अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह ने अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा को रंजिशवश झूठा फंसा दिया है।

572. इस मामले में अनुसंधान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किया गया है। अतः पुलिस-अधीक्षक, दुर्ग द्वारा अभियुक्त को झूठा फसाने की बात स्वीकार किये जा योग्य नहीं है।

573. इस मामले में अनुसंधान के दौरान अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर की तलाशी में उसके स्वयं की लिखावट में एक चिट बरामद होती है, जिसमें फिएट कार क्र0- एम0आई0आर0-227 एवं जीप क्र0- एम0पी0टी0-7971 लिखा था। कार क्र0- एम0आई0आर0-227 वही वाहन है, जिसका उपयोग शंकर गुहा नियोगी नियमित रूप से करते थे एवं दिनांक 27-9-91 की रात में वे उक्त कार से ही रायपुर से भिलाई आये थे। जीप क्र0- एम0पी0टी0-7971 का पंजीयन छ0मु0मोर्चा के नाम पर था। इससे यह उपधारणा की जा सकती है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह द्वारा नियोगी के कार एवं छ0मु0मोर्चा के जीप पर नजर रखा जाता था या उसका पीछा किया जाता था

[illegible]174

574. अभियुक्त चंद्रकांत शाह के कार्यालय जैन एंड शाह (आकाशगंगा परिसर) की जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तलाशी ली जाती है तो वहां पर कागज के फटे हुये टुकड़े मिलते हैं, जिन्हें चिपकाने पर यह ज्ञात होता है कि वह अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा द्वारा अभियुक्त नवीन शाह को दिनांक 28-9-91 को लिखा गया पत्र था । यह पत्र अपराध की संस्वीकृति सूचक था ।

575. अभियुक्त मूलचंद शाह सिम्पलेक्स उद्योग का मालिक है । नियोगी के आंदोलन से सिम्पलेक्स उद्योग समूह ही सबसे अधिक प्रभावित हुआ था । अभियुक्त मूलचंद शाह छ०मु०मोर्चा के मांग-पत्र को भी नहीं ले रहा था । एस०एल०सलाम (अ०सा०क्र०-7) के बयान के पद-18 एवं 45 से यह दर्शित होता है कि आरंभ में नियोगी ने अपना आंदोलन भिलाई में कई उद्योगों के विरुद्ध आरंभ किया था, किंतु बाद में उसका आंदोलन सिम्पलेक्स उद्योग समूह के विरुद्ध ही केन्द्रित हो गया था । उसने छोटे उद्योगपतियों से आव्हान किया था कि वे अभियुक्त मूलचंद शाह एवं नवीन शाह को समझायें कि वे दोनों अभियुक्त नियोगी से आकर बात करें ।

576. छ०मु०मोर्चा के श्रमिकों द्वारा सिम्पलेक्स उद्योग एवं मूलचंद शाह के विरुद्ध थाने में लगातार रिपोर्टें हो रही थीं । भारतभूषण पांडे (अ०सा०क्र०-57) ने तो अभियुक्त मूलचंद शाह व ज्ञानप्रकाश मिश्रा से अपनी जान का खतरा भी व्यक्त किया था ।

577. अभियुक्त मूलचंद शाह के घर की तलाशी में जो दस्तावेज बरामद हुये उनसे यह ज्ञात होता है कि मृतक नियोगी की अनुपस्थिति के कारण जिन 32 दांडिक मामलों में जेल भेजा गया था उन 32 दांडिक मामलों की सूची इस अभियुक्त के पास थी । इससे यह उपधारणा की जा सकती है कि मृतक नियोगी को जेल भिजवाने में इस अभियुक्त की महत्वपूर्ण भूमिका थी ।

578. अभियुक्त मूलचंद शाह के घर की तलाशी में एक ऐसा दस्तावेज बरामद हुआ, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वह नियोगी की आर्थिक स्रोत को बंद करके, प्रशासन के माध्यम से उसे निष्प्रभावी करके, प्रतिद्वंदी श्रमिक संगठन को प्रोत्साहित करके एवं न्यायालयीन मामलों में उसे उलझाकर शक्तिहीन करना चाहता था । कुछ दस्तावेज (पॉम्प्लेट्स) ऐसे थे, जिनको बटवाकर यह अभियुक्त नियोगी की छवि खराब करता था ।

२२/(6)

579. नियोगी की हत्या के बाद यह अभियुक्त अनुसंधान की घूमती हुई सुई पर। समाचार-पत्रों में जो प्रकाशित होता था उन सबकी कटिंग इस अभियुक्त ने अपने पास रखा था। । नजर गड़ाये था। इस तरह जहां इस अभियुक्त ने नियोगी के जीवनकाल में उसकी गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित कर उसे निष्प्रभावी करना चाहता था और उसकी छवि को मलिन करना चाहता था वहीं दूसरी ओर उसकी मृत्यु के बाद अनुसंधान की नियमित प्रगति पर नजर रखता था एवं उसे गुमराह करने का भी प्रयास किया था।

580. अभियुक्त मूलचंद शाह का छ0मु0मोर्चा के साथ सीधा टकराव था। अभियुक्त मूलचंद शाह के घर से बरामद दस्तावेजों से यह उपधारणा की जा सकती है कि इस अभियुक्त का शंकर गुहा नियोगी सबसे बड़ा दुश्मन था और यह उससे घृणा करता था। नफरत या घृणा हिंसा का सूक्ष्मतम रूप होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसके पीछे अभियुक्त मूलचंद शाह की अंतश्चेतना में छिपा हुई अपराध-भावना थी। इस तरह अभियुक्त मूलचंद शाह का शंकरगुहा नियोगी की हत्या में प्रबलतम हेतुक है। नियोगी की हत्या के बाद इस अभियुक्त के घर से जो दस्तावेज जप्त किये गये, नियोगी ने अपनी मृत्यु के पूर्व इस अभियुक्त से कई बार अपनी जान का खतरा महसूस किया और व्यक्त किया/ इन दोनों साक्ष्यों में जब अभियुक्त पलटन की न्यायेत्तर संस्वीकृति। जिसमें अभियुक्त पलटन ने स्वयं को नियोगी की हत्या में फसाते हुये इस अभियुक्त का नाम लिया है। को मिलाया जाता है तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक ऐसी कड़ी बनती है जो इस अभियुक्त को नियोगी के हत्या के षडयंत्र के अपराध में लिप्त करती है।

581. यहां पर पुन: इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि मृतक ने अपने जीवन की अंतिम रात्रि में अभियुक्त मूलचंद शाह, चंद्रकांत शाह एवं सिम्पलेक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ... से। अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा। से अपनी जान का सबसे अधिक खतरा महसूस किया था और नियोगी की पैसों के लिये हत्या करने वाले अभियुक्त पलटन ने अपने न्यायेत्तर संस्वीकृति में अपने को अपराध में फसाते हुये उक्त तीनों अभियुक्तों का एवं अभियुक्त नवीन शाह का अपराध में सहयोग होना बताया है।

582. अभियुक्त चंद्रकांत शाह, ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं अभयसिंह किसी-न-किसी तरह से सिम्पलेक्स उद्योग से जुड़े हैं। अभियुक्त अवधेश रॉय इन तीनों अभियुक्तों का मित्र है। अभियुक्त पलटन, ज्ञानप्रकाश मिश्रा व अवधेश रॉय लंबे समय तक दुर्ग जेल में विचाराधीन बंदी के रूप में निरोधित रहे हैं। अत: उक्त तीनों अभियुक्तों के संबंध व सहयोजन की उपधारणा की जा सकती है। अभियुक्त पलटन नियोगी की हत्या के कुछ महीने पूर्व ही अभियुक्त अभयसिंह के पड़ोस में आकर बी0एस0पी0 के रिक्त क्वार्टर

नं0-6एफ, कैम्प-1, भिलाई में अनाधिकृत रूप से कब्जा करके रहने लगा था । यह वही क्षेत्र है, जहां अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा भी रहता था । इस तरह अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा का अन्य अभियुक्तों के साथ जो संबंध रहा है उससे यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ही सिम्प्लेक्स उद्योग से संबंधित अभियुक्तों एवं अन्य अभियुक्तों के बीच एक महत्वपूर्ण धुरी का कार्य कर रहा था । नियोगी की हत्या के पूर्व एवं उसके पश्चात् अभियुक्तगणों के यदि आचरण को देखा जाये और सारा घटनाक्रम जिस तरह का रूप ले रहा था उसे ध्यान में रखा जाये तो यह उपधारणा की जा सकती है कि इस प्रकरण के अभियुक्तों की गतिविधियों का केन्द्रबिंदु अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ही था ।

583. आपराधिक षड़यंत्र का प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना संभव नहीं होता और ऐसा कानून में आवश्यक भी नहीं है । यह आसपास की परिस्थितियों से या अभियुक्तों के घटना के पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती आचरण से भी साबित किया जा सकता है ।

584. यह भी आवश्यक नहीं है कि स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा यह साबित किया जाये कि अभियुक्तगण षड़यंत्रकारी हैं । यह स्थापित होना चाहिये कि इस बात का विश्वास करने का युक्तिसंगत आधार है कि अभियुक्तों के बीच षड़यंत्र का अस्तित्व था ।

585. षड़यंत्र के अपराध में यह भी आवश्यक नहीं है कि एक षड़यंत्रकारी यह जाने कि उसके सह-षड़यंत्रकारी ने षड़यंत्र के अनुपालन में क्या-क्या कार्य किया है । माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने शिवनारायण बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए0 आई0 आर0-1980 सु0को0-439, पैरा-14 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि- षड़यंत्र हमेशा गुप्त रूप से रचा जाता है और इसके संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना असंभव होता है । षड़यंत्र का अपराध मुख्यतः केवल षड़यंत्रकारियों के कृत्य या अवैध लोप के आधार पर ही उपधारणाओं से साबित किया जाता है ।

586. अभियुक्त चंद्रकांत शाह उसके बड़े भाई अभियुक्त मूलचंद शाह, ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अभयसिंह एवं अवधेश राय के विरुद्ध जो साक्ष्य एवं परिस्थितियां प्रमाणित हुई हैं उनको अगर अलग-अलग एवं समग्रता के साथ देखा जाये तो अभियुक्तों के बीच आपराधिक षड़यंत्र का अस्तित्व स्पष्ट रूप से दिखता है । इसमें यदि नियोगी के हत्या करने वाले अभियुक्त पलटन के न्यायेत्तर

....177

संस्वीकृति को अंतिम कड़ी के रूप में जोड़ा जाये तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य की ऐसी श्रृंखला पूरी होती है जो यह प्रमाणित करती है कि इस आपराधिक षड़यंत्र का उद्देश्य शंकर गुहा नियोगी की हत्या एक ऐसे व्यक्ति से कराई जाय जो उसकी हत्या करके हजारों मील दूर चला जाये, ताकि नियोगी की हत्या का कोई सूत्र यहाँ न मिले और यह व्यक्ति अभियुक्त पलटन ही था जो पैसों के लिये दिनांक 27/28-9-91 की रात में शंकर गुहा नियोगी की गोली मारकर हत्या कर दिया एवं मोटरसायकिल से उ0प्र0 भाग गया ।

587. माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने उ0प्र0 राज्य बनाम अशोककुमार श्रीवास्तव [1992 क्रि0ला0ज0-1104] वाले मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिये यह कहा है कि - समस्त प्रमाणित तथ्य अभियुक्त के दोषी होने के परिकल्पना से संगत होना चाहिये । इसका अर्थ यह नहीं है कि अभियोजन अभियुक्त द्वारा बताई गई प्रत्येक परिकल्पना की संतुष्टि करे ।

588. यह पूर्व में प्रमाणित हो चुका है कि अभियुक्त पलटन ने ही शंकर गुहा नियोगी की हत्या किया है । अतः उसे भा0द0सं0 की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है । अभियुक्त पलटन के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25[1][ए] एवं धारा 27 का भी आरोप लगाया गया है, किंतु अभियोजन की ओर से जिला दंडाधिकारी की पूर्व मंजूरी नहीं ली गई है । अतः जिला दंडाधिकारी की पूर्व मंजूरी के अभाव में अभियुक्त पलटन को आर्म्स एक्ट की धारा 25[1][ए] एवं 27 के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता । अतः अभियुक्त पलटन को आर्म्स एक्ट की धारा 25[1][ए] एवं 27 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है ।

589. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू, चंद्रकांत शाह, अवधेश राॅय, अभयसिंह उर्फ अभयकुमार सिंह एवं अभियुक्त मूलचंद शाह को भा0द0सं0 की धारा 302 सहपठित धारा [120[बी][1]] के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है ।

590. अभियुक्त नवीन शाह से मृतक शंकर गुहा नियोगी ने अपने जीवन का खतरा महसूस नहीं किया था । उसने दिनांक 27-9-91 की रात में राजेन्द्र सायल [अ0सा0क्र0-70] एवं एन0के0 सिंह [अ0सा0क्र0-71] से भी अभियुक्त नवीन शाह का नाम नहीं लिया था । मृतक ने अपने कैसेट में भी नवीन शाह से कोई खतरा महसूस होना व्यक्त नहीं किया था । अभियुक्त पलटन की न्यायेत्तर संस्वीकृति एवं अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा का संस्वीकृति सूचक पत्र [प्रदर्श पी-298] इस अभियुक्त के लिये साक्ष्य अधि0 की धारा 30 के प्रावधान के अंतर्गत ही सुसंगत है । यह न्यायेत्तर संस्वीकृति अपने आप में इतना पर्याप्त नहीं होता कि अन्य स्वतंत्र व पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में

उसके आधार पर सह-अभियुक्त को अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जा सके प्रदर्श पी-298 का पत्र अभियुक्त नवीन शाह के कब्जे से भी जप्त नहीं हुआ था । अतः अभियुक्त नवीन शाह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में नियोगी की हत्या के षड्यंत्र के अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता ।

591. अभियुक्त चंद्रबख्श एवं बलदेव मित्र है । ये दोनों अभियुक्त अभियुक्त अवधेश राय के सायकल स्टैंड का कार्य देखा करते थे । इनकी भूमिका नियोगी की हत्या के बाद की है । इन दोनों अभियुक्तों को भी नियोगी की हत्या के षड्यंत्र से जोड़ने वाला साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ।

---

592. अतः अभियुक्त नवीन शाह, चंद्रबख्श एवं बलदेव सिंह प्रत्येक को भा0दं0सं0 की धारा 302 सहपठित धारा 120 बी ।। ।। के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है ।

593. दोषसिद्ध अभियुक्त पल्टन मल्लाह, चंद्रकांत शाह, मूलचंद शाह, ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अवधेश राय एवं अभयसिंह को सजा के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय स्थगित किया जाता है ।

23/6/97

।टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

दिनांक :- 23-6-97.

594. अभियुक्त पल्टन की ओर से श्री आर0एन0 तिवारी, अधि0 ने यह आवेदन पेश किये कि वे सजा के प्रश्न पर साक्ष्य देना चाहते हैं । उन्होंने यह निवेदन किया कि वे चोइथराम अस्पताल, इंदौर के डॉ0 सी0एस0 थोटे का बयान यह दर्शाने के लिये कराना चाहते हैं कि अभियुक्त पल्टन के किडनी का आपरेशन हुआ है । यह तथ्य न्यायालय के अभिलेख में है कि अभियुक्त पल्टन के किडनी का आपरेशन हुआ है । श्री आर0एन0 तिवारी, अधि0 का कहना है कि अब वे डॉ0 सी0एस0 थोटे का बयान नहीं कराना चाहते । इसके अतिरिक्त अभियुक्त पल्टन की ओर से सजा के प्रश्न पर और कोई तर्क ही नहीं किया गया है । अन्य अभियुक्तों की ओर से पेश तर्क भी सुना गया ।

23/6/97

595. मृतक शंकर गुहा नियोगी एक राष्ट्रीय स्तर के श्रमिक नेता थे । भिलाई में श्रमिक आंदोलन चलाने के कारण ही उनकी नृशंस हत्या की गई थी । इस मामले में अलग-अलग अभियुक्तों की अलग-अलग हेतुक एवं भिन्न-भिन्न भूमिकायें हैं । ऐसी स्थिति में एक हत्या के लिये 6 व्यक्तियों अभियुक्तों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता । प्रत्येक अभियुक्त के हेतुक व भूमिका को ध्यान में रखते हुये ही दंडादेश पारित करना होता है ।

596. मृतक शंकर गुहा नियोगी के एक वर्ष के श्रमिक आंदोलन के कारण सिम्पलेक्स उदयोग के मालिक अभियुक्त मूलचंद शाह परेशानी एवं तनाव में थे । हड़ताल के कारण उन्हें लाखों रुपये का नुकसान हो रहा था । उन्होंने मृतक शंकर गुहा नियोगी व छ0मु0मोर्चा के कार्यकर्ताओं के हड़ताल के विरुद्ध निषेधाज्ञा हेतु जिला न्यायालय, दुर्ग में दो व्यवहार वाद भी दायर किये थे । इस तरह इस अभियुक्त का इस अपराध में स्पष्ट हेतुक था ।

597. अभियुक्त चंद्रकांत शाह सिम्पलेक्स उदयोग के मालिक अभियुक्त मूलचंद शाह का भाई है । अपने भाई की परेशानी तो उसके सामने थी इसके अतिरिक्त नियोगी के श्रमिक आंदोलन के कारण सिम्पलेक्स उदयोग से ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0लि0 मालिक चंद्रकांत शाह में ढलने के लिये माल न आने के कारण ओसवाल आयरनएंड स्टील प्रा0लि0 में भी काम बंद हो गया था । इस तरह नियोगी के आंदोलन के कारण अभियुक्त चंद्रकांत शाह/का अपना उदयोग भी प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुआ था । अभियुक्त चंद्रकांत शाह को पारिवारिक के साथ-साथ औदयोगिक परेशानी भी हो रही थी ।

598. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अभयसिंह व अवधेश राय अभियुक्त चंद्रकांत शाह के मित्र हैं एवं सिम्पलेक्स उदयोग से जुड़े हुये हैं । ये तीनों अभियुक्त अपने उदयोगपति मित्र की परेशानी के कारण ही इस आपराधिक षड़यंत्र में शामिल हुये हैं । ये तीनों अभियुक्त साधारण आर्थिक परिस्थिति वाले हैं ।

599. किंतु अभियुक्त पलटन का हेतुक व भूमिका उपर्युक्त अभियुक्तों से बिल्कुल भिन्न है, जिसे इसके पश्चात् अलग से लिखा जा रहा है ।

600. न्यायालय को दंडादेश देते समय अन्य तथ्यों के साथ-साथ अभियुक्तों की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिये । अतः भिन्न-भिन्न आर्थिक स्थिति वाले अभियुक्तों को उनकी स्थिति के अनुरूप भिन्न अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है ।

....180

601. अभियुक्त मूलचंद शाह को भा०द०वि० की धारा 302 सहपठित धारा 120 बी ।। के आरोप में आजीवन कारावास एवं 10,00,000/- रुपये ।दस लाख रुपये। के अर्थदंड से, अभियुक्त चंद्रकांत शाह को भी भा०द०वि० की धारा 302 सहपठित धारा 120 बी ।। के आरोप में आजीवन कारावास एवं 10,00,000/- रुपये ।दस लाख रुपये। के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा करने में व्यतिक्रम करने वाला अभियुक्त 5 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतेगा।

602. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अभयसिंह व अवधेश राय प्रत्येक को भा०द०वि० की धारा 302 सहपठित धारा 120 बी ।। के आरोप में आजीवन कारावास एवं 2,-2,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा करने में व्यतिक्रम करने वाला अभियुक्त 2 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतेगा।

603. अर्थदंड अदा होने पर उसमें से 10,00,000/- रुपये ।दस लाख रुपये। मृतक शंकर गुहा नियोगी की विधवा आशागुहा नियोगी एवं पुत्री क्रांति व मुक्ति एवं पुत्र जीत को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाये। उपर्युक्त क्षतिपूर्ति की रकम मृतक की विधवा एवं बच्चों के मध्य बराबर-बराबर ।1/4। हिस्सों में बांटकर भारतीय स्टेट बैंक के किसी शाखा में कम-से-कम 5 वर्षों के लिये ऐसी सावधि निक्षेप योजना में जमा किया जाये, जिसका कि वे मासिक ब्याज प्राप्त कर सकेंगे। क्षतिपूर्ति दिलाने का यह आदेश अपील अवधि पश्चात लागू होगा।

604. अभियुक्तगण निम्नानुसार अभिरक्षा में रहे हैं :-

1. अभियुक्त चंद्रकांत शाह :- दि० 9-11-93 से 19-1-96.
2. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा :- दि० 13-10-91 से 21-8-95.
3. अभियुक्त अभयसिंह :- दि० 17-11-91 से 27-6-94.
4. अभियुक्त अवधेश राय :- दि० 13-10-91 से 22-9-92.

उपर्युक्त चारों को अभिरक्षा में बिताई गई अवधि का लाभ दंड प्र०सं० की धारा 428 के अंतर्गत सेटऑफ के रूप में दिया जाये।

605. इस देश की संसद ने दंड प्र०सं० 1973 की धारा 354।3। में हत्या के मामले में आजीवन कारावास या विकल्प में मृत्युदंड की सजा देने का विवेकाधिकार न्यायपालिका को दिया है। अतः न्यायपालिका ..

....181

पर यह गंभीर जिम्मेदारी है कि दो विकल्पों में चुनाव करे कि अभियुक्त को सजा देते समय आजीवन कारावास या मृत्युदंड-दोनों में से कौन सी सजा दी जाये।...

606. यह सुस्थापित विधि है कि मृत्युदंड देने के लिये न्यायालय को विशेष कारण दर्शाने होते हैं। विधि द्वारा निर्धारित यह अधिकतम दंड "विरले में से भी विरलतम" मामलों में ही दिया जाना चाहिये।

607. यह संभव है कि कोई न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से मृत्युदंड के पक्ष में न हो, किंतु एक न्यायाधीश के रूप में वह उस विधि से बाध्य है, जो उसे प्रदत्त की गई है न कि उस विधि से, जिसे वह इच्छानुरूप चाहता है।

608. माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने जड़ुभा भरतसिंह गोहिल बनाम गुजरात राज्य (1994(4) सु०को०केसेस-353) वाले मामले में दंड प्र०सं० की धारा 354(3) की व्याख्या करते हुये यह कहा गया है कि -दंड देने के पूर्व अभियुक्त के पक्ष की एवं विपक्ष की दोनों ही परिस्थितियों को विचार करना चाहिये। मृत्युदंड के मामले में विशेष कारण अभिलिखित किये जाने चाहिये। आगे क0-12 में यह कहा गया है कि न्यायालय को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि उन चुनौतियों का जवाब देने के लिये दंड देने के तरीके को उचित स्वरूप दें।

609. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च-न्यायालय ने आनंद बनाम कर्नाटक राज्य (1994(4) सु०को०केसेस-381) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि - दंड देते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, किस बर्बरता के साथ अपराध किया गया, अपराधी की पृष्ठभूमि एवं किस हथियार का प्रयोग किया गया इत्यादि बातों पर विचार करना चाहिये। यह संभव नहीं है कि उन सभी तथ्यों की सूची दी जाये जिन पर विचार किया जा सके। यह तो प्रकरण के तथ्यों पर ही निर्भर करता है कि किन-किन बातों पर विचार किया जाना चाहिये।

610. अभियुक्त पलटन का श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी। इस अपराध के लिये उसके पास कोई हेतुक भी नहीं था, सिवाय इसके कि वह उन उद्योगपतियों से पैसा प्राप्त करे जिनके विरुद्ध मृतक शंकर गुहा नियोगी श्रमिक आंदोलन चला रहा था, इसलिये अभियुक्त पलटन के अपराध का गुरुत्व इस प्रकरण के किसी भी अभियुक्त की तुलना में अधिक प्रतीत होता है।

6 11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोशन बनाम उ०प्र० राज्य ए०आई०आर०-1979 सु०को० पेज नं०-87 ।। वाले मामले में किराये के हत्यारे द्वारा बिना किसी द्वेष के मात्र पैसों के लिये हत्या किये जाने की दशा में मृत्युदंड दिये जाने की पुष्टि किया है।

6 12. दिनांक 27/28-9-91 की दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में जब शंकर गुहा नियोगी अपने क्वार्टर में सो रहे थे तब अभियुक्त पलटन ने देशी कट्टा फायर करके उनकी हत्या कर दिया। मृतक एक स्वार्थहीन व्यक्ति था।

6 13. अभियुक्त पलटन के विरुद्ध हत्या के प्रयास, लूट करते समय चोट पहुंचाने का अपराध, लोकसेवक को उसके कर्तव्य से भयोपरत करने के लिये हमला जैसे अपराध, गृहभेदन एवं चोरी के अपराध तथा 25 एवं 27 धारा आर्म्स एक्ट के अपराधों के लिये दांडिक मामले चल चुके हैं। इस तरह अभियुक्त पलटन की पृष्ठभूमि में कई अपराधों का रिकार्ड है।

6 14. शंकर गुहा नियोगी ने मजदूरों के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये बहुत काम किया था। उसने अपने श्रमिक आंदोलन को समाज-सुधार से जोड़कर रखा था। अभियुक्त पलटन ने शंकर गुहा नियोगी की हत्या करके न केवल उसके परिवार की क्षति किया है, बल्कि समाज के उन हजारों श्रमिकों के मानवीय भावनाओं को आघात पहुंचाया है, जो हमारे समाज के आधार में निहित है।

6 15. अपराध किये जाने पर दंड की व्यवस्था का उद्देश्य केवल अपराधी को उसके कर्म का परिणाम देना मात्र ही नहीं है। इसके द्वारा समाज के लोगों को चेतावनी भी प्राप्त होती है कि यदि वैसी अपराध करेंगे तो दंड से मुक्त नहीं हो सकेंगे।

6 16. अतः समाज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये एवं भविष्य में इस तरह के महापराधों को रोकने की दृष्टि से यह विरले में से विरलतम वाला मामला है।

6 17. अभियुक्त पलटन के पक्ष में कोई भी ऐसी बात नहीं है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वह कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम दंड प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।